(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] नवीं विधान सभा के पंचम सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या : 2

बुधवार

11 सितम्बर, 1991

राजस्थान विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा ।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : राजस्थान में मंत्रिगण भूख हड़ताल पर हैं। कृपया सदन को इससे अवगत करायें ? मंत्रियों ने स्पष्टीकरण नहीं दिया कि हमने भूख हड़ताल तोड़ दी है । जब प्रश्नकाल होता है तो मंत्रियों को जवाब देना जरूरी है । इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या मंत्रियों की भूख हड़ताल समाप्त हो गयी है । (व्यवधान) क्योंकि इससे राजस्थान में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा ठीक है····

श्री ईश्वरलाल सैनी : और एक ऐसा ही प्रकरण भाटी साहब का है जिन्होंने इस्तीफा दिया है । इन्होंने भी अभी तक अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है ।''

श्री अध्यक्ष : शून्यकाल में····आप बैठिये । श्री रामस्वरूप मीणा (व्यवधान)

आप बैठिये । हो गया । श्री रामस्वरूप मीणा ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : लेबर की हड़ताल हुई, आई.पी.एस. की हुई है लेकिन मंत्रिमण्डल की पहली दफा हड़ताल देखी है । यह सारा पेपर्स में आया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा ।

जिला सवाईमाधोपुर की जल प्रदाय योजनाएं

22. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर में कुल कितनी नल योजना कार्य कर रही हैं, उनमें कितनी अधूरी हैं और कितनी विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम सांकरवाड़ा में विभाग की बोरिंग पूर्ण हो गयी है ? क्या कनेक्शन पूर्ण हो गये हैं ? क्या कर्मचारी की भी नियुक्ति हो गयी ? यदि नहीं, तो क्या यह छह माह से बंद पड़ी है ? पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) संदर्भित क्षेत्र में 117 ग्रामीण व 6 शहरी जल योजनाएं कार्यरत हैं 42 ग्रामीण योजनाएं प्रगतिरत हैं और 5 ग्रामीण योजनाएं विचाराधीन हैं। सूची संलग्न है।

(2) नलकूप का निर्माण हो चुका है। वर्तमान में सामान इत्यादि की सुरक्षा हेतु केवल एक कर्मचारी लगा हुआ है। इसके उपयोग की योजना बनाने का कार्य प्रगति में है। चूंकि योजना अभी चालू ही नहीं की गई है अतः बन्द होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची के लिए परिशिष्ट–1 देखें)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जल योजनाओं के बारे में है और माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है...... (व्यवधान)

एक बहुत ही गम्भीर मामला जो पानी की समस्या से सम्बन्धित है जिनके बारे में मेरा प्रश्न है। इस बारे में पूर्व में भी मैंने प्रश्न उठाया था लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आपने उत्तर दिया है कि जल योजनाएं विचाराधीन हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन योजनाओं को सूची में दिया है उनको किन किन चरणों में तथा कितने वर्षों में पूरा करके पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा, माननीय मंत्री महोदय, एक प्रश्न तो मेरा यह है।

दूसरा, मेरा प्रश्न माननीय अध्यक्षजी, उक्त अपूर्ण जल योजनाओं की स्वीकृत राशि, पूरा होने का वर्ष, व्यय राशि का विवरण योजनावार बतायें ?

इसी प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर योजना के बारे में लिखा है कि सामान इत्यादि की सुरक्षा हेतु हमने कर्मचारी नियुक्त कर दिया। योजना आपने विचाराधीन बता दी, चालू नहीं की गई इसलिए मेरा यह प्रश्न है कि जब योजना चालू नहीं की गई और आपने नियुक्ति कर दी है और नलकूप भी आपने खोद दिये हैं। जिस गांव के लिये पानी देने के लिये प्रश्न आपसे किया था तो अब उस गांव को पानी देने के आपने आदेश दिये थे और उसके बाद नलकूप खोदा था और नलकूप खोदने के बाद में आपने नियुक्ति दी है। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि गांव में आज तक पानी नहीं दिया है। कौन से वर्ष में आपने नलकूप खोदा, यह माननीय मंत्रीजी बतायें ? नलकूप खोदने के लिये क्या आपने टेस्ट किया या नहीं किया। अगर आपने उसको टेस्ट कर लिया तो नलकूप के अन्दर कितना पानी होगा ? वहां पर पानी का भण्डार है, मीठा पानी है। गांव में त्राहि-त्राहि मची हुई है पानी के कारण और वहां पर नलकूप योजना के बारे में आप कह रहे हैं कि विचाराधीन है ? पहला प्रश्न तो मेरा...

श्री अध्यक्ष : तीन प्रश्न आपके हो गये। अब बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने उसको खोदा है उसमें पानी मिला क्यों नहीं...

श्री अध्यक्ष : आपके तीन प्रश्न हो गये।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, तीन हो गये हैं और इन तीनों का जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 117 योजनाओं की सूची दी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है। उसका क्रम यह है, पहली-पाइप्ड जल योजना चौथ का बरवाड़ा, दूसरी-पाइप्ड जल योजना ईसरदा....

श्री अध्यक्ष : यह तो कार्यरत हैं। इनके बारे में थोड़े ही पूछ रहे हैं। आगे के, बताइये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा प्रश्न इस बारे में नहीं है, मेरा प्रश्न दूसरा है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : स्पष्ट नहीं हो रहा है, कभी तीन प्रश्न करने के बाद कहते हैं कि मेरा यह पहला प्रश्न है, चार के लिये आपने यह दे दिया।

श्री रामस्वरूप मीणा : पुनः पहला प्रश्न करता हूं आपसे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : कौनसा पहला मानूं। इसलिए मैं सभी के उत्तर दे दूं। जहां तक आपने नलकूप योजना की बात की है, यह आपकी जानकारी में भी है....

श्री अध्यक्ष : ग्रामीण योजना जो कार्यरत हैं इनके लिये पूछ रहे हैं कि यह कब तक हो जायेगी। जो 42 कार्यरत हैं और 5 विचाराधीन हैं इनके लिए पूछ रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो पांच योजना विचाराधीन है वह पी.पी.सी. के पास आने के लिये करीब करीब पैंडिग हैं। जो टेक्नीकल मैम्बर है उसके वहां पहुंच चुकी है। पहले योजना एक्स. ई. एन. बनाता है उसके बाद बाद एडिशनल इंजीनियर के पास जाती है फिर चीफ के पास जाती है उसके पश्चात् टेक्निकल मैम्बर फाइनल करता है उसके बाद एप्रूव होता है तब वह पी.पी.सी. में आकर पास होती है। तो जो आपकी पांच योजनाएं हैं वह पी.पी.सी. में आने के लिये पेंडिग हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब भी पी.पी.सी. हो तो इन योजनाओं को उसके विचाराधीन रखा जाय। इन पांच के लिये तो मेरा यह निवेदन करना है।

श्री रामस्वरूप मीणा : कब होगी ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जल्दी होगी, विधान सभा के बाद करेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह जल्दी कब होगी। पानी की समस्या है, लोग प्यासे मर रहे हैं और आप कह रहे हो कि जल्दी होगी। मंत्री महोदय यह बतायें कि कब हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बहस मत करिये, पहले आप पूरा जवाब सुनिये और दुबारा पूछने का हक है आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा : जहां तक टोडा-भीम के ग्राम सांकरवाड़ा के बारे में आपने प्रश्न किया है। उसमें यह बात सही है कि वहां पर नलकूप खोदा गया है और खोदने के बाद यह बिजली से चलेगा, इसमें पम्प भी लग गया। बिजली हमको मिली नहीं। हमने बिजली के लिये धनराशि जमा करवा दी है लेकिन जो समिति बिजली देने का

(श्री भंवरलाल शर्मा)

काम करती है वह अभी तक हमको बिजली उपलब्ध नहीं करा पायी है। यह विषय कलक्ट्रेट की मीटिंग में भी आया था। वहां भी उनको कहा गया कि आप जल्दी-जल्दी बिजली का कनेक्शन दें। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि यदि आप सहयोग कर दें, बिजली का कनेक्शन दिला देंगे उसी दिन गांव में पानी पहुंच जायेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मन्त्री महोदय अब हमसे निवेदन कर रहे हैं। हम आपको बिजली दिला देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब है मंत्री महोदय का कि हमसे निवेदन कर रहे हैं हम कनेक्शन दिला देंगे। हम ही कनेक्शन दिला देंगे तो फिर आपकी जरूरत क्या है। मेरे गांव की नलकूप योजना है जिसमें नलकूप खोदा गया है और बिजली के कारण बन्द पड़ा है और आप मेरे से सहयोग मांग रहे हैं कि बिजली का कनेक्शन दिला देंगे। कनेक्शन मेरे कहने से दिया जायेगा या मन्त्री महोदय के कहने से दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये, पूरा जवाब सुनिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : कनेक्शन के बिना छह महीने से योजना बन्द पड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज टेक योर सीट।

श्री रामस्वरूप मीणा : छह महीने से योजना बन्द पड़ी है और इस साल कनेक्शन नहीं मिला....

श्री अध्यक्ष : आप इस प्रश्नों का जवाब नहीं चाहते तो मैं आगे बढ़ता हूं, आगे जाता हूं, फिर दूसरा प्रश्न ले लूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, साहब, जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : तो आप बीच में बोलिये मत। आप जवाब सुनिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आया ही नहीं और यह खड़े हो गये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल आपसे निवेदन किया है कि आप हमारी सहायता करेंगे। कोई दबाव नहीं है, आपकी इच्छा हो तो करिये वरना मत करिये। लेकिन जानकारी यह है कि नलकूपों पर....(व्यवधान)

सुनिये आप, आप पूरी बात सुनिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने सहायता क्या मांगी? सहायता आप बतायें। हम क्या सहायता करेंगे आपकी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपने सवाल का जवाब सुनना नहीं चाहते। आप पहले सुन लीजिये, आप बीच में खड़े क्यों होते हो। आपको और मौका मिलेगा। (व्यवधान)

देखिये, यदि आप इस प्रकार से दो-दो बोलेंगे तो मैं नैक्स्ट क्वेश्चन ले लूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न है कि कनेक्शन के अभाव में नलकूप योजना को चालू नहीं किया। तो कनेक्शन देने का काम किसका

(श्री रामस्वरूप मीणा)

है ? आपने कभी प्रयास कनेक्शन के लिये किया या नहीं ? मुझे यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने यह कहा है कि उनको जो काम करना था, वह उन्होंने कर दिया। रुपया जमा करा दिया, बिजली विभाग पर दबाव डाल रहे हैं। कलक्टर की बैठक में तय हो गया कि इसका जल्दी से जल्दी कनेक्शन किया जाय।

श्री रामस्वरूप मीणा : मन्त्री महोदय दबाव डाल रहे हैं उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं—इसमें हमको 43 हजार रुपया जमा करना था, वह 43 हजार रुपया हमने मार्च, 91 में जमा करा दिया। यह कनेक्शन बिजली विभाग नहीं देगा यह कनेक्शन टोडाभीम ग्रामीण विद्युतीकरण सोसायटी देगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह कनेक्शन कब तक हो जायेगा ? मुझे यह आश्वासन दिलाया जाय कि यह योजना कब तक चालू हो जायेगी, यह कनेक्शन कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : शीघ्रातिशीघ्र।

श्री अध्यक्ष : आपके सारे प्रश्नों के जवाब आ गये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं तो यह जवाब चाहता हूं कि यह कनेक्शन कब तक हो जायेगा ? महीने, दो महीने या कितने समय में ?

श्री अध्यक्ष : जो अपने हाथ में नहीं है उसके लिए क्या समय दिलाया जाय। माननीय देवपुराजी।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जनता यह चाहती है, कि उनको पानी मिले। जलदाय विभाग और बिजली विभाग के झगड़े को जनता नहीं समझती है। बिजली देना भी सरकार का काम है और पानी पिलाना भी सरकार का काम है। इसलिए यह कहकर नहीं टाल सकते कि बिजली विभाग की वजह से हमारा काम नहीं हो रहा है। या को-आपरेटिव सोसायटी की वजह से हमारा काम नहीं हो रहा है। यह कराना आपका और सरकार का काम है तो आप यह कहकर आश्वस्त करना चाहें कि वह नहीं दे रहे हैं तो आप ऐसे असहाय नहीं बन सकते हैं। आप असहाय क्यों बनना चाहते हैं ? इसलिए आप यह तो स्पेसिफिक बतायें कि कब तक कनेक्शन दिलाना चाहते हैं और कब तक लोगों को पानी मिल जायेगा ?

एक माननीय सदस्य : आप चालीस साल तक नींद में सोते रहे थे।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब आप चालीस साल तक नींद में सोयेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय देवपुरा जी, आपके विचारों से मैं सहमत हूं।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सरकार का दायित्व है कि लोगों को पानी पिलाये और इसीलिए मेरे विभाग ने मार्च में पैसा जमा करा दिया। यह सही है कि बिजली का कनेक्शन जल्दी मिलना चाहिए। यह एक सोसायटी है जो बिजली का कनेक्शन देती है, यह बात मेरे ध्यान में इस प्रश्न के माध्यम से आयी है। अब इसको जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिला देंगे। आवश्यकता होगी तो बोर्ड से भी बात करेंगे और सोसायटी को भी बाध्य करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

विद्युत मण्डल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के परिजनों को रोजगार

23. **श्री हजारीलाल** (खेतड़ी), **श्री परसादी लाल** (लालसोट) एवं **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मण्डल के कर्मचारी द्वारा 5 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों में से किसी एक को मण्डल की सेवा में ले लिया जायेगा ? यदि हां, तो इसका सैद्धांतिक व वित्तीय आधार क्या है और क्या राज्य कर्मियों व अन्य निगमों व मण्डलों में भी ऐसी योजना को प्रारम्भ करने का राज्य सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मन्त्री (रामनारायण विश्नोई) : स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के बारे में एक योजना विद्युत मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें वृद्ध एवं अक्षम कर्मचारी जिनकी कुशलता क्षीण हो चुकी है और जो स्वेच्छा से योजना के अधीन सेवा निवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं उनके सेवा निवृत्ति लेने पर उन पर निर्भर/आश्रित एक व्यक्ति को इस योजना के तहत विद्युत मण्डल में रोजगार दिया जा सकता है, परन्तु विद्युत मण्डल ने 27–5–91 को हुई अपनी बैठक में विचार करने के बाद इस योजना को स्वीकृत नहीं किया। राज्य सरकार/अन्य निगमों व मण्डलों में भी अपने कर्मचारियों हेतु ऐसी योजना को प्रारम्भ करने का कोई इरादा नहीं है।

श्री हजारी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव पहले क्यों लिया गया और बाद में क्यों हटाया गया ?

श्री अध्यक्ष : मण्डल ने स्वीकार नहीं किया।

श्री हजारी लाल : जो खाली पद पड़े हैं, उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : मण्डल ने प्रस्ताव ही स्वीकार नहीं किया।

श्री हजारीलाल : कर्मचारियों के अभाव में काश्तकारों ने पचास-पचास हजार रु. जमा करा दिये और उनको बिजली नहीं मिल रही है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसमें मेरा और परसादीलाल जी का भी नाम है।

श्री अध्यक्ष : कोई सवाल बचा ही नहीं है। मैं समझता हूं कोई प्रस्ताव आया,

(श्री अध्यक्ष)

मण्डल के समकक्ष रखा गया, उसने स्वीकार नहीं किया। बात खत्म। बिजली विभाग पर बहस होगी तब यह सवाल उठायें।

श्री परसादीलाल मीणा : यह सुझाव किस चेयरमैन द्वारा दिया गया था और किस के द्वारा रद्द किया गया।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा प्रश्न लेने दीजिए और लोग भी बैठे हैं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। किसके समय में यह प्रस्ताव आया और किसके समय में रिजेक्ट हुआ ?

श्री अध्यक्ष : इससे क्या मतलब होगा ? इस पर बहस होगी तब पूछ लेना।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : नाम बताने में क्या आपत्ति है। अगर नाम बता देंगे तो माननीय सदस्य को जानकारी होगी, सदन को होगी और आपको भी ज्ञान होगा।

श्री रामनारायण विश्नोई : जो सुझाव रखा था उसको बोर्ड ने अस्वीकार कर दिया। (व्यवधान) यह सुझाव तत्कालीन अध्यक्ष श्री पी.एम. भण्डारी ने रखा था।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है ? मैं आगे लेना चाहता हूं, कुछ प्रश्न और लेना चाहता हूं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य का प्रश्न लगा हुआ है और उसका नाम है और उसको आप मौका नहीं देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यदि आप मुझे अधिकार देते हैं तो जिसमें सप्लीमेण्ट्री की गुंजाइश नहीं है उसको हटाना चाहता हूं। आगे का प्रश्न लेना चाहता हूं, दूसरा प्रश्न भी सदन का है। इसमें अब कुछ गुंजाइश नहीं रही। उन्होंने नाम पूछा, नाम बता दिया। मण्डल ने प्रस्ताव को टर्न डाउन कर दिया है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सप्लीमेण्ट्री पूछना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, यह सदस्य का अधिकार है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह सदस्य का अधिकार है कि वह सप्लीमेण्ट्री कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : क्या है ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैंने पूछा है कि क्या राज्य सरकार अन्य निगमों और मण्डलों में इसको प्रारम्भ करने की इच्छा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कह दिया नहीं रखते।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इस पर मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न बताइये, मैं ठीक समझूंगा तो अलाऊ करूंगा।

(8)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरा प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव था उसकी भावना में आप जायेंगे तो आपको पता लगेगा कि बेरोजगारों को रोजगार देने की उसमें भावना थी।

श्री अध्यक्ष : यह सुझाव है सप्लीमेण्ट्री नहीं। मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह बता दें कि क्या राज्य सरकार इन कर्मचारियों को राहत देने का विचार रखती है।

श्री अध्यक्ष : हां, यह पूछ लीजिए। आप इसका जवाब आने दीजिए। आप आपस में तय कर लीजिए। एक सवाल में 20 मिनिट का समय लग गया। आप मुझे क्षमा करेंगे आप बहुत पुराने सदस्य हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : विदेशों में इस प्रकार की परम्परा है कि बहुत कम सर्विस के बाद कुछ अतिरिक्त फायदा देकर उनको अपना रोजगार चलाने के लिए इस प्रकार का फायदा दिया जाता है ताकि वह नौकरी छोड़कर अपना धंधा चला सके। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, जो रोजगार में हैं उनको अतिरिक्त फायदा देकर क्या राज्य सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की कोशिश करेगी।

श्री अध्यक्ष : Supplementary disallowed, irrelevant, not related to the question.

जनजाति क्षेत्र में आवंटित भूमि पर स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

24. **श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार का यह नियम है कि जनजाति क्षेत्र में जो कोई भी ग्राम पंचायत स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन कर देगी वहां विभाग द्वारा भवन निर्माण अविलम्ब प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भवन निर्माण हेतु उदयपुर जिले की किस-किस ग्राम पंचायत ने कब-कब भूमि आवंटित की एवं विभाग ने उस पर भवन निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की उस पर भवन निर्माण कब प्रारम्भ किया और कब समाप्त किया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मादड़ी तहसील झाडोल जिला उदयपुर के भवन निर्माण हेतु भी ग्राम पंचायत मादड़ी ने कोई भूमि आवंटित की थी ? यदि हां, तो उस पर कितनी राशि कब स्वीकृत की, भवन निर्माण कब प्रारम्भ किया ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

(4) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मादड़ी के भवन निर्माण हेतु जन प्रतिनिधियों के पत्र आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? कृपया पत्रों की प्रतियां कार्यवाही के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चुन्नीलाल गरासिया) : (1) जी नहीं।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

(2) खण्ड 1 के नकारात्मक उत्तर के फलस्वरूप इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मादड़ी को भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत मादड़ी में भूमि आवंटित की है परन्तु चिकित्सा विभाग ने निर्माण की स्वीकृति नहीं दी है।

(4) जी हां। प्रश्नकर्ता द्वारा आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को संबोधित पत्र की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। इस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को पत्र लिख दिया है। छाया प्रतिलिपि संलग्न है।

(प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

श्री कुबेर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या एक में इन्होंने उत्तर दिया है, जो नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विभाग ने पिछले वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण के लिए राशि आवंटित की? यदि हां, तो उनके क्या नार्म्स हैं, बताया जाय। नम्बर दो, मैंने सीधा पूछा है कि इस वर्ष में कहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए राशि आवंटित की गयी है? आपने प्रश्न संख्या एक का उत्तर यहां सम्मिलित करते हुए नकारात्मक जवाब बता दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस चालू वित्त वर्ष में उदयपुर जिले में कौन-कौन से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए विभाग ने धनराशि आवंटित की और कहां-कहां की, यह बताया जाय।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रश्न किये हैं वे वैसे तो चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित हैं किन्तु पूरे जनजाति क्षेत्र का प्रश्न होने के नाते....

श्री अध्यक्ष : आप चिकित्सा विभाग में भी हैं, दे दीजिए, जवाब।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जनजाति क्षेत्र में पी. एच. सी. भवन के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा जो स्वीकृति दी गयी, उसका विवरण निम्न है : चार उदयपुर में नाई, पई, भंमोरा और पड़ावली। डूंगरपुर जिले में पंचायत समिति सागवाड़ा में बूच्या पी. एस. सी. की स्वीकृति चिकित्सा विभाग द्वारा दी गयी है। वर्ष 1991–92 में पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन की स्वीकृति चिकित्सा विभाग द्वारा दी गयी, जिनके नाम हैं ओबरा पंचायत समिति में झाड़ोल, सुखानिया जिला बांसवाड़ा, पुनाली जिला डूंगरपुर, माल जिला डूंगरपुर और सुहावपुरा जिला चित्तौड़।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उदयपुर जिले का पूछ रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय सदस्य महोदय को उदयपुर जिले का बता दिया है मैंने। पर पूरे जनजाति क्षेत्र का प्रश्न था इसलिए पूरे जनजाति क्षेत्र का बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने जो चिट्ठी दी है आपको उसके अनुसार वहां की ग्राम पंचायत आपको जमीन दे रही है, पट्टा उसने दे दिया है। वहां पर भवन निर्माण के बारे

(श्री अध्यक्ष)

में आपका क्या विचार है, आप जवाब दे दीजिए, सीधा-सा सवाल है। मादड़ी गांव का।

चिकित्सा मन्त्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मादड़ी गांव के विषय में बताने से पहले मैं आपके माध्यम से सरकार ने इस विषय में जो रीति-नीति बनायी है उसके बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक पंचायत समिति में एक सामुदायिक विकास केन्द्र हो कम से कम, यह राज्य सरकार की रीति-नीति है। उस पंचायत समिति में सामान्य क्षेत्र में 30 हजार की आबादी पर एक पी. एच. सी. हो, और जनजाति क्षेत्र में 20 हजार की आबादी पर एक पी. एच. सी. हो, इस प्रकार की योजना हमारी है। उस एक पी. एच. सी. में पांच हजार की आबादी को कवर करने वाला एक सब सेन्टर सामान्य क्षेत्र में और तीन हजार की आबादी को कवर करने वाला जनजाति और रेगिस्तानी क्षेत्र में हो, इस प्रकार की योजना है। इस सारी योजना को ध्यान में रखकर राजस्थान में हम सामुदायिक विकास केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सब सेन्टर्स की स्वीकृति प्रदान करते हैं। स्वीकृति प्रदान करने के बाद उस स्थान पर भवन बनाने का सवाल आता है। भवन के लिए जहां हम स्वीकृति कर देते हैं उस गांव के सरपंच को हम निवेदन करते हैं कि आप उस स्थान पर भवन बनाने के लिए हमको जमीन का पट्टा उपलब्ध करा दीजिए। स्वीकृति के बाद जमीन का पट्टा यदि उपलब्ध करा देते हैं तो उस पर राज्य सरकार अपनी ओर से या किसी दानदाता की ओर से प्रयास करके भवन बनाने का प्रयास करती है। माननीय सदस्य ने मादड़ी का सवाल किया है, अगर वे पट्टा दे देंगे, भवन भी बन जाएगा लेकिन जब तक राज्य सरकार स्वीकृति नहीं कर देती, जब तक सारा हमारे नक्शे में फिट नहीं होगा उस भवन का चिकित्सा केन्द्र के नाते उपयोग नहीं हो सकेगा। इसलिए माननीय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मादड़ी को इस नाते से हम स्टडी करेंगे और 20 हजार की आबादी में जो पी. एच. सी. बनने वाली है, आगामी वर्ष में जब कभी आएगी तब उस प्रकार की बात का हम उपयोग कर सकेंगे।

श्री कुबेर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप फरमा रहे हैं 20 हजार की आबादी, उस पी. एच. सी. में सात पंचायतें आती हैं क्या उनमें 20 हजार की जनसंख्या नहीं होगी ? बिखरी हुई आबादी है ट्राइबल क्षेत्र में। मैं मेरे वहां एक ही मांग रहा हूं जबकि गिरवा, पंचायत समिति में दो-दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति जारी कर रखी है आपने, नाई भी कर दी और पई भी कर दी। हम दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, सात ग्राम पंचायतों की जनसंख्या कम से कम 20 हजार है, मैं आपसे निवेदन करता हूं। वह इस वर्ष में नहीं आता है ?

श्री अध्यक्ष : हो गया। नैक्स्ट, श्री गोपीराम (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : मैंने यह सवाल सामने रखा तो हमको यह देखने में आया है कि वहां का विधायक कोई कांग्रेसी होगा। (व्यवधान)

श्री कुबेर सिंह : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तो खुला हुआ है लेकिन भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं है, भवन नहीं है। बैठने की व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह तो बना हुआ है न ?

श्री कुबेर सिंह : खुला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : सैंक्शन्ड है ?

श्री कुबेर सिंह : सैंक्शन्ड है, साहब।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरा यह निवेदन है कि इस नीति से खोलने के बाद....

श्री अध्यक्ष : नहीं, देखिए, आपके मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया है उसमें कण्ट्राडिक्शन है। पहले उन्होंने न दे दी और जब दूसरा पूछा उन्होंने कि आप और जगह जहां जमीन है वहां बना रहे तो कह दिया कि हमने न दे दी इसलिए नहीं ही लागू होता है। जबकि पांच जगह इन्होंने बताया अभी कि पांच जगह बनाये हैं भवन आपने और आप भी यही नीति बता रहे हो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह करना है कि इस नाते से तो खोलते हैं। खोलने के पश्चात्....

श्री रामनारायण वर्मा : खुला हुआ तो है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सुनिये। आप सुनना नहीं चाहते। आप प्रश्नकर्ता के प्रश्न को क्यों समाप्त कर रहे हैं ? आप बैठिये। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। नोट मत करिये। मैं नैक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। नैक्स्ट, श्री गोपीराम।

श्री रामनारायण वर्मा : × × ×

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीराम, चलिये, बोलिये आप। (व्यवधान) नगरीय विकास मन्त्रीजी। (व्यवधान) इनका कोई नोट मत करना, कोई नोट मत करना। आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। चलिये आप।

श्री रतनाराम चौधरी : × × ×

श्री रामनारायण वर्मा : × × ×

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इम्पार्टेन्ट सवाल था।

श्री अध्यक्ष : मगर जब मैं क्वेश्चन कर रहा था और उनका जवाब आ रहा था, दस माननीय सदस्य खड़े हो गये। यह कोई तरीका है आपका ? मैं नहीं समझता कि यह कोई पूरी व्यवस्था का हिस्सा है। जब उन्हीं का सवाल अंश आउट किया जा रहा था, उसी में से निकल रहा था तो अनावश्यक दूसरे सदस्य क्यों खड़े हुए ? वह सवाल आप नहीं किया था। I myself was asking question. मैं क्वेरी कर रहा था।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप बिलकुल सही फरमा रहे हैं।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मगर मुझे बताइये आप क्या करूं मैं ? दस माननीय सदस्य खड़े हो जायं और न उनको सुनें न मुझे सुनें ।

श्री हीरालाल देवपुरा : हमको थोड़ा बड़ा दिल रखना है ।

श्री अध्यक्ष : मुझे खेद ही इस बात का है कि माननीय सदस्य का जो सवाल जन-जाति क्षेत्र से सम्बन्धित है उसका जवाब आ रहा था, मगर ये सुनना नहीं चाहते, तो प्रश्न तो उनका है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : केवल इस वजह से कि कुछ माननीय सदस्य....

श्री अध्यक्ष : कुछ नहीं, मुझे भी नहीं सुन रहे हैं और उनको भी नहीं सुन रहे हैं टाइम जाया हो रहा है । आधा घण्टा निकल गया ।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपकी मेरी बहस में तो और टाइम निकला जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : यह मेरी जिम्मेदारी है कि और सदस्यों के भी सवाल आएं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपकी मेरी बहस में तो और टाइम जाया हो जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, आप सुन लीजिए, मन्त्रीजी को ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : लेट मी कम्प्लीट ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने खोलने की रीति-नीति आपके माध्यम से सदन को सूचित की । एक पी. एच. सी. को खोलने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए । हम खोल देते है । कहीं पर गवर्नमेंट की बिल्डिंग में कहीं वह किराये की बिल्डिंग में है और भवन निर्माण के बाद हमारी बिल्डिंग में चलती है । हमारे पास जो उपलब्ध निधि है उसी के अनुसार राजस्थान में बिल्डिंग्स का निर्माण हम कर सकते हैं । अगर एक करोड़ रुपए हैं तो पांच बना सकते हैं, लेकिन अगर हमको 25 वाले पट्टा उपलब्ध करा देंगे तो कैसे निर्माण करेंगे हम ? इसलिए शनैः शनैः उनको एनलिस्ट करके जब-जब उनकी योजना आएगी तब बनायेंगे निश्चित रूप से । जल्दी क्यों कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : इस गांव में जहां चल रही है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इस वर्ष मादड़ी हमारे उसमें नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : इस वर्ष में नहीं है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जी हां, अब आगे हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अगले साल ले लेंगे, ठीक है । चलिये, नैक्स्ट ।

श्री कुबेर सिंह : माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय के क्षेत्र में दो-दो भवन का निर्माण हो रहा है, ऐसा क्यों ?

श्री अध्यक्ष : वह मंत्री हैं इसलिए हो रहा है । चलिए, मंत्रीजी, बोलिए । (व्यवधान)

श्री कुबेर सिंह : उनके यहां एक की जगह दो कर दिये, ऐसा क्यों ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा होता रहा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्षजी, विधायकों का एक ही काम करवा दो।

श्री अध्यक्ष : आप जब मंत्री बन जायेंगे तो आपका भी हो जायेगा। नेक्स्ट।

विश्वकर्मा (जयपुर) बैनाड़ रेलवे स्टेशन सड़क का निर्माण

25. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विश्वकर्मा क्षेत्र जयपुर के रोड नम्बर 17 से बैनाड़ रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी सड़क को पूर्व में "अपना ग्राम अपना काम" योजनान्तर्गत स्वीकृत कर 90,000/– रु. की प्रथम किश्त भी दे दी गई थी ?

(3) इस सड़क की स्वीकृति सार्वजनिक हित के किन-किन मापदण्डों को ध्यान में रख कर दी गई ? मूल सर्वे पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि यह सड़क मात्र एक व्यक्ति विशेष के प्रतिष्ठान "अपना ग्राम होटल" को लाभ पहुंचाने हेतु स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो इसे माचड़ा ग्राम होकर क्यों नहीं निकाली गई ?

(5) क्या अब ये सड़क ग्राम माचड़ा होकर निकाली जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जी नहीं। अपितु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विश्वकर्मा क्षेत्र जयपुर के रोड नम्बर 12 से बैनाड़ रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण के लिये आमेर पंचायत समिति को 5.76 लाख रुपये अनुदान राशि स्वीकृत की गई थी। निर्माण कार्य पंचायत समिति द्वारा कराया जाता है। अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ? इसका ब्यौरा पंचायत समिति के पास है।

(2) अतिरिक्त कलक्टर (विकास) ने पत्र क्रमांक : एफ 3/जे. आर. वाई. ई. 90–91/9503 दिनांक 9-4-1991 के जरिये यह सूचित किया है कि उक्त सड़क के निर्माण पर 90,000/– रुपये "अपना ग्राम अपना काम" योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति आमेर द्वारा व्यय किया गया है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण, पंचायत समितियों के विकास कार्यों के प्रस्ताव जिला परिषद् के माध्यम से प्राप्त होने पर प्राधिकरण के बजट प्रावधान के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों में से वरीयता दी जाती है। आमेर पंचायत समिति क्षेत्र में जिला परिषद् से केवल मात्र इसी सड़क के निर्माण के प्रस्ताव हुए प्राप्त थे। अतः इसके लिये अनुदान दिया गया। इस सड़क के निर्माण के

(14)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तकमीने एवं जिला परिषद् द्वारा भिजवाये गये पत्र की प्रति संलग्न है। कोई सर्वे इस सड़क का प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) जिला परिषद् के जरिये पंचायत समिति आमेर का उक्त सड़क का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उसके निर्माण के लिये प्राधिकरण से अनुदान की राशि स्वीकृत की गई है।

(5) प्राधिकरण इस पर विचार नहीं करता। यह निर्णय जिला परिषद् को ही करना है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही कहना था कि एक सड़क जिसके लिए डी. आर. डी. ए. से भी और जे. डी. ए. से दोनों ने उस सड़क के लिये पैसा लगाया। इस सड़क में ऐसी कौनसी महत्वपूर्ण बात थी? क्योंकि बैनाड़ स्टेशन को यदि 12 नम्बर से जोड़ा जाता है तो वह करीब 8 किलोमीटर पड़ती है और उस सड़क को यदि मांचड़ा गांव से जोड़ा जाय तो केवल 3 किलोमीटर में ही सड़क का निर्माण हो सकता है, तो यह इसकी साइट क्यों चुनी गई? माननीय मन्त्री महोदय बता रहे हैं कि यह आमेर पंचायत समिति का निर्णय है, तो पंचायत समिति के विकास अधिकारी को जे. डी. ए. के अधिकारी टेलीफोन पर धमकी देते हैं और कहते हैं कि सड़क का निर्माण तुरन्त करवायें वरना तुम्हारे खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा। जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो इसके लिए मन्त्री महोदय क्या कार्यवाही करेंगे? इस बारे में जानकारी करना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसने किसको क्या धमकी/धौंस दी है, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन आपने मुझे यह शिकायत की थी कि यह सड़क का निर्माण ज्यादा लाभदायक नहीं रहेगा। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले यह निर्देश दिये हैं कि फिलहाल इसका काम रोक दिया जाय, एक बार मैं स्वयं माननीय सदस्य के साथ जाकर उस मौके का निरीक्षण करूंगा उसके बाद जो भी हमारा अधिकार है उसके हिसाब से अनुमति दे पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांदीकुई की एक्स-रे मशीन

26. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांदीकुई में एक्स-रे मशीन किस तारीख से उपलब्ध है? क्या यह मशीन प्रयोग में लाई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या एक्स-रे मशीन के लिए बनवाया गया भवन (कमरा) पूर्ण हो चुका है? क्या वह एक्सरे मशीन के लिए उपयुक्त है? यदि हां, तो उसमें मशीन कब लगाई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई में एक्स-रे मशीन

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

दिनांक 26-4-1991 को उपलब्ध कराई गई है जिसे एक्स-रे कक्ष के भवन निर्माणाधीन होने के कारण अभी स्थापित नहीं किया जा सका है।

(2) जी नहीं। उपयुक्त कमरा बनाने के पश्चात् एक्स-रे मशीन स्थापित कर दी जायगी। एक्स-रे कक्ष के निर्माण की कार्यवाही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र पूरा कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री रामकिशोर सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 का जवाब जो आया है वह सर्वथा असत्य है। एक्स-रे मशीन के लिए जो कमरा बनवाया गया है वह बनकर कम्प्लीट हो चुका है लेकिन चिकित्सा प्रभारी प्राइवेट मशीन वालों को लाभ पहुंचाने की गरज से कमरे को जान-बूझकर छोटा बनवा दिया है। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवा कर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है इस शिकायत के अनुसार निश्चित रूप से मैं इसकी जांच करवाऊंगा और मैं उनको यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि 20 अक्टूबर, 1991 तक न केवल कक्ष पूरा हो जायेगा। एक्स-रे मशीन लग जायेगी और 21 अक्टूबर से उसका काम शुरू हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट

बाली उपखण्ड मुख्यालय पर परिवहन निगम की बसों का स्टोपेज

27. **श्री अमृतलाल परमार (बाली)**: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली के उप खण्ड मुख्यालय बाली पर रोडवेज की एक्सप्रेस व सुपर फास्ट बसें जो जोधपुर, उदयपुर, आबू, भीलवाड़ा, सादड़ी, नाकोड़ा आदि स्थानों पर जाती हैं वह उपखण्ड मुख्यालय पर नहीं रुकतीं जबकि बाली से छोटे स्थानों पर इनका स्टोपेज रखा गया है ? बाली उपखण्ड मुख्यालय पर ए. डी. जे. कोर्ट, रेफरल अस्पताल उप खण्ड कार्यालय, सी. जे. एम. कोर्ट इत्यादि हैं तथा पेशियों व चिकित्सा हेतु दूर दूर से लोगों को बाली आना पड़ता है ? बाली एक नगरपालिका क्षेत्र है जहां की आबादी करीब 16,000 है।

(2) रोडवेज एक्सप्रेस व सुपरफास्ट बसों को स्टोपेज के लिए क्या नियम हैं ? तथा जनता के बार बार अनुरोध पर भी इस उपखण्ड मुख्यालय पर स्टोपेज क्यों नहीं रखा गया है ? पूरे समय बुकिंग की व्यवस्था क्यों नहीं है ?

(3) बाली उपखण्ड पर बुकिंग कार्यालय सुबह से शाम तक ही खुलता है। पूरे समय बुकिंग की व्यवस्था क्यों नही है ?

(4) फालना स्टेशन से यात्री जालौर एवं देसूरी उदयपुर तक जाते हैं ? किन्तु रात्रि ट्रेनों पर बस की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री जगमालसिंह यादव) : (1) जी नहीं।

(2) साधारणतया 40 किलोमीटर से पूर्व द्रुतगामी/सुपरफास्ट बस सेवाओं का

(श्री जगमालसिंह यादव)

स्टोपेज नहीं रखा जाता है। पर्याप्त यात्री भार की उपलब्धि पर जन सुविधार्थ ऐसी कुछ बसों का स्टोपेज 40 किलोमीटर से कम दूरी के स्थान पर भी रखा जाता है तथा इसी दृष्टि से बाली पर भी काफी द्रुतगामी/सुपरफास्ट बस सेवाओं का स्टोपेज रखा हुआ है।

(3) बाली उपखण्ड मुख्यालय पर बुकिंग कार्यालय प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। रात्रि में केवल 4 बसें आती/जाती हैं जिनकी बुकिंग हेतु रात्रि पारी में बुकिंग कार्यालय खुला रखने का पर्याप्त औचित्य नहीं है और रात्रि में पर्याप्त मात्रा में यात्री उपलब्धता भी नहीं है।

(4) जी हां। रात्रि में ट्रेन से आने वाले यात्रियों हेतु देसूरी एवं उदयपुर के लिए निगम की रात्रि बस सेवाएं उपलब्ध हैं। जालौर के लिये रात्रि को पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध न होने के कारण कोई बस सेवा संचालित नहीं की जा रही है।

श्री अमृतलाल परमार अध्यक्ष महोदय, "नहीं" नम्बर (1) का जवाब दिया गया है प्रश्न जबकि बाली उप-खण्ड है और नजदीक एरिया के अन्दर जो आस-पास के गांव लगते हैं उनको देखते हुए जितनी सुपरफास्ट बसें हैं, भीलवाड़ा एक्सप्रेस है उनको रोकना अनिवार्य है।

दूसरा, जो जवाब दिया गया है कि 40 किलोमीटर अन्तर का, वह वहां इसलिए लागू नहीं होता है कि वह पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया के काफी लोग आते हैं अगर उनकी सुविधार्थ नहीं सोचा गया तो वहां ये बसें रोकने का कोई औचित्य भी नहीं है। इसलिए वहां पर सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए और 40 किलोमीटर का जो अन्तर दिया गया है उसको कट किया जाय, यह मेरी मांग है।

इसी प्रकार खण्ड (3) का जो जवाब दिया गया है कि बुकिंग कार्यालय प्रातः 6.00 बजे से रात्रि के 8.00 बजे तक खुला रहता है यह गलत है। मैं बाली का रहने वाला हूं। वहां पर करीब 5.00 बजे वह बुकिंग आफिस बन्द हो जाता है। हमने पहले भी इसके लिए संघर्ष किया है और उसके बाद आज भी जो हमने जानकारी प्राप्त की है वह गलत है। इसलिए इसकी जानकारी वापस प्राप्त की जाय और तुरन्त इसकी जांच करवाई जाय और बुकिंग कार्यालय रात में भी खुला होना चाहिए। क्योंकि रात को भी बसों का स्टोपेज वहां पर है। 5-6 बसें निकलती हैं। इसलिए यह जो सूचना आपको मिली है, वह गलत है।

इसी प्रकार से रात्रि ट्रेनों से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए देसूरी, उदयपुर के लिए निगम की रात्रि बसें उपलब्ध हैं। यह बसें इसलिए काम में नहीं आती हैं कि वहां पर जो रात्रि को सुपरफास्ट गाड़ी आती है फालना पर बोम्बे वाली गाड़ी, उसके बाद जयपुर से साढ़े तीन बजे वाली इस आती है, उन ट्रेनों पर कोई बसें नहीं हैं... (व्यवधान)

वहां पर रात्रि को यात्री आते हैं वह दुखी होते हैं, रात्रि को वहां पड़े रहते हैं उनके लिए बसों की कोई व्यवस्था नहीं है।

(श्री अमृत लाल परमार)

इसलिए मेरी यह मांग है कि रात्रि ट्रेनों पर भी यात्रियों के लिए बसें होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये । समझ गये मंत्रीजी ।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल माननीय सदस्य ने यह किया है कि बसें नहीं रुकती हैं । सुपरफास्ट/द्रुतगामी बसों की 17 सेवाएं वाली होकर हैं और दो उदयपुर-जोधपुर वाली बसें हैं जो नहीं रुकती हैं....बाकी 13 जो द्रुतगामी और सुपर फास्ट बसें हैं वो रुकती हैं चूंकि वो चारों बसें रात को गुजरती हैं इसलिए उनको पैसेंजर्स नहीं मिलते हैं । लोड फैक्टर हमारा पूरा नहीं बैठता है इसलिए हम वहां रोकते नहीं हैं ।

दूसरा साहब चालीस किलोमीटर से लेकर इन्होंने कहा है कि रोक देना चाहिये । अभी यह रिट याचिका संख्या 1957/85 राजस्थान हाई कोर्ट में एक यात्री ने यह कहते हुए पेश की कि हमसे किराया तो लिया जाता है द्रुतगामी और सुपरफास्ट बस का जबकि जगह-जगह पर यह बसें रुक जाती हैं इसलिए इनका या तो चालीस किलोमीटर से पहले रुके नहीं ऐसे निर्देश जारी किये जाये या द्रुतगामी बस सेवा या सुपरफास्ट का हम से किराया न लिया जाये इसलिए माननीय हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किये कि चालीस किलोमीटर से पहले कोई द्रुतगामी और सुपर फास्ट बसें नहीं रुकती हैं और रुकती हैं तो उसका जो यात्री किराया होगा वह आप आर्डिनरी बस का लेंगे । इसलिए हाई कोर्ट के आदेशों की पालना में यह निर्देश महाप्रबन्धक ने जारी किये कि कोई सुपरफास्ट और द्रुतगामी बस चालीस किलोमीटर से पहले नहीं रुकेगी । (व्यवधान) जो नहीं हैं वो रोक देते हैं, 13 सेवाएं ऐसी हैं जिन्हें रोकते हैं । जहां तक माननीय सदस्य ने अवगत कराया कि वहां का बुकिंग कार्यालय पांच बजे ही बन्द हो जाता है मुझे बताया गया कि सुबह 6 से 8 बजे तक चलता है अगर वो पांच बजे ही बंद हो जाता है तो निश्चित तरीके से जांच करवाऊंगा और कार्यालय अगर पांच बजे बंद होता है तो 8 बजे तक चालू करवाऊंगा और गलत सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ताली नहीं बजी, आपने इतना अच्छा जवाब दिया ।

श्री जगमालसिंह यादव : मैंने ऐसा जवाब दिया जो ताली बजाने का है ही नहीं । जहां तक रेल्वे स्टेशन से यात्रियों को ले जाने का सवाल है, उदयपुर और देसूरी के लिए जब-जब भी ट्रेन आती है हमारी सेवाएं हैं लेकिन जालौर के लिए इतनी नहीं है कि हम को यात्री भार उतना नहीं मिल पाता है । अगर जालौर के लिए भी यात्री भार मिलना चालू हो जायेगा तो निश्चित तरीके से मैं विश्वास दिलाता हूं कि जालौर के लिए भी बस सेवा चालू कर दूंगा ।

श्री अमृत लाल परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब इन्हीं बसों का पहले वहां पर स्टोपेज था और पहले बसें रूकती थी तो अब क्यों नहीं रूकती हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसलिए कि यात्री नहीं रुकते हैं।

श्री अमृत लाल परमार : इसी प्रकार इन्होंने एक बात बतायी कि रात की ट्रेनों पर बसें हैं। रात की ट्रेनों पर जो बसें आती हैं, जोधपुर या भीलवाड़ा से जो बसें आती है वहीं रूकती हैं। ट्रेनों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। उन बसों का मैं यह कहना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : आप मन्त्री जी से मिलकर सारी बातें समझा दीजिये वह कर देंगे। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक नीतिगत सवाल है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि रात्रि के समय उदयपुर, फालना, जालौर की जो चर्चा की है पाली और बाली की, ये वो क्षेत्र हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कौन सदस्य आ गये ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी पहचान बदल गयी दाढ़ी मूंछ नहीं होने से पहचानने में नहीं आ रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : मेरी पहचान दाढ़ी और मूंछ से नहीं है मेरे काम से होगी। मैं एक सवाल इनसे करना चाहूंगा, मन्त्री जी ने बार-बार एक बात कही है और माननीय सदस्य ने भी उसका जिक्र किया है कि रात्रि को बसें नहीं चलती हैं और मन्त्री जी बार-बार यह कह रहे हैं कि वहां पर लोड फैक्टर नहीं है, यात्री भार नहीं मिलता है, हकीकत कुछ दूसरी है पिछले 6 महीने से मैं यह देख रहा हूं कि केवल जयपुर के पोलोविक्ट्री सिनेमा हाल के पास ही नहीं बल्कि पूरे उदयपुर क्षेत्र में, पूरे उदयपुर डिविजन में वीडियो कोच, अवैध वाहन धड़ल्ले से चलते हैं और रोडवेज के लोगों की उनसे मिली भगत हैं इसलिए रोडवेज की बसों में तो यात्री भार नहीं आता और वीडियो कोचेज भरे हुए चलते हैं। क्या जवाब देंगे आप ?

श्री जगमालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रथमतया तो यह इससे सम्बन्धित सवाल ही नहीं है लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है तो मैं एक बात विश्वास से कह सकता हूं सदन में कि पिछले 24 नवम्बर के बाद वीडियो कोच का चलना जो अवैध चलता है, रुका है। आपके जमाने में बढ़ा हो मैं कह नहीं सकता। मेरे जमाने में रुका है।

श्री हेतराम बेनीवाल : (व्यवधान) बिल्कुल असत्य है, +++ ।

डा. चन्द्रभान : मैं चुनौती देना चाहता हूं मेरे समय में वीडियो कोच बंद हुई थी और अब पुनः चालू हो गयी है। सिनेमा हाल के सामने विज्ञापन लगे हुए हैं। यह आपका कोई जवाब नहीं है....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये जो मन्त्री महोदय ने कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो मन्त्री जी ने कहा है कि घटे हैं मैं उन कम्पनियों के नाम बताता हूं जिनके बड़े-बड़े....

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय,

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोकित की गयी।

(डा. चन्द्रभान)

श्रीनाथ ट्रेवल्स, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं मंत्री महोदय पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता और इन्होंने अभी हमारी यातायात की कन्सल्टेटिव कमेटी में स्वीकार किया है जो पन्द्रह दिन पहले मीटिंग हुई थी कि अवैध वाहनों का संचालन बढ़ा है और आपने खुद ने स्वीकार किया है। (व्यवधान)

श्री जगमालसिंह यादव : कमेटी के फैसले को हाउस में रेफरेन्स किया जा सकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : यह कोई बहस का विषय नहीं है।

श्री जगमालसिंह यादव : कमेटी जो आपने बनायी उसकी संवैधानिक स्थिति वहां मेरे से पूछे हुए सवाल को हाउस में रेफरेन्स करने का राइट माननीय सदस्य का है ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आपने खुद ने स्वीकार किया है अवैध वाहनों के संचालन के लिए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती रमा पायलट।

भूमिगत पाइप लाइनों का लीकेज

28. **श्रीमती रमा पायलट** (हिण्डौली): **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) एवं **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) क्या यह सही है कि भूमिगत पाइप लाइनों में होने वाले लीकेज का पता लगाने व भूमिगत लाइनों की सही स्थिति का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका की तीन कम्पनियों से वर्ष 1989 में उपकरण मंगवाने हेतु आदेश दिये गये और जून, 1989 में उपकरण जयपुर पहुंचे ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिस आतुरता से 14 लाख में उपकरण खरीदे गये उनका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि जिन अभियन्ताओं को तीन लाख रुपए के खर्च पर प्रशिक्षण दिया गया वे इन उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहते।

(3) क्या सरकार सारे प्रकरण की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जी हां। पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन एवं दिल्ली की एक फर्म को माह मार्च/अप्रेल, 1987 में क्रय आदेश दिये गये। वर्ष 1989 में इन उपकरणों की आपूर्ति हुई।

(2) जी नहीं, उपकरणों का उपयोग साधारणतया किया गया है।

(3) कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती रमा पायलट : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली मर्तबा विभाग द्वारा कौनसी तारीख को इनका उपयोग हुआ और कहां उपयोग हुआ ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन उपकरणों को जयपुर, कोटा जोधपुर और उदयपुर इन स्थानों पर इनके उपयोग के लिए यह भेजे हुए हैं। इनका उपयोग जब होता है जब कहीं पाइप की लीकेज का पता नहीं लगे या पाइप कहां से बिछा हुआ है यह ढूंढ़ना होता है तब इसका उपयोग होता है। या कभी वाल्व जमीन में दब जाये, किसी सड़क के बनने से लीक हो जाये तब इनका उपयोग होता है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपका वाल्व लीक हो जाये तो....

श्री भंवरलाल शर्मा : जिनका प्रश्न है उनको मैं उत्तर नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष : वाल्व किसी का भी हो लीक नहीं होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और लीकेज को बंद करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें जो माइक्रो कोरोलेटर है इससे भूमिगत लीकेज या जमीन के अन्दर पाइप जब लीकेज होता है उसको सामान्य उपकरण के द्वारा जब नहीं ढूंढा जा सकता उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। मेटेलिक पाइप एवं केबल लोकेटर इस उपकरण के द्वारा भूमिगत धातु की पाइप लाइनों का पता लगाया जाता है। तीसरा है इलेक्ट्रोनिक लीक डिटेक्टर, इस उपकरण पर कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा इनके माध्यम से लीकेज की आवाज को सुनकर भूमिगत लीकेज के सही स्थान का पता लगाया जाता है। वाल्व बेस लोकेटर, इस उपकरण के द्वारा भूमि में दबे हुए वाल्व चैम्बरों का पता लगाया जाता है। इनका उपयोग रोज नहीं होता है जब कहीं ऐसा लीकेज हो रहा है.... (व्यवधान)

श्री रतना राम चौधरी : हम काश्तकार हैं हमारे खेतों में पाइप लाइन डालते हैं जब पानी लीकेज होता है उस समय अपने आप पानी बाहर आ जाता है यन्त्रों की कोई जरूरत ही नहीं होती है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिए, आपकी उम्र काफी हो गयी है बैठिये आप।

श्री रतना राम चौधरी : मेरे से बहुत बुजुर्ग हैं मुख्य मन्त्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रतना रामजी के लिए उपकरण कभी भी लागू नहीं किया जायेगा यह मैं आश्वासन देता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय भंवरलाल जी शर्मा के ऊपर ही लागू हो गया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल इन उपकरणों की कौनसी मशीन क्या काम करती है इसके लिए नहीं था। हमारा सवाल तो इतना सा है कि आपको यह उपकरण कब प्राप्त हुए, विभाग के पास कौनसी तारीख को आ गये। इन तीन-चार उपकरणों का जिनका नाम आपने लिया है उनका पहली बार विभाग में कब उपयोग हुआ, वह तारीख बता दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : वर्ष 1980 में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त शहरों एवं जल प्रदाय योजनाओं की सम्भावित रिपोर्ट के लीक डिटेक्शन उपकरण के क्रय हेतु प्रावधान रखा गया था, इन उपकरणों का उक्त योजना हेतु क्रय किया जाकर उपयोग किया जाना आवश्यक था। जिसके लिए ब्रिटिश वाटर इन्टरनेशनल यू के. ने जल आपूर्ति में व्यापक सुधार लाने हेतु वेस्ट कन्ट्रोल प्रोग्राम लागू करने की सलाह दी। माह जून-जुलाई 1986 में विश्व बैंक की टीम का भारत में आगमन के दौरान इन उपकरणों को खरीदने के लिए बनाया गया, यह अनुमान विश्व बैंक की टीम द्वारा किया गया। तदुपरान्त विभागीय क्रय समिति द्वारा दिये जाने एवं विश्व बैंक द्वारा दी गयी अनापत्ति के तहत भूमिगत पाइप लाइनों के होने वाले लीकेज का पता लगाने के लिए पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन व नई दिल्ली की कम्पनियों में मार्च-अप्रेल 1987 में क्रय आदेश जारी किये गये जिसका विवरण संलग्न है। इस प्रकार तीन फर्मों को चार तरह के कुल 32 उपकरणों के खरीद के लिए रुपये 13.97 लाख के क्रय आदेश दिये गये थे। इन आदेशों के तहत माह दिसम्बर....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मंत्री महोदय मुझे क्षमा करें, हम तो इतना-सा जानना चाह रहे हैं यह तो आपने बता दिया कि 1989 में आ गये वह कौनसी तारीख को आपके विभाग को मिल गये और उन्होंने इसका उपयोग कौनसी तारीख को पहली बार किया। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मीटर के चार उपकरण प्राप्त हुए यह सितम्बर-अक्टूबर 1987, 1989 में प्राप्त हुए।

श्रीमती रमा पायलट : 1987 कह रहे हैं आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्रय आदेश दिया 1987 में और प्राप्त हुए 89 में।

श्रीमती रमा पायलट : कब प्रयोग किया, कौनसी तारीख को, कौनसे सन् में वह पूछना चाह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है, यह चार स्थानों पर इनका उपयोग किया गया, कोटा, उदयपुर, जोधपुर....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी पूरी तैयारी से नहीं आये हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हुआ भी है कि नहीं उपयोग?

श्री भंवरलाल शर्मा : तारीख वाइज डिटेल्स मेरे पास नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जानकारी नहीं है तो स्थगित करो आप। इसका उपयोग कब किया गया, कितनी बार किया गया, कोटा में इन उपकरणों को कितनी बार उपयोग किया गया। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : जितनी सूचना मेरे पास उपलब्ध होगी वही देऊंगा, अगर नहीं है तो मैं प्राप्त करके दे सकता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो सूचना आ गयी, वह तो सुन लीजिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कह चुके हैं इससे ज्यादा मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : जो सूचना आयी है वह दे रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह सूचना है, इसकी डिटेल्स चाहते हैं कि किस तारीख को, किस दिन कहां, कौनसा किया यह प्राप्त करवा कर मैं दे सकता हूं । अभी जो सूचना मेरे पास है वह निवेदन किया । किस दिन, एक-एक दिन का कितने घण्टे काम किया, कितने घण्टे काम नहीं किया, सूचना आप चाहते हैं तो उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको सूचनायें मिल जायेगी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप इसे स्थगित करें । हम यह कह रहे हैं कि इसका उपयोग पहली बार कब हुआ, यह नहीं बता रहे हैं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्न यह है कि 17 लाख रुपये खर्च हुए और उसमें से 14 लाख के तो उपकरण आयें, तीन लाख विदेशों में प्रशिक्षण लेने हेतु इंजीनियर्स को भेजा गया । 17 लाख रुपये खर्च हुए क्वश्चन पूछा गया था कब इनका उपयोग किया गया । मन्त्रीजी कहते हैं कि मेरे पास पूरी सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । कल्ला जी पूछ रहे हैं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिराज तो जाऊंगी....

श्री अध्यक्ष : कल्लाजी का नाम प्रश्न-कर्ता में है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो मुझे आपने अलाउ क्यों किया, आपको अलाउ नहीं करना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया, कल्ला जी का नाम है, कल्लाजी पूछिये । आपके सवाल का जवाब आयेगा, कल्लाजी का भी आ जाये । बैठिये आप ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मशीनें आयी भी है कि नहीं ।

डा. चन्द्रभान : स्थगित करवा दीजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, स्थगित कर दें, मन्त्रीजी जवाब नहीं दे तो ।

श्री अध्यक्ष : सुमित्राजी ने जो पूछा है उसका जवाब देंगे, कल्लाजी और पूछने वाले हैं । सुमित्राजी का सवाल हो गया, और बाकी है क्या सवाल ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब आप दिलवाना नहीं चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं जवाब दिलवाना चाहता हूं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने बीच में मुझे अलाउ कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : जब आपका सवाल पूरा हो गया कि 17 लाख रुपये खर्च करने के

(श्री अध्यक्ष)

बाद इन उपकरणों का उपयोग कौनसी तारीख से हुआ, यह मन्त्रीजी क्यों नहीं बता सकते। यह सवाल था ना आपका, हो गया, इसका जवाब देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जवाब दिलवाइये फिर।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये तो सही, कल्लाजी पूछिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हमारे मूल प्रश्न में साफ बात कही गयी है कि जब से यह उपकरण आये हैं इनका कोई प्रभावी उपयोग नहीं हुआ है। आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन उपकरणों का पहली बार उपयोग कब हुआ, खास तौर से जयपुर और कोटा में जगह-जगह भूमिगत पाइप लाइनों के टूटने से लोगों के मकान गिरते हैं, लोगों का नुकसान होता है। इन उपकरणों के माध्यम से कहां-कहां पता किया कि पाइप लाइनें टूटी हैं उनकी मरम्मत की गयी इसके बारे में जवाब दिलवा दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उपयोग सितम्बर 90 के आस-पास चालू किया।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आस-पास यह जवाब है।

श्री भंवरलाल शर्मा : 1989 में मशीनें आयी थी। हमने इनका उपयोग करना शुरू किया, 1989 में मशीनें आ गयी थी। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : प्रश्न स्थगित किया जाय, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह जवाब सुन लीजिये, प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह डिटेल्स चाहते हैं कि किस मशीन का किस दिन, किस तारीख को उपयोग किया गया, यह डिटेल्स की बात है। मैं निश्चित रूप से दे दूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मन्त्रीजी को जानकारी नहीं है इसलिए....

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बता नहीं सकते, लोगों के मकान गिर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी मंत्रीजी यह नहीं बता सके कि इसका पहली बार उपयोग कहां हुआ, जयपुर में हुआ, कोटा में हुआ।

एक माननीय सदस्य : मन्त्रीजी ने उद्घाटन नहीं किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : चौकड़ी रामचन्द्र जी जयपुर में उपयोग हुआ है।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा है उनको मन्त्रीजी लिखित में डिटेल्स दे देंगे इससे संतोष हो जायेगा आपको। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : प्रश्न स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया जाता है।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर के लिए परिशिष्ट–3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला झालावाड में पाइप लाइन हेतु स्वीकृत राशि

36. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या झालावाड़ भवानी मण्डी तथा पचपहाड़ कस्बे में पाइप लाइन बिछाने हेतु बजट की स्वीकृति हुई है ? यदि हां, तो पाइप लाइन बिछाने का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पचपहाड़ कस्बे को भवानी मण्डी की टंकी से पूरा पानी नहीं मिल पाता ? यदि हां, तो विभाग इस पर गम्भीरता से क्या विचार कर रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संदर्भित कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु राशियां स्वीकृत की गयी हैं जिनका विवरण संलग्न है। कार्य प्रारम्भ करने हेतु व्यवस्था की जा रही है।

(2) पचपहाड़ क्षेत्र की प्रतिदिन मांग के विरुद्ध आधी मात्रा उपलब्ध करवायी जा रही है। सुधार हेतु 9 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट–4 देखें।)

अंकुर छविगृह की स्वीकृति हेतु शर्तें

37. श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में अंकुर छविगृह की स्वीकृति दिये जाने में राज्य सरकार की ओर से क्या-क्या शर्तें तय की गयीं थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शर्तों के विपरीत राज्य सरकार ने उस स्थान पर अन्य निर्माण की स्वीकृति किन आधारों पर दी है ? योजना का मानचित्र व विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अंकुर छविगृह की स्वीकृति दिये जाने के समय राज्य सरकार एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के द्वारा जो शर्तें तय की गयी थीं उस सम्बन्ध में सम्बन्धित आदेश की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) उक्त शर्तों के विपरीत उक्त स्थान पर अन्य किसी भी प्रकार के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गयी है।

(सूची के लिए परिशिष्ट–5 देखें)

जोधपुर नगर की ड्रेनेज एण्ड सीवरेज योजना हेतु स्वीकृत राशि

38. प्रो. केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर नगर की ड्रेनेज एण्ड सीवरेज के पुनर्गठन की योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी एवं 1975 से अब तक प्रति वर्ष कितनी-कितनी धनराशि अलग-अलग व्यय हुई है।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत नयी आउटफाल सीवर लाइन्स के लगे अनुमानित नौ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं परन्तु सम्बन्धित अधिकारी करोड़ों रुपये की लागत की इन आउटफाल सीवर लाइन्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं जबकि समस्त जोधपुर नगर गन्दे पानी के निकास का प्रबन्ध इन लाइन्स द्वारा नहीं होने के फलस्वरूप पूर्णतया पीड़ित है ? यदि हां, तो ये लाइन्स कब तक चालू की जायेंगी ?

(3) प्रारम्भ में उपरोक्त परियोजना कितनी धनराशि की थी एवं कितने समय में पूरा करने का कार्यक्रम था जो अब तक पूरी नहीं हुई ?

(4) उपरोक्त योजना कब तक पूरी कर ली जायेगी एवं इसे लागू करने में अनावश्यक विलम्ब करने वाले सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जोधपुर नगर की सीवरेज योजना के प्रथम भाग की वर्ष 77-78 में 148.00 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी थी। इसके पश्चात् वर्ष 1980-81 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 332.64 लाख रुपये (संशोधित 170 लाख रुपये) की योजना स्वीकृत की गयी। दोनों योजनाओं का वर्षवार व्यय संलग्न प्रपत्र अ, ब में दिया गया है।

(2) आउटफाल का कार्य वर्ष 83–84 में पूरा कर दिया गया था, परन्तु न्यायालय के स्थगन आदेश जारी होने के कारण निर्धारित समय पर गन्दे पानी का निकास आउटफाल से नहीं जोड़ा जा सका। न्यायालय के संशोधित आदेशानुसार लीज से अधिक मात्रा के गन्दे पानी को आउटफाल से जोड़ा जाना अब सम्भव है जिस हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(3) प्रारम्भ में उपरोक्त योजना की प्रशासकीय स्वीकृति 148 लाख रुपये की थी एवं इसे 3 वर्षों में पूरा किया जाने का लक्ष्य था। अन्तर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 में स्वीकृत 332.64 लाख रुपये की राशि की योजना संशोधित योजना लागत 170 लाख रुपये) को वर्ष 1984–85 में पूर्ण किया जाना था। दोनों योजनाओं में स्वीकृति के अनुसार राशि (अर्थात् 148 लाख रु. के विरुद्ध 140.29 लाख रु. तथा 170 लाख रु. के विरुद्ध 199.416 लाख रुपये) व्यय की जा चुकी है।

(4) योजनाओं पर स्वीकृति अनुसार व्यय लगभग हो चुका है। आउटफाल स्थगन आदेश के कारण चालू नहीं हो सका था अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

(सूची के लिए परिशिष्ट–6 देखें।)

एयर पोर्ट सांगानेर (जयपुर) के पास संगीतमय फव्वारे का निर्माण

39. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण ने एयर पोर्ट सांगानेर के पास एक संगीतमय फव्वारा लगाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो उक्त योजना का मानचित्र व आवंटित राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है, तथा एतदर्थ कितनी राशि व्यय हो चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार इस योजना को कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जवाहर लाल नेहरू मार्ग व दक्षिणी बाई पास के क्रासिंग पर "जयपुर सर्किल" नामक योजना विकसित करने हेतु निर्णय लिया था। इसकी प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति 98.50 लाख रुपये की थी, जिसमें से 15 लाख रु० का प्रावधान फव्वारा लगाने हेतु था, जबकि संगीतमय फव्वारा लगाने की लागत 100 लाख रु० के करीब आती है। संबंधित मानचित्र एवम् आबंटित राशि का विवरण की प्रति संलग्न है।

(2) इस कार्य में अब तक पानी का टैंक, ट्यूबवैल, सर्किल के चारों ओर की रिटेनिंग वाल मिट्टी भरने का कार्य तथा उपलब्ध भूमि में सड़क का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस पर अब तक 70 लाख रु० व्यय किये जा चुके हैं।

(3) संगीतमय फव्वारा की कीमत करीब 100 लाख रु. होगी। निजी संस्थाएं भी इस कार्य को करने की इच्छुक हैं। जिस पर विचार चल रहा है।

(मानचित्र एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जयपुर नगर निगम बनाने का सरकार का विचार

40. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार, जयपुर नगर निगम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा उसके चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

(2) क्या एतदर्थ सभी प्राथमिकताएं पूरी करली गई हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नगर निगम बनाने की कार्यवाही विचाराधीन है। नगर निगम बनाने की विधि समस्त कार्यवाही होने के पश्चात् तुरन्त चुनाव करा दिये जावेंगे।

(2) इसके कानूनी स्वरूप पर विचार किया जा चुका है, जिसे अब वैधानिक रूप दिया शेष है।

बीकानेर में रंगमंच, तरणताल एवं इण्डोर स्टेडियम का निर्माण

41. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, बीकानेर ने रंगमंच, तरणताल एवं इण्डोर स्टेडियम बनाने हेतु कोई निर्णय लिये थे ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब से प्रारंभ किये जायेंगे एवं कितनी अवधि में बनकर तैयार हो जायेंगे ?

(2) इण्डोर स्टेडियम एवं रंगमंच हेतु राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार से नगर विकास न्यास को कितनी-कितनी राशि अब तक उपलब्ध कराई गई ? क्या उनका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधितों को भिजवाया जा चुका है ? यदि हां, तो इण्डोर स्टेडियम एम. एम स्कूल मैदान, बीकानेर एवं रंगमंच हेतु प्राप्त राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। रंगमंच, स्वीमिंग पूल, इण्डोर स्टेडियम को बनाने का निर्णय न्यास बैठक दिनांक 3.10.81 के अन्य प्रस्ताव संख्या–23 में लिया गया। रंगमंच निर्माण हेतु स्थल चयन करने के बाद कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

तरणताल:–न्यास की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर कार्यप्रारम्भ कर दिया जावेगा।

इण्डोर स्टेडियम:-न्यास की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 15.3.90 को राशि रुपये 6 लाख की राशि प्राप्त हुई। इण्डोर स्टेडियम बनाने के लिये सचिव, राजस्थान क्रीड़ा परिषद् से अनुदान राशि रुपये 5 लाख के विरूद्ध 2.50 लाख की प्रथम किश्त प्राप्त हुई जिसके विरूद्ध 1,76,900/– रुपये व्यय किये जाकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र न्यास कार्यालय के पत्रांक 16395 दिनांक 29.6.83 द्वारा भिजवाया जा चुका है।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की स्वीकृत योजनाएं

42. **श्री रामस्वरूप** (टोड़ाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितनी नल योजनायें चल रही हैं, कितनी पूर्ण हो चुकी हैं और कितनी विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) कितने हैण्डपम्प इस क्षेत्र में लगाये गये ? वर्ष 1991 में कितने काम कर रहे हैं एवं कितने बन्द पड़े हैं ? सूचा ग्राम वार सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप)

(3) सरकार खराब हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) संदर्भित क्षेत्र में 30 जल योजनाएं संधारण में हैं जिनका विवरण प्रपत्र 'त' पर संलग्न है। इनमें से 8 योजनाओं का कार्य आंशिक रूप से पूर्ण हुआ है। जिनका विवरण प्रपत्र 'थ' पर संलग्न है। कोई योजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है।

(2) माह फरवरी, 1991 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार इस क्षेत्र में 563 हैण्डपम्प लगे हुए थे। इनमें से 447 हैण्डपम्प कार्यरत तथा 116 हैण्डपम्प परित्यक्त थे। सूची प्रपत्र "द" पर संलग्न है।

(3) माह फरवरी में चलाये गये हैण्डपम्प मरम्मत अभियान में मरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों को ठीक किया जा चुका है।

(सूची के लिए, कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा भूमि का आवंटन।

43. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत डेढ़ वर्ष में नगर विकास न्यास, बीकानेर ने कितनी भूमि खुली नीलामी के द्वारा अथवा आवंटित कर लोगों को प्रदान की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गांधी नगर योजना में भूमि आवंटित करने का कार्य कब प्रारम्भ किया जावेगा ? इस योजना में कितने भू-खण्ड हैं ? योजना का नक्शा एवं सार-संक्षेप सदन की मेज पर रखें।

(3) नगर विकास न्यास की अन्य सभी आवासीय योजनाओं का सार-संक्षेप सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जुलाई, 1989 तक के कब्जों का नियमन कर दिया गया है ? नगर विकास न्यास के पास कितने मामले कब-कब से, किस-किस स्थान के विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत डेढ़ वर्ष में 1,24,476 वर्ग फुट भूमि खुली नीलामी के द्वारा और 9,79,465 वर्ग फीट भूमि आवंटन के द्वारा, इस प्रकार कुल 11,03,941 वर्ग फीट (1,22,660 वर्ग गज) भूमि लोगों को दी गई। सूची परिशिष्ट "क" के सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) गांधी नगर योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजना है। इन्टेक की आपत्ति पर राज्य सरकार द्वारा इस योजना की क्रियान्विति पर रोक लगाई गई थी तथा मुख्य नगर नियोजक एवम् संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में दो अलग-अलग समितियां गठित की गई, जिन्हे इन्टेक की आपत्तियों के संबंध में जांच कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी थी। समितियों ने रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है। राज्य सरकार द्वारा इन

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

रिपोर्ट पर विचार कर निर्णय लिया जाना विचाराधीन है। इस योजना में 166 भू-खण्ड हैं।

(3) वर्तमान में न्यास की निम्नांकित योजनाएं क्रियान्विति अधीन हैं—

1. जयनारायण व्यास नगर
2. मुरलीधर व्यास नगर
3. मुरलीधर व्यास नगर विस्तार योजना
4. नागणेचीजी विस्तार योजना
5. मुक्ता प्रसाद नगर योजना
6. करणी नगर योजना

इन योजनाओं में भूखण्डों का विवरण परिशिष्ट "ध" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

निम्नांकित योजनाएं धारा-32 नगर सुधार अधिनियम के तहत अधिसूचित हैं जिसके अनुक्रम में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। सूची एवं कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "न" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

1. ट्रांसपोर्ट नगर योजना।
2. नागणेची जी मन्दिर व इण्डस्ट्रियल एरिया के मध्य प्रस्तावित आवासीय योजना।
3. गजनेर पूगल रोड प्रस्तावित आवासीय योजना।
4. इण्डस्ट्रियल एरिया नोखा रोड लिंक रोड प्रस्तावित आवासीय योजना।

(4) न्यास द्वारा जुलाई, 1989 तक के अनधिकृत कब्जों का नियमन नहीं किया गया है। वर्ष 1981 की सर्वे सूची के अनुसार कुल 7231 कब्जों का सर्वेक्षण किया गया था जिसमें से 4889 मामले कमी-पूर्ति के अभाव में विचाराधीन है। बस्तीवार सूची परिशिष्ट "प" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

मालवीय नगर (जयपुर) के पार्क नम्बर 4 का विकास

44. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मालवीय नगर, जयपुर में सरकार व्यावसायिक केन्द्र के पास स्थित पार्क नं. 4 का अब तक विकास नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) सरकार अब उक्त पार्क का विकास कर वहां की जनता को पार्क सुविधा कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मालवीय नगर पार्क नं. 4 का पानी के अभाव में पूर्ण रूप से विकास नहीं किया जा सका था। अब प्राधिकरण इस पार्क में बोरिंग करा रहा है, जिससे पार्क का पूर्ण विकास किया जा सकेगा।

(2) पानी की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध होते ही उक्त पार्क का पूर्ण विकास करा दिया जायेगा।

आवासन मण्डल, जयपुर की मानसरोवर योजना

45. **श्री सालिगराम** (बयाना) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मानसरोवर योजना के अन्तर्गत आवासन मंडल, जयपुर द्वारा वर्ष 1979 के पंजीकरण के आधार पर मध्यम आय वर्ग (अ) में आवेदकों को सितम्बर, 1990 के उपरान्त आवास आवंटित किये जा चुके हैं ? यदि हां तो पूर्ण विवरण सहित, सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उसके पश्चात् भी आवास आवंटित किये जाने शेष हैं ? यदि हां, तो उनकी सूची, जिनमें आवेदकों की पंजीकरण संख्या, नाम, जमा हुई राशियां, प्राथमिकता संख्या भी अंकित हो, सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 1979 के उक्त वर्ग के शेष आवेदकों को कब तक आवास आवंटित कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी, हां । वर्ष 1979 में पंजीकृत मध्यम आय वर्ग-अ के 308 आवेदकों को सितम्बर, 1990 के पश्चात् आवास आवंटित किये गये हैं ।

(2) जी हां । मध्यम आय वर्ग "अ" के वर्ष 1979 में पंजीकृत आवेदकों में से अभी भी कुल 1291 आवेदकों को मकान आवंटित किया जाना शेष है । सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) मण्डल द्वारा मकानों का आवंटन उपलब्ध मकानों एवं आवेदकों की वरीयता अनुसार किया जाता है । भू-खण्ड उपलब्ध होने पर शेष आवेदकों को आवास आवंटित किये जा सकेंगे ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

जिला चित्तौड़गढ़ में हथियारों के अनुज्ञा-पत्र

46. **श्री शान्तिलाल** (राजसमन्द) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ तहसील क्षेत्र में विभिन्न हथियारों के अनुज्ञा-पत्र धारियों में से प्रत्येक के पास कौन-कौनसे एवं कितने-कितने हथियार हैं ?

(2) अनुज्ञा-पत्र धारियों के नाम मय पते के सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) राज्य सरकार के नियमों में एक व्यक्ति को अधिकतम कितने हथियार रखने का प्रावधान है ?

(4) क्या प्रत्येक प्रकरण में उपरोक्त नियमों की सही पालना की गई है ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ तहसील क्षेत्र में विभिन्न अनुज्ञा-पत्र धारियों के पास उपलब्ध हथियारों में जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी हथियार का किस्मवार एवं संख्या का विवरण क्रमशः परिशिष्ट "क" "ख" एवं "ग" पर उपलब्ध कराया गया है ।

(गृह मन्त्री)

(2) उत्तर के बिन्दु सं. 1 के अनुसार अनुज्ञा-पत्र धारियों के नाम व पते संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये गये हैं।

(3) आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 (2) के अनुसार एक व्यक्ति के पास अधिकतम 3 हथियार रखने का प्रावधान है।

(4) चित्तौड़गढ़ तहसील के ग्राम सावा में एक प्रकरण श्री मोहम्मद शेख खां पुत्र गुलबाज खां नि. सावा के पास 3 से अधिक (5 हथियार) हथियारों के लाइसेंस जारी होने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है व हथियार थाने में जमा करवाने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम–33 का की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना

46. **श्री मदन लाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या संसदीय मामलात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम–33 का के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि अतः सत्रकाल में माननीय सदस्य द्वारा दिये गये अतारांकित प्रश्न का उत्तर राज्य सरकार द्वारा 15 दिवस की अवधि में सीधे ही माननीय सदस्य को दिये जायेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नियमों का सरकार द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में समय-समय पर अनुस्मरण कराने के पश्चात् भी इस ओर ध्यान नहीं दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं कराने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

(5) क्या राज्य सरकार माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अवधि में देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त नियमों का जहां तक सम्भव है, पूर्ण रूप से सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पालन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तत्सम्बन्धी निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। आवश्यकता प्रतीत होने पर उचित कार्यवाही की जा सकती है।

(5) जी हां। निर्धारित अवधि में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए राज्य सरकार बाध्य है, किन्तु किन्हीं प्रकरणों पर विशेष स्थितियों में उत्तर देने या नहीं देने के प्रश्न पर विचार भी किया जा सकता है।

(32)

पंचायत समिति लालसोट की जीवन-धारा योजना

48 श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लालसोट में जीवनधारा योजना के अन्तर्गत कुओं के निर्माण में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की शिकायत मुख्य मंत्रीजी को तथा अन्य अधिकारियों को की गई थी ? यदि हां, तो क्या जांच कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां यह सही है कि पंचायत समिति लालसोट में जीवन-धारा के अन्तर्गत कुओं के निर्माण में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की शिकायत मुख्य मन्त्रीजी को तथा अन्य अधिकारियों को की गई थी, जांच कार्यवाही अभी चालू है।

(2) चूंकि जांच कार्यवाही जारी है, अतः जांच पूर्ण होने के पश्चात् ही दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना सम्भव होगा।

राज्य के बच्चों की खाड़ी देश में ऊंट दौड़

49. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार को राजस्थान के कुछ जिलों से भारतीय बच्चों को ऊंट दौड़ के लिये खाड़ी देशों में भेजे जाने की जानकारी है ?

(2) क्या सितम्बर, 1989 में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चूरू जिले के रहने वाले सर्व श्री रामेश्वरलाल व जफर हुसैन को इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था ?

(3) इस अमानवीय व्यापार पर अंकुश लगाने के लिये राज्य सरकार ने अपनी ओर से क्या प्रयास किये ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली में रामेश्वर जाट व जाकिर हुसैन को पकड़ा गया था क्योंकि रामेश्वर जाट के साथ जो लड़का जा रहा था उसका नाम अन्नाराम उर्फ पाडिया उम्र 7 वर्ष था जबकि बीजा में उसका नाम बलवन्त उम्र 12 वर्ष लिखाया गया था। इस प्रकार जाफर हुसैन भी अपने बच्चे हबीब उम्र 8 साल को स्वयं के लड़के बिलाल उम्र 10 वर्ष के नाम से वीसा में दर्ज करवाकर साथ ले जा रहा था। इसलिए इन दोनों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध मुकदमा नम्बर 277/89 दिनांक 10-9-89 धारा 419/420/468/471/120 बी. भा. द. सं. में थाना इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में दर्ज किया गया जिसका चालान दिनांक 6-11-89 को अदालत में पेश किया जा चुका है।

(गृह मन्त्री)

(3) आज तक राज्य में ऐसा कोई वाक्या राज्य के किसी भी पुलिस थाने पर दर्ज नहीं हुआ है, तो रोकथाम के प्रयास का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 50

(स्थगित)

कृषि उपज मण्डी, बांदीकुई के भवन की मरम्मत

51. **श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई):** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी, बांदीकुई द्वारा मुख्य मण्डी, बांदीकुई के दो दरवाजों की मरम्मत, सड़क मरम्मत एवं नाली निर्माण कार्य गत दिनों करवाया गया था ? यदि हां, तो तकनीकी रिपोर्ट/तखमीना व उक्त कार्य के लिए स्वीकृत राशि पत्र सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्य तकनीकी रिपोर्ट/तकमीना अनुसार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त तकनीकी रिपोर्ट को मण्डी द्वारा संशोधित कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त कार्य विशिष्ट योजनानुसार हुआ ?

(5) क्या उक्त कार्य मण्डी का अनावश्यक अपव्यय करने हेतु किया गया और पुनः इसी कार्य हेतु 5 लाख रुपये की मांग की गई ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विस्तृत रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। तकनीकी रिपोर्ट/तकमीना व उक्त कार्य के लिए स्वीकृत राशि-पत्र की प्रतियां संलग्न है।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, हां।

(5) जी, नहीं।

(रिपोर्ट प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा सचिवालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र अटरू में भू-संरक्षण कार्य

52. **श्री मदन दिलावर (अटरू) :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र में भू-संरक्षण विभाग द्वारा जनवरी, 1990 से अब तक क्या-क्या कार्य किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मूसैन माता एनीकट (तह. अटरू) का प्रस्ताव विभाग के पास था ? यदि हां, तो उसको क्यों नहीं स्वीकृति प्रदान की गई ?

(3) क्या सरकार से उसकी स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र में जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा जनवरी, 1990 से अब तक (अगस्त, 91 तक) निम्नांकित कार्य लिये गये हैं—

(कृषि मन्त्री)

1. बपावर एनीकट पं. सं. सांगोद।
2. मोईकला वाटरशेड विकास पं. सं. सांगोद।
3. गजनपुरा रा. ज. ग्र. क्षेत्र पं. सं. बारां (कार्य चालू है)।
4. बपावर वाटरशैड पं. सं. सांगोद (कार्य चालू है)।

(2) जी, हां। अब जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा कम लागत के छोटे कार्य ही कराये जाते हैं। मुसैन माता एनीकट कार्य की अनुमानित लागत 12 लाख रुपये होने के कारण यह कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

(3) बजट में राशि उपलब्ध नहीं होने के स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 53

(स्थगित)

राज्य में नई कृषि नीति

54. **श्री सालिग राम** (बयाना), **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत बजट भाषण के जवाब में माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य सरकार कोई नई कृषि नीति बना रही है?

(2) क्या राज्य सरकार इसमें किसानों व कृषि वैज्ञानिकों से भी परामर्श लेने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

कृषि उपज मण्डी कोटा में भ्रष्ट कनिष्ठ लिपिक

55. **श्री मदन दिलावर** (अटरू): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कनिष्ठ लिपिक, कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा के भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर ने सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग, कोटा को कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु पत्र क्रमांक निकृषि/जांच/के–70/322298 दि. 21-6-1991 लिखा था?

(2) यदि हां, तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई?

(3) दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सहायक निदेशक, कोटा एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा को निर्देश जारी किये गये हैं। प्रभावी सेवा नियमों के अन्तर्गत मण्डी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही मण्डी स्तर पर की जाती है।

(कृषि मंत्री)

(2) मण्डी सचिव के इस अवधि के अवकाश पर होने के कारण दोषी कर्मचारी के विरूद्ध अभी कार्यवाही नहीं की गयी है।

(3) दोषी कर्मचारी के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

कृषि उपज मंडी, लालसोट द्वारा सड़क निर्माण

56. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि उपज मण्डी लालसोट के अन्तर्गत किस-किस सड़क का कार्य निर्माणाधीन है? निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि समाप्त होने के बाद भी किस-किस सड़क का कार्य अपूर्ण है?

(2) निर्माणाधीन सड़कों का कार्य पूर्ण नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार है तथा जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) अधूरी सड़कों के निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति लालसोट में निम्नलिखित सड़कों का कार्य निर्माणाधीन हैं :–

1. खानपुर से खेड़ला
2. माल्यावास से मथपुर
3. बिहारीपुरा से नागलमोड़
4. कल्लावास से महमदपुरा
5. किशोरपुरा से महरिया
6. सीलेमपुर से निजामपुर
7. मण्डावरी से किशोरपुरा

निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि समाप्त होने के बाद उपरोक्त सभी सड़कों का कार्य अपूर्ण है।

(2) उपरोक्त निर्माणाधीन सड़कों का समय से पूरा न होने के मुख्य कारण भारत पैट्रोलियम एवं इण्डियन आयल से समय पर डामर प्राप्त न होना, जमीन विवाद व न्यायालयों द्वारा स्टे एवं ठेकेदारों द्वारा धीमा कार्य निष्पादन किया जाना, रहे हैं। दोषी ठेकेदारों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी, जिससे कार्य अब प्रगति पर है। इस सम्बन्ध में कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं पाया गया।

(3) अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने हेतु मथुरा रिफाइनरी से डामर की आवश्यक मात्रा प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। डामर प्राप्त होने पर पूर्ण कराया जा सकेगा।

राज्य की कृषि उपज मण्डियों के चुनाव

57. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडियों के चुनाव के विषय में कोई निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है?

(2) यदि हां, तो मण्डियों में कब तक चुनाव कराने का सरकार विचार रखती है?

(3) क्या चुनाव न करा कर सलाहकार समितियों के रूप में कुछ व्यक्तियों को

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

अप्रजातांत्रिक तरीके से मनोनीत करने की कार्यवाही राज्य सरकार ने की है? यदि हां, तो इस प्रकार की कमेटी की क्या वैधानिकता है?

उत्तर

(1 व 2) क्रय विक्रय सहकारी समितियां व पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने के बाद कृषि उपज मण्डियों के चुनाव संभव हो सकेंगे।

(3) जी, नहीं। केवल मण्डी समिति के कार्यों को सही ढंग से सम्पादित करवाने एवं प्रशासक को सहयोग देने हेतु राज्य की प्रत्येक मण्डी समिति के लिए सलाहकार मण्डल का गठन किया गया है। जैसे ही कृषि उपज मण्डियों के चुनाव होंगे, इनको भंग कर दिया जायेगा। इनका गठन प्रशासनिक तौर पर ही किया गया है, कानूनी रूप से नहीं।

सलाहकार मण्डल के गठन का मानदण्ड

58. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों में सलाहकार मण्डल गठित करने के क्या मानदण्ड व शर्तें हैं?

(2) क्या कृषि उपज मण्डी समिति बांदीकुई से मानदण्डों के अनुसार सलाहकार मण्डल का गठन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार संशोधित सलाहकार मण्डल गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों के कार्यों को सही ढंग से सम्पादित करवाने एवं प्रशासक को सहयोग देने हेतु राजस्थान राज्य की प्रत्येक मण्डी समिति के लिए सलाहकार मण्डल का गठन किया गया। इस मण्डल में कृषकों एवं व्यापारियों को सम्मिलित किया गया है। अलग से कोई मापदण्ड व शर्तें नहीं रखी गई हैं।

(2) जी हां।

(3) जी, नहीं।

खाद एवं बीज की कीमत में वृद्धि

59. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि किसानों को खाद एवं बीज न मिलने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान में नई खाद एवं बीज की जो रेट बढ़ी है, उसके बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) भारत सरकार द्वारा बजट में उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि की घोषणा के पश्चात्, राज्य सरकार ने क्रमशः दिनांक

(कृषि मंत्री)

26-7-91 एवं 16-8-91 को निर्देश जारी कर दिनांक 24-7-91 को थोक एवं खुदरा व्यापारियों के पास उपलब्ध उर्वरकों के स्टाक का सत्यापन करवाकर उक्त स्टाक को भारत सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित दरों पर किसानों को उपलब्ध कराने के आदेश प्रदान कर दिये हैं। इस बारे में राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

खाद की दरें भारत सरकार के निर्देशानुसार ही ली जा रही है। बीज की कीमत बीज बेचने वाले अभिकरण जैसे राष्ट्रीय बीज निगम व राजस्थान राज्य बीज निगम ही तय करते हैं।

विदेशों में गये राजस्थानियों की शोषण से मुक्ति

60. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों से कितने व्यक्ति नौकरी हेतु विदेशों में गये हैं? इन व्यक्तियों के शोषण के सम्बन्ध में क्या कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन्हें रोजगार की सुरक्षा एवं शोषण से मुक्ति के लिए राज्य सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) नियोजन विभाग द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती। ऐसे व्यक्तियों के शोषण के संबंध में कोई शिकायत इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां, विदेशों में नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों को उचित सहायता के लिए आदेश संख्या प० 13 (1) श्रम/90 दिनांक 27-2-91 के तहत एक प्रकोष्ठ खोलने की स्वीकृति दी गई है। संयुक्त निदेशक के नव सृजित पद को भरने की कार्यवाही विचाराधीन है।

मुख्य अभियन्ता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति का उच्च न्यायालय द्वारा निरस्तीकरण

61. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (जोधपुर): क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा वर्तमान मुख्य अभियंता भू-जल का अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के आदेश को रद्द कर दिया गया था? यदि हां, तो किसका?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा इस केस में पक्षकारों को व्यक्तिगत सुनवाई के निर्देश दिए गये थे? यदि हां, तो किन-किन पक्षकारों को?

(3) क्या यह सही है कि तत्कालीन सचिव द्वारा पक्षकारों को अपने-अपने पक्ष लिखित प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करने के बाद भी उन्हें अपने सम्मुख व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था? यदि हां, तो पक्षकार कौन-कौन व्यक्ति थे और तत्कालीन सचिव कौन थे? नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पक्षकार अधीक्षण अभियंता को तत्कालीन सचिव द्वारा लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद अपने सम्मुख व्यक्तिगत

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

सुनवाई का अवसर दिया गया ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ? संबंधित पत्रादि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री पी. सी. जैन।

(2) जी हां। श्री पी. सी. जैन एवं श्री रिछपाल सिंह। श्री एम. एल. चौरासिया को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते समय ही सुन लिया गया था।

(3) जी हां। श्री पी. सी. जैन एवं श्री रिछपाल सिंह। क्योंकि इन्होंने अपने प्रतिवेदन में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने की प्रार्थना की थी। तत्कालीन सचिव श्री यतीन्द्र सिंह के।

(4) अधीक्षण अभियन्ताओं को उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए पत्र दि० 14-11-88 द्वारा लिखा गया था। श्री पी. सी. जैन ने अपने प्रतिवेदन में सुनवाई का अवसर प्रदान करने की मांग की थी और इसलिए उन्हें 16-12-88 को सुना गया। श्री एम. एल. चौरासिया ने सुनवाई का अवसर प्रदान करने की मांग अपने प्रतिवेदन में नहीं की थी और चूंकि उन्हें प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय ही सुन लिया गया था। अतः अलग से उन्हें अवसर प्रदान नहीं किया गया।

राज्य में बीयर एवं शराब उत्पादकों के अनुज्ञा-पत्र

62. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में बीयर एवं शराब उत्पादन करने वाली कौन-कौन सी फर्म्स/उद्योगों को लाईसेन्स दिया हुआ है ? नाम स्थान एवं लाइसेंस जारी करने की दिनांक सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त फर्म्स/उद्योगों द्वारा उत्पादित बीयर एवं शराब पर उत्पादन करने की दिनांक एवं उसके निष्प्रभारी होने की दिनांक अंकित करने के लिए कोई आदेश राज्य सरकार ने प्रसारित कर रखे हैं ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इन पर तिथि अंकित करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) दिनांक अंकित नहीं किये जाने के कारण गत 5 वर्षों में किस-किस फर्म/उद्योग के विरुद्ध विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही कब तक की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में बीयर एवं शराब उत्पादन करने के लिए जिन जिन फर्म्स/उद्योगों को लाईसेंस जारी किये गये हैं, उनकी सूची मय विवरण संलग्न है।

(3) जिन दो ब्रेवरीज के लिए लाईसेंस जारी किए गये हैं, वह अभी तक स्थापित नहीं हुई है। देशी एव विदेशी मदिरा के समय के साथ निष्प्रभावी होने की जानकारी नहीं है, अतः इस संबंध में कोई आदेश प्रसारित नहीं किये गये हैं। राज्य में निर्मित मदिरा की अधिकांश बोतलों पर भराई का का माह/दिनांक काफी समय से अंकित किये जाते रहे हैं। हाल में जारी आदेश

(आबकारी मंत्री)

दिनांक 30-8-91 (प्रति संलग्न है) द्वारा भराई की दिनांक अंकित करने हेतु पुनः निर्देश जारी किये गये हैं।

(3) कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—9 देखें)

रेलमगरा एवं राजसमन्द तहसीलों में देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें

63. **श्री शांतिलाल (राजसमन्द)** : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रेलमगरा एवं राजसमन्द तहसीलों में देशी एवं अंग्रेजी शराब की बिक्री हेतु दुकानें और सब-काउन्टर अधिकृत रूप से कहां-कहां पर हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकृत दुकानें और सब-काउन्टर नियत स्थानों के अतिरिक्त भी संचालित हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

(3) अनियमित कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) अधिकृत रूप से स्वीकृत दुकानें निम्न प्रकार हैं :—

(1) रेलमगरा तहसील : **देशी मदिरा मुख्य दुकान** :
गोगाथला, खड़बामनीया, पछमता, अमरपुरा, पोडली डोडियान, कूरज, धनेरिया देवस्थान, रेलमगरा, कुण्डिया, गिलुण्ड, सांदड़ी चोकड़ी।

देशी मदिरा उप दुकान—
धनेड़िया, मेहेन्दुरिया चोराया।

(2) राजसमंद : **देशी मदिरा मुख्य दुकान**:—
राजनगर, जलचक्की, कुंवारिया, पीपरड़ा, केलवा, पड़ासली, मोही, पसुन्द, ओड़ा, नाथूवास।

देशी मदिरा उप दुकान—
कांकरोली स्टेशन, सूरजपोल मोरचना, भाणा, सापोल, सघन क्षेत्र राजनगर व बिनोल।

अ. नि. वि. म. की मुख्य दुकान —
राजनगर नं० 1, पीपरड़ा

अ. नि. वि. म. उप दुकान—
केलवा।

(2) जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार नियत स्थानों के अतिरिक्त दुकानें एवं सब काउण्टर संचालित नहीं हैं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ?

ए. ई एन. आफिस, भवानी मंडी में खराब ट्रक

64. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले की भवानी मंडी स्थित विद्युत सब-स्टेशन के ए. ई. एन. आफिस का ट्रक खराब होने के कारण उसे विभाग में जमा करवा दिया गया है ? उक्त ट्रक को जमा करवाये कितनी अवधि व्यतीत हो चुकी है ?

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

(2) क्या ट्रक के अभाव में उक्त क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य पिछड़ रहा है।

(3) क्या यह सही है कि ट्रक लेने हेतु विभाग द्वारा लिखित कार्यवाही भी की हुई है ?

(4) क्या उक्त क्षेत्र में गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग बड़ा ट्रक आवंटित करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी० हां। भवानी मण्डी स्थित सहायक अभियन्ता कार्यालय द्वारा एक ट्रक काफी पुराना व मरम्मत योग्य नहीं होने के कारण दिनांक 3-10-1989 को स्टोर में जमा करवाया गया था।

(2) जी नहीं। क्षेत्र के विद्युतीकरण के कार्य के लिये आवश्यकतानुसार खण्ड स्तर पर अन्य उपखण्डों से ट्रक उपलब्ध करा दिया जाता है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। उपलब्धि के अनुसार आवंटन के प्रयास किये जायेंगे।

सहायक अभियन्ता कार्यालय, रेणी (राजगढ़) का अन्यत्र हस्तांतरण

65. श्री श्रीराम मीणा, (राजगढ़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत समिति, रेणी में सहायक अभियन्ता (राजस्थान राज्य विद्युत मंडल), रेणी (अलवर) के कार्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने/हटाने का राज्य सरकार/आर.एस.ई.बी. क्या कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्यों ? कारण स्पष्ट करें।

(2) अटरू एवं सिकराय में अभी-अभी खोले गये नये सहायक अभियन्ता कार्यालय किन नोर्म्स के तहत खोले गये हैं ? नोर्म्स की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पंचायत समिति, कठूमर (अलवर) के लिए मुख्यालय खेड़ली रुकते हुए नया सहायक अभियन्ता कार्यालय नहीं खोला जा सकता ? क्या उन नार्म्स को पंचायत समिति, कठूमर पूरा नहीं करती है, जिनके तहत अटरू एवं सिकराय में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो कारण स्पष्ट करने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) अटरू व सिकराय में नये सहायक अभियन्ता के कार्यालय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति, विद्यमान सहायक अभियन्ता के कार्यालय की उपभोक्ताओं से दूरी, कार्यभार तथा मण्डल के विद्यमान ओ.एम.पी. स्टाफिंग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए खोले गये हैं।

(3) जी नहीं। नया कार्यालय खोलते समय विद्यमान सब डिविजन (जिसका

(ऊर्जा मन्त्री)

विभाजन किया जाना है) में उपभोक्ताओं की संख्या व कार्यभार, क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति व सहायक अभियन्ता के कार्यालय की उपभोक्ताओं से अधिक दूरी होने के कारण आने वाली कठिनाई, प्रशासनिक सुविधा एवं इससे होने वाले खर्च तथा मितव्ययता को ध्यान में रखा जाता है।

जिला नागौर में कार्यरत जी.एस.एस.

66. **श्री मोहनलाल बारुपाल** (जायल) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जिला नागौर में कुल कितने जी. एस. एस. किस-किस क्षमता के कार्यरत हैं तथा कितने स्वीकृत हैं और कितने पूर्ण हो चुके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ जी.एस.एस. के लिए केन्द्र सरकार से धन भी मिल चुका है लेकिन वहाँ के अधिकारियों की लापरवाही से उन पर कार्य चालू नहीं हुआ है ? ऐसे कितने जी.एस.एस. हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला-नागौर में कुल सात 132 के.एस.एस. हैं, जिनकी क्षमता निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	132 के.वी. जी.एस.ए. का नाम		क्षमता	रेटिंग
1.	मैरूंदा	(1)	10/12.5 एम.वी.ए.	132/33 के.वी.
		(2)	16/20 एम.वी.ए.	"
2.	गोटन	(1)	6 एम वी.ए.	132/11 के.वी.
		(2)	6.3/8 एम.वी.ए.	"
3.	डीडवाना		2×10/12.5 एम.वी.ए.	132/33 के.वी.
4.	कुचामन सिटी	(1)	2×10/12.5 एम.वी.ए.	132/33 के.वी.
		(2)	6 एम.वी.ए.	132/11 के.वी.
5.	नागौर	(1)	2×10/12.5 एम.वी.ए.	132/33 के.वी.
		(2)	6 एम.वी.ए.	132/11 के.वी.
6.	मेड़ता	(1)	3×10/12.5 एम.वी.ए.	132/33 के.वी.
		(2)	6 एम.वी.ए.	132/11 के.वी.
7.	मकराना	(1)	2×10/12.5 एम.वी.ए.	132/33 के.वी.
		(2)	10/12.5 एम.वी.ए.	132/11 के.वी.
		(3)	7.5 एम.वी.ए.	132/11 के.वी.

(ऊर्जा मन्त्री)

उपरोक्त सभी जी एस. एस स्वीकृत हैं तथा इनका कार्य पूर्ण हो चुका है।

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 132 के. वी. मेड़ता-कुचेरा लाइन व 132 के.वी.जी एस.एस. का निर्माण स्वीकृत है, जिसके लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त जी.एस एस. व लाइन का निर्माण कार्य वर्ष 1991–92 में प्रस्तावित है, जिसका निर्माण कार्य वित्तीय संसाधन व सामान तथा ऋण की औपचारिकताएं पूर्ण होने पर ही प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा।

राज्य में निजी वाहनों को अनुज्ञा-पत्र

67. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) राज्य में नगर सेवाओं के अलावा कितने परमिट शुदा और किस-किस श्रेणी के निजी वाहन चल रहे हैं? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या इन वाहनों को राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर या उन मार्गों पर चलने के परमिट भी दिये गये हैं जिन पर राज्य परिवहन की बस सेवाएं उपलब्ध हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ट्रेवल एजेन्सीज परमिट शुदा वाहनों की आड़ में अवैध रूप से और अधिक संख्या में इन रूटों पर निजी वाहन चला रही हैं? क्या सरकार इनकी रोकथाम के लिये इन अवैध वाहनों की चैकिंग यदा-कदा इन मार्गों पर करती है?

(4) क्या सरकार को राज्य के बड़े-बड़े शहरों में स्थापित ट्रेवलिंग एजेन्सीज के कार्यालयों की जानकारी नहीं है?

(5) यदि हां, तो क्या सरकार ने आज तक अवैध किन्तु खुले आम विज्ञप्ति निजी यात्री वाहन सेवाओं के अन्तर्गत चलने वाले अवैध वाहनों की चैकिंग और रोकथाम इनके यात्रा प्रारम्भ स्थलों, ट्रेवलिंग एजेन्सी कार्यालयों पर छापे मार कर रिकार्ड जब्त किये हैं? यदि हां, तो कितने छापे मारे गये और किन-किन एजेन्सीज के रिकार्ड जब्त कर कानूनी कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) राज्य में नगर सेवाओं के अलावा चल रहे परमिट शुदा विभिन्न श्रेणी के वाहनों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) परमिट शुदा वाहनों की आड़ में इन रूटों पर अवैध रूप से वाहन संचालन की जानकारी प्राप्त होने पर सामान्य चैकिंग के अलावा विशेष रूप से भी चैकिंग कर इन वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(4) जी हां। ऐसी जानकारी है। इन एजेन्सियों को नियमानुसार लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु मोटर वाहन अधिनियम की धारा 93 के तहत नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

(5) अवैध वाहनों के संचालन की रोकथाम हेतु साधारण चैकिंग के अलावा,

(यातायात मन्त्री)

चैकिंग के विशेष अभियान चलाये जाते हैं। ट्रेविलिंग एजेन्सियों को लाईसेन्स देकर नियमानुसार पंजीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अतः अभी छापे मारे जाने या रिकार्ड जब्त किये जाने की कार्यवाही नहीं की गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

राजस्थान पथ परिवहन निगम में स्टाफ कारें एवं जीपों की खरीद

68. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में गत तीन वर्षों में स्टाफ कारें/जीपें खरीदी गई थीं ? यदि हां, तो कितनी व किस-किस स्तर के अधिकारी को आबंटित की गई हैं ? क्या इस स्तर के अधिकारी को वाहन उपभोग करने का अधिकार है ?

(2) निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये हुए किस-किस अधिकारी पर कितना-कितना खर्चा किया गया है ? गत तीन वर्ष के मदवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) निगम द्वारा किन-किन अधिकारियों के कार्यालय तथा निवास पर एस.टी.डी. की सुविधा उपलब्ध करा रखी है ? उससे निगम को पिछले तीन वर्षों में कितना व्यय भार वहन करना पड़ा ?

(4) क्या यह सही है कि निगम में एक पद के विरुद्ध दो जन सम्पर्क अधिकारी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

(5) क्या यह सही है कि निगम सेवा के 25 वर्ष के अनुभवी जन सम्पर्क अधिकारी की सेवाओं का उपभोग नहीं लिया जाकर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी को नियुक्त कर निगम पर अनावश्यक वित्तीय भार बढ़ा रखा है ? यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अधिकारी के वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं पर निगम कितनी राशि प्रति वर्ष व्यय कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। गत तीन वर्षों में क्रय की गई स्टाफ कारें/जीपों का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	जिप्सी	जीप	कारें	योग
88–89	20	10	—	30
89–90	24	—	5	29
90–91	—	—	—	—

स्टाफ कार निम्न अधिकारियों को आबंटित की हुई हैं :—

क्र. सं.	पद	आबंटित वाहनों की संख्या
1–	अध्यक्ष	1
2–	प्रबन्ध निदेशक	1
3–	कार्यकारी निदेशक (याता.)	1
4–	कार्यकारी निदेशक (प्र.)	1
5–	मुख्य लेखाधिकारी	1
6–	महा प्रबन्धक (उत्पादन)	1

(यातायात मन्त्री)

7– महा प्रबन्धक (संचालन) 1

8– महा प्रबन्धक (विधि) 1

9– महा प्रबन्धक (सुरक्षा एवं सतर्कता) 1.

निगम कर्तव्यों के निष्पादन हेतु इन अधिकारियों द्वारा वाहन उपयोग किया जाना आवश्यक है।

(2) निगम में गत तीन वर्ष की अवधि में प्रतिनियुक्ति अधिकारियों पर हुए खर्चे का मदवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(3) निगम द्वारा जिन-जिन अधिकारियों को कार्यालय एवं निवास पर एस. टी. डी. सुविधा दी हुई है व उन पर हुए पिछले तीन वर्षों के व्यय का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला झालावाड़ में संचालित निगम की बसें

69. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले के किन-किन मार्गों पर पथ परिवहन निगम की बसें कहां से कहां तक संचालित होती हैं ? उनकी समय सारिणी क्या है ? क्या बसें समय सारिणी के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए चलती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डग विधान सभा क्षेत्र में कुण्डला तथा आवर जाने वाली बसें कितने समय से बन्द हैं ? बसें नहीं चलने का क्या कारण है ? क्या ग्रामीण जनता की असुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त रूटों पर बसें संचालित करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो, क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि भवानी मंडी, जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है तथा वहां पर पर्याप्त मात्रा में यात्री उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार भवानी मण्डी से जयपुर तथा भवानी मण्डी से सांवलिया तक निगम की बसें संचालित करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में निगम द्वारा विभिन्न मार्गों पर संचालित की जा रही बस सेवाओं की समय सारिणी दर्शाते हुए विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट–1)

अधिकांश बस सेवाएं उपलब्ध यात्री भार के अनुरूप, समय सारिणी अनुसार ही संचालित की जा रही हैं। लेकिन यदा-कदा वर्षाकाल में मार्ग अवरुद्ध हो जाने, मार्ग पर वाहनों में यांत्रिक खराबी हो जाने तथा चालक/परिचालक द्वारा ड्यूटी से/पर

(यातायात मन्त्री)

अनुपस्थित हो जाने विलम्ब से उपस्थित होने आदि कारणों से माह में करीब 24 प्रतिशत परिचक्र निरस्त हुए हैं, और 9 प्रतिशत परिचक्र विलम्ब से संचालित हुए हैं। निरस्तीकरण एवं विलम्ब से सचालन का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परि. 2)

(2) डग विधान सभा क्षेत्र में कुण्डला तथा ग्रावर जाने वाली बसें क्रमश: माह दिसम्बर, 1989 एवं जुलाई, 1990 में बंद हैं। इन बस सेवाओं को बन्द किये जाने के निम्न कारण हैं :—

(अ) झालावाड़ कुण्डला एवं डग-कुण्डला मार्ग की बस सेवाएं चौमेहला से कुण्डला के बीच आय कम आने के कारण (औसतन क्रमश: 4.68 एवं 2.65 प्रति कि.मी. प्रति माह) और चौमेहला से कुण्डला का माग-13 कि.मी. राष्ट्रीयकृत नहीं होने के कारण बन्द की गई हैं।

(ब) भवानी मण्डी-सोयत वाया पगारिया-ग्रावर-पिडावा अन्तर्राज्यीय मार्ग वर्षा काल में प्राय: 6 माह तक बन्द रहता है। पगारिया से आवर-पिडावा के बीच एक नदी आती है एवं सड़क की दशा अत्यधिक खराब है जिससे पहली वर्षा होते ही यह मार्ग बन्द हो जाता है। लगातार सचालन अनार्थिक रहने से इस मार्ग के अनुज्ञा पत्र सरेण्डर किये जाकर वाहन संचालन बन्द कर दिया गया।

भवानी मण्डी से जयपुर के लिये पर्याप्त मात्रा में सीधा यात्री भार उपलब्ध न होने के कारण इस सेवा का संचालन प्रारम्भ करने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है। माह अगस्त, 1984 से अगस्त, 1985 तक भवानी मण्डी से जयपुर सीधी बस सेवा का संचालन किया गया था जिसे औसतन 68 प्रतिशत यात्री भार मिलता था लेकिन इस सेवा में भवानी मण्डी से जयपुर का सीधा यात्री भार नगण्य था। अत: इसका संचालन बन्द करना पड़ा।

(3) भवानी मण्डी से सांवलियाजी वाया रामगंज मण्डी—रावतभाटा—सिंगोली—बेगूं—चित्तौड़गढ़ अन्तर्राज्यीय मार्ग पर वाहन संचालन मध्य प्रदेश राज्य के साथ विधिवत पारस्परिक अन्तर्राज्यीय परिवहन करार सम्पन्न होने पर सम्भव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मादड़ी उदयपुर का भवन निर्माण

70. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मादड़ी तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर के भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत मादड़ी द्वारा कोई भूमि आवंटित की जाकर प्रभारी अधिकारी, प्रा. स्वा. केन्द्र, मादड़ी को कोई पट्टा दिया गया? यदि हां, तो उक्त पट्टा किस स्थान का था एवं चिकित्सा अधिकारी मादड़ी को कब दिया गया था?

(2) प्रभारी अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मादड़ी द्वारा उक्त पट्टे को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुर को एवं

(श्री कुबेर सिंह)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुर ने अपने उच्च अधिकारी को भेजते हुए आयुक्त, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को उक्त भवन के निर्माण हेतु कब भेजा गया ? पूर्ण विवरण (पत्रों एवं पटटे की प्रतियों सहित) सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) व (2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मादड़ी तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर के भवन निर्माण हेतु सरपंच ग्राम पंचायत मादड़ी द्वारा भूमि का पट्टा 6.7.90 को जारी किया गया। यह पट्टा ग्राम मादड़ी में हल्के की आबादी आर नम्बर 2629 का है। इस पटटे को मूल रूप में माह फरवरी, 91 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदयपुर को भेज दिया गया। यहां भवन निर्माण के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर ने प्रस्ताव जिले के अन्य चिकित्सा संस्थाओं के प्रस्तावों के साथ निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को 12 मार्च, 1991 को भेजा गया। भूमि के पट्टे की प्रति एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुर के पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

विधान सभा क्षेत्र अटरू के चिकित्सालयों को वितरित औषधियां

71. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पिछले दो वर्षों से क्या-क्या दवाइयां विभाग द्वारा भेजी गई तथा उनमें खरीदने की तारीख व अवधि पार तारीख क्या थी ?

(2) क्या अवधि पार और आपूर्ति दिनांक में कुछ दवाइयों में एक वर्ष से या इससे कम का ही अन्तर था ? यदि हां, तो उन दवाइयों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अटरू विधान सभा क्षेत्र में ये दवाइयां किस अधिकारी ने किसके आदेश से सप्लाई की ? क्या सरकार ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? अधिकारियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अटरू अस्पताल में मेडिसन स्टोर में अभी तक कौन-कौन सी दवाइयां अवधि पार की पड़ी हुई है ? उन्हें अभी तक डेस्ट्राय क्यों नहीं किया गया है ? इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अटरू में पिछले दो वर्ष में उपलब्ध कराई गई दवाइयों का विवरण परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(2) सूची परिशिष्ट "ख" पर अंकित है।

(चिकित्सा मंत्री)

(3) दवाइयों की सप्लाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी प्रभारी स्टोर के आदेशानुसार की गई। गत दो वर्षों में रहे अधिकारियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

1. डा. एम. पी. अग्रवाल
2. डा. आर. के. शर्मा

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी स्टोर.

1. डा. आर. के. शर्मा
2. डा. जयसिंह शक्तावत
3. डा. पी. सी. शर्मा
4. डा. एस. के. गोयल
5. डा. के. एम. बन्सल

इस प्रकरण में उपरोक्त अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) अटरू अस्पताल के मेडिकल स्टोर में अवधि पार दवाइयों का ब्यौरा परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध है। इस पर एक्सपाइरी दिनांक अंकित नहीं है, लेकिन, इनका निर्माण पांच वर्ष पूर्व किया गया है और अब इनका प्रचलन भी काफी कम है अतः इनको डेस्ट्राय करने की प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई जा रही है इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं है, अतः इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

विभाग में मैकेनिकल आर्गेनाइजेशन का गठन

72. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1986 में सार्वजनिक निर्माण विभाग में मैकेनिकल आर्गेनाइजेशन गठन करने हेतु दिशा निर्देश भेजे थे?

(2) क्या इन दिशा निर्देशों के तहत राज्य में इस आर्गेनाइजेशन का गठन कर लिया गया है?

(3) यदि हां, तो उसके अधिकारियों के पद वेतन का विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं? इस आर्गेनाइजेशन का कब तक गठन कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय के परिपत्र क्र. आर. डब्ल्यू/आर. एम. पी-22(2)/85 दिनांक 16.6.86 द्वारा राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग में मैकेनिकल आर्गेनाइजेशन गठित किये जाने हेतु दिशा निर्देश (सिफारिशें) प्राप्त हुए थे।

(2) उक्त दिशा निर्देशों से पूर्व ही मैकेनिकल डिविजन और मैकेनिकल सर्किल विद्यमान थे जो मशीनरी एवं इक्विपमेंट के संधारण एवं उपयोग का कामकाज देखते थे। अभी हाल ही में एक पद अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) का भी सृजन कर लिया गया है। अब विभाग में मैके-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

निकल विंग (आर्गेनाइजेशन) में निम्नांकित पद हैं :–

अतिरिक्त मुख्य अभियंता	1
अधीक्षण अभियन्ता	2
अधिशाषी अभियन्ता	10
सहायक अभियन्ता	42
कनिष्ठ अभियन्ता	125

(3) यांत्रिक अभियन्ताओं के उक्त पदों के वेतनमान निम्न प्रकार हैं :–

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	4500-5700
अधीक्षण अभियन्ता	3200-5000
अधिशाषी अभियन्ता	3000-4500
सहायक अभियन्ता	2200-4000
कनिष्ठ अभियन्ता	1400-2600

अजमेर से रायला राजपथ निर्माण हेतु वर्ल्ड बैंक योजना

73. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर से रायला तक वर्तमान राजपथ को चौड़ा करने, मजबूत करने तथा उस पर पुलियाओं के निर्माण करने हेतु वर्ल्ड बैंक द्वारा कोई योजना स्वीकृत हुई है ? यदि नहीं, तो इस का कार्य कब से चालू किया गया व उसकी भौतिक उपलब्धि अब तक क्या रही ?

(2) क्या इस योजना में नसीराबाद बाईपास का निर्माण कराया जाना भी सम्मिलित है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई व बाईपास को कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि अजमेर-रायला (किमी. 1/765 से किमी. 99) सड़क मजबूत करने व पुलिया निर्माण करने की विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। सड़क के कार्य हेतु निविदाएं प्राप्त कर ली हैं एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है एवं विश्व बैंक की सहमति प्राप्त की जा रही है। तत्पश्चात कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(2) उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत नसीराबाद बाईपास का भी निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। एवं उक्त निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही तकरीबन पूर्ण की जा चुकी है। बाईपास का निर्माण भी अजमेर रायला सड़क के निर्माण में शामिल है अतएव उक्त सड़क कार्य के साथ यह कार्य भी शुरू किया जा सकेगा।

राज्य की सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

74. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में जिलेवार वित्तीय वर्ष 1990-91 एवं वर्ष 1991-92 में नई सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सड़कों हेतु बजट आवंटित करने का आधार क्या है ? क्या उक्त आधार की पालना की गई है ?

(3) विभिन्न जिलों की सड़कों हेतु बजट राशि में अन्तर का क्या कारण है ?

उत्तर

(1 राज्य में वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में नई सड़कों के निर्माण के लिए जिलेवार आवंटित राशि संलग्न सूची "अ" में दर्शायी गई है एवं वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में रख-रखाव हेतु जिलेवार आवंटित राशि संलग्न सूची "ब" में दर्शायी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत बजट को विभिन्न जिलों में मदवार एवं स्कीमवार स्वीकृत विभिन्न सड़कों में चल रहे कार्य की संख्या, कार्यों की लागत, कार्यों की प्रगति के अनुरूप किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बजट में स्वीकृत सड़कों के रख रखाव हेतु स्वीकृत धनराशि को विभिन्न जिलों में जिले की भौगोलिक स्थिति, विभिन्न प्रकार की सड़कों की कुल लम्बाई, कैटेगिरी, किस्म वर्तमान स्थिति बाढ़ इत्यादि से क्षति, निर्माण की सामग्री की लागत, पूर्व वर्षों में आवंटित धनराशि के अनुरूप किया जाता है।

जी हां, उपरोक्त आधारों की पालना की गई है।

(3) उपरोक्त आधारों के अनुरूप सड़क निर्माण एवं रखरखाव हेतु जिलेवार आवंटित धनराशि में अन्तर स्वाभाविक है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री ईश्वर लाल सैनी, श्री परसादीलाल, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री प्रेम सिंह दहिया, श्री घासीलाल, श्री सुनील विश्नोई, श्री हरिसिंह महुआ और श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 27/28 जनवरी, 1991 की मध्य रात्रि पश्चात् पुलिस द्वारा जयपुर देहात क्षेत्र में एक जीप का पीछा करके उसमें सवार तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने तथा एक बचे व्यक्ति को टाडा कानून में गिरफ्तार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री अमीन खां और श्रीमती मदन कौर, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमावर्ती विकास कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा बाड़मेर में खोले गये पोलीटेक्निक कालेज में अध्यापकों की कमी तथा सीमावर्ती क्षेत्र के छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री सुनील विश्नोई, प्रो. केदार नाथ और श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर जिले की फसल को पंजाब द्वारा पानी नहीं छोड़े जाने से हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री जनार्दन सिंह गहलोत, श्री हरिसिंह महुआ, श्री रामनारायण वर्मा, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री बुलाकीदास कल्ला, श्री परसादी लाल मीणा, श्री हीरालाल इन्दौरा, डा० हरिसिंह, श्री ईश्वर लाल सैनी, श्री सुनील विश्नोई, श्री प्रेमसिंह दहिया और श्री रतना राम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीड़ लालवास

(श्री अध्यक्ष)

रामगढ़ रोड, जयपुर की छोटे-छोटे किसानों की भूमि का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बिना अधिग्रहण की कार्यवाही किये, सी. आर. पी. एफ को आवंटित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) डा. चन्द्रभान, श्री बुलाकीदास कल्ला, श्री जनार्दन सिंह गहलोत, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री हरिसिंह महुआ, श्री विनोद कुमार, श्री नाथूराम अहारी, श्री महेन्द्र कुमार परमार, श्री कुबेरसिंह, श्री सोमा, श्री बहादुर सिंह, श्री परसराम मोरदिया, श्री रामसिंह विश्नोई, श्री हीरालाल इन्दौरा, श्री परसादी लाल मीणा, श्री देवेन्द्र सिंह, श्री भरोसीलाल, श्री श्रीराम मीणा, श्री चम्पालाल जैन, श्री भूरालाल, श्री जुबेर खान, श्री घासीलाल, श्री प्रभुलाल, श्री नत्थीसिंह, श्री प्रेमसिंह दहिया, श्री इन्द्रसिंह पूनिया, श्री हबीबुर्रहमान, श्रीमती सुमित्रासिंह, श्री यदुनाथ सिंह, श्री मोहम्मद माहिर आजाद, श्री सुरेन्द्र व्यास, श्री सुनील कुमार विश्नोई, श्री ईश्वर लाल सैनी, डा. हरिसिंह, श्री बिरधाराम चौधरी और श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से चौड़ा रास्ता स्थित पुस्तक विक्रेताओं द्वारा 3 अगस्त, 1991 को एक विधायक एवं सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के साथ की गई मारपीट के संबंध में।

(6) डा. हरिसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में छोटी डूंगरी बांध बनाने की स्वीकृति मिलने तथा उसका कार्य शुरू होने के बाद अचानक उसका निर्माण कार्य अक्टूबर, 1990 में बन्द करने तथा उस पैसे क दुरूपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री जुबेर खान और श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य मंत्रिमण्डल के एक सदस्य द्वारा राज्य के मुख्य सचिव पर कथित गैर जिम्मेदाराना बयान, जो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री नत्थीसिंह व 14 अन्य माननीय सदस्यों की ओर से केन्द्र सरकार द्वारा उर्वरक पर इमदाद हटाने व बड़े व सीमान्त कृषकों में विभेद कर दोहरी मूल्य प्रणाली निर्धारित करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने और खाद की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में

(9) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका नोखा के वार्ड नं. 14 में सुजानगढ़ रोड के उत्तर की ओर अवस्थित 20,000 वर्ग फीट खाली पड़ी व्यावसायिक भूमि को गैर कानूनी तरीके से नियमत करने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(10) डा. चन्द्रभान एवं श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, जयपुर के व्याख्याता श्री पंकज सिंघवी की दिनांक 4 सितम्बर, 1991 को गोली मारकर हत्या किये जाने के संबंध में।

(11) प्रो० केदार नाथ, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से नौकरशाही के आम प्रशासन पर हावी होने तथा मंत्री परिषद् में मतभेद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इनको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। प्रस्तावक सदस्यों को 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा इंजीनियरिंग कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(2) श्री रमाकान्त, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों, विद्यालयों व कार्यालयों में सफाई कर्मचारियों के शोषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र नैनवां में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

(4) श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में सड़क निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर के चार रेल्वे फाटकों के कारण नागरिकों को होने वाली असुविधा एवं बड़ी रेल लाइन को शहर के बाहर निकालने के सम्बन्ध में।

(6) श्री फूलचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर व सीकर जिले में आबकारी विभाग में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(7) श्री नन्द किशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से छीपाबड़ौद से सालपुरा रेलवे स्टेशन तक बसों के संचालन एवं छबड़ा से बारां-कोटा तक की बस सेवा शुरू करने के सम्बन्ध में।

(8) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से रामगढ़ बांध में पानी के अभाव के कारण पेयजल की उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर पढ़ने की अनुमति होगी।

डा. चन्द्रभान।

व्यवस्था का प्रश्न

उर्वरकों पर सब्सिडी समाप्त न करने सम्बन्धी

श्री नत्थी सिंह (नेता, जनता दल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने और दूसरे 15 माननीय सदस्यों ने खाद के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव आपको दिया। किसान फसल इस वक्त बोने को हैं, तैयारी हो रही है, बारिश देर से हुई है, कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई। खाद मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्या केन्द्र की नीति इसमें दोषी है या सरकार की व्यवस्था करने का सवाल है? दोनों ही इस मामले में फेल रही हैं और यह स्थिति पैदा हो गई है। जो मूल्य नीति बन गई है वह केवल भ्रष्टाचार को

(श्री नत्थीसिंह)

जन्म देने वाली है, उससे किसी तरह का कोई फायदा होने वाला नहीं है। छोटा किसान, बड़ा किसान और सीमान्त किसान का जो भेद है वह गलत है और उसके पीछे, उसके सहारे केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य सरकार का इस बात का दायित्व है कि किसानों को खाद मुहैया कर ये। आज स्थिति यह है कि पुराना खाद जो स्टाकिस्ट के पास था और जो पुरानी कीमत पर, पुराने भावों में बेचना है वह खाद भी किसी भाव आज प्राप्त नहीं हो रहा है, किसान को मिल नहीं रहा है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें राजस्थान में हमारी फसल को बहुत बड़ा नुकसान होने का सवाल है। यह ऐसा विषय नहीं है कि सरकार इस पर कोई जवाब दे, उसके लिए कोई तैयारी करे। पूरे हिन्दुस्तान में, पूरे देश में इसके ऊपर व्यापक असंतोष व्यक्त हुआ है, आंदोलन हुए हैं। लोक सभा में, राज्य सभा में इसके ऊपर विचार हुआ है इसलिए ऐसी बात नहीं है कि राज्य सरकार को इसके लिए नोटिस की जरूरत हो। मैं कहना चाहता हूं यह इधर बैठने वालों और उधर बैठने वालों सबको कि हम किसानों के हितैषी हैं। आज हमारा प्रदेश जिस तरह की स्थिति में है, जिस तरह से किसान आज तबाह हो रहा है, यह जो खाद की दोहरी मूल्य नीति है वह किसानों में भेदभाव पैदा करती है छोटा किसान, बड़ा किसान आदि। राजस्थान में तो छोटे और बड़े किसान, सीमान्त किसान कहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि राजस्थान में इस मामले में और भी विचित्र स्थिति है। केन्द्र की जो परिभाषा है और राज्य में जो छोटे और सीमान्त किसानों की परिभाषा है उसमें कोई संगति नहीं है। राज्य सरकार को इसको विपरीत करने के लिए व्यवस्था होगी, औरों को कुछ मिल सकता है जो अनुदान मिलेगा हमारे यहां तो कुछ नहीं मिलेगा और इस नाम पर राजस्थान को विशेष तौर से एक विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह नीति एकदम गलत है, किसान विरोधी नीति है और यह सरकार न तो भ्रष्टाचार को रोक पा रही है और न किसानों को खाद दिला पा रही है। इस स्थिति पर तुरन्त अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा इसमें कोई नोटिस की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है, इसमें आज ही और अभी सरकार जवाब दे और बताये कि स्थिति क्या है, खाद मिलेगा या नहीं मिलेगा ? सरकार की जो दोहरी मूल्य प्रणाली है खाद की, उसके बारे में सरकार की नीति क्या है, राजस्थान सरकार उसमें क्या चाहती है और किस तरह से व्यवस्था करेगी ? मेरा आपसे निवेदन है कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आज सरकार से तुरन्त जवाब दिलाने की व्यवस्था करावें।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : खाद की जो केन्द्रीय नीति है उससे किसानों में बड़ी त्राहि-त्राहि फैल रही है। किसानों को जो अपनी फसल बोने का समय था तब और अभी भी खाद की सख्त आवश्यकता है। किसान मार्केटिंग के आफिसेज में जाते हैं वहां पर उनको खाद बिलकुल उपलब्ध नहीं हो रहा है। पहले ही सरकार ने यह तय किया था कि पालिसी आने के बाद जो पुराना स्टॉक पड़ा है उसको पुरानी कीमत पर दिया जायेगा लेकिन कहीं पर भी पुरानी

(श्री हीरालाल आर्य)

कीमत पर किसानों को खाद नहीं मिला और इस वजह से किसान बाजार में प्राइवेट डीलरों के यहां पर ढूंढता रहा। किसान इस बाबत बहुत परेशान है, दुःखी है। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। साथ ही, इसमें छोटे और बड़े किसानों को जो 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलती थी वह बन्द करने से किसानों में छोटे और बड़े का जो भेदभाव पैदा किया है उससे और मात्र 10 प्रतिशत का रिलीफ देकर केवल छोटे किसानों के ऊपर छोड़ने से भी किसानों को प्रोपर लाभ नहीं मिलेगा। देश के विकास के लिए कृषि सबसे आवश्यक है और उसके लिए खाद सबसे आवश्यक वस्तु है। खाद न मिलने से किसानों में भारी रोष फैला हुआ है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, किसानों की इस समस्या को सुलझायें।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। आप, मदन लालजी, क्या कह रहे हैं?

श्री मदन लाल सैनी : माननीय अध्यक्ष जी, यह वास्तव में गम्भीर प्रश्न है। खाद पर केन्द्र सरकार से जो चालीस प्रतिशत सब्सिडी मिलती थी वह वापस लेने के कारण और जो छोटे किसान और बड़े किसान का सवाल लगाया है यह भ्रष्टाचार को जन्म देगा। केन्द्र सरकार की इस नीति के कारण खाद के भाव बढ़े हैं और खाद मिल भी नहीं रही, यह स्थिति आज खड़ी हो गई है। आवश्यकता तो इस बात की है कि सभी माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें कि केन्द्र सरकार को हम इस बात के लिए मजबूर कर दें। राजस्थान सरकार, राजस्थान की विधान सभा एक सर्वसम्मत इस प्रकार का निर्णय ले, एक प्रस्ताव पास करे, केन्द्र सरकार को लिखे कि राजस्थान के जन प्रतिनिधि आज इस विधान सभा में यह मांग करते हैं कि चालीस प्रतिशत सब्सिडी जो वापस ली गई है, यह वापस दी जानी चाहिए और किसानों को सस्ते दाम पर खाद मुहैया करानी चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव हम सभी सदस्यों को पास करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, श्री इन्दौलिया।

श्री रामनारायण वर्मा : यह क्या डिबेट अलाउ कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, यह डिबेट नहीं है। यदि यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है तो इस पर अलग से बहस करवाने के लिए समय तय करूंगा मैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल्कुल होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इसलिए आप भी कहना चाहें तो अपने विचार इसमें रखिये क्योंकि प्रश्न आम किसानों से सम्बन्धित है और यदि इस हाउस की यह इच्छा है कि प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो इस पर हम...।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आज डिबेट कराइये, साहब।

श्री अध्यक्ष : बस, इसीलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो अभी बुलाने की कोई बात नहीं है, साहब, आप डिबेट का समय निश्चित कर दें।

(54)

श्री रामेश्वरदयाल यादव : सदन की कार्यवाही स्थगित करके पहले इस मामले में सदन में चर्चा होनी चाहिए, सर्वसम्मत प्रस्ताव पास होना चाहिए ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मसला है तो अभी तय कर दें समर्थ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इस विषय पर चर्चा, इन्दलिया जी कुछ कह रहे हैं ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले का आधा भाग सिंचित क्षेत्र है, इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी लग रहा है । बहुत ही दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जब से दिल्ली में भारत सरकार ऐसे लोगों के हाथ में चली गई तब से राजस्थान के किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और इस तरह से काश्तकारों को पीस दिया गया है.... (व्यवधान) आप शांति रखिये । किसानों के +++ ठीक बात नहीं कर रहे हो ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है....

श्री अध्यक्ष : इनको समाप्त करने दीजिए, फिर आप भी बोलिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह तो आप कह करके डिबेट बना रहे हो ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आसन की अगर मंशा है डिबेट कराने की....

श्री अध्यक्ष : आसन की मंशा कुछ नहीं होती, हाउस की मंशा देख रहा हूं । मैं सदन की मंशा देख रहा हूं, मेरी मंशा कुछ भी नहीं है । सदन की मंशा क्या है, यह देख रहा हूं । हां, बोलिए आप । (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, किसानों के ठेकेदारों, काश्तकारों का ठेका लेने वाले लोगों को माननीय सदस्य को सुनना भी चाहिए । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भी बोलिए, आपको भी मौका दूंगा ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का तो इन्होंने किया है, आप नियम पढ़िये । There cannot be a point of order on a 'point of order'. यह पाइंट ऑफ आर्डर हो है ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : नत्थी सिंहजी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है जिस पर चर्चा हो रही है and there cannot be a point of order on a 'point of order'. व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं हो सकती । इसलिए बिराजिए । हां, बोलिए ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : इन्होंने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया ।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आप भी बोल लेना, आपको मौका दूंगा। हां, बोल लेना। पहले वे बोल लें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि खाद के मामले में आप अलग से समय तय करिये। उनको मौका दीजिए और हम लोगों को भी मौका दीजिए....

श्री अध्यक्ष : ठीक है, विराजिए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : किस तरह इस देश के काश्तकारों के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह दिल्ली की जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसी का यह स्वरूप है। इसलिए इस मुद्दे पर आप अलग से व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : श्री वर्माजी, बोलिए आप।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती है। आपको मैंने व्यवस्था दे दी। फिर व्यवस्था-व्यवस्था किए जा रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, नमूना सामने आ गया हिन्दुस्तान में क्या बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यह मामला गम्भीर है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि डेढ़ साल तक जो सरकार रही है उसने देश का कितना भट्टा बैठा दिया और किसलिए क्या हुआ.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खाद के दाम नहीं बढ़ाये गये थे, I object to your point. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इनको सुन लीजिए। माननीय सदस्य, सुन लीजिए आप। हां, बोलिये आप।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं गये साल से सदन का सदस्य हूं, इस तरह की परिपाटी, आसन जो आदेश दे वह शिरोधार्य है, इस तरह से डिबेट किसी पाइन्ट पर कराने की मंशा आसन की रही है, नहीं रही है, मैं नहीं कहना चाहता....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह खाद के मामले की बात नहीं होना देना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इनको अपनी बात कहने दीजिए, कहिए।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय नत्थीसिंह जी ने....

श्री मदनलाल सैनी : क्या हुआ सौ दिन का,.. सौ दिन में महंगाई दूर करने वाले थे ?

श्री अध्यक्ष : प्लीज, अभी सौ दिन नहीं हुए हैं। आप बोलिए। (व्यवधान)

(56)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप कालाबाजारियों और चोर बाजारियों का साथ दे रहे हैं। आप चोर बाजारी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं, कालाबाजारी बंद कर दो पहले.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप लोगों ने देश का भट्टा बैठा दिया, बाकी क्या रह गया अब ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री वर्मा जी, बोलिए।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नत्थीसिंहजी ने जिस ढंग से मामला सदन में उठाया, उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया था, उन्होंने यह निवेदन किया था आसन से....

श्री अध्यक्ष : नहीं, व्यवस्था का ही उठाया था।

श्री रामनारायण वर्मा : उन्होंने यह निवेदन किया था कि मेरा स्थगन प्रस्ताव है इसके बारे में क्या। आप सुनिये तो सही। ऐसा कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं था लेकिन आसन ने उसको व्यवस्था का प्रश्न मान लिया जबकि उन्होंने कहा ही नहीं था। इसके ऊपर यदि कोई भी माननीय सदस्य, आसन व्यवस्था दें, हम नहीं कहते। आसन सदन की भावनाओं को समझ करके कोई व्यवस्था दें, हम नहीं कहते लेकिन इस तरह के पाइंट पर....

श्री अध्यक्ष : अभी बहस नहीं होनी चाहिए, यह कह रहे हैं अब आप ? मैं भी नहीं चाहता। अभी बहस नहीं होनी चाहिए।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं यह नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं भी अभी बहस नहीं करवा रहा हूं।

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा यह कहना नहीं है, बहुत सेंसिटिव मामला है, इसके बारे में आप....

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल, हां, इस पर कभी बहस होनी चाहिए या नहीं, इस पर विचार हो रहा है। यदुनाथ सिंहजी कुछ बोल रहे हैं। यदुनाथ सिंहजी....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इस पर बहस होनी चाहिए, आप अलग से समय दें।

श्री अध्यक्ष : उनका एडजोर्नमेंट मोशन था। हो गया आपका ?

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा निवेदन करना यह है कि आसन की अगर यही मंशा है कि इस पर बहस कराई जाये तो समय क्यों बर्बाद करें ? बाकी यह इस तरह का मसला है कि इसको दूसरे तरीके से भी उठा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिए, ऐसे प्रश्नों पर जब सदन के माननीय सदस्य बोलते हैं तो समय बर्बाद नहीं होता है। यह बहुत ही सार्वजनिक महत्व का सवाल है, यह समय बर्बाद नहीं हो रहा है। ठीक है, बोलिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस मामले का समाधान एक बात से हो सकता है। मैं समझता हूं, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य भी, फर्टिलाइजर्स सब्सिडी खत्म की है, इसके पक्ष में नहीं हैं। यदि उनकी राय हो तो सारे सदन की राय भारत सरकार के पास भेज दी जाये।

श्री यदुनाथ सिंह : और राजस्थान सरकार जो कर रही है उसका क्या होगा? राजस्थान सरकार की वजह से किसान पिसता है, उसका क्या होगा?

श्री हेतराम बेनीवाल : इस मामले में जो राजस्थान सरकार ने गलती की है....

श्री रमाकान्त शर्मा : राजस्थान सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है.... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : राजस्थान सरकार के पास जितना भी खाद का कोटा था.... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सारे सदन के जो नेता हैं वे बैठ कर विचार कर लें। फिर इसके बाद सदन में इस मसले को लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, कल्लाजी का यह सुझाव है कि इस पर बैठ कर पूरी व्यवस्था कर लेंगे और इस पर विचार होगा और यदि सदन की राय होगी तो प्रस्ताव पास करेंगे। सदन में विचार होने के बाद जो सदन ठीक समझेगा, करेगा।

श्री रामनारायण वर्मा : राजस्थान सरकार के पास जो टोटल स्टॉक है वह तो पुरानी प्राइस पर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : चलिए, नैक्स्ट। अब हो गया। अब डिबेट बंद करिए। आप ही तो डिबेट की आपत्ति कर रहे थे, अब आप ही कर रहे हैं। बंद कर दी। अब यह सवाल समाप्त कर दिया कि इस पर अलग से बहस करेंगे।

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा इसमें थोड़ा संशोधन है....

श्री अध्यक्ष : चन्द्रभान जी।

श्री रामनारायण वर्मा : राज्य सरकार के जितने टैक्सेज फर्टिलाइजर्स पर लग रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आपकी बात मान ली सदन ने। हां, बोलिए।

श्री रामनारायण वर्मा : जितने टैक्सेज फर्टिलाइजर्स पर लग रहे हैं उनको भी साथ-साथ विथड्रा करें।

श्री अध्यक्ष : फिर आप बोल रहे हैं। आपके साथी बोल रहे हैं। उनको नहीं बोलने देना चाहते आप?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने अभी फर्माया कि इस सब्सिडी के मामले में आज सारे किसान पीड़ित हैं। राजस्थान का किसान सब्सिडी से पीड़ित है, यह तो जग जाहिर बात हो ही गई। आज की तारीख में मैं नेता महोदय की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि बिजली के कनेक्शन्स के मामले में प्रायोरिटी बेसिस पर लोगों ने जो पैसा जमा कराया था दो साल पहले....

श्री अध्यक्ष : वह दूसरा विषय हो गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : उन लोगों को कनेक्शन नहीं मिले, राजस्थान का किसान उससे ज्यादा पीड़ित है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। डा. चन्द्रभान।

श्री राजेन्द्र पारीक : उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान बोलेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से हाथ उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब यह मामला तय हो गया आपका, फिर क्या करना है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक बात।

श्री अध्यक्ष : बोलिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस समय ही खाद की किसान के लिए उपयोगिता है....

श्री अध्यक्ष : वह बात हो गई न ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक मिनट, मेरी बात सुन लें। इसके लिए एक तरफ तो केन्द्र सरकार की नीति दोषपूर्ण है। सब्सिडी किसानों को नहीं दी जाती। उसकी पालिसी ऐसी है कि कारखाने वालों को वह रियायत देती है और खाद पर सब्सिडी के नाम से उसको स्वीकृत करती है। दूसरी तरफ राजस्थान में खाद का बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा है और उसके वितरण की भी अव्यवस्था हो रही है। वह सही रूप से अगर वितरित हो तो किसानों को पर्याप्त मात्रा में समय पर खाद मिल जाये। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर चर्चा निश्चित रूप से की जावे।

श्री अध्यक्ष : डा० चन्द्रभान।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सदन को प्रस्ताव पास करना चाहिए। अभी सदन के नेता महोदय ने जो सवाल सदन के सामने रखा है मैं समझता हूं कि इसमें अलग-अलग बात करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, सबको एक मत से प्रस्ताव पास करना चाहिए और अपने एटीट्यूड को हमको साफ करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के हिसाब से विधिवत प्रस्ताव आयेगा तो विचार करके पास करेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।....

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो केन्द्रीय सरकार ने खाद की नीति बनाई है वह बहस का विषय नहीं है। जो सदन के नेता महोदय ने सुझाव दिया है उसका प्रस्ताव बनाकर केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाये। हाउस में पास करके केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। श्री यदुनाथ सिंह जी।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने कानून की प्रक्रिया के तहत सरकार को प्रस्ताव दिया है और इस विषय की गम्भीरता को सभी माननीय सदस्य भी

(श्री यदुनाथ सिंह)

जानते हैं। केन्द्र सरकार ने अनाप शनाप किसानों के खाद के भाव बढ़ा दिये, सब्सिडी खतम कर दी और किसान के ऊपर 32 सौ करोड़ रुपये का बोझ डाल दिया। दूसरी तरफ, कोआपरेटिव की हड़ताल चल रही है व्यवस्थापकों की। 80 प्रतिशत आदमी कोआपरेटिव के मार्फत से गांवों में खाद का उपयोग करते हैं। किसान का बुवाई का समय है, किसान को पहला खाद लगाना है। इससे ज्यादा अहम् मसला कोई हो नहीं सकता इसलिए आप तकनीकी विषय में नहीं जायें और नियम 50 के अन्तर्गत जो सदन की कार्यसूची है उसको स्थगित करके इस पर तुरन्त चर्चा करवा ली जाये। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई एतराज भी नहीं होगा और इस व्यवस्था में जल्दी सुधार भी हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि एडजोनमेन्ट मोशन का 50 में तो कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस पर परसों बहस करा देंगे। विधिवत प्रस्ताव आ करके उस पर बहस हो जायेगी। उसको आप पास कर देना या जो भी आप करें, हो जायेगा। डा. चन्द्रभान।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय पर आपके पास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है....

श्री अध्यक्ष : कर दिया तो विचार कर लेंगे।

श्री रमाकान्त शर्मा : उस पर विचार हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : हां, हां, कर लेंगे। प्रस्ताव आयेगा तो विचार कर लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह तो आपने कह दिया कि जनरल डिबेट होगी और प्रस्ताव आ जायेगा लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अपने को जिसको इम्पार्टेन्स देनी चाहिए वह फागी से आने वाले माननीय सदस्य के साथ मार पिटाई का किस्सा है। एक विधायक के साथ मारपीट का किस्सा कोई महत्व नहीं रखता है, अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। इस बात को मैं बिन्दु नहीं बनाना चाहता कि कांग्रेस के विधायक के साथ मार पिटाई हुई लेकिन इसके अन्दर उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि बुक सेलर के यहां 9वीं की किताब खरीदने गये। उसने जबरदस्ती कहा कि आपको कुन्जी खरीदनी पड़ेगी। अब उस बात को जाकर शिकायत उसने की और उस आधार पर मार पिटाई हुई। आज तक सरकार ने उस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं की। मैं समझता हूं कि सुओ मोटो गवर्नमेंट को खुद अपनी तरफ से स्टेटमेन्ट लेकर आना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित तथ्य है कि बी. जे. पी. सरकार इज ए. पालिटिकल पार्टी आफ ट्रेडर्स। यह बिलकुल कल्यूजन में है, प्राफिटीयर्स, ब्लैक मार्केटियर्स सबसे इनकी मिली भगत है। यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय कि मैं कोई आफहैंड एजीटेशन लगा रहा हूं बल्कि फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी। इस बात का बड़ा खेद है कि राज्य के मुख्य मंत्री विधायकों की चिट्ठी का जवाब नहीं देते हैं। इतना इम्पार्टेन्ट मैटर है। हो सकता है विधायक को कोई

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

भ्रांति हो लेकिन मुख्य मंत्री जी को जवाब देना चाहिए. कोई कार्यवाही करवाई जानी चाहिए थी। मुख्य मंत्री जी उसका जवाब दिलवा देते। यह फैक्ट मुख्य मंत्री जी की नालेज में भी आया और प्रवर्तन अधिकारी ने खुद जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यह अध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर मामला है...

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब सरकार देगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आज ही इसका जवाब आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आज ही दे देगी तो आ जायेगा यहां। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय नेता महोदय ने खाद के मामले में एक मिनट में खड़े होकर बात कह दी कि हम इसके लिए तैयार हैं इसी प्रकार से यह मुद्दा भी ऐसा है। माननीय सदन के सदस्य श्री प्रकाश बैरवा का मामला है। होम मिनिस्टर यहां मौजूद हैं, मुख्य मंत्री जो यहां मौजूद हैं, उसके संबंध में आज जवाब दे दें। बहुत बड़ा मामला तो है नहीं। श्री सुरेन्द्र जी ने ठीक इसके लिए कहा है....

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दिनों से मामला चल रहा है। अखबारों में भी आया है....

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर चुका हूं, मैंने जवाब मांग लिया है। सरकार आज ही दे देगी तो आज ही हो जायेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुख्य मंत्री जी आज ही जवाब देने का कह रहे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जो मामला माननीय नत्थीसिंह जी ने उठाया....

श्री अध्यक्ष : वह कन्कलूड हो गया।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में कह देता हूं। जहां तक खाद के मामले का प्रश्न है और श्री नत्थीसिंह जी ने उठाया है....

श्री अध्यक्ष : जिस समय बहस हो उस समय बोलना सारी बात।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपकी व्यवस्था में एक बात कहनी थी क्योंकि नेता महोदय ने एक बात कही थी, कांग्रेस वाले अगर चाहें तो हम प्रस्ताव भेज दें....

श्री अध्यक्ष : सारे सदन के लिए कहा है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का है कि कांग्रेस की तरफ से हम यह कहना चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर सभी पार्टियां किसानों की हितैषी हैं। कांग्रेस के लोग भी किसानों के हमदर्द हैं कि किसानों को फायदा पहुंचे। भारत सरकार की जो भी नीति है हमारी पार्टी के अन्दर भी दो मत है। लेकिन उन्होंने बड़े काश्तकारों और छोटे काश्तकारों को विभाजित किया है। इसलिए नेता महोदय के उस प्रस्ताव से हमें आपत्ति नहीं है कि इसको सदन में लाया जाये, चर्चा की जाये या प्रस्ताव पास करके भेजा जाये। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। डा० चन्द्रभान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

पंकज सिंघवी की हत्या के सम्बन्ध में

डा. चन्द्रभान (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय, 4 सितम्बर की वह सुबह जयपुर के लिए काली थी। ठीक सवेरे 8 45 बजे श्री पंकज सिंघवी जो राजस्थान का गौरव था, एम. आर. ई. सी. कालेज में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट में लेक्चरार था, इंडियन इन्जीनियरिंग सर्विसेज में जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जिसका सलेक्शन हुआ था और 7वीं नम्बर पर था अपने घर से कालेज जा रहा था रेजिग्नेशन देने के लिए और अपने मित्रों से बातचीत करने के लिए स्टाफ कालोनी के गेट के ऊपर एक सफेद मारुति कार में कुछ लोग आये और पंकज सिंघवी को गोली मारकर घायल कर दिया। वह अटेक इतना सीवियर था कि अस्पताल में पहुंचते-पहुंचते उसकी धड़कन और पल्स गायब हो गयी थी। सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ डाक्टरों ने श्री पंकज सिंघवी को बचाने के लिए अथक प्रयास किये लेकिन शिक्षक दिवस के दिन 5 सितम्बर को शाम को 5 बजे एक शिक्षक जो कि गोलियों का शिकार हुआ था, राजस्थान का एक प्रतिभावान युवा, राजस्थान का एक भावी प्रशासक हम लोगों के बीच से चला गया। अध्यक्ष महोदय 4 और 5 सितम्बर की इस घटना को आज 7 दिन का समय बीत चुका है। जयपुर में सरेआम, दिन दहाड़े पंकज सिंघवी की हत्या कर दी गयी। जवाब तो हमारी सरकार देगी लेकिन मेरा मानना है कि इस सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। हत्या के प्रकरण की बात तो छोड़िये, गोलियों से जिन्होंने पंकज सिंघवी के शरीर को भूना वे गोलियां आज तक पुलिस बरामद नहीं करा पाई है। इस हत्याकाण्ड की प्रगति का जहां तक सवाल है पुलिस के एक उप-अधीक्षक हैं उनका आज केवल स्थानान्तरण किया गया है। कोई प्रगति नहीं है। सफेद मारुति कार और एम. आर. ई. सी. की स्टाफ कालोनी के गेट पर भीड़ भरी सड़क के ऊपर इस तरह सरेआम गोली मार देना। अभी चर्चा कर रहे थे मेरे साथी विधायक प्रकाश बैरवा की पिटाई की, मैं आपको कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त और 14 अगस्त से लेकर आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन यहां पर चोरियां नहीं हुई हों, डकैती नहीं हुई हो, लूट नहीं हुई हो और हत्याएं नहीं हुई हों। राजधानी में जब इस तरह की घटनायें होती हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, कहीं कानून का शासन है? कहीं व्यवस्था है, अध्यक्ष महोदय? इसके लिए किस को जिम्मेदार ठहराया जाये? जहां तक सरकार का सवाल है सरकार सरकार-सी लगती ही नहीं है। यह नहीं मालूम कि सरकार को कौन चला रहा है। गृह मंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी के बारे में जब पूछा जाता है और यहां के अधिकारियों का भी-जहां तक सवाल है जयपुर में यह मान लिया जाता है कि मुख्य मन्त्री की बात ही सुनी जायेगी। मुख्य मंत्री जी जयपुर से बाहर रहते हैं तो लगता ही नहीं है कि यहां कोई सरकार है। मैं तो इतना भी कहना चाहूंगा कि पिछले तीन-चार महीनों में ऐसा वातावरण बना हुआ है कि सरकार किस की है? ठाकुर साहब की सरकार है या कुंवर साहब

(62)

(डा. चन्द्रभान)

की सरकार है ? और यह भी कि है भी या नहीं है यह सरकार ? आज सात दिन का समय हो गया, पंकज सिंघवी के हत्यारों का कहीं कोई सुराग नहीं है। 14 अगस्त को अजयकान्त उर्फ मोहन कुमार की आमेर के पास लाश मिली, 28 अगस्त को मालवीय नगर में एक नर्स नीलिमा की लाश मिली। मन्दिरों में चोरी, सीता और राम को चुरा लिया जाता है। 14 अगस्त की रात को एक दर्जन चोरियां एक ही मोहल्ले में हो जाती हैं। 9 अगस्त को इकबाल की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। रशीद नाम का नौजवान की, जो कि मिनी बस का चालक था, 20 दिन पहले हत्या कर दी जाती है। अल्बर्ट हाल म्यूजियम, जयगढ़, सब जगह हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की चोरियां कर ली जाती हैं और सरकार को, पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई सुराग नहीं है।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जयपुर जैसी जगह में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, समूचे राजस्थान में इस तरह की गतिविधियां और घटनाएं हो रही हैं, यह चिन्ता की बात है। हमारे जिले के एक केजड़ीवाल थे, जो कि स्टाक एक्सचेंज में काम करते थे, उनकी हत्या कर दी गई। रवीन्द्र कुमार केजड़ीवाल। जयपुर में ऐसी घटनाएं धड़ल्ले से घट रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि सरकार इसके लिये जवाबदेह बने और पंकज सिंघवी हत्याकांड के बारे में....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। जो भी कोई प्रगति हुई है, उसकी जानकारी तत्काल दी जाय। यह कानून-व्यवस्था का ही मामला नहीं है, यह राजस्थान के नौजवानों की हत्या का मामला नहीं है, समूचे जयपुर में तनाव है, आज असुरक्षा की स्थिति है। एक बड़ा आन्दोलन यहां पर खड़ा हो सकता है। एम.आर.ई.सी के लोग, छात्र लोग, शिक्षक लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और आम जनता, जिस तरह से यहां कानून-व्यवस्था बिगड़ी है, राजस्थान की सरकार, सरकार जैसी नहीं लगती, आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। रात को निकलने की बात छोड़िये, दिन में भी लोग अपने घरों से निकलने में आतंकित हो रहे हैं।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा कराई जानी चाहिये। इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

डा. चन्द्रभान : इस मामले पर तत्काल सरकार की ओर से अभी बयान आना चाहिये और सब कार्यवाही स्थगित करके इसी पर आज चर्चा होनी चाहिये। पंकज सिंघवी के हत्यारों को सरकार तत्काल गिरफ्तार करे।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, यह घटना बहुत ही दर्दनाक और दिल को छूने वाली है। राजस्थान के एक होनहार और ओजस्वी नौजवान की इस प्रकार हत्या कर दी गई और लम्बा समय

(श्री यदुनाथ सिंह)

बीत जाने के बाद भी हत्यारों का कहीं अता-पता नहीं चला। मुख्य मन्त्रीजी जब वापस जयपुर पधारे तो कुछ अखबारों के माध्यम से पता लग रहा है कि इसमें कुछ कार्यवाही हो रही है। मेरी समझ के बाहर है जिस प्रकार से पुलिस अखबारों को बयान दे रही है, इन्वेस्टीगेशन को अखबारों के माध्यम से बता रही है, यह कौनसा तरीका इन्वेस्टीगेशन का है ? मारुति पंजाब में देखी गई, फलां नम्बर की मारुति थी, यह मुलजिमों को सचेत करने का काम हो रहा है, केवल वाहवाही लूटने का काम हो रहा है। यह बहुत दर्दनाक घटना है, कोई राजनीतिक विषय नहीं है इसलिये मेरी सरकार से इस सदन के माध्यम से पुरजोर यही अपील है कि सरकार जल्दी से जल्दी,

(12.35 म.म.)

(श्री हीर सिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कड़ी कार्यवाही करे और इन मुल्जिमान को पकड़कर उनके घर वालों को सांत्वना पहुंचाने की कार्यवाही करे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिस घटना को लेकर दुःख प्रकट किया है, वह वास्तव में इस प्रकार की घटना है कि सभी को उसका खेद है।

जिस लड़के की हत्या की गई है, उस सम्बन्ध में जैसे यदुनाथसिंहजी ने कहा कि समाचार पत्रों में बात देकर उसका लाभ कहीं अपराधियों को तो नहीं पहुंचा रहे हैं, इसलिये इन्वेस्टीगेशन किस स्टेज पर है, उसका तो मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जिस गति से कार्यवाही हो रही है, मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही अपराधी पकड़े जायेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि संयोग से.... (व्यवधान)

सदन के माननीय सदस्यों को जितनी वेदना है, उससे कम मुझे नहीं है। इस लड़के से व्यक्तिगत मेरा काफी परिचय था और जिस दिन वह आई.ए.एस. में सलेक्ट हुआ....

एक माननीय सदस्य : इसीलिये तो मारा गया। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप इस इश्यू को नान सीरियस बनाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुःख मुझे भी है। और यह को-इन्सीडेंस की बात है कि इस लड़के ने दो दिन पहले ही मुझे आकर कहा था कि मेरा राजस्थान केडर में किसी प्रकार से नाम आ जाये तो उसमें मदद की जाये। इस लड़के के पिताजी और मामाजी, उन सब से मैंने कहा कि मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा। मेरी तरफ से होम मिनिस्टर को एक लैटर भी ड्राफ्ट किया गया। लगभग सवा दस बजे मैं देहली पहुंचा और साढ़े बारह बजे मैंने होम मिनिस्टर से मिलने का समय भी लिया था कि इस लड़के का केडर चेंज होकर राजस्थान में उसकी नियुक्ति की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाये, साढ़े दस बजे के करीब मुझे यह सूचना मिली कि उनको गोली मार दी गई है। वहां से भी जितनी व्यवस्था हम कर सकते थे हमने की। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस सम्बन्ध में हमने पुलिस विभाग में सबसे बात की कि कौन आदमी इस सम्बन्ध में होशियारी से इन्वेस्टीगेशन कर सकता है, उन सब लोगों को इसमें लगाया है। डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। आपको जितना दुःख है, उतना दुःख मुझे भी है।

डाक्टर चन्द्रभान ने कुछ बातें कहीं, उन बातों के डिटेल्स तो मेरे पास नहीं हैं, यदि आप चाहेंगे तो मैं सारी सूचनाएं एकत्रित करके आपको भेज दूंगा कि किस-किस मामले में पुलिस ने क्या-क्या सफलता प्राप्त की, इन्वेस्टीगेशन किस-किस स्टेज पर है।

अब आप यह कहें कि राजस्थान में सरकार ही नहीं हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब माननीय सदस्य इस पक्ष में बैठते थे, हमारे साथ बैठते थे, हमारे साथ बैठते थे, उस समय कांग्रेस वाले भी यही कहते थे कि राजस्थान में कोई सरकार नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : आज भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं डाक्टर चन्द्रभान की बात कर रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : सरकार, सरकार तो लगती नहीं है। ये हत्याएं हो रही हैं न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसको गम्भीरता से लें। इस लड़के की मौत से मैं भी दुःखी हूं, सरकार भी दुःखी है और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हत्यारे पकड़े जायें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह बहस का मामला नहीं है। माननीय नेता महोदय ने स्पष्टीकरण दे दिया है सवाल के जवाब में। यह बहस का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। माननीय प्रोफेसर केदारनाथ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं पर इसको बहस का मुद्दा नहीं बनाया जाये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : मेरा स्थगन प्रस्ताव था- गंगानगर जिले में जो नहर के पानी की व्यवस्था है, उस पर।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा स्थगन प्रस्ताव था और उस स्थगन प्रस्ताव पर मैं अपने विचार रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय से जाकर सम्पर्क कीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं हाउस से सम्पर्क करूंगा, अध्यक्ष महोदय से नहीं करूंगा। जो कुछ कहना है सदन में कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कार्य सूची में नहीं है। आप जानकारी ले लीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप मेरी बात को डिसग्रलाउ नहीं कर सकते। मैं सूचना दे रहा हूं यहां। गंगानगर जिले में नहर के पानी का जो हिस्सा मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह मैटीरियल नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : बहुत मैटीरियल है। इसलिए कि गंगानगर जिले में पानी पंजाब से आता है और पंजाब ने हमारी उस नहर को, जो लाइफ लाइन है, धीरे-धीरे जो खत्म हो रही है, जिसमें 27 सौ क्यूसेक पानी आता था आज 18 सौ क्यूसेक पानी आता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस नहर में 18 सौ क्यूसेक पानी आता है उसका हमने डाइवर्शन चैनल बनाया। 33 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार के लगे। 50 हजार किसानों ने आन्दोलन किया। जिले भर में सरकार का मुकाबला किया और 3 साल में बनकर तैयार हुआ। वहां आज डेढ साल से डाइवर्शन चैनल तैयार पड़ा है और पंजाब के मामूली अधिकारी की एक अड़चन हमारे क्षेत्र में है। हरियाणा में उसकी जमीन है और वह नहर हमारी है। हमारी राजस्थान सरकार डेढ साल से डाइवर्शन के अन्दर पानी डालकर के ठीक चैनल को शुरू नहीं कर रही। मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी ने या मन्त्रीजी ने पहले जो यहां असेम्बली में स्टेटमेण्ट दिये, यह दिये कि वह 6 महीने में पूरा हो जाएगा, कभी 3 महीने में पूरा हो जायेगा और आज राजस्थान सरकार यह समझती है कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बेनीवाले साहब, सरकार को नोटिस देना था, आपने सूचना दी नहीं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे निवेदन करूं कि यह मामला इस तरह का है कि गंगानगर जिले को अपने भरोसे पर आप छोड़ देंगे। निश्चित रूप से वहां दूसरा वातावरण बनेगा। आज जो 20-25% आबादी पंजाब के लोगों की है, ऐसे लोगों की है जिनका दिमाग दूसरी तरह का है। आज सरे आम अखबारों में प्रचार होता है कि पानी हम तब छोड़ेंगे हरीके पत्तन से, जब पंजाब के साथ बातचीत होगी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : तो निश्चित तौर से होनी चाहिए। इस मामले की गम्भीरता के राजस्थान के दो क्षेत्र हैं दोनों मेरे हैं, भाखड़ा और गंग कैनाल। भाखड़ा में उन्होंने यह लागू कर रखा है कि हम उसका लेवल नहीं बढ़ने देंगे, पानी का नहीं बढ़ने देंगे लेवल। हमारा पानी राजस्थान कैनाल का और पंजाब के अफसर हमको निर्देश दें कि उसका लेवल साढे आठ या आठ फीट रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये। आपका प्रस्ताव था। गवर्नमेण्ट में जानकारी के लिए भेजा हुआ है आलरेडी।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जिसे सरकार में आपने भेजा है उस सरकार को मेरे सामने कहा नहीं। जो स्थिति गंगानगर जिले की है, आज बारिश तो हुई नहीं। हम समझते थे कि जब

(श्री हेतराम बेनीवाल)

भैरोंसिहजी राज में होंगे तो बारिश होगी। गंगानगर जिले पर एक बून्द बारिश नहीं हुई। पूरा गंगानगर जिला सूखा है और नहरों की यह स्थिति है कि वहां 27 सौ के बजाए 18 सौ क्यूसेक नहर में पानी चल रहा है। हम उसको देख रहे हैं। मेरी राजस्थान सरकार से एक राय है कि हम जिस तरह से सब्सिडी के मामले में प्रस्ताव पास कर रहे हैं, आज हाउस में एक प्रस्ताव लें कि उन नहरों का डाइवर्शन हम चालू करेंगे। हमारे इन्जीनियर्स सक्षम हैं कि चलती हुई नहर में, उसको बिना पंजाब के अफसरों की आज्ञा के शुरु कर सकते हैं। हम अपनी पुलिस को खड़ा करें, प्रोटेक्शन दें और अपने इन्जीनियर्स द्वारा उस नहर के चैनल को शुरु करवा के हमारी राजस्थान कैनाल से पानी लें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं निवेदन करूंगा कि जहां हम साढ़े आठ फीट पानी छोड़ते हैं अगर पंजाब का अधिकारी साढ़े नौ फीट नहीं करने देता, हम उसमें पानी चलायें और पुलिस को भेज कर अपनी रक्षा करें। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को चाहिएं कि गंगानगर जिले के 25 लाख लोगों के दिमाग में जो एक बहुत बड़ी बात पैदा हो रही है कि पता नहीं हम इस सरकार के होते हुए किसी तरह की सुविधा कभी पा सकेंगे या नहीं। यही हालत रहेगी कि हमारे 30 करोड़ रुपये, मैं एक और निवेदन करूं आपसे, यह 30 करोड़ रुपये आज भी हैं।

एक माननीय सदस्य : 20 लगा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : 20 लगा है तो लगा है, साहब। क्या किया 20 लगा के? धूल में चला गया 20। यह नहर चल रही है 12 साल से, क्योंकि इसके बाद राजस्थान कैनाल में आगे नहर बन जायेगी। यह 12 साल में जब 5 साल गये, डेढ़ साल तो यह जो....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये, बेनीवाल साहब।

श्री हेतराम बेनीवाल : इनके आश्वासन पर चले गये और तीन साल उसका निर्माण।

श्री उपाध्यक्ष : आपको जो भी पाइन्ट हाइलाईट करने थे, सारे गवर्नमेण्ट ने सुन लिये हैं। बिराजिये आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : गवर्नमेण्ट इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं, अपना वक्तव्य दे। गवर्नमेण्ट की क्या नीति है?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये अब।

श्री हेतराम बेनीवाल : क्या वह बनायेगी? क्या राजस्थान सरकार गंगानगर जिले के किसानों की, सरकार तो कहे कुछ। मैंने स्पष्ट कर दिया। सरकार गूंगी बैठी है।

एक माननीय सदस्य : डेढ़ साल में न साइफन बनाती है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यह चाहता हूं कि हमारा इन्जीनियर साइफन को चालू कर सकता है। क्या जरूरत है पंजाब के पीछे पड़ने की हमें?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये। नेता महोदय बोल रहे हैं, कृपया बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की है वह वास्तव में सही है। हमने लगभग 30 करोड़ रुपया खर्च किया इस लिंक कैनाल को बनाकर और गंग नहर की मरम्मत करा कर। 28 सौ क्यूसेक, 27 सौ क्यूसेक की जो इसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार इसमें पानी का प्रवाह हो, इसको व्यवस्था की जाए। यह मामला आज का नहीं, कई वर्षों से चल रहा है। माननीय सदस्य को जानकारी है कि इस सारे मामले को लेकर मैंने कई बार पंजाब के गवर्नर से और कई बार हिन्दुस्तान के मुख्यमंत्री से चर्चा की।

श्री हेतराम बेनीवाल : हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, प्रधानमंत्री से इसकी चर्चा की है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अब आप यह कहने वाले हैं कि हम देख लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस आदमी की जितनी अक्ल है उतनी ही बात करेगा।

डा. हरिसिंह : आपकी अक्ल का मेरे को पूरा अंदाज है इसलिए मैंने यह आपके पास किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस आदमी की जितनी बुद्धि है उसके बाहर वह सोच ही नहीं सकता। इस मसले के अन्दर, जो बहुत अहम् उठाया है उसको आप हल्केपन पर ले रहे हैं इससे आप अपना अन्दाज लगा लीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डाक्टर साहब को तो टीका लगाने का पता है और क्या है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रधान मंत्री से मैंने बात की, विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब से। एक पत्र भी लिखा और बात की। उन्होंने कृपया पूर्वक उसी समय मेरे सामने पंजाब के गवर्नर को टेलीफोन किया और यह भी कहा कि आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस कैनाल को खोलने से राजस्थान गंग कैनाल की मरम्मत हो जाएगी और गंग कैनाल पूरी कैपेसिटी में चलेगी। कई दिनों तक हमने अपने अधिकारियों को भेजा। उसका कोई हल नहीं निकला। उसके बाद में प्रधान मंत्री जी आये। उन्होंने मेरे सामने राज्यपाल को बुलाकर यह कहा कि इस मामले को ज्यादा विचाराधीन नहीं रखना है। राजस्थान सरकार के पैसे खर्च हो गये और राजस्थान को इसी प्रकार की सुविधा दी जाए ताकि गंग कैनाल का निर्माण हो सके और गंग कैनाल को अपनी पूरी कैपेसिटी के हिसाब से पानी का प्रवाह होकर किसानों को पानी मिल सके। मैंने एक पत्र फिर दिया और मुझे अफसोस है कि पंजाब के राज्यपाल ने जो उसका जवाब दिया उसका उत्तर मैंने आज से 15 दिन पहले दिया है। उन्होंने इस लिंक कैनाल का मामला 1984 के एग्रीमेण्ट के साथ जोड़ा है और यह शर्त लगाई है कि 1984 का समझौता, अगर राजस्थान सरकार उससे बैक आउट करती है तो हम लिंक कैनाल का यह मसला तय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करेंगे। हालांकि 1984 के या 1981 के समझौते से उसका कोई लेना-देन नहीं है। यह एक बहुत डिफरेण्ट क्वेश्चन है। लेकिन उन्होंने जोड़कर भेजा है और अपना दबाव डालने की कोशिश की है कि पंजाब सरकार 1984 के समझौते पर एकतरफा इसको वापिस लेना चाहती है। राजस्थान सरकार इस समझौते से अपने-आपको अलग करे तब जाकर पानी हम देंगे।

मैंने इस सम्बन्ध में हाल ही में गवर्नर और प्रधान मंत्रीजी को भी चिट्ठी लिखी है और मैं समझता हूं कि 13 या 14 तारीख को प्रधानमंत्री से इस विषय पर बात भी होगी। उसी समय, मैं जो कुछ भी करा सकता हूं, जो कुछ भी हो सकता है, वह मैं कराने की कोशिश करूंगा। जहां तक बेनीवाल साहब ने यह कहा कि हम अपनी पुलिस को भेजें और वहां पर अपने इन्जीनियर्स को भेजकर उस लिंक को तुड़वा दें, मैं समझता हूं आप आज की परिस्थितियों का विचार करें। क्या राजस्थान की पुलिस के पंजाब के अफसर....

श्री हेतराम बेनीवाल : पंजाब में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह तो हरियाणा में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन इस तरह की कन्ट्रोवर्सी उस समय शुरू करनी चाहिए या नहीं कि हम अपनी पुलिस के बल पर इस प्रकार का काम शुरू करें। आप खुद ही गम्भीरता से विचार करलें, उसके क्या परिणाम निकलेंगे। पहले मैं कोशिश यह करूंगा कि आसानी से यह मामला तय हो जाए। अब नये गवर्नर आये हैं। पुराने गवर्नर मल्होत्रा ने यह चिट्ठी लिखी थी। इन गवर्नर साहब से भी मिलूंगा और मिलने के बाद, मैं समझता हूं कि भारत सरकार के दबाव व सहयोग से इस सारी स्थिति को निपटाने की कोशिश करूंगा। आपको जितनी चिन्ता है उतनी मुझे है। हमने 30 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गग कैनाल पर कि पूरा पानी नहीं बहता वह पानी पूरा बहे। इस सम्बन्ध में पुलिस और फौज की कार्यवाही के अतिरिक्त जितना भी मैं अपने स्तर पर कार्यवाही कर सकता हूं, निश्चित रूप से करूंगा।

गंगानगर जिले की फसल को पंजाब द्वारा पानी न दिये जाने की समस्या से उत्पन्न स्थिति

श्री केदारनाथ शर्मा : इसमें निवेदन यह है कि 1984 के एग्रीमेंट की बात कही है। पंजाब भी उसमें पार्टी था इसलिये कही है। सरहिन्द फीडर की बंदी चाहते हैं हम तो और एक इन्दिरागांधी नहर की बंदी चाहते हैं। 15 दिन वहां बंदी- और 15 दिन यहां बंदी। हरियाणा में टेरीटरी में अपना कम्पलीट हो गया। तो जो लाइन डाइवर्शन है जिससे सरहिन्द को जोड़ना है और राजस्थान कैनाल को जोड़ना है वह झगड़ा है। इसमें 1984 तो आता नहीं है। आज तो, खैर, आपने प्रयास किये, मगर इसके ऊपर स्टेटमेंट आ जाय। मान्यवर, यह ऐसा इम्पार्टेण्ट सवाल है, इन्टर स्टेट मसला है, 1981 का भी एग्रीमेंट आ सकता है, 1984 का एग्रीमेंट भी आ सकता है। जब से भाखरा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन की हत्या हुई है, पंजाब में किसा

(श्री केदारनाथ शर्मा)

राज्यपाल की हिम्मत नहीं है कि वह अपने आप कोई इस बंधी को कर दे या कोई फैसला कर दे। इसके लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट की इन्टरवेन्शन चाहिये। आप प्रयास कर रहे हो, इसमें स्टेटमेंट आ जाय ताकि हम सारे, क्योंकि आपका पक्ष हमारा पक्ष एक ही है, स्टेटमेंट आने के बाद हम कोई रिजोल्यूशन पास कर दें। आप भी जाओगे सेन्टर में तो आपको मदद मिलेगी, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं, इस मामले को राजनैतिक आधार पर तोलें नहीं, यह मामला बहुत संकटपूर्ण बना हुआ है। 1984 का एग्रीमेंट पानी के बंटवारे का नहीं है, यह बिजली के बंटवारे का है। बिजली के बंटवारे के उस समझौते से वे बैक आउट करना चाहते हैं और बैक आउट करके राजस्थान पर दबाव डालना चाहते हैं कि पंजाब ने जिस तरह से बैक आउट कर दिया उस तरह से राजस्थान को भी बैक आउट करना चाहिये। प्रस्ताव की जगह मैं कांग्रेस पार्टी के नेता से, आप सब लोगों से निवेदन कर दूंगा कि इस हाउस की तरफ से एक रिप्रेजेण्टेटिव बॉडी बना कर चार पांच आदमियों की, प्रधान मन्त्रीजी से मिले और मिल कर इस समस्या का समाधान करने के लिये उनसे आग्रह करें, यह ज्यादा अच्छा होगा। केवल प्रस्ताव पास करने से नहीं होगा। जिस समय भी देवपुराजी मंजूर करें, आप मंजूर करें, प्रधान मन्त्रीजी से मैं समय ले लेता हूं, हम सब चलें और इस समस्या का समाधान कराने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रो. केदारनाथ।

श्री केदारनाथ शर्मा : मान्यवर, मैंने जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया था, मौजूदा मंत्रिमंडल में मतभेद जितना पैदा हो गया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या असर पहुंचा, हमारी जनरल पब्लिक लाइफ पर क्या असर पहुंचा, जो मौजूदा सरकार की छवि है, इमेज है आम जनता की निगाह में, उस छवि पर क्या असर पहुंचा, मैं इस इश्यू को पालिटिकलाइज नहीं करना चाहता, ना मोटिव इम्प्यूट करना चाहता हूं। मैं यह भी, मान्यवर, नहीं कहना चाहता कि जो डिफरेंस हुआ है इन माननीय सदस्यों द्वारा, कोई मैनोवरिंग की उनकी इन्टेंशन नहीं है और कोई मैनुपुलेशन की इटेंशन नहीं है, यह मैं बात नहीं कहता। मैं तो इसलिये कहना चाहता हूं कि यह एपीसोड सिंगल आउट ना कीजिये आप। यह ओवर नाइट में पैदा नहीं हुआ है एपीसोड, मिस्टर भाटी का। इसके पीछे कोई बैकग्राउण्ड है। अच्छा है, टीम के रूप में आप चलो, कोहेजिव पार्टी के रूप में चलो, कलेक्टिव, आपकी रेस्पांसिबिलिटी भी चले ताकि राजस्थान में सरकार उसके गुड्स डिलीवर करे, मेरी इन्टेन्शन यहां तक है।

मान्यवर, इस एपीसोड के पीछे क्या बात है? भाटीजी ने अकाल की बात कही। आज से नहीं है, अकाल पिछले साल भी बीकानेर में रहा। चारे के डिपो नहीं खोले गये, पानी पीने की व्यवस्था नहीं की गई। राजस्थान कैनाल का जो सैकिण्ड फेज है हमारा, जैसलमेर में आयेगी, जमीन का अलाटमेंट होगा, वह आज का इश्यू नहीं है, वह बहुत पुराना इश्यू है। ये दोनों इश्यू

(श्री केदारनाथ शर्मा)

लेकर भाटीजी ने अपना इस्तीफा दिया, ऐसी अखबारों में चर्चा हुई। अखबारों में भी चर्चा हुई, पांच दिन के अखबार आप पढ़ोगे तो हैड लाइन कवर की हैं, एडीटोरियल्स आये हैं और दूसरे सोर्सेज से मालूम पड़ा। मान्यवर, केवल इनके क्लोज्ड डोर चैम्बर्स तक सीमित रहता यह डिफरेंस, उसमें दखल देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्लोज्ड डोर चैम्बर्स में। लेकिन यह सरफेस पर आ गया, आम लोगों में चर्चा का विषय बन गया, सरकार की छवि का सवाल आ गया, It has taken high toll of the morale of the administration. जब से नई सरकार केन्द्र में आयी तब से अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई। वे समझते हैं कब राष्ट्रपतिजी आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करें। राज्य सरकार जो बहुमत हो उसको भंग कर सकते हैं वे। यह अनिश्चितता तो है। आप जानते हो ब्यूरोक्रेसी को कब मौका मिलता है, जब देखते हैं कि अनसरटेनिटी पैदा हो गई। तो आपके इस एपीसोड से यह भी पैदा हो गई। मैं यह मान कर चलता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी काम्पीटेन्ट हैं। मगर इसके पीछे, मैं मानता हूं, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनको फ्री प्ले करने का मौका नहीं दिया गया है। जो उनके नीचे आफिशियल्स हैं वे इम्पलीमेंटेशन में मंत्री की बात को नहीं मानते, कोई इनहेरेंट उसके आगे वह इरीटेंट्स पैदा करते हैं, कोई इमपेडीमेंट्स पैदा करते हैं ताकि मंत्री की छवि नहीं बन पाये। मैं समझता हूं कि अखबारों में यह बात छपी है।

तीसरी बात, कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री जी, आपने जो क्राइसेज पैदा हुआ उसे डिफ्यूज कर दिया, जो क्लीवेज पैदा हो गया उसको भी आपने कुछ कम कर दिया। अब कोई कहता है, साहब, यह तो चाय के प्याले में क्या आ गया, तूफान आ गया। कोई कहता है much ado about nothing. थी कुछ नहीं और बढ़ा दिया गया। अखबारों में इसको ब्लोन आउट आफ प्रपोर्शन कर दिया, यह मैं मान सकता हूं। जो इसको अहमियत देनी चाहिये थी उससे ज्यादा दे दी अखबारों ने, यह भी मानता हूं। मगर हमारे गृह मंत्रीजी 6 तारीख को जब बैठे हैं, नाश्ता लग रहा है इनके आगे, इनकी वाइफ आती है कि नाश्ता कर लो, बड़ा समचुअस नाश्ता है। कहते हैं, मुझे अभी नहीं नाश्ता करना, मुझे हाट लाइन पर बात करनी है मुख्य मंत्रीजी से। और मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं कलकत्ता में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : हाट लाइन से नाश्ता कर रहे थे कलकत्ता से।

श्री केदारनाथ शर्मा : मुख्य मंत्री बैठे वहां इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को इन्सपायर कर रहे हैं कि जाओ राजस्थान में, बिजली फ्री पानी फ्री और लोन भी देंगे, इन्ट्रेस्ट फ्री देंगे पांच साल तक, सारे यहां के जो दरवाजे थे वे खोल दिये, मार्केट इकानामी कर दी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने, मल्टीनेशनल्स के सारे दरवाजे खोल दिये हमारे, इक्विटी शेयर बढ़ा दिये, आओ आप। इतने में ही अखबार आपके सामने आ गया कि मंत्रिमंडल में संकट। उन्होंने कहा, भैया, माननीय मुख्य मंत्रीजी,

(श्री केदारनाथ शर्मा)

आप घर तो संभालो, हमें आप क्या दावत दे रहे हो। तो, बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा इसका।

तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि यह सीरियलाइज्ड डिस्प्यूट पैदा हुआ था एपीसोड के पीछे, जिसे सीरियलाइज्ड डिस्प्यूट कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वह जो गुस्सा था, जो सिमर करता था उसमें, विस्फोट हो गया इस एपीसोड के साथ।

मान्यवर, ये भाटी और शेखावत, हमारे बीकानेर स्टेट में कहते हैं इनकी पुरानी, हिस्टोरिकल राइवलरी है। पुराने जो राजा-रजवाड़ों के झगड़े हुआ करते थे, इन दोनों कौमों में आपस के झगड़े रहते थे, अब भाटीजी ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, यह भी पता नहीं। इस्तीफा किसको दिया, यह भी पता नहीं। बयानबाजी दोनों तरफ से आयी आपकी बयानबाजी नहीं आयी, हमारी ओर से बयानबाजी नहीं आयी बी. जे. पी. की तरफ से नहीं आयी, फिर यह बयानबाजी की किसने? किसने लीक आउट हुई यह चीज? अब केबिनेट के अन्दर जब थोड़ा-सा मन यह उठा कि हमारे आपके मन-विचार नहीं मिलते तो मुख्य मंत्रीजी बड़े होशियार आदमी थे, कहते हैं देखो, मिड टर्म इलेक्शन करवा दूंगा। चुप हो गये। मैं भी नहीं चाहता, देखिये आज। आपने ठीक बात कही, क्योंकि वह मिड टर्म इलेक्शन कोई नहीं चाहता। सेन्टर की सरकार आज अल्पमत में है, हम नहीं चाहते कि मिड टर्म इलेक्शन हों। इसलिये मैं कह रहा था कि ऐसी चीजें, आइन्दा एपीसोड पैदा नहीं हों। मंत्री को फ्री प्ले दीजिये आप, मंत्री अपने पोर्टफोलियों में, अपने डिपार्टमेंट में पूरा काम करें। पालिसी मैटर आप तय करें, एडमिनिस्ट्रेशन का काम वे करें, इम्पलीमेंटेशन का काम वे करें। टीम के रूप में काम करोगे तो राजस्थान का जो पीरियड बचा हुआ है सरकार का, मैं नहीं कहता कितना, है, आप अच्छी तरह से, कोहेसिव, कलेक्टिव फैसले करोगे, राजस्थान का भला होगा। इस इंटेन्शन के साथ मैंने यह प्रस्ताव मूव किया था।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम... (व्यवधान) चर्चा समाप्त हुई इस विषय की चर्चा समाप्त हुई।

श्री नत्थी सिंह : यह बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान में चर्चा तो अब खड़ी हुई है, चर्चा कैसे समाप्त हुई?

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई जनरल डिबेट का विषय नहीं था। जनरल डिबेट का सवाल नहीं था। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत, श्री मदन दिलावर। (व्यवधान) कृपया विराजें। यह जनरल डिबेट नहीं थी। कृपया बैठें। जनरल डिबेट अलाउ नहीं होगी। माननीय केदारनाथ की बातपर जनरल डिबेट लागू नहीं होगी। माननीय मदन दिलावर जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं। आप बैठिये। क्या पाइन्ट आफ आर्डर है?

डा. चन्द्रभान : प्रो. केदार ने मंत्रियों के बारे में सवाल रखा, उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

(1.00 मध्यान्ह)

डा. चन्द्रभान : मैं एक स्पष्टीकरण आपसे चाहूंगा। इस सदन में दो ऐसे मंत्री भी हैं जिनके बारे में यह भी साफ नहीं है कि वह कौन से दल के सदस्य हैं, बी. जे. पी. के हैं या जनता दल (दि.) के हैं, जिनके खिलाफ मैंने और मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रिट याचिका दर्ज की है।

श्री उपाध्यक्ष : यह पोइंट ग्राफ ग्रार्डर नहीं बनता, कृपया बिराजिए।

डा. चन्द्रभान : यह सदन के सदस्य हैं या नहीं हैं और ऐसे सदस्य मंत्री बने हुए हैं। कैसे सरकार की स्टेबिलिटी पर जनता को यकीन होगा जिन लोगों को यह भी नहीं मालूम कि कौन से दल के सदस्य हैं। यह सदन सदस्यों पर यकीन रखता है या नहीं और वह सरकार के मंत्री हैं यह कौन यकीन करेगा? जनता में बड़ा भ्रम बना हुआ है, आप इसका निराकरण कीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन हमारे विधान सभा के प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियमों और परम्पराओं से चलता है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जब अध्यक्ष महोदय, बिराजमान थे उस समय फर्टिलाइजर से संबंधित समस्या के समाधान करने के लिए कुछ मुद्दे उठे। एक माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव दिया था लेकिन सदन में 20 से 25 लोग उस पर बोले। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं यह पब्लिक इम्पार्टेंस का मैटर आया है और इस पर कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो आप उस परम्परा का निर्वहन करें जो अध्यक्षजी ने अभी 10 मिनट पहले डाली है। आप दो तीन लोगों के विचार सुन लें। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बारे में जवाब देने के लिए खड़े हुए थे।

श्री उपाध्यक्ष : इसको ध्यान में रखा जाएगा। आप बोलिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है। राजस्थान में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है उससे राजस्थान की जनता भी भ्रम में है और माननीय सदस्य काफी भ्रमित है और यह समझ नहीं पा रहे हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से मंत्रिमण्डल की चर्चा अखबारों में आई और कैसा वातावरण बना। हमारे यहां पर छात्रों का आन्दोलन हुआ डाक्टरों और कर्मचारियों का आन्दोलन हुआ, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमने कभी मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का इस प्रकार का आन्दोलन नहीं देखा कि हम सचिवालय में नहीं जाएंगे जब तक मुख्यमन्त्री हमारी मांगें नहीं मानेंगे। बड़ा गम्भीर प्रश्न है।। मन्त्रिमण्डल के सदस्य अगर आन्दोलन करते हैं तो राजस्थान की जनता में बड़ी छवि बिगड़ती है। इसलिए,

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेता महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने या तो अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से कह दिया कि मैं कलकत्ता जा रहा हूं, तुम आन्दोलन करके, धमकी देकर बैठना ताकि मैं आकर ललित जी को दबा दूंगा। इससे हम बड़े भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम नेता महोदय कुछ इसका स्पष्टीकरण करें, क्या यह छवि बिगाड़ने का स्वयं मुख्य मंत्री जी काम कर रहे हैं या राजस्थान की ऐसी सरकार दिखाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि विपक्ष....

श्री यदुनाथ सिंह : सदन आहूत करने के बाद मंत्री जी को इस्तीफा हाउस में देना चाहिए था और यहां वापिस लेना चाहिए था। यह बाहर क्यों करवा रहे हैं आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल के संबंध में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष दोनों यह समझ रहे थे कि मंत्रिमण्डल टूट गया और अब हमारा मौका आने वाला है।

श्री नत्थी सिंह : हमारे को यह मुगालता नहीं है कि वह टूटने वाले हैं, यह वहम् नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि आपको जो निराशा हुई उसके प्रति तो मेरी सहानुभूति है....

श्री हीरालाल देवपुरा : यह कहते थे कि कुछ भ्रम डाल दिया जाय मंत्रिमण्डल में यह कह करके कि मैं नये चुनाव करवा दूं और भ्रम यह पैदा करना चाहते हैं जैसे कोई चुनाव कराने को तैयार हों तो दूसरी पार्टियों में भी भ्रम पैदा हो जाय। हमको कोई भ्रम पैदा नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आप कह रहे हैं, सब सही है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि, इस प्रसंग में आपको निराशा हुई उसके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है लेकिन, मैं इतना निवेदन कर दूं कि मंत्रिमण्डल में कोई मतभेद हो, मंत्रिमण्डल के सदस्यों में मतभेद हो, यह कोई राजनैतिक प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं है। मंत्रिमण्डल में कई बातों में विरोध होते हैं लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी से काम करने की प्रवृत्ति में किसी प्रकार की रोक नहीं आनी चाहिए।

श्री सुनील बिश्नोई : घर के मतभेद घर में रहने चाहिएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ज्यादा कहो मत। आपके घर में किस प्रकार के मतभेद चल रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता। आपके ग्रुप में भी कई ऐसे बैठे हैं जो नरसिंह राव के पक्ष में हैं और कई सोनिया गांधी के पक्ष में हैं। इसलिए घर की बात क्यों मुझसे कहलवाना चाहते हो ? मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप घर के मतभेद की बात करो तो आप में से कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि सोनिया गांधी को हिन्दुस्तान की प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए। और कोई दम हो तो खड़ा होकर बता दे।

(74)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह भी कह देंगे, वह बनने को तैयार हो जाय तो यह भी कह देंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह घर के विवाद न लें तो ज्यादा अच्छा है ।

डा. चन्द्रभान : अभी भाटी जी भी प्रजेण्ट नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभी मंत्री मेरे साथ हैं, भाटी जी चाहे बाहर हों या यहां हों । इसमें कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है । प्रोफेसर साहब ने कहा इस मामले को समाचार पत्रों ने आवश्यकता से ज्यादा उठा लिया, इससे शायद लोगों को आशा बन्धी होगी । तो एक प्रकार से समाचार पत्रों ने आपकी सेवा की है । पांच-चार दिन तक तो आपने आशा बना कर रखी और मेरे आने के बाद आप निराश हो गये । मुझे इसका दुःख है मुझे अगर पहले पता लगता कि आप इतने दुःखी होंगे तो मैं दो तीन दिन कलकत्ते ही रह जाता ताकि आपको आराम से बात करने का मौका मिलता ।

श्री केदारनाथ शर्मा : हम तो चुनाव से डर गये, साहब ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चुनाव से जब आप खुद कह रहे हैं कि मैं डरता हूं तो हमारे वाले भी फौलादी थोड़े ही हैं । सब लोग चुनाव से डरते हैं । जल्दी-जल्दी चुनाव कराना भी एक प्रकार से लोकतंत्र का उपहास है ।

श्री सम्पत सिंह : यह तो मूसल को ही बारिश में भीगने का डर नहीं होता ।

श्री हीरालाल देवपुरा : हथियार तो वही काम में लिया ना ? आपने कहा कि चुनाव से जब आप डर रहे हो तो हमारे लोग इतने फौलादी नहीं हैं कि उससे नहीं डरें । तो हथियार तो वही काम में लिया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देवपुरा जी, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा कि राजस्थान या हिन्दुस्तान में चुनाव हो, जो चुनाव की प्रक्रिया में विश्वास करता हो, और चुनाव होता रहे इस प्रकार की स्थिति में चलता हो । तो आप यह मत समझें कि यह समझदारी उधर ही है, यह समझदारी इधर भी है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं तो यही कह रहा हूं कि आपने कहा कि हमारे इधर के लोग फौलादी नहीं हैं, तो आपने भी उसी हथियार को काम में लिया जिससे यह दब जायं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हथियार का सवाल नहीं है । हर समझदार आदमी की मान्यता होगी कि बार-बार देश में चुनाव करा कर चुनाव का उपहास नहीं किया जाय । यह समझदारी की बात है, यह फौलादीपने की बात नहीं है । मैं समझता हूं इस दृष्टि से प्रोफेसर साहब ने कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी की बात कही । प्रोफेसर साहब दो बार मेरे साथ रह चुके हैं....

श्री केदारनाथ शर्मा : मैंने इस्तीफा वापिस नहीं लिया ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : प्रोफेसर साहब ने पूरा साथ कभी नहीं दिया आपका ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बहुत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

धोखे में हैं, प्रोफेसर साहब आज भी मेरे साथ हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : मैं इनके 25-30 साल से विरोध में साथ रहा हूं। तो साथ तो कैसे छूट जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा साथ नहीं छूट सकता यह मान कर चलें। अब प्रश्न यह है कि सरकार की छवि बिगड़ी, तो इन बातों से सरकार की छवि पर कोई असर नहीं होता। सब बच्चा-बच्चा जानता है इससे कोई मंत्रिमण्डल को खतरा नहीं है। आप लोग तो यहां तक भी कह गये, जनार्दनसिंह जी ने कहा....

डा. चन्द्रभान : कुछ मंत्रियों को काम करवाने हैं ट्रांसफर्स के आपसे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, ऐसे मंत्री नहीं हैं, वह मंत्री निकल गये। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी मंत्री ने सचिवालय जाने का बायकाट नहीं किया। प्रो. केदार साहब वहां तक पहुंच गये कि उनका नाश्ता हो रहा था। आपको बुलाया किसने था नाश्ते के समय ? यह नाश्ते तक पहुंच गये, मुझे डर लगता है और कहीं मत पहुंच जाना।

मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं न किसी प्रकार की फूट थी, न किसी प्रकार का किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया न किसी प्रकार का मुझे जवाब लेने की स्थिति बनी। मैंने पहले ही स्वीकार किया कि राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है। अगर राजनैतिक मतभेद नहीं हों तो सारे के सारे कोई मृतप्राय नहीं हैं जो जागरूक आदमी होगा वह अपनी विचारधारा रखेगा। वह विचारधारा बहुमत स्वीकार करता है या नहीं करता यह दूसरा प्रसंग आता है, लेकिन इसके कारण से कोई राजनैतिक छवि बिगड़ गई, प्रशासन के अन्दर एक प्रकार का भूकम्प सा आ गया, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आपने कहा कि सरकारी अधिकारी कहना नहीं मानते, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात कहना इस सारी स्थिति को हलका बनाने के बराबर है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : नेता महोदय, हम नहीं कह रहे हैं यह बात। आपके मंत्री ही कह रहे हैं कि हम तो मंत्री नहीं, संतरी ही रह गये हैं।

डा. चन्द्रभान : आपकी सरकार का मंत्री किसी अधिकारी के चांटा मारता है तो फिर अधिकारी में डिमोरलाइजेशन नहीं आयेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी तो आप देवीसिंहजी का पक्ष ले रहे थे, अब चांटा मारने की बात करने लग गये।

डा. चन्द्रभान : पक्ष किसी का नहीं ले रहा हूं। यहां मंत्रियों के चरित्र पर चर्चा हो रही है। पक्ष किसी का नहीं ले रहा हूं। न आपका ले रहे हैं, न आपके मंत्रियों का ले रहे हैं। लेकिन डिमोरलाइजेशन का सवाल है। अधिकारियों में डिमोरलाइजेशन की एक वजह यह भी है कि आपके मंत्रिमंडल के सदस्य उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : यह चांटा मारने वाली बात गलत है या सही है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी ने चांटा नहीं मारा और न सरकारी अधिकारियों में किसी प्रकार का डिमोरलाइजेशन है। इसके बारे में आप ज्यादा चिन्ता न करें....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : डिमोरलाइजेशन नहीं हुआ है, यह गलत है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह अखबारों में वैसे ही असत्य छापा जा रहा है, इसका आप खंडन कर दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आप अखबारों से पूछ लीजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : नहीं नहीं। अखबारों से नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। आप प्रजातन्त्र के प्रहरी हैं। माननीय देवीसिंहजी भाटी का बयान है कि उनको आप मनाने पहुंचे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सैनी साहब, बिराजिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : फिर आपने यह भी कहा है कि मैंने इन सबको मना लिया है, ठीक कर दिया है क्योंकि यू. आई. टी. का जो बंटवारा सरकार ने कर दिया है, सही बात है अव्यवस्था हो रही है, और इसके जिम्मेदार आपके यह दल बदलू और आप लोग हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष-महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल में न आने का कितना दुख होता है। एक बार सैनीजी को भी मैंने यहां उस दुख को प्रकट करते हुए देखा है। यह जगह ही ऐसी है। इस जगह पर सबका मन रहता है और इसलिए अगर आपका मन विचलित हो रहा है तो विचार कर लीजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरी मदद करनी चाहिए थी आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि न तो किसी प्रकार की अनिश्चितता है, न सरकारी अधिकारियों में किसी प्रकार का डिमोरलाइजेशन है, न पार्टी में किसी प्रकार की फूट है और जिस आधार पर प्रोफेसर साहब ने जो बात कही, मैं समझता हूं वह स्वयं ही विचार कर लेंगे कि यह चर्चा कितनी सार्थक हो सकती है। मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि हम दोनों दल एक हैं और पांच वर्ष तक राजस्थान में शासन करेंगे। अब आप यह उम्मीद करें कि केन्द्रीय सरकार इस सरकार को बरखास्त कर दे, मैं ऐसा समझता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को अच्छी तरह से याद होगा कि सन् 1989 में जिस समय चुनाव हुए थे...(व्यवधान) आप नहीं मानते कि बरखास्त नहीं करना चाहिए। अभी मैं निवेदन कर दूं कि लोकतन्त्र में कोई एक व्यवस्था है लोक सभा में, अभी कहा जनार्दनसिंह जी ने...

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैंने तो मंत्री और संतरी वाली बात कही थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप इस सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को दिल्ली के दबाव से बरखास्त कराने के पक्ष में नहीं हैं। ठीक है. खत्म हुआ मामला।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई। नहीं तो इसका एण्ड नहीं है।

श्री जुबेर खान : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। जो रिलेटेड था। कल राजस्थान पत्रिका में छपा है, एक राज्य मंत्री ने मुख्य सचिव के खिलाफ यह बयान दिया है कि उन्होंने बीकानेर में अकाल के बारे में जो बयान दिया है, वह गैर जिम्मेदाराना है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। इस पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मैं नियम 295 के तहत नाम लूंगा। (व्यवधान) कृपया बिराजिये।

माननीय मदन दिलावर जी। आपने दिया है तो उसमें आया नहीं है। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव हमने करीब 50 सदस्यों ने आज लगाया था। आसन से व्यवस्था हुई थी कि.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।-माननीय चन्द्रभान जी कृपया बिराजिये ?

श्री जुबेर खान : राज्य के मुख्य सचिव ने कहा है कि बीकानेर में अकाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सभी एक साथ बोलेंगे तो कोई व्यवस्था नहीं होगी। न तो सुना जा सकेगा और न व्यवस्था हो सकेगी। कृपया बिराजिये।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बड़े नम्र शब्दों में निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार के मंत्री जो कार्यक्रम और नीतियां बनाते हैं, उसको मंत्री कार्यान्वित नहीं करते। प्रदेश की जनता के विकास और उत्थान के लिए ब्यूरोक्रेसी काम करती है जिसका हैड होता है मुख्य सचिव। और उसके बारे में सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह का वक्तव्य देता है जो लीडिंग अखबारों में छपता है तो इस तरह से जनता और ब्यूरोक्रेसी के बीच में किस तरह का वातावरण बनेगा ? आज सचिवालय के ब्यूरोक्रेटस में, वहां के अधिकारियों में यह बात है कि मुख्य सचिव ने कोई बयान दिया और राज्य के मंत्री कुछ बयान दे रहे हैं, जबकि आज तक इस तरह का खंडन नहीं आया। मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं। आपके आसन से यह व्यवस्था आयी है कि इसकी सरकार से जांच करायेंगे। क्या जांच करायेंगे ? क्या जवाब मांगेंगे ? मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं, इन्होंने कोई खंडन नहीं किया है। मुख्य सचिव का बयान अखबारों में मौजूद है, मंत्री महोदय बतायें कि अगर मुख्य सचिव ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है तो उसको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और अगर मंत्री महोदय ने गलत बयान दिया है और अपनी जिम्दारी को अंजाम नहीं दिया है तो मैं मानता हूं कि ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जुबेर खान : मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री महोदय मौजूद हैं, इस वस्तुस्थिति को स्पष्ट कराया जाय कि मन्त्री महोदय ने यह बात कही है या नहीं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । व्यवस्था के तहत हर जानकारी सदन को दी जाती है, इसकी भी जानकारी दी जायेगी ।

डा. चन्द्रभान : यह सदन जानना चाहता है कि मंत्रीजी ने बयान दिया या नहीं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आयुर्वेद मंत्री ने बीकानेर में क्या कहा हम यह जानना चाहते हैं । मन्त्री महोदय मौजूद हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना ही निवेदन कर दूं, अभी सूचना मिली है । मैं मन्त्री महोदय की स्टेटमेण्ट भी देखूंगा । मुख्य सचिव ने क्या कहा, उसको भी देखूंगा यूं थोड़े ही होगा ।

श्री जुबेर खान : अखबारों में दे रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये । आप सुनना भी नहीं चाहते हैं ।

डा. चन्द्रभान : बयान दिया या नहीं स्टेटमेण्ट दिया या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप नेता महोदय को सुनना ही नहीं चाहते हैं । डाक्टर चन्द्रभान जी, कृपया बिराजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई मन्त्री वक्तव्य दे या नहीं दे, प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि जो अखबारों में छपा है, उस छपी हुई बात की मुझे जानकारी तो करने दो । पांच मिनट में नहीं होगा, या एक दिन में नहीं होगा तो कोई भूकम्प आ जायेगा ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस एडजोर्नमेण्ट मोशन के जरिये मुझे जो सूचना देने की बात कही है, मैं हाउस को सूचित करूंगा कि किसने क्या वक्तव्य दिया था और क्या खंडन किया है । इस बात को लेकर सबमें असंतोष हो गया, तह असंतोष यूं ही नहीं फैसला है ।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है ।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर आज जानकारी आ जाय । यह अकाल से जुड़ा हुआ मसला है । जनता में भ्रम पैदा हो गया कि मुख्य सचिव कहता है कि अकाल नहीं है और मंत्री कहते है कि अकाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चन्द्रभानजी, माननीय नेता महोदय ने अभी अभी आपको सारी बात स्पष्ट की है । आपको जानकारी देंगे । आप बिराजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्षजी, सबसे बड़ी समस्या बिजली की है । उनके पैसे जमा हो गये ..(व्यवधान) बहुत ही गम्भीर मसला है । आपने इस के बारे में क्य **डिसिजन लिया है ? माननीय** उपाध्यक्ष **महोदय, बिजली** के पैसे जमा **हो गये** । यह गम्भीर मसला है ।...

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बिजली का मामला बड़ा गम्भीर है। पहले आप मुझे इसके लिये समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, इसके लिये दिन तय किया हुआ है उस दिन बहस में...

श्री रामस्वरूप मीणा : बिजली के बारे में किसानों के पैसे जमा हो गये...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बैठे हुए हैं। नोटिस जारी नहीं किये जा रहे हैं किसान परेशान है। पैसे जमा कर लिये फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान) श्री मदन दिलावर। आप शुरू करिये।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

कोटा कालेज इंजीनियरिंग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा इंजीनियरिंग कालेज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। माह अप्रैल में सात व्यक्तियों की फर्जी अनुमति 9-5-91 अर्थात मई में मांगी गई जबकि इन नामों के व्यक्ति भर्ती ही नहीं किये गये, न ही लगाये गये। इस भुगतान में रजिस्ट्रार ने लिखित रूप से आपत्ति प्रकट की थी परन्तु रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति का फायदा उठा कर प्राचार्य महोदय ने इनका फर्जी तरीके से भुगतान करवा दिया।

इसी प्रकार इंजीनियरिंग कालेज परिसर में वर्कशाप व केन्टीन के कोई टेण्डर नहीं किये गये जिनकी कीमत लाखों में है, जबकि दस हजार के ऊपर के काम के लिये अखबारों में टेण्डर प्रकाशित किया जाता है। लाखों के टेण्डर तो मन माने ढंग से सेक्शन आफिसर के लड़के को दिया गया, जिनमें कोई भी टेक्नीकली व फाइनेन्शियली अनुमति नहीं ली गयी थी, उसके बावजूद भी डेढ़ गुना खर्च किया गया और उसका कोई एकाउण्ट व रेकार्ड भी नहीं रखा गया। लगाये गये रोड भी घटिया स्तर के हैं, सारा मैटीरियल निम्न स्तर का लगाया गया है। इससे सरकार का हजारों रुपयों का नुकसान किया गया है।

11-1-91 को गैस्ट हाउस के लिए फर्नीचर खरीदने के लिये आर्डर जारी किया गया जो कि अनावश्यक था। खरीद के लिये आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी। अवैधानिक रूप से गठित तीन व्यक्तियों की कमेटी ने अपने परिचित व्यक्तियों से बहुत अधिक मूल्यों पर खरीदे।

17-12-90 को आयी आडिट पार्टी ने दस्तावेज मांगे थे परन्तु नियुक्तियों व

श्री मदन दिलावर)

विभिन्न मदों में हुए खर्च का लेखा जोखा कागजात, समिति को प्रस्तुत नहीं किये, जिसके लिये ग्राडिट पार्टी ने प्रतिकूल टिप्पणी लिखी थी। और उसमें जबर्दस्त हेराफेरी की गयी, यह भी उन्होंने लिखा, था।

सोलर वाटर हीटर खरीदा गया और आज तक उसका उपयोग कालेज में नहीं हुआ। यह हीटर 22-2-89 के आदेश पर 15-3-89 को खरीदा गया। इसकी कुल कीमत 57,760 रुपया थी। आज तक इसको क्यों नहीं लगाया गया जबकि चीफ वार्डन थर्मल इसके एक्सपर्ट हैं। किसकी सलाह से इसको खरीदा गया ? इस तरह से कालेज को हजारों रुपयों का नुकसान हुआ है।

प्राचार्य की कार, जो कि नई खरीदी गयी थी, पर हजारों रुपये के अनावश्यक साजोसामान अनियमित तरीके से लगाये गये, जिनकी कीमत 70 हजार रुपये से भी ऊपर है। इसी तरह से स्टोर आफिसर द्वारा अनावश्यक वस्तुओं की अनियमित तरीके से खरीद की गयी। कालेज में वृक्षारोपण के नाम पर लाखों रुपये फर्जी वृक्षारोपण दिखा कर उठा लिये गये। इसका रिकार्ड फर्जी तरीके से तैयार किया गया जबकि वहां बहुत कम पौधे हैं।

प्राचार्य ने मनमाने ढंग से एस्टेट इंजीनियर एस. आर. गुप्ता को ए. ई. एन. के पद से फर्जी तरीके से एक्स. ईएन. पर नियुक्त किया जिसकी चेयरमैन साहब से भी कोई अनुमति नहीं ली गयी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्तजी।

ग्रामीण क्षेत्र में अस्पतालों, स्कूलों एवं कार्यालयों में सफाई के सम्बन्ध में

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम संख्या 295 के तहत प्रश्न उठा रहा हूं।

ग्रामीण क्षेत्र में करीब-करीब सभी चिकित्सालयों, विद्यालयों, बैंकों, पशु चिकित्सालयों में सफाई कर्मचारी केवल तीन रुपये रोज पर रखे जा रहे हैं। यह सही है कि यह धनराशि उन्हें दैनिक वेतन के आधार पर नहीं होकर पार्ट टाइम अथवा अस्थाई कर्मचारी के आधार पर दी जाती है परन्तु करीब-करीब सभी जगह, और खास तौर से अस्पतालों में, यह कर्मचारी महिलाएं होती हैं जो दिन भर काम करती हैं और पूरे माह के पश्चात् इस प्रकार के कठिन कार्य जिसे अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं करना चाहते, उसके लिये पूरे महीने के अन्दर केवल 90 रुपये दिये जाय, यह गरीब वर्ग के लोगों का भारी शोषण है। क्यों न राज्य सरकार यह कार्य अपने स्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से करवा लेती ? यदि यह सम्भव नहीं है तो फिर सफाई कर्मचारी को कम से कम न्यूनतम दैनिक मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिये। सरकार के पास बजट में धनराशि का अभाव हो सकता है परन्तु यह एक अहम प्रश्न है जिसे बजट के प्रावधान के कारण नहीं बदलना चाहिये। आज इस महंगाई के दौरान स्वीपर का कार्य करने वाली महिला, जो गांव के चिकित्सालयों में पूरे दिन भर काम करती है, को 90 रुपया मिलता है। क्या इससे गुजारा हो सकता

(श्री रमाकान्त शर्मा)

है ? राज्य सरकार के इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये । इस ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान दिला रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राम-नारायणजी वर्मा ।

नैनवा में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र नैनवा में पेयजल समस्या की तरफ और दूसरे निर्माण कार्यों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नैनवा में भूमिगत जल स्तर में काफी गिरावट आ चुकी है । गर्मी के दिनों में नैनवा पेयजल समस्या से बुरी तरह ग्रसित रहता है । नैनवा शहर में लगवां छोटा एवं बड़ा नाम के दो पुराने तालाब हैं । किन्तु वर्षों में बरसात के कम होने से यह तालाब पूरे नहीं भर सके हैं । इसका मुख्य कारण बरसाती पानी की आवक नहीं होना रहा है । इस हेतु 15 माह पूर्व सन् 1990 में भावपुरा फीडर नाम से एक चैनल का कार्य अकाल राहत के तहत सिचाई विभाग के माध्यम से प्रारम्भ किया गया था किन्तु अकाल राहत कार्य कम समय चलने के कारण फीडर अधूरी रह गयी । उक्त फीडर का कार्य जनहित में अति आवश्यक है । क्योंकि इसके पूर्ण होने पर तालाब में पानी की आवक बढ़ सकेगी, व्यर्थ में बह कर निकलने वाले पानी से रजलावता, भावपुरा गांवों के खेतों में होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा । तालाब में पानी आने से नैनवा शहर के दक्षिणी तरफ से कम से कम 5 किलोमीटर तक बने हुए कुओं में पानी का जल स्तर बढ़ सकेगा जिससे अतिरिक्त सिंचाई सुविधा भी मिलेगी । भूमिगत जल स्रोतों में बढ़ोतरी हो सकेगी तथा नैनवा की पेयजल समस्या के समाधान में मदद मिलेगी ।

यदि उक्त कार्य अविलम्ब ही प्रारम्भ करवा दिया जावे तो नैनवा शहर के तालाब में इस वर्ष से ही पानी की आवक प्रारम्भ हो जावेगी । इस कार्य को एक साथ पूरा करवाया जाना भी आवश्यक नहीं है । अलग-अलग टुकड़ों में भी कार्य करवाया जा सकता है, जिससे एक साथ वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा ।

अतः जनहित एवं कार्य की महत्ता को देखते हुए सदन के समक्ष ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि भावपुरा फीडर के अधूरे कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रारम्भ किया जावे । धन्यवाद ।

सपोटरा में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सपोटरा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं ।

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा अधिकतर जंगल व पहाड़ी इलाका है । यहां पर आवागमन सुविधा नहीं के बराबर है । सपोटरा को जोड़ने के लिये मात्र 25 किलोमीटर सड़क कुडगांव से जाती है ।

(श्री प्रभुलाल पटेल)

आवागमन के अभाव में दस्यु गैंग हमेशा पनपती रहती हैं तथा विकास भी अवरुद्ध रहता है। सरकार दस्यु निवारण के लिये हर वर्ष लाखों रुपये खर्च करती है, दस्यु गैंगों का सफाया करने के लिए इस क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण भी कराने की स्वीकृति प्रदान की है, परन्तु वह अभी तक नहीं बन पायी है। उनको शीघ्र बनवाया जावे तथा इन सड़कों का निर्माण करवाना इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति व दस्यु समस्या एवं विकास को मद्दे नजर रखकर करवाना नितान्त आवश्यक है–

1. हाड़ोती से कैलादेवी।
2. ताजपुर से टअवारा वाया खिरखिड़ा, भरतून।
3. चैनपुर से गैरई।
4. सपोटरा से वारेल।
5. सपोटरा से अमरगढ़।
6. कैलादेवी से वारेल।

यदि राज्य सरकार ने इन सड़कों का निर्माण करवा दिया तो इस क्षेत्र की दस्यु समस्या हमेशा के लिये समाप्त हो जावेगी तथा इस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास भी होगा, क्षेत्र में शांति कायम हो जायेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बुलाकी दास कल्ला।

बीकानेर में रेलवे फाटकों से असुविधा

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत बीकानेर शहर के चार रेलवे फाटकों के कारण नागरिकों को होने वाली असुविधा एवं बड़ी रेल लाइन को शहर के बाहर निकालने के संबंध में, आपके सामने यह प्रस्ताव पढ़ रहा हूं।

बीकानेर शहर के मध्य चार रेलवे फाटक शहर को दो भागों में बांट देते हैं। ये फाटक दिन में करीब 50 से अधिक बार बन्द होते हैं। सरकारी दफ्तर बीकानेर का सबसे बड़ा पी. बी. एम. हास्पिटल मुख्य स्कूलें और महाविद्यालय, इन फाटकों के बंद रहने के कारण शहर के नागरिकों को इन स्थानों पर समय पर पहुंचने में अनावश्यक विलम्ब होता है। इन रेलवे फाटकों के बन्द होने के कारण से कई मर्तबा महिलाओं के प्रसव तक गिर जाते हैं एवं रोगियों के समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण असामयिक निधन हो जाते हैं।

फाटकों के बन्द होने से एक मोटे अनुमान के अनुसार 5542 मानव दिवसों का प्रतिदिन नुकसान होता है। पैट्रोल और डीजल का नुकसान वाहनों के खड़े-खड़े चालू रहने से होता है जो करीबन 1250 लीटर प्रतिदिन का है। यह नुकसान न केवल वाहन मालिकों को होता है बल्कि राष्ट्रीय नुकसान भी है क्योंकि इसके लिए

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

दुर्लभ विदेशी मुद्रा व्यय होती है। बीकानेर शहर के मास्टर प्लान में बड़ी रेलवे लाइन तथा मीटर गेज लाइन को बाहर ले जाने का प्रावधान रखा हुआ है। समय-समय पर इस मुद्दे को विधान सभा में, रेलवे मंत्री महोदय तथा मुख्यमंत्रीजी के स्तर पर उठाया गया है परन्तु पिछले डेढ़ वर्ष में इसके बारे में कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गयी है।

28--10--1989 को तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने रेलवे मंत्रीजी को एक पत्र लिखा था जिसमें राज्य सरकार द्वारा मीटर गेज लाइन शहर के बाहर ले जाने के लिए भूमि अधिगृहित कर रेलवे को देने का प्रस्ताव किया था। रेलवे द्वारा प्रारम्भिक अभियांत्रिकी कम ट्रेफिक सर्वेक्षण करवाया गया था जिसमें 4 एला-इनमेंट अलग-अलग तौर पर प्रस्तावित किये गये थे। उसके आधार पर रेलवे ने राज्य सरकार को एक पत्र दिया। जिसके अनुसार 26.61 करोड़ रुपये की लागत से मीटर गेज लाइन शहर के बाहर ले जाने की अनुमानित लागत का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया था। उस पर राज्य सरकार ने भूमि अधिगृहीत करने का आश्वासन दिया था।

रेलवे मंत्रीजी से समय-समय पर इस सम्बन्ध में मैं व्यक्तिगत तौर पर मिला हूं। उनके अनुसार राज्य सरकार इस प्रस्तावित लागत में यदि 50 प्रतिशत व्यय करने की जिम्मेदारी लेती है तो इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो सकता है।

श्रीमान्, बीकानेर शहर के इन चार रेलवे फाटकों के ऊपर यदि रोड ओवर ब्रिज बनाया जाय तो आज की लागत कम से कम 20 करोड़ की आयेगी जिसमें से 50 प्रतिशत निश्चित रूप से राज्य सरकार को व्यय करने होंगे। अभी वर्तमान में जो रोड ओवर ब्रिज बन रहा है उसमें 67 लाख रुपए रेलवे खर्च कर रहा है और दो करोड़ रुपया राज्य सरकार खर्च कर रही है। उसके अनुसार देखा जाय तो यह राशि करीब 16 करोड़ रुपए होगी, जो राज्य सरकार द्वारा देय होगी।

गत डेढ़ वर्षों से राज्य सरकार की उदासीनता के कारण यह कार्य, जो काफी गति पकड़ चुका था, उस पर विशेष कार्य-वाही नहीं हो पाई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गति जब पकड़ रहे थे तब क्या हुआ था ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप जाकर रानी बाजार में देख लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सारा देखा हुआ है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : रोड ओवर ब्रिज बन रहा था और जो पत्र दिया उसके आधार पर भूमि अधिगृहीत करके उनको देने की बात थी। इसको आपने भी अपने पत्र में स्वीकार किया है। बिल्कुल गति पकड़ गयी थी, माधवराज सिंधिया के साथ वार्ता हुई थी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कई इन्जी-नियर गति पकड़ चुके हैं।

(84)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब आप तो टौंक में गति पकड़ो। व्यवधान मन्त्री हो आप तो।

बीकानेर के नागरिक, जिनमें तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, पिछले 20 दिनों से उद्वेलित और आन्दोलित हैं जिसमें सभी पार्टियों, कांग्रेस, भाजपा, सी.पी.आई, सी.पी.एम. के लोग हैं, वह पिछले 20 दिनों से आन्दोलन कर रहे हैं और एक दिन तो बीकानेर शहर बंद भी रहा है।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी रेलवे लाइन लालगढ़ से मेड़ता रोड तक स्वीकृत हो चुकी है और लालगढ़ और पुराने बीकानेर स्टेशन को बड़ी लाइन से जोड़ने का पुराने ट्रेक मार्ग माध्यम से प्रयास किया जा रहा है इसमे रेल्वे फाटक जो अभी 50 बार बंद होता है, अब 70–80 बार बंद होगा। इससे नागरिकों की परेशानियां और बढ़ जायेंगी।

रेलवे मन्त्रालय से अभी हाल में वार्ता किए जाने पर उनका दृष्टिकोण यह साफ सामने आया है कि राज्य सरकार भी अपनी ओर से इस समस्या को हल करने के लिए कुछ व्यय भार यदि वहन करे तो वह इस समस्या का समाधान करने में सहयोग दे सकता है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि जो 26.61 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रेलवे मत्रालय ने राज्य सरकार को भेजा था, उस पर क्या कार्यवाही की गयी, तथा राज्य सरकार मास्टर प्लान के अनुरूप मीटर गेज और ब्राड गेज इन दोनों लाइनों को शहर के बाहर ले जाने के बारे में रेलवे से वार्ता कर क्या कार्यवाही अब तक कर चुकी है।

शहर के बाहर मास्टर प्लान के अनुरूप यदि ब्राड गेज लाइन और मीटर गेज लाइन पड़ जाती है तो पुराने ट्रेक की जमीन, जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको राज्य सरकार ले सकती है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि पुराने ट्रेक को हटाया तो उसकी जमीन आज की कीमत के हिसाब से 15-20 करोड़ की है। हमारे मुख्य बाजार कोट गेट, महात्मा गांधी बाजार और स्टेशन का पूरा बाजार उस ट्रेक के पास है। राज्य सरकार उस जमीन को बेचकर अपने 50 प्रतिशत का हिस्सा दे सकती है। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकार रेलवे मन्त्रीजी से वार्ता कर इस गम्भीर मसले का अविलम्ब समाधान करे ताकि बीकानेर के नागरिकों की रेलवे फाटकों की समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो सके। यदि रेलवे मास्टर प्लान का उल्लंघन करेगी तो सरकार बड़ी रेल लाइन को निकालने में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

यह कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनके बारे में मैं पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सर्वोच्च प्राथमिकता देकर बीकानेर की इस समस्या के बारे में राज्य सरकार तत्परता से कार्यवाही करेगी। धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक जानकारी कर लेऊं, कि रेलवे मन्त्री जी से आपकी क्या बात हुई?

श्री बुलाकीदास कल्ला : रेलवे मन्त्रीजी से मेरी चर्चा हुई है उसमें उन्होंने यह कहा है कि राज्य सरकार यदि इस पूरी योजना का 50 प्रतिशत हिस्सा व्यय करने के लिए तैयार है तो हम इस योजना को शेयर करने के लिए तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितना ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : 26.61 करोड़।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और अब आप यह कहते हैं कि शहर में जो मीटर गेज का ट्रेक है इसको बेचने से 26 करोड़ आ जायेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने 20 करोड़ लगभग कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 20 करोड़, गारण्टी तो है न ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, गारण्टी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो आप बेचान कर लीजिए, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। यह जमीन रेलवे की है उसको कैसे बेच सकते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने यह कहा है कि बड़ी रेलवे लाइन के लिए ट्रेक की जो जमीन होगी वह तो आप दें और पुराने ट्रेक की जमीन आप रेलवे मन्त्री से बात करके ले लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही तो कह रहा हूं कि रेलवे की जमीन रेल मन्त्री जी मुझे दे दें और 50 करोड़ की आमदनी उससे होती है तो मुझे आपत्ति क्या होगी ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसीलिए तो आप से हम कह रहे हैं कि आप वार्ता करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसीलिए कह रहा हूं आप से कि मेरी वहां चले नहीं चले, आप रेलवे मन्त्री जी से मुझे इतना-सा लिखित में या जबानी कहलवा दीजिए कि यह मीटर गेज की जो जमीन है यह सारी की सारी जमीन राज्य सरकार को मिल जायेगी, आपत्ति नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आप ऐसा प्रस्ताव भिजवा दें हम उसको परस्यु कर लेंगे कि नये ट्रेक के लिए जमीन आप दे देंगे और पुराने ट्रेक की जमीन रेलवे राज्य सरकार को दे दे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : तैयार हैं, तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय फूलचन्द जी।

सीकर जिले में आबकारी विभाग में अनियमितताएं

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नियम 295 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव है आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त की मिलीभगत के कारण बड़े ठेकेदारों की मनमानी से लाखों रुपये की हानि के सम्बन्ध में।

महोदय, निवेदन है कि आबकारी विभाग बड़े ठेकेदारों को नाजायज प्रोत्साहन

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

एवं मदद देकर शराब ठेकेदारों के माफिया को प्रोत्साहित कर रहा है तथा विभागीय रूप से निर्धारित सभी मापदण्डों की अवहेलना कर भयंकर रूप से अनियमितताएं की जा रही हैं। सम्भवतः टेण्डर में प्रकाशित आबकारी दुकानात ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही स्वीकृत होती हैं तथा इनकी गारण्टी राशि ग्राम पंचायत के भौगोलिक एवं राजस्व क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित की जाती है, लेकिन बड़े ठेकेदारों के दबाव में आकर विभाग द्वारा इनकी पालना नहीं की जाती है जैसे, जिला जयपुर के फुलेरा क्षेत्र में एक टेण्डर की दुकान बिचून को बड़े ठेकेदारों के दबाव में आकर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा पहले स्वीकृत किया गया और उसके बाद उसको निरस्त किया गया, जिससे राजस्व की भारी हानि हुई है। यह दुकान नियमानुसार पूर्व में 31-7-91 को स्वीकृत की गयी तथा तीन दिन के पश्चात् ही बगैर किसी कारण 3-8-91 को निरस्त कर दी गयी। इसके उपरान्त नियम विपरीत केस बनाकर छोटे ठेकेदारों को फेल करने की भयंकर साजिश की गयी है तथा जो लोग न्यायालय में गये हैं उनकी भी पालना नहीं हुई है।

इसी तरह सीकर जिले के आबकारी विभाग द्वारा भी नियमों के विपरीत कार्य कर राज्य सरकार को प्रति वर्ष लाखों रुपये का चूना लगाया जा रहा है, जिस बारे में सदन में मैंने पूर्व में भी सूचित कर दिया था। आज भी अंग्रेजी शराब की बिना स्वीकृत दुकानें पाटन, अजीतगढ़ में विभाग को राजस्व दिये बगैर चलायी जा रही हैं। इसी तरह अन्य बिना स्वीकृत दुकानें भी ठेकेदारों की मनमानी से चल रही हैं जिससे राजस्व की भारी हानि हो रही है। विभाग भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं में लिप्त हो गया है। आबकारी विभाग की मिली भगत और अतिरिक्त आयुक्त की मनमानी के कारण बड़े ठेकेदारों को प्रोत्साहित करके भय का वातावरण बनाकर इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है जिससे एक तरफ तो राजस्व की भारी हानि होती है, दूसरी तरफ जनता में असन्तोष है। भयंकर रूप से अनियमितताएं की जा रही हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि आबकारी आयुक्त द्वारा जो नियम विपरीत कार्यवाह की जा रही है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय तथा मापदण्ड के विरुद्ध खोली गयी दुकानें तुरन्त बन्द की जायं। बिना स्वीकृत दुकानें आपके द्वारा जांच करवाने के बाद बन्द करवायी गयी थीं, उनके चालू होने पर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। मैं मांग करूंगा कि आबकारी मन्त्री महोदय इस बारे में जरूर कहें। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, साहब। ऐसा भय और झगड़े का वातावरण बन गया है कि कई जगह इन्हीं मामलों को लेकर झगड़े हो रहे हैं। आपस में दो ठेकेदारों के झगड़े थे और जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। स्कूलों के पास, बस स्टैण्ड पर, ऐसी जगह जहां मापदण्ड के विपरीत है वहां दुकानें खोल दी जाती हैं और मना करने पर भी वे चल रही हैं, जिससे चोरी करने और गुण्डागर्दी करने का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये कृपया।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मन्त्री महोदया इस बारे में जरूर बतावें, यह बहुत अहम् मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदया, आप कुछ कहना चाह रही हैं?

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नियम 295 का यह नोटिस अभी करीब 11.20 बजे मिला। माननीय सदस्य ने जो इश्यु उठाया है उसमें अगर थोड़ा समय मिल जाय तो उसकी समुचित जानकारी दी जा सकती है। आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त, जयपुर, द्वारा बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विभाग के निर्धारित नियमों और मापदण्डों की तोड़-मरोड़ और अवहेलना की जा रही है, और छोटे अनुज्ञाधारियों के व्यापार को नष्ट करने की साजिश की जा रही है, ऐसी माननीय सदस्य ने शिकायत की है। उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि 31-7-91 को समूल फुलेरा के ठेकेदारों को बिचून दुकान स्वीकृत कर दी पर बड़े ठेकेदारों के प्रभाव में आकर साजिश करके उसको 3-8-91 को निरस्त कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जांच का प्रकरण मेरे सामने भी आया था और मैं इसकी जांच कर रही हूं। इस विषय में समुचित जांच करके अध्यक्ष महोदय को और, अगर वे चाहेंगे तो सदन को समुचित रूप से अवगत कराऊंगी।

दूसरा आपने कहा कि ग्राम पाटन और अजीतगढ़ में आई. एम. एफ. एल. की और ग्राम चला में कण्ट्री लिकर की दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं और इससे राजस्व की हानि होती है और नियमों की अवहेलना हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको रोकने की पूरी कोशिश की जाती है। इसकी जांच करवायी जा रही है। मैं स्वयं यह महसूस कर रही हूं कि इस तरह की शिकायतों की जांच की कोई इण्डिपेंडेंट एजेंसी बने, जिसको निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। माननीय सदस्य ने जो शिकायत की हैं उसको बहुत जल्दी दूर किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नन्दकिशोर जी शर्मा।

छीपाबड़ौद से सालपुरा एवं छबड़ा से बारां–कोटा तक बस सेवा।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छीपाबड़ौद से सालपुरा रेलवे स्टेशन तक बसों के संचालन और छबड़ा से बारां-कोटा तक की बस सेवा के बारे में नियम 295 के अन्तर्गत मेरा प्रस्ताव है। गत जुलाई से मैं यह मांग करता आ रहा हूं कि मेरे क्षेत्र छबड़ा, छीपाबड़ौद से सालपुरा बस सेवा को ठीक किया जाय। छीपाबड़ौद तहसील की आबादी एक लाख तेरह हजार के करीब है। कस्बा छीपाबड़ौद से रेलवे स्टेशन सालपुरा की दूरी 17 किलोमीटर है। आने-जाने का मात्र एक ही साधन है। सालपुरा स्टेशन पर ट्रेन 24 घण्टे में 6 बार आती है। तीन ट्रेनों पर रोडवेज की दो-दो बसों की तथा बाकी तीन पर एक-एक बस की आवश्यकता होती है। बसें

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

होते हुए भी समय पर नहीं चलती हैं। गत एक साल से जनता ने व मैंने स्वयं कई बार लिखा है, लेकिन थोड़े समय चलती हैं, बाद में फिर बन्द हो जाती हैं। मेरा निवेदन है कि कम से कम एक शटल बस सालपुरा से छीपाबड़ौद चलती रहे। हमारा जिला बारां है, उसकी दूरी 62 किलोमीटर है, पर अभी रोडवेज की या अन्य बस बारां से छबड़ा नहीं है जब कि छबड़ा उप जिला मुख्यालय है। बारां से छबड़ा भी एक शटल बस चलनी चाहिए। पहले एक बस छबड़ा से भालावाड़ वाया खानपुर चलती थी, वह बन्द है। छबड़ा से कोटा चलती थी वह भी इस समय बन्द है।

छीपाबड़ौद से 25 किलोमीटर आगे हरनावदा शाह जी 7 हजार की आबादी वाला गांव है। वहां से इकलेरा व छीपाबड़ौद, सालपुरा, बारां के लिए नियमित बस सेवा नितान्त आवश्यक है।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा वास्तव में माननीय मुख्य मंत्रीजी का क्षेत्र है। वहां की सवा दो लाख की आबादी को बारां, कोटा, इन्दौर, भोपाल से जोड़ा जाय।

सर्दी गर्मी में बारां-भोपाल वाया छबड़ा एक मात्र बस चलती है। वह भी केवल आठ माह ही चलती है, बरसात में बन्द कर दी जाती है। उसे भी बारां से वाया छबड़ा पाली तक आठ महीने चलाया जा सकता है। एक बस बारां से इन्दौर वाया छीपाबड़ौद चल सकती है। बस चलाने की जनता बहुत पहले से मांग करती आ रही है। छबड़ा से जयपुर के लिए बस सन् 1978 में चालू की गयी थी, पर शीघ्र ही बन्द हो गयी। अब उसे छबड़ा से जयपुर वाया बारां करने से जनता को लाभ दिया जा सकता है तथा इससे अटरू और छबड़ा, दो विधान सभा क्षेत्र राजधानी से सीधे जुड़ेंगे। छबड़ा को इस बस सेवा की नितान्त आवश्यक मांग है। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देकर जनता की समस्या का निराकरण करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

रामगढ़ क्षेत्र में पानी का अभाव

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मान्यवर, मैंने प्रक्रिया के नियम 295 के तहत यह उल्लेख किया है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पानी का सर्वथा अभाव है।

मैं आपका ध्यान रामगढ़ बांध में पानी के अभाव की ओर उसके कारण उत्पन्न स्थिति की ओर दिलाना चाहती हूं। तीन चार वर्ष पहले इस बंध के जल ग्रहण क्षेत्र में निवर्तमान विधायक श्री भारद्वाज व मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल के द्वारा नियमों के विरुद्ध कैचमेण्ट एरिया में 43 एनीकट बना लिए जाने से पानी आना कम हो गया है। इस बंध की भराव क्षमता 67 फीट से कहीं अधिक है जबकि इस बरसात में अभी तक मात्र 28 फीट पानी संग्रहित हो सका है जिससे आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र में और जयपुर के शहरी क्षेत्र में सारे साल पानी की कमी रही है। राजस्थान विधान सभा में गत वर्ष मेरे प्रस्ताव

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वस्त दिया था कि पहले रामगढ़ का बांध भरेगा फिर किसी एनिकट में पानी जा सकेगा। खेद है कि वैसा नहीं हुआ और इसका खामियाजा इस साल भी पूरे जयपुर क्षेत्र को भुगतान पड़ेगा। विभाग इस ओर से बिल्कुल उदासीन है। न ही इस क्षेत्र के लिए जल प्रदाय की कोई अन्य योजना बनाई गई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना के विभिन्न आयाम हो सकते थे।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी का पूरा प्रबन्ध किया जायेगा लेकिन वह नहीं हुआ। खेद है कि इस क्षेत्र की तेरह पंचायतें-पंचायत जमवा रामगढ़, पंचायत नटाटा, पंचायत भानपुरकला वासना, रूपवास, लागडीवास, पापड़, राहोरी, नायला, इन्द्रगढ़, सायपुरा तथा कोटवाड़ा पंचायत समिति की दो पंचायतें-जयसिंहपुरा खोर और सुमेरी—इनके 67 गांवों में एक भी पीने के पानी का नल नहीं है और कुओं का जल भी सूख गया है।

मैंने जलदाय मंत्रीजी को एक बार मार्च में, दूसरी बार जुलाई में और तीसरी बार अगस्त में लिस्ट दी है लेकिन विभाग की ओर से हैण्ड पम्प भी लगाये जाने की कोई योजना नहीं बनाई लगती है। क्षेत्र के कुए करीब-करीब सूख चुके हैं। पानी के अभाव में ग्रामवासी बेहद परेशान हैं। छः कुए जयसिंहपुराखोर के जिनमें कि पानी था तथा एक ढूंढ नदी, उस पानी को जयपुर की सप्लाई से जोड़कर ग्रामवासियों को उससे भी वंचित रखा जा रहा है। यह पानी बिजली की मशीनों से खेंचा जाकर सप्लाई किया जाता है जिससे आस-पास के सभी कुओं को पेंदा, पत्थर और मिट्टी साफ देखे जा सकते हैं। स्थिति बेहद खराब है। सरकार को चाहिए थी कि इस क्षेत्र में कोई योजना बनाती जिससे ग्रामवासियों को एवं पशुओं के लिए पीने के पानी का संकट नहीं रहता।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जब तक कोई स्थाई योजना नहीं बनाई जा रही है तब तक हैण्ड पम्प की व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरे और ग्रामीणों के द्वारा बार बार कहने के बावजूद भी स्थाई और अस्थाई समाधानों का क्रियान्वयन नहीं करने से उनमें बेहद आक्रोश है, बेहद परेशान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप सरकार को निर्देश दें कि इन एनिकटों का जो भी करना है जल्दी करे जिससे रामगढ़ बांध कभी न कभी तो भरे और जलप्रदाय की कोई अन्य योजना इन पंचायतों के लिए बनाये जिससे पानी उपलब्ध हो सके। जब तक वह योजना नहीं बन पा रही है, उस क्षेत्र में यह जो हैण्ड पम्पस की मैंने सूची दी है वह लगाये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, वह बतायें कि इस सम्बन्ध में क्या करने वाले हैं।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लिखे

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से ।

(1) भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-1 (राजस्व प्राप्तियां) :

(2) भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-2 (वाणिज्यिक);

(3) भारत के नियन्त्रक-महा लेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल):

(4) विनियोग लेखे वर्ष 1988-89, एवं

(5) वित्त लेखे 1988-89

सदन की मेज पर रखता हूं ।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति का छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, ग्यारहवां एवं बारहवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (सदस्य, राजकीय उपक्रम समिति) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, सदस्य, राजकीय उपक्रम समिति आपकी आज्ञा से राजकीय उपक्रम समिति, 1991-92, समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों को उपस्थापित करता हूं :–

(1) राजस्थान राज्य होटल निगम से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1975-76 के 32 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक छठा प्रतिवेदन;

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन, 1970-71 के पैरा 108, 109, 110 व 111 पर राजकीय उपक्रम समिति, 1974-75 के चौबीसवें प्रतिवेदन (पांचवीं विधान सभा) में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से सम्बन्धित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक सातवां प्रतिवेदन;

(3) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 1984-85 के बारहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक आठवां प्रतिवेदन;

(4) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1972–73 के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक नवां प्रतिवेदन;

(5) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1975-76 के तैंतीसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक दसवां प्रतिवेदन;

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

(6) राजस्थान वित्त निगम (विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वितरित किये गये ऋण एवं उनकी वसूली) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 1978-79 के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् ग्यारहवां प्रतिवेदन; एवं

(7) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1987-88 (आठवीं विधान सभा) के सातवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् बारहवां प्रतिवेदन।

(2.00 म. प.)

कार्य सलाहकार समिति का आठवां प्रतिवेदन

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 1991 को मध्याह्न पश्चात 1.00 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने दिनांक 11 सितम्बर, 1991 से 19 सितम्बर, 1991 तक सदन में लिए जाने वाले कार्य के विषय में विचार विमर्श किया। समिति ने सिफारिश की है कि कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाये :—

बुधवार, दिनांक 11 सितम्बर, 1991	(1) राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक 1991, एवं (2) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1991– — पर विचार एवं उनका पारण–
गुरुवार, दिनांक 12 सितम्बर, 1991	(1) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 एवं (2) राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1991– — पर विचार एवं उनका पारण।
शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर, 1991	(1) राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर विधेयक, 1991 पर विचार एवं उसका पारण (2) गैर सरकारी कार्य दिवस मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे से मध्यान्ह पश्चात् 5.00 तक

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

शनिवार, दिनांक 14 सितम्बर 1991 रविवार, दिनांक 15 सितम्बर, 1991	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर, 1991	(1) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991, (2) जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991 एवं (3) राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 — पर विचार एवं उनका पारण
मंगलवार, दिनांक 17 सितम्बर, 1991	(1) जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 एवं (2) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 1991 — पर विचार एवं उनका पारण।
बुधवार, दिनांक 18 सितम्बर, 1991	अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) वर्ष 1991–92 एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर विचार एवं उनका पारण।
गुरुवार, दिनांक 19 सितम्बर, 1991	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1986-88 पर विचार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति व्यक्त करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं (1) जिला बूंदी, तहसील नैनवां के ग्राम दौलतपुरा (ग्राम पंचायत दुगारी) में नवीन पाठशाला खोले जाने विषयक पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित :

(श्री रामनारायण वर्मा)

(2) बूंदी जिले के ग्राम नन्दपुरा से खम्बोरी जाने वाले मुख्य रास्ते पर बलाण्डी में पुलिया निर्माण विषयक पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल बारूपाल। (अनुपस्थित)

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, प्रवर समिति प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990, पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

अनुपूरक अनुदान की मांगों (प्रथम संकलन) का उपस्थापन

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1991-92 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयकों का पुरःस्थापन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरः स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवर लालजी शर्मा।

राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं, राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय सशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 8) को जारी करने के कारणों का विवरण इस सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय सशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान नगरपालिका (सशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 6) को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चतुर्भुज जी वर्मा।

राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 4) को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

परिनियत संकल्प

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 1991

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री यदुनाथ सिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री केदारनाथ जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी सहमति प्रकट की थी और अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था भी दी थी कि एक तो माननीय श्री प्रकाश चन्द बैरवा, फागी से आने वाले माननीय सदस्य है, उनके विषय में स्टेटमेंट....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दे देंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : अभी बतला दूंगा कि आज ही जवाब दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदार नाथ।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेश को अस्वीकार करने के लिए मैंने संकल्प पेश किया है। मान्यवर, इसका मकसद बहुत ही सीमित है कि माइनर इरिगेशन जहां आपरेट करते हैं उस एरिया में किसी जमीन को कॉलोनी एरिया में शामिल किया जाय या किस एरिया को वापस लिया जाय, डीकॉलोनाइजेशन किया जाय। यह अधिकार जो पहले राज्य सरकार को, इस अमेण्डमेंट के द्वारा कलक्टर को डेलीगेट करना चाहते हैं। इस मकसद में हमारा कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि 6 माह के बाद हम मिले हैं जो कालोनाइजेशन की सरकार की पालिसी है उसमें क्या खामियां पैदा हुई कौनसे पिट-फाल्स हैं, और कौनसी समस्याएं पैदा हुई इससे जुड़ी हुई उनके बारे में मैं अपने ढंग से, बड़े सीमित दायरे में पेश करना चाहता हूं।

राज्य सरकार ने इस कालोनी एरिया में अलाटमेंट बन्द कर दिये, कोई कारण हमारे सामने नहीं। अलाटमेंट, मान्यवर, तीन तरीके से है, एक तो फ्रेश अलाटमेंट, एक जिनको आपने टी. सी. पी. दिया है, वह लगातार काश्त करते आ रहे हैं, उनको रेगूलराइज करने का सवाल है और खातेदारी देने का सवाल है, तीसरा स्पेशल अलाटमेंट। स्पेशल अलाटमेंट की कुछ अलग शर्तें हैं, अलग कण्डीशन्स हैं, उसके तहत स्पेशल अलाटमेंट फर्स्ट फेज में हो गया, सैकिण्ड फेज में शुरू हुआ था, कुछ हुआ था उसके बाद बन्द कर दिया। बोर्डर के इलाके में जब राज्य सरकार के पास सूचना आई कुछ बेनामी ट्रान्जेक्शन हो रहे हैं, कुछ गलत तरीके से खरीद फरोख्त हो

(श्री केदारनाथ शर्मा)

रही है जमीनों की, और कुछ ऐसे लोग जो जमीन पर काबिज थे, चले गये और उनके नाम से खातेदारी लेकर दूसरे काबिज होना चाहते हैं, यह शिकायतें आपको मिली। आपने अब सारा अलाटमेंट पोस्टपोन कर दिया, डेफर कर दिया।

मान्यवर, 1955-60 में जो एक्ट बना उसके बाद अलाटमेंट हुआ, कालोनी एरिया में कई सवाल उसके साथ पैदा हो गये। आपने फर्स्ट फेज में एक्स जागीरदारों को जमीनें दी, बाफरा लेण्डर्स को जमीनें दी, आपने उसके बाद जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं एग्रीकल्चर में उनको जमीनें दी, और उसके साथ-साथ एक्स सर्विस मैन को जमीनें दी, उसके बाद पोंग डेम के लोगों को भी जमीनें दीं। आम लोगों को जमीनें दी। मेरा आपके सामने प्रश्न है कि क्या आपने असेसमेंट किया कि आपने जिन लोगों को जमीनें अलाट की, आज कितने लोग उन पर काबिज हैं, आज जितने भी लैण्ड लैस थे, मोस्टली शैडयूल्ड कास्ट के लोग, एक्स-जागीरदार एक्स-सर्विसमेन वह अपनी जमीनों को डिसपोज आफ करके चले गये। पोंग डेम की डूब में आए हुए लोगों को जमीने दीं, जो जमीन का बहुत अच्छा हिस्सा था, फर्टाइल वह दी थी, एग्रीमेंट हुआ, इण्टर स्टेट एग्रीमेंट के तहत, आपने मुआवजा भी दिया, जमीन भी दे दी पांच प्रतिशत आज लोग अपनी जमीन पर काबिज हैं बाकी सारी जमीनें बिक गयी। यह भी एक मसला आपके सामने है। मान्यवर, जैसलमेर का सवाल आपके सामने हैं। जैसलमेर स्टेट में कोई खातेदारी हक नहीं था, रिकार्ड आफ राइट नहीं था बहुत पहले सैटलमेंट हुआ समरी उसके बाद सैटलमेंट नहीं हो पाया। अलाटमेंट करना है, कायदे कानून के तहत करना है और इसके अलावा वहां आप सीलिंग फिक्स कर नहीं सकते। वहां के लोगों की यह मांग है कि सीलिंग से ज्यादा जमीन अलाट की जाय। यह अब आपके सामने प्रश्न है। मैं इसलिए यह प्रश्न पेशकर रहा हूं कि आपके सामने लोगों को, मण्डियों को बसाने का भी सवाल है। आपने अनक्रोचमेंट का नियम बना दिया आर्डिनेन्स....

(2.15 म प.)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति पदासीन)

जारी कर दिया। मण्डी कमेटियां जो हैं वह आम तौर पर लोगों को वहां डिसप्लेस करने के लिए उतारु हैं, शुरू कर दिया उन्होंने। लोग 15-20 साल से बसे हुये हैं, मण्डियों में, आपने रेगुलराइज किया नहीं, तय किया उन लोगों को आपने बसाया नहीं, टाइटल नहीं दिया। आज आपको कोई अधिकार नहीं जब तक फैसला नहीं करते, आर्टीजन लैण्ड नहीं देते उनको, तब तक उनको आप वहां से हटा दो, डिसप्लेस कर दो। यह राज्य सरकार को अधिकार ही नहीं है। यह सारे कालोनियों के साथ जुड़े हुये सवाल सामने हैं। यह बिल तो बहुत ही सीमित दायरे में हैं, जैसा निवेदन किया, समस्यायें आपके सामने पेश की हैं, मण्डियों में बसाने का सवाल, लोग वहां रहते हैं, रेजिडेन्शियल प्लाट्स देने, उनको टाइटल देने का सवाल, जैसलमेर के अलाटमेंट का सवाल, पोंग डेम आउस्टीज जिनके पास जमीन नहीं है, जमीन अलाट होने के बाद डिस्पोज आफ करके चले गये यह प्रश्न अब आपके सामने हैं।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अलाटमेंट पोस्टपोन नहीं करना चाहिए था आपके हाथ में अधिकार है। सुओ-मोटो अगर अलाटमेंट गलत हुआ है किसी को, एंटी नेशनल को हो गया, टेररिस्ट को हो गया, ऐसे लोगों को हो गया है जिनकी प्रजेन्स से खतरा पहुंचता है स्टेट को सारी इन्टेग्रिटी को या पीस आर्डर को तो आप सुओ-मोटो उसका अलाटमेंट कैन्सिल कर सकते है। आपको स्पेशल दिया, अलाटमेंट में बड़े सख्त प्रोविजन्स हैं कि 1971 की उनकी रिहायशी हो, 10 साल के रिहायशी, एक मुरब्बे की सीलिंग से ज्यादा ले नहीं सकते। यह आपकी शर्तें आपके पास हैं। अलाटमेंट करने के बाद भी कैन्सिल करने के अधिकार आपके पास हैं। इसलिए जो आपने फैसला किया है कि फिलहाल अलाटमेंट्स को आगे डेफर करते हैं, इस आदेश को वापस लीजिए। इसके साथ जुड़े हुए और भी सवाल हैं। मौजूदा ट्रस्ट के सवाल हैं आपके सामने, 1945 से काबिज हैं जमीन पर, और आपने अलाटमेंट के नियम बदल दिये, उनको टाइटल देने की तारीखें तय कर दीं। वहां 1959 से जो लगातार काश्त करते आ रहे हैं, आपने उनसे कीमत भी ले ली, केवल टाइटल देना था उसको पोस्टपोन कर दिया।

मेरा निवेदन है कि यह जो कोलोनाइजेशन के साथ जुड़े हुए मसले हैं, जैसलमेर का सवाल पौंग डेम का सवाल जिन लोगों को आपने रोजगार के लिए जमीनें दी और वह अपनी जमीनें बेच कर चले गये। हमारे फर्स्ट फेज में श्री बैदजी बैठे हैं। चूरू के लोगों को, नागौर के लोगों को, जोधपुर के लोगों को, काफी लोगों को जमीनों का अलाटमेंट हुआ और वह वहां भी मौके पर आये नहीं। सात हजार लोगों को चूरू जिले में हुआ तो दो हजार आये। अब क्या होता है कि बीच में इण्टर मीडियट्रीज हैं, उनसे इकरारनामा लिखवा कर उनके नाम से पैसे भर कर, किश्तें भरकर खातेदारी लेने के बाद काबिज आज वह हैं। ऐसे बेनामी ट्रान्जेक्शन्स को आप कैन्सिल कर दीजिए। कई लोगों के पास है। मान्यवर, आपने मंत्रियों की कमेटी बना दी, टीम बना दी, चार मंत्रियों की वह जाकर मौके पर जाकर मंत्रिमण्डल को रिपोर्ट दे। यह ठीक नहीं हैं। हमारे एस. डी. ओ. हैं, रायसिंह नगर में, उन्होंने अनाप-शनाप तरीके से, एक्स- जागीरदार हैं, वहां रहने वाले नहीं है उनके नाम से जमीनों का अलाटमेंट कर दिया। अब आप लेजिटिमेट कर दोगे जाकर। मंत्री जायेंगे डिटेल में जायेंगे नहीं और उनकी पुष्टि हो जायेगी। इसलिए आप विधान सभा के लोगों की मिली-जुली कमेटी बनाकर मौके पर जायें ऐसे सारे बेनामी ट्रान्जेक्शन इल्लीगल सारे अलाटमेंट और जिस आफिसर ने किये हैं उनके खिलाफ एक्शन यह फैसला कीजिए अपने भाषण में। मैं ज्यादा ना बोलते हुये क्योंकि यह बहुत बड़ा सवाल है आपके सामने, 6 महीने के बाद हम मीट करेंगे। कुछ मसले आपके सामने पेश किये हैं, मुझे विश्वास है कि मंत्रीजी इनका जवाब दे करके फिर अपना अमेण्डमेंट मूव करेंगे।

श्री सभापति : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 2) को अस्वीकार करने के बारेमें प्रस्ताव

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

किया है । सभापति महोदय, 29 जून को अध्यादेश जारी किया गया और 10 सितम्बर से विधान सभा शुरू होने वाली थी इस बीच में कोई ज्यादा समय का अन्तर नहीं था फिर भी ऐसा लगता है कि राज्य सरकार पिछले एक-डेढ़ वर्ष में इस मसले को हल नहीं कर पायी और विधान सभा का इन्तजार किये बगैर ही अध्यादेश लाकर कानून बनाने का प्रयास किया है । लेकिन इसके साथ-साथ कालोनी और कालोनाइजेशन से संबंधित जो समस्यायें हैं उन समस्याओं की अनदेखी की है । जहां तक जो संशोधन अध्यादेश के माध्यम से इन्होंने किए हैं जिसमें लघु सिचाई, माध्यम सिचाई और वृहद सिचाई की व्याख्या करके और जिलाधीश को माइनर इरिगेशन के संबंध में कालोनी को डिकालोनाइजेशन करने का जो अधिकार दिया है । उसमें किसी को विशेष आपत्ति नहीं हो सकती लेकिन जो उपनिवेशन क्षेत्र में काश्तकारों की आज समस्यायें हैं उन समस्याओं के बारे में राज्य सरकार ने डेढ़ वर्ष में कोई कार्यवाही नहीं की । अभी गंगानगर से आने वाली माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे, मैं उनसे सहमत हूं बल्कि मैं इससे भी ज्यादा यह कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के समय में जिन हरिजनों को, गरीब काश्तकारों को, भूमिहिनों को जो जमीनें दी गई थीं आज उनकी जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, बेनामी बेचान हो रहे हैं उनके ऊपर कोई रोक नहीं है और इसके साथ-साथ सरकार नीलामी के माध्यम से जमीनें बेच रही है लेकिन जो कांग्रेस ने गरीबों को, भूमिहीनों को जो जमीनें देनी शुरू की थी उस कार्यक्रम के ऊपर आपने आते ही रोक लगा दी । आज भूमिहीन किसानों को कोई भी जमीन अलाट नहीं की गई है । मैं जानना चाहूंगा कि राजस्व मंत्री और उप-निवेशन मंत्री जब अपना उत्तर दें तो वे बतायें कि इन्होंने डेढ़ वर्ष में कितने किसानों को जमीनें अलाट की, नीलामी के माध्यम से कितनी जमीनें बेची? उससे सबको पता लग जाएगा कि भूमिहीन किसानों को उपनिवेशन क्षेत्र में मैं समझता हूं 100 बीघा जमीन भी आवंटित नहीं की है ।

जहां तक मण्डियों का सवाल है आज मण्डियों में लोग बरसों से बैठे हुए हैं और उनके नियम की कार्यवाही भी कांग्रेस के शासन के वक्त में हुई थी लेकिन उस नियमन की कार्यवाही को आप लोगों ने डेढ़ वर्ष में आगे नहीं बढ़ाया है । मण्डियों में जो लोग वर्षों से बैठे हुए हैं और जो मास्टर प्लान के अनुरूप, मण्डियों के मास्टर प्लान के अनुरूप बैठे हुए हैं उन लोगों का भी नियमन किया जाना बहुत जरूरी है । कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति बेचने का अधिकार रखता है लेकिन आज किसान अपनी जमीन बेचना चाहे किसी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए अथवा किसी भी कार्य के लिए तो उसको जिलाधीश की परमिशन लेनी पड़ती है और कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें जिनाइन आधार पर काश्तकार की जमीन को आपस में, काश्तकारों के बीच आदान-प्रदान करना चाहता है लेकिन उसके लिए जिलाधीश की परमिशन 6-6, 7-7 महीने तक नहीं मिलती है । ये ऐसी समस्यायें हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार को अविलम्ब निर्णय लेना चाहिए

श्री बुलाकीदास कल्ला)

था लेकिन मैं समझता हूं इस संबंध में आप लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया।

जहां तक बीकानेर और जैसलमेर के किसानों का सवाल है बहुत लम्बे समय से किसान जो पिछले 50-60 वर्षों से काबिज हैं, जिनके पास भू-राजस्व का रेकार्ड नहीं है ऐसे काश्तकारों को टिनेंसी एक्ट में परिवर्तन करने के 15 (एएए) के जो मामले हैं उसमें भी राज्य सरकार को कुछ निर्णय ले करके ऐसे काश्तकारों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए था लेकिन इसके संबंध में भी कोई विशेष निर्णय नहीं लिए गए हैं। मैं जब यह अध्यादेश विधेयक के रूप में आयेगा तो उस समय आगे कुछ बातें और कहूंगा, वर्तमान में मेरा प्रमुख एतराज यही है कि जब कोई अध्यादेश या कानून आपको लाना था तो उस समय विधान सभा चल रही थी, विधान सभा के समय आप विधेयक के रूप में आप लाते और इसके संबंध में अन्य समस्यायें जो किसानों से संबंधित हैं उन सारी समस्याओं को लेकर आप एक विधेयक लेकर आते तो ज्यादा अच्छा रहता। इसलिए, सभापति महोदय, मैं इन आपत्तियों के साथ इस अध्यादेश संख्या 2 को अस्वीकार करने के संबंध में प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : माननीय जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में राज्यपाल महोदय द्वारा जो 29 जून, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 2) को अस्वीकार करने के लिए प्रस्ताव रखता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रश्न इस बात का है कि यह सारा काम कालोनाइजेशन का राजस्थान सरकार के माध्यम से होता है। इसमें बहुत बड़ा अन्तर नहीं है अन्तर केवल एक बात का है जिसके लिए मेरी तरफ से अस्वीकार करने का मामला उठाया गया है कि जिलाधीश महोदय को सारे पावर्स डेलिगेट किए जा रहे हैं। आज हालत यह है कि जिला कलक्टर के पास स्वयं के इतने काम हैं, प्रशासनिक काम, लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन के और रेवेन्यू के मेटर्स के इतने सारे मामले हैं कि वो इन सारे कामों को करने में खुद ही इतना व्यस्त रहता है और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार का राजस्व विभाग धीरे-धीरे सिकुड़ता इतना छोटा होता जा रहा है। आज राजस्व विभाग के पास सचिवालय में काम क्या बच गया है, आज सही मायने में सचिवालय में कोई काम बचा ही नहीं है। राजस्व विभाग के पास अगर यह काम जिलाधीश को दिया जाता है तो मैं समझता हूं वहां पर अनियमिततायें होने के ज्यादा चांसेज हैं। आज छोटे-छोटे मामलों को लेकर वहीं निपटारा कर दो आपने तो तीनों चीजों के मामलों के अंदर ही चाहे वो लघु सिंचाई परियोजना हो, चाहे वृहद सिंचाई परियोजना हो, चाहे मध्यम सिंचाई परियोजना हो, सारे मामले अगर जिलाधीश को दे दिए जाते हैं तो मैं समझता हूं भ्रष्टाचार को और बढ़ाने की आपने जगह बना दी। राजस्थान में कोई समय इस राजस्व विभाग की गरिमा थी

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है, उसका कार्यक्षेत्र धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। फिर सचिवालय के पास काम क्या बचा है ? इसलिए, सभापति महोदय, मैं इस अध्यादेश को अस्वीकार करने के लिए प्रस्ताव रखता हूं। मैं मंत्री महोदय जब जवाब दें तो पूछना चाहूंगा कि क्या आपने सोच-समझकर किया है ? आप एक तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए पनाह दे रहे हैं या आप कोई राजनीतिक ढंग से सरकारी स्तर तक या सचिवालय तक सारे मामले नहीं आए या प्रपोजल्स नहीं आये, यहीं इशारे करके निपटाना चाहते हैं ? ऐसा लगता है जिलाधीश को अधिकार देने का जो प्रावधान किया है उसका मैं विरोध करता हूं और अस्वीकार करने के लिए प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति : माननीय परसादीलाल मीणा। (अनुपस्थित) माननीय श्री सुनील विश्नोई। (अनुपस्थित) माननीय श्री जुबेर खान। (अनुपस्थित) माननीय श्री नत्थी सिंह। (अनुपस्थित) माननीय श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 1991 जो विधान सभा चालू होने से कुछ समय पूर्व राज्यपाल द्वारा जारी किया गया है उसका विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, वैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इस संशोधन विधेयक के अंदर जिलाधीश को 2000 हैक्टेयर से कम भूमि के लिए अधिकार दिया गया है। सभापति महोदय, इसके अंदर जो उद्देश्य हैं सरकार का वह यह है कि इसमें देरी न हो। परन्तु सरकार ने एक बात को बिल्कुल गौण समझ लिया है इसमें भ्रष्टाचार नीचे के लेवल पर पनपेगा उसका क्या होगा ? सभापति महोदय, जिलाधीश के पास इतने सारे काम होते हैं कि यह जो उनको पावर दे रखे हैं उसका इस्तेमाल तो उसके नीचे वाले अधिकारी करेंगे और जो प्रस्ताव नीचे वाले देंगे जिलाधीश तो उस पर हस्ताक्षर करेंगे इससे भ्रष्टाचार पनपेगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं, इस अध्यादेश को वापस लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल इन्दौरा। (अनुपस्थित) (व्यवधान) माननीय श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय सभापतिजी, जो राजस्थान कॉलोनाइजेशन अमेण्डमेंट ऑर्डिनेन्स 1991 ऑर्डिनेन्स नं 2] इस राज्य सरकार ने अन्डर आर्टिकल 21 एण्ड 30 राज्यपाल के द्वारा प्रमोलेमेट कराया राज्यपाल अपना माइन्ड अप्लाई नहीं करते, गवर्नमेंट कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिस प्रकार की सलाह गवर्नर को देती है, गवर्नर उस ऑर्डिनेन्स के ऊपर दस्तखत कर देते हैं। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर कैनाल सिस्टम को मुकम्मल बनाने के लिए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट है और उसका प्रोसीजरल एक्ट लैण्ड रेवेन्यू एक्ट हैं, उसकी धाराओं, उसके प्रावधानों और उसके प्रोविजन्स के सम्बन्ध में प्रभारी मंत्रीजी का

(श्री परसराम मदेरणा)

काफी ज्ञान है, इसकी मुझे निजी जानकारी है लेकिन वह कॉलोनाइजेशन एक्ट के सम्बन्ध में रखते हैं या नहीं रखते हैं, वह बाड़मेर के रहने वाले हैं और इसके पीछे यह जनरल जो लॉ है टेनेन्सी एक्ट का, उसके प्रावधानों को कॉलोनी के ऊपर ऑप-रेट नहीं किया जाता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश की आजादी के बाद देश में बहुत बड़े-बड़े बंधे बनने शुरू हुए और बंधे भी बनना शुरू नहीं हुए, सभापति महोदय, राज्य सरकार की बहुत ज्यादा धनराशि इनमें इनवेस्ट होती है। ऑर्डिनेन्स दिखने में बिल्कुल इन्नोकुअस दिखता है कि इसमें दो क्लाजेज के अन्दर हम अमेण्डमेंट ला रहे हैं, सेक्शन 2 और 4 में, लेकिन यह जो 2 और 4 के अमेण्डमेंट है इसके फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस है और तीसरा जो अमेण्डमेंट लाना चाहते हैं, अभी माइनर मीडियम और मेजर प्रोजेक्टस को आप डिफाइन करना चाहते हैं, डेफिनेशन क्लाज 2 के अन्तर्गत, यह भी आप जो करने जा रहे हैं इसके पीछे आपके पास लॉजिक क्या है, इसका आधार क्या है, इसका मापदण्ड क्या आपका? सारे एरिया को कर दिया, पहले तो लागत का क्लासीफिकेशन था, अब आपने उसको एरिया में क्लासीफिकेशन किया, जो पहले कभी नहीं था, अब यह आप लाये हैं और यह आप कब लाये हैं, प्रभारी मंत्रीजी, आप इस ऑर्डिनेन्स को, इस डेफिनेशन को जब लाये हैं, जब राजस्थान स्टेट की बड़ी-बड़ी कॉलोनीज-गंग कॉलोनी, भाखरा कॉलोनी, इन्दिरा गांधी कॉलोनी, गांधी सागर कॉलोनी, सब डवलप हो चुकी है, उनमें कुछ स्नेग्स है, कुछ कमी है। आबादी भूमि को आपने ईयर मार्क नहीं किया या अलॉटमेंट के अन्दर कुछ धांध-लियां हुई है या कुछ जेनुइन लोगों ने, अनस्-कुपुलस लोगों ने जमीन अलॉट करा ली है और इस एक्ट का जो रीजन्स और आब्जे-क्टिवज थे उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है, यह दूसरी बात है। आज आप दो क्लाजेज को लेकर यहां पर आये हैं, मैं सभापतिजी, आपके मार्फत मन्त्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि आपने सबसे बड़ा कारण यह बताया है कि राज्य सरकार के पास इन आर्डिनेट डिले होती है, किसमें? एक कॉलोनी को डिक्लेयर करने के अन्दर सेक्शन 2 के नीचे और सेक्शन 4 के नीचे उस पूरी कॉलोनी और कॉलोनी के किसी पोर्शन को इस एक्ट के प्रावधानों के आपरेशन से उसको विड्रा करने के लिए नोटिफिकेशन निकालने में यह सरकार बहुत ही देरी कर रही है, यह सैल्फ कन्फेसन है मन्त्रीजी का। इसका मतलब यह है कि यह गवर्नमेण्ट इनएफिसिएन्ट गवर्नमेण्ट है। अगर इतना बड़ा काम जो पहले था, एक नहीं है, इस कॉलोनाइजेशन एक्ट के नीचे जितने रूल्स बने हैं, कम से कम 21 रूल्स बने हुए हैं क्योंकि इसमें रेस्टिक्शन इम्पोज किया गया है और रेस्टि-क्शन के पीछे भी एक बहुत बड़ा वेलिड रीजन है और वह रीजन यह है कि जब कॉलोनी डवलप करनी है, एरिया डवलप नहीं है, वर्जिन लैण्ड है उसको डवलप करने के लिए एक सिस्टेमेटिक तरीके से वह एरिया डवलप हो ताकि खाद्यान्न के उत्पा-दन को, उसकी प्राडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और जिसका परिणाम यह हो कि देश जो है यह बाउल्स लिए हुए पी. एल. 480 के लिए जो लाल ज्वार बाड़मेर में ढोकते

(श्री परसराम मदेरणा)

थे उसके लिए रोता नहीं फिरे और सैल्फ सफिसियेन्ट हो जाय फूड के मामले में। लेकिन सभापति महोदय, यह जो बिलेटेड ग्राज ग्रमेण्डमेंट लाये हैं ग्रौर बिलेटेड में तीनों ही प्रोजेक्ट्स की डेफिनेशन को लेकर केवल कलक्टर को ग्राप जो ग्रथोराइज्ड कर रहे हैं, वह कलक्टर को कर रहे हैं माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में, मैं यह पूछना चाहता हूं कि माइनर इरिगेशन, प्रोजेक्ट में कितने एस. ई. जो हैं क्योंकि ग्रलॉटमेंट के रूल्स कॉलोनाइजेशन एक्ट के नीचे है इसलिए ग्रापको वहां पर क्या डवलप करना है, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट दो हजार हैक्टेयर तक का ग्राप बता रहे हैं, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स फ्लो इरिगेशन से 50 हैक्टेयर के भी हैं, 200 के भी हैं, 300 के भी हैं, 400 के भी हैं, महज एक्जाम्पल देता हूं ग्रापको ग्रौर मुझे ग्रच्छी तरह से मालूम है कि 1984 में जब इस राजस्थान कॉलोनाइजेशन एक्ट के ऊपर फार रीचिंग ग्रौर स्वीपिंग ग्रमेण्डमेंट हो रहे थे जिसका उल्लेख ग्रभी गंगानगर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने किया, दो दफा ग्रमेण्डमेण्ट हुए, उस वक्त यह प्रश्न ग्राया था तो मैंने कहा कि यह जवाई की कालोनी है इसमें करीबन 269 बीघा या 279 एकड़ जमीन ही केवल ग्रलॉटमेण्ट के लिए बची है, फिर वह कॉलोनी क्यों रखते हैं ग्राप? कॉलोनी रखने से लोगों को बहुत हरेशमेण्ट होता है। ग्राप यह मत मानिये कि कॉलोनी करने से वहां पर लोगों को सब सुविधा उपलब्ध हो जाती है। लैण्ड को ट्रांसफर करने के ग्रन्दर, उसके साथ ही दूसरी तरह को कई प्रकार की दिक्कतें कॉलोनी न रहने की वजह से हो जाती है ग्रौर ग्राप यह कह रहे हैं कि ग्रब सरकार 36 साल के बाद, इस एक्ट को पास किया 1954 में ग्रौर 36 साल के बाद में यह सरकार कुम्भकर्णी नींद से, स्लम्बर में से बाहर ग्रायी है ग्रौर बाहर ग्राकर के इस प्रकार का इम्प्रेशन दे रही है कि हम ग्रब कलक्टर्स को जो ग्राथोरिटी दे रहे हैं कालोनी डिक्लेयर करने के मामले में ग्रौर कॉलोनी से कुछ एरिया या पूरा कॉलोनी को विदड्रा करने के मामले में. मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के पावर जो ग्राप कलक्टर्स को देने जा रहे हैं, कॉलोनाइजेशन एक्ट इसलिए बना है कि लैण्डलेस को जमीन देने में प्राथमिकता दी जायेगी, टिनेन्सी एक्ट के ग्रन्दर ग्रौर लैण्ड रेवेन्यू के प्रोसीजरल एक्ट के ग्रन्दर इस प्रकार का प्रावधान नहीं है. यह स्पेशल लॉ है ग्रौर स्पेशल लॉ को ग्राप जनरल लॉ से इसलिए डेबिएट करना चाहते हैं कि राजस्थान में बड़ी-बड़ी कॉलोनीज ग्रा रही थी ग्रौर इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास पाकिस्तान ग्रौर हिन्दुस्तान के बीच में पानी के बंटवारे का ग्रौर जब इण्डस ट्रीटी हो गई ग्रौर तीन नदियों का पानी, रावी, ब्यास ग्रौर सतलज का पानी हिन्दुस्तान को मिलेगा, वह इसी ग्राधार पर मिला था कि राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया ग्रनडवलप्ड है, वर्जिन लैण्ड पड़ी हुई है, ग्रनपोपुलेटेड है, उनको पानी की ग्रावश्यकता है। पण्डित जवाहर लाल नेहरु ने इस सम्बन्ध में वर्ल्ड बैंक का ग्रार्बिट्रेशन मंजूर किया ग्रौर 1960 के ग्रन्दर यह ट्रीटी हुई थी। इसलिए उस पानी का यूटिलाइजेशन करने के लिए भाखरा प्रोजेक्ट ग्राया, भाखरा डैम बना, उस ट्रीटी

(श्री परसराम मदेरणा)

को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका पोंग डैम बना और उस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज कई प्रकार के इन्टर स्टेट डिस्प्यूट कर रहे हैं जिनका उल्लेख हमेशा मुख्य मन्त्रीजी करते रहते हैं, उनको इस मामले में काफी महारत हासिल है। मैं यहां पर इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्पेशल लॉ में यह दो अमेण्डमेण्ट करने की आपकी मंशा क्या है, भूमिका क्या थी ? ऐसे कितने स्पेसिफिक मैटर्स आपके ध्यान में आये इस सरकार में, आपके विभाग के अन्दर, कि सरकार के स्तर पर इतनी देरी हो गई है, उससे लोगों का हरेशमेंट बढ़ रहा है इसलिए यह पावर्स कलक्टर को दे देने चाहिए और उसे आथोराइज्ड कर देना चाहिए कि सेक्शन 2 और 8 के प्रोविजन्स को वह चाहे जैसे ही एक्सरसाइज कर सके और इन्वोक कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि कलक्टर्स को आप अनलिमिटेड डिस्क्रेशनरी पावर्स देने जा रहे हैं और किस कलक्टर को देने जा रहे हैं ? आप उन कलक्टर्स को देने जा रहे हैं जो ऑल इंडिया सर्विस में, इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने के बाद में ढाई साल में कलक्टर बनते हैं। आप ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं, मैं किसी पर एसपर्शन पास नहीं कर रहा हूं लेकिन इनमें से 95 पर्सेन्ट शहरों के रहने वाले हैं। आप उन कलक्टर्स को देना चाहते हैं those who are not son of the soil इंग्लिश लेंग्वेज की मास्ट्री करने के लिए, कनवरसेन्ट होने वाले हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले हैं और उनको उन्हीं के पेरेन्ट्स पढ़ा सकते हैं जो कि शहरों में रहते हैं और पब्लिक स्कूलों में भेज सकते हैं। रिजर्वेशन की वजह से कुछ ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट के लोग आये हैं यह दूसरी बात है लेकिन आम गांव का आदमी जो हल पर हाथ रखने वाला है—कितने कलक्टर्स होंगे इस राजस्थान के अन्दर जो एग्रीकल्चर और इरिगेशन के सम्बन्ध में उनको यह जानकारी है कि बाराबंदी क्या होती है ? कितने कलक्टर राजस्थान के अन्दर होंगे जो इस बात की जानकारी रखते होंगे कि रोटेशन आफ क्राप्स में कौन-सी क्राप इस मौके पर ठीक रहेगी ? कितने कलक्टर्स यह जानकारी रखते होंगे क्योंकि कलक्टर एक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर 30 कमेटियों का चैयरमैन है। उसको एक दिन में एक कमेटी भी अगर वह अटेण्ड करता है, उसको कहां समय है कि वह जाकर वहां पर माइनर इरिगेशन प्राजेक्ट का कुछ एरिया इस एक्ट के प्रावधानों से उसको अलग किया जाये और वह माइनर इरिगेशन का कोई प्राजेक्ट है इसको कालोनी डिक्लेयर किया जाये। माइनर इरिगेशन में कालोनी डिक्लेयर करने की कतई आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए आवश्यकता नहीं है कि अब जो माइनर प्राजेक्ट राजस्थान में बन रहे हैं और ऐसी जमीन जो अनकल्चरेबल लैण्ड है उसको आप कल्चरेबल बना करके एक दो इरिगेशन प्राजेक्ट में एनीक्ट में ले आवे। जो फ्लो इरिगेशन नहीं होगा, कुओं के अन्दर वाटर लेवल ऊपर हो सकता है। मैं नहीं समझता कि राजस्थान के अन्दर कोई भी ऐसा क्षेत्र बचा होगा उस क्षेत्र के अन्दर थोड़ा बहुत भी जो कल्चरेबल लैण्ड है उसको खातेदार नहीं जोत रहा है और खातेदार उसको जोत रहा है तो उसके बाद में उस एरिया को कालोनाईजेशन करके आप क्या करना चाहते हैं ?

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं आपको एक बात कहूं कि सेक्शन 15(ए) में इस बात का प्रावधान है कि जो बड़ी-बड़ी कालोनीज हैं, इनमें एक जवाई की कालोनी है लेकिन 1976 तक गांव तो आपने डिक्लेयर कर दिये नोटिफिकेशन में सरकार ने कलक्टर्स ने कहीं पर भी रूल्स नहीं बनाये अलाटमेन्ट के। रूल्स नहीं हैं वहां पर। जो खातेदारी दी गयी है वह टेनेन्सी एक्ट के नीचे दी गयी हैं। उसमें कतई कालोनाइजेशन एक्ट के प्रावधानों को लागू नहीं किया। जो कलक्टर इतनी लैप्सेज रख सकते हैं, इतने स्लगिश हैं और जो स्पेशल ला के प्रावधानों को मेजर प्राजेक्ट में 1954 से लेकर 1976 तक सो रहे थे उन कलक्टर्स को अनलिमिटेड पावर्स सौंपने जा रहे हैं और किसानों के साथ हरेशमेन्ट का एक वाल्यूम बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं, सभापति जी, यह निवेदन कर रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह स्पेशल ला इसलिए बना कि वाटर मैनेजमेन्ट हो। आप्टीमम यूटिलाइजेशन आफ वाटर किया जाये। इसका उद्देश्य यह भी है कि लैण्डलेस को भूमि आवंटित की जाये, इसका उद्देश्य यह भी है कि लैण्ड को डवलप किया जाये, वाटर कोर्सेस बनाये जायें, इसका उद्देश्य यह भी है कि इसमें बोनाफाइड राजस्थानियों को ही जमीन का आवंटन हो, इसका उद्देश्य यह भी है कि बांध बनने की वजह से जो लोग डिसप्लेस हो जाते हैं या आउस्टीज हैं उनको बसाया जाये, इसका उद्देश्य यह भी है कि एक्स आर्मी पर्सोनल्स हैं जो बहुत कम उम्र में 16–17 साल की उम्र में सिपाही रिटायर हो जाते हैं और 40-41 साल की उम्र के अन्दर रिटायर हो जाते हैं उन लोगों को भी एक पर्टीकुलर एरिया के अन्दर आवंटन किया जाये। पाकिस्तान से रिफ्यूजीज आये उनको भी अलाटमेन्ट दिया गया। पोंग डेम हिमाचल प्रदेश में बना लेकिन जिस किसी काश्तकार के पास एक मुरब्बा जमीन थी, प्रभारी मन्त्री जी उसको यहां पर एक मुरब्बा दी गयी और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पहले टेम्प्रेरी अलाटमेन्ट होता था। जब विभाग मेरे पास में था तो टेम्परेरी अलाटमेन्ट को मैंने बन्द कर दिया क्योंकि इसमें बहुत बड़ा करप्शन था और इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो कुछ यह ला रहे हैं दिखने में ऐसा दिखता है कि न तो कोई वेलिड रीजन है और अगर वेलिड रीजन है और आप इस प्रकार का संशोधन राजस्थान कालोनाइजेशन एक्ट 1954 के सेक्शन 2 और 4 में करने की इनडिस्पेन्सीबिलिटी थी 'इट वाज इम्पेरेटिव'। आप मन्त्री महोदय बिल लेकर सदन में क्यों नहीं आये? अब 29 जनवरी को आर्डिनेन्स को गवर्नर से प्रामलगेट कराते हैं। 1 जुलाई को इसको पब्लिश कराते हैं गजट में और जुलाई और अगस्त में असेम्बली मीट कर रही है। 1½ महीने में 'वाट दी हैवन इज गोइंग टू फौलो'। 'वाट फोर यू वर सिटिंग फोर दीज 45 डेज'? असेम्बली जो अथोरिटी सावरन है, हमारा यह प्रिवलेज है, इस हाउस का प्रिवलेज है, अल्टीमेट सावरन्टी तो जनता के अन्दर है लेकिन हम उनके प्रतिनिधि हैं और यह सदन जो इन्स्टीट्यूशन है यह जनता की विल को रिप्रेजेन्ट करता है और विधि की संरचना करने का अधिकार जो हिन्दुस्तान के संविधान में दिया है आप लिस्ट 3 उठाकर देख लीजिए इस सदन का है, (बी) और (सी) में, और

(श्री परसराम मदेरणा)

जब इस सदन को लेजिस्लेट करने का विशेष अधिकार है, असेम्बली सैशन में नहीं हो और इन्टर-पीरियड सेशन के अन्दर आप जो लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नमेन्ट के पास कनफर्म की गयी है, स्पेशल सरकमस्टान्सेज में—यह आर्डिनेन्स प्रामलगेट करने की जो टेन्डेन्सी है इस हाउस को सावरन पावर्स को इरोज करने का एक प्रयास है। यह आर्डिनेन्स प्रामलगेट करने की जो तत्परता दिखाती है सरकार हर वक्त यह हाउस को बाई पास करने का एक चोर तरीका है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सदन को बताइये और सदन यह जानना चाहता है कि कितने ऐसे मामले थे जिनके अन्दर गवर्नमेन्ट को प्राम्प्टली डिसीजन लेना चाहिए था और सेक्शन 2 और 4 को इमीजियेटली इनवोक करना चाहिए था और इनवोक नहीं किया कालोनी डिक्लेयर करने के लिए और किसी एरिया से एक्ट के प्रावधानों को विदड्रा करने के लिए। इसलिए गवर्नमेन्ट को लाचारी के अन्दर यह पावर्स आगे जाकर डेलीगेट करनी पड़ रही हैं कलक्टर्स को और उस कलक्टर को इसलिए डेलीगेट करनी पड़ रही हैं, क्योंकि वह बहुत प्राम्प्ट है, बहुत विजिल है, वह बहुत क्विक है। गवर्नमेन्ट आइडल है, गवर्नमेन्ट स्लगिश है, गवर्नमेन्ट एक्शन नहीं ले सकती। इसके यहां बहुत ज्यादा इनआर्डीनेट डिले होती है। जब इतनी कालोनी डवलप हो गयी तब तो गवर्नमेन्ट बहुत अलर्ट थी और क्विक थी और अब वन फाइन मार्निंग आप को ज्ञान प्राप्त हो गया कि अब कलक्टर्स को आथोराइज नहीं किया तो काम चलने वाला नहीं है माइनर इरिगेशन के मामले में। मेरा सभापति महोदय यह सजेशन है कि जो छोटे-छोटे बंधे हैं—वहां पर आपको कालोनाइजेशन एक्ट लागू ही नहीं करना चाहिए। कोई मतलब नहीं है उससे। लोगों में ज्यादा हरैसमेन्ट होता है। यह मेरा निजी अनुभव है काश्तकारों से पूछ लीजिए आप। इसलिए छोटे-छोटे बंधों को आप कालोनाइजेशन में लेकर और जहां बड़े बंधे हैं मेजर प्राजेक्टस हैं जिसको 15 (ए) में कोई अख्तियार नहीं था लैण्ड का अलाटमेन्ट आर्डिनेरी एग्रीकल्चरल अलाटमेन्ट रूल्स, 1957 के अन्दर पूरे जवाई प्राजेक्ट एरिया में हुआ था। 1976 में जब यह मुझे मालूम हुआ कि कलक्टर इस एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन है मैंने उस वक्त के डिप्टी सैक्रेटरी श्री बालासहाय जी थे पूछा कि यह मेजर प्राजेक्ट है या मीडियम क्योंकि हर प्राजेक्ट के अलग-अलग रूल्स हैं और जनरल कालोनी कंडीशन्स उस पर लागू है, यह कैसे है, उसमें तो कलक्टर है चेयरमैन। उन्होंने कहा कि यह तो बहुत बड़ा लैप्स रह गया, रूल्स बने ही नहीं। फिर जनता सरकार बनी और 1978 में वह रूल बनाये गये। उनको भी, उनके पेजेज को आप अच्छी तरह से देख लेना। एक बीघा वहां जमीन नहीं है।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य जब आपके वर्दी प्रीडिसेसर थे, उस वक्त मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि इन कालोनी के अन्दर दो सौ और कुछ बीघा जमीन रह गई है, इसमें सैक्शन 4 को इन्वोक करके इमीजिएटली इसको विदड्रा कर लीजिये। इन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया था। बहुत बड़

(श्री परसराम मदेरणा)

अमेंडमेंट इफेक्ट कर रहे थे। गंगानगर में एजीटेशन होने की नौबत आ गई थी। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, क्योंकि हमारी उस समय कांग्रेस सरकार की तैयारी जेल भरने की नहीं थी इसलिये जैसे अमेंडमेंट चाहते थे, थोड़ा-बहुत डाइल्यूट करते हुए हमको दो दफा अमेंडमेंट करने पड़े काश्तकार को संतोष देने के लिये ताकि उनके असंतोष को कम किया जा सके इसलिये मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि आप हमको यह बता दीजिये कि कितने केसेज स्पेसिफिक थे जिसमें डिले हो गई है और उसके बाद इसकी आवश्यकता पड़ी और वह भी आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता पड़ गई।

दूसरा, मुझे आप यह बताइये कि इस आर्डिनेंस के प्रामलगेशन के बाद कलक्टर ने सैक्शन 2 और 4 को कितनी कोलोनीज के सम्बन्ध में इन्वोक कर लिया। क्योंकि आप तो आइडल हैं और वे बहुत क्विक हैं। उसने प्राम्पटनैस कहां दिखाई? कितने कलक्टर्स ने राजस्थान में दिखाई हैं? उन्होंने इन दो सेक्शन्स को इन्वोक किया है या नहीं किया है? अगर यह नहीं किया है तो यह सरकार इस सदन की सोवरेनिटी के ऊपर कुठाराघात कर रही है, इनकी स्पेशल प्रिविलेजेज के ऊपर कुठाराघात कर रही है, जो लेजिस्लेट करने का हमारा अधिकार है, किसी भी कानून के बनाने के सम्बन्ध में। अभी यहां पर एम. एल. एज. के लिये प्रबोधन कार्यक्रम चला तो सदन के नेता कह रहे थे कि लेजिस्लेटिव बिजनस की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिये और लेजिस्लेट करने के लिये टीनेन्सी एक्ट का उन्होंने उदाहरण दिया था। मैं एक बात आपसे यह पूछ रहा हूं कि इन दो सैक्शन्स में पावर्स देने की बात कह रहे हैं लेकिन राजस्थान टीनेन्सी एक्ट और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के ऊपर यहां कमीशन बैठा था जिसमें जस्टिस भण्डारी थे और ड्राफ्ट बिल आपके यहां पड़ा हुआ है पिछले 15 साल से जिस पर रेत चढ़ी हुई है। Half of the sections of that Act are redundant now, notonly in Tenancy Act but in Land RevenueAct also. उस एक्ट से लेकर यहां पर तमाम टेन्योर और सिस्टम को देखकर इस नतीजे पर नहीं पहुंचते कि कलक्टर्स को इस तरह की पावर डेलीगेट की जाय।

इसलिये मैं अन्त में, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये हैं, मुझे तो एक भी वेलिड रीजन, बहुत कोशिश की पढ़ने की, सैक्शन (2) में वर्डिंग्स में परिभाषा ठीक की है, संरचना की उसकी, फिर आपने डेफिनेशन दी है मेजर, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की, फिर कलक्टर्स को पूरी कालोनी को या कालोनी के कुछ एरिया को यह करने की आपने दी है। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा। आप रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, पेड़ उगाने के लिये कुछ लोगों को या जयपुर के आसपास हरा-भरा बनाने के लिये जो आथोराइज किया था कलक्टर्स को और कलक्टर्स के अधीनस्थ जो अधिकारी थे, तीन हजार मामलों में जो घपला हुआ है, उसमें बहुत सीनियर आफिसर्स हैं। इनके हाथ में, बन्दर के हाथ में उस्तरा दे दिया,

(श्री परसराम मदेरणा)

यह तो जमीन ठीक जायेंगे । मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, कलक्टर ने अपने रीयल ब्रदर को जमीन अलाट की थी । मैंने, गवर्नमेंट लेवल पर 1957 के रूल्स के अन्दर कैंसिल की । इसलिये आज जो यह पावर देने जा रहे हैं, कालोनियों को निकालने की बात कह रहे हैं, कालोनियों के अन्दर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन्स हैं और आर्डिनरी अलाटमेंट रूल्स बहुत लिबरल हैं । इसलिये यह जो आर्डिनेंस लाये हैं, क्योंकि आप तो स्लगिश हैं ही और बाड़मेर के रहने वाले हैं, बाड़मेर के लोग आप जानते हैं मंत्री महोदय कि काफी लोग ऊंघते रहते हैं, क्योंकि डोडे ज्यादा पीते हैं वहां पर अफीम के । यह सरकार ऊंघते-ऊंघते इस आर्डिनेंस को प्रोमलगेट करा लिया, इस सदन में हम सब बैठे-बैठे टुकर-टुकर आपके सामने देख रहे हैं कि आर्डिनेंस आ गया, अब इसको तो बिल बनाना पड़ेगा । क्यों बनाना पड़ेगा ?

श्री दिग्विजय सिंह : वैसे यह मारवाड़ की कल्चर है ।

श्री परसराम मदेरणा : यह कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है । यह कानून राजस्व से सम्बन्ध रखता है । आपके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है जिसको लेने की उनकी हिम्मत है नहीं ।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बेनामी ट्रांजेक्शन जो यहां पर हुए हैं और बेनामी अलाटमेंट हुए हैं । जयपुर के आसपास, इस सदन में इस सत्र में यह बतायें, बहुत बड़ी न्यूज यहां पर आई है और यह सदन जानना चाहेगा कि इस प्रकार के जो अलाटमेंट हुए हैं, उनमें गलत आदमियों ने श्रीमती के नाम, अपने पिता के नाम, और किसी के नाम से, कौन-कौन से लोग थे और किस-किस का इन्फ्लुएन्स था, आप कभी बेरी को पकड़ते हैं, घूम फिर कर पुनः बेरी पर आते हैं, फिर उसको खटाई में डालने के लिये एक कमेटी बना देते हैं और उसको लटकाये हुए रखते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी अवैधानिक कार्य यहां हुई है उसको हम ठीक करेंगे, करप्शन को मिटा देंगे, प्रशासन को संवेदनशील बनायेंगे, कानून में अगर कमी हुई तो कानून में संशोधन ले आयेंगे और लोगों में अन्त्योदय योजना लागू करेंगे और गणेश की पूजा कर देंगे । लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अन्त्योदय योजना जो है आपकी, जिसकी आज इन्टरनेशनल रेपुट है, उसको लागू करने के बाद 1979-80 में जो चुनाव हुए लोक सभा और विधान सभाओं के, उसमें आपकी दुर्गति क्यों हुई ? जब अन्त्योदय योजना इतनी पापूलर थी, इतनी छाप थी उसकी लोगों पर, लोगों पर जिसका इतना इमप्रिंट था, उसके बाद आपकी दुर्गति क्यों हुई ?

इसलिये मेरा निवेदन करना है कि यह जो अध्यादेश आपने प्रोमलगेट किया है, लेजिस्लेचर को बाई पास किया है, उसके लिये जो मैंने परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है, अन्य माननीय सदस्यों ने भी प्रस्तुत किया है संविधान के अनुच्छेद 213 के अन्दर, उसको स्वीकार करें । अनुच्छेद 213 के नीचे यह सदन सक्षम है कि किसी भी

(श्री परसराम मदेरणा)

अध्यादेश को अस्वीकार करें। उसके बाद में यह जो आपके दूसरे हैं, विधेयक को पुरः स्थापित करने आदि के प्रस्ताव, वह सारे बिल वगैरह आप रोल करके सैक्रेटेरियेट पधारें। मेरी सदन से यही अपील है।

मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अध्यादेश की कभी भी आवश्यकता नहीं थी, कोई रीजनविलनेस नहीं थी, कोई विजडम नहीं थी, कोई प्रूडेन्स नहीं थी और कोई इसके वेलिड आब्जेक्ट्स नहीं थे। कोई इसके उद्देश्य नहीं थे और कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, कोई ऐसी सरकम्स्टांसेज नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे जो वारन्ट करते हैं कि इस प्रकार के अध्यादेश को प्रामलगेट करते। बल्कि बिल की भी आवश्यकता नहीं है, अध्यादेश तो दूर की बात है। इसलिये आप बतायें, दोनों बातों का जवाब दें। एक तो यह बतायें कि आपके लेवल के ऊपर डिले कितनी हुई। पिछले 36 वर्षों में कितने मामले डिले हुए जो आपको यह पावर्स आज कलक्टर्स को डेलीगेट करने पड़ रहे हैं। 36 साल के बाद में जब कालोनीज करीब-करीब डवलप हो चुकी हैं सिवाय इन्दिरा गांधी कैनाल के।

कुछ strips of land जरूर रह गई हैं, लेकिन strips of land के लिये इस प्रकार के अधिकार देने या कालोनी को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। Colony has already been declared. इसलिये मेरा अनुरोध है कि स्पेशल ला जो है वह ट्रेडिशनल पीरियड के लिये है, इस बात को आप मानिये। और अगर सरकार को यह रीयलाइजेशन नहीं है, तो सरकार बहुत भूल-भुलावे में है और गलत कर रही है। आपका यू. आई. टी. एक्ट है, उसके अन्दर और नगर पालिका एक्ट के अन्दर भी है कि एरिया डवलप होने के बाद जनता की जो रिप्रेन्टेटिव बाडी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, उसको ट्रांसफर कर देना चाहिये। और इस एक्ट का मतलब है कि यह जनरल एक्ट है, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट है। यह स्पेशल एक्ट सरटेन रेस्ट्रिक्शंस के साथ में, सरटेन लोगों को जमीन अलॉट कराने के लिए, सरटेन एरिया को डवलपमेण्ट करने के लिए और इरिगेशन प्रोजेक्ट में मेक्सिमम पानी के यूटिलाइजेशन के लिए, अलाटमेण्ट में धांधली नहीं हो, इसको समाप्त करने के लिए और उसके बाद में जो एरिया डवलप हो जाए उसके बाद में इस एक्ट का आपरेशन इमीजिएटली विदड्रा होना चाहिए और एक जनरल ला एप्लीकेबल होगा वह राजस्थान टीनेन्सी लॉ होगा, दूसरा नहीं होगा। आज खातेदारी कई कानूनों के नीचे मिली हुई है, आप खुद जानते हैं। एक एक्ट के नीचे नहीं मिल रही है। जो राजस्थान अस्र्व्टहाइल स्टेट्स थीं, टेन्योर सिस्ट्म सब गड़बड़ थे। कोई कानून नहीं था। इसलिए आज जागीरदारी एक्ट के नीचे खातेदारी मिल रही है, टिनेन्सी एक्ट के नीचे मिल रही है। इस कालोनाइजेशन एक्ट के नीचे मिल रही है। जमींदारी और बिस्वेदारी एक्ट के नीचे मिल रही है और इस प्रकार के एक-दो कानून और हैं जिनके अन्तर्गत खातेदारी मिल रही है। यह सब कानून इसलिए बनाने पड़े, यहां पर जितने भी

(श्री परसराम मदेरणा)

इम्पेडीमेंट्स टिन्योर सिस्टम के अन्दर सैटल होने के अन्दर, थे उनके लिए अलग-अलग कानून बनाकर के और उसके बाद में उनका आपरेशन बन्द किया जाना था। कोलोनाइजेशन एक्ट एक लिमिटेड पीरीयड के लिए ट्रांजिशनल पीरियड के लिए, एक विधि है और अब इस विधि की आवश्यकता मेजर प्रोजेक्ट में नहीं है। जैसा जवाई का एक उदाहरण दिया मैंने आपको, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए आप सिर्फ कालोनी डिक्लेयर करके क्या करना चाहते हैं? वहां पर आप नहरें बनायेंगे? वहां पर आप अलाटमेण्ट करेंगे? जमीन एक बीघा नहीं है, नहर बन नहीं सकती, छोटे-मोटे खालियां हैं, अगर वह दो सौ या सवा सौ बीघा का एक छोटा इरिगेशन का कोई बन्धा बना है तो उसमें पलो इरिगेशन अपने-आप हो जायेगा जहां पर बैड कल्टीवेशन है। सभापति महोदय, राजस्थान कालोनाइजेशन (अमेण्डमेण्ट) आर्डिनेन्स, 1991 को, मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि डिसअप्रूव करें और आउट राइट रिजेक्ट करें।

श्री सभापति : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : सभापति महोदय, राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1991 के सेक्शन 2 को अस्वीकार करने के लिये मैंने प्रस्ताव किया है। जैसा कि भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तार से अपने विचार रखे और अन्य माननीय सदस्यों ने विचार रखे, कालोनाइजेशन एक्ट बना, कालोनीज को डवलप करने का सरकार का विचार था। उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि जो लोग भूमिहीन हैं, जो जमीन की काश्त करना चाहते हैं उन लोगों के लिये जमीन की, भूमि की व्यवस्था की जाय और उस भूमि को सरकार की ओर से विकसित किया जाय और उसके माध्यम से उत्पादन को बढ़ाया जाय। आज जो यह अमेंडमेंट सरकार लेकर आयी है इसमें भी तीन तरह की सिंचाई व्यवस्थाओं की चर्चा की गई है, मेजर, मीडियम और माइनर।

जहां तक माइनर प्रोजेक्ट का सवाल है या मेजर प्रोजेक्ट का सवाल है, मैं इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के संदर्भ में कहना चाहूंगा। हालांकि वहां पर बहुत जमीन पहले ही अलाट हो चुकी है, बहुत कम जमीन है लेकिन जो जमीन अलाट हुई है उसमें जितनी अनियमितताएं, मंत्रीजी बरती गई हैं और जिन लोगों को जमीन अलाट की गई है, क्या वह लोग वास्तव में काश्त करने में रुचि रखते थे या काश्त कर रहे हैं या आगे के लिये वह उस जमीन पर काश्त करेंगे? चूंकि समय समय पर इस तरह के आरोप लगे और वह आरोप नहीं हैं, वह वास्तविकताएं हैं, जो जो लोग इस विभाग के मंत्री रहे या जो जो लोग इस विभाग के कमिश्नर रहे उन्होंने अपने चहेते लोगों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को वहां पर जमीन आवंटित की और कहना चाहिये ऐसा करके उन्होंने राष्ट्र के लिये एक बड़ा अहित का कार्य किया। जो उत्पादन बढ़ना चाहिये था, जो लोग वास्तव में खेती करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं,

(110)

(डा० चन्द्रभान)

भूमिहीन लोग हैं उनको खेती का काम करने का अवसर नहीं मिला। इसके बजाय कुछ लोगों को छूट की बात से, आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिये या सम्पत्ति बनाने के लिये इसका दुरुपयोग किया गया। इसी के तहत मैं कहना चाहूंगा, आज जब आप कलक्टर को माइनर प्रोजेक्ट के लिये अधिकृत कर रहे हैं, उनको अधिकार दे रहे हैं, कलक्टर के पास में, मंत्रीजी, वैसे ही अधिकार बहुत ज्यादा हैं, पहले से ही उनके पास जिले के बहुत ज्यादा काम हैं। फिर यह कहना चाहूंगा, जयपुर के संदर्भ में जब चर्चा होगी तो जयपुर के बारे में कहना चाहूंगा। आज से एक महीने पहले जयपुर के कलक्टर साहब ने खुद यह स्वीकार किया कि पेड़ पौधे लगाने के लिये जिन लोगों को जमीन आवंटित की गई उसका सदुपयोग नहीं हुआ। जमीन किन लोगों को अलाट की गई? वह लोग वर्तमान में मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, राजनैतिक नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं और उनमें भी ज्यादातर जमीन बड़े बड़े अधिकारियों को अलाट की गई हैं। वहां पर पौधे के नाम पर कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ है।

इसी तरह से बाड़मेर और जैसलमेर जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जो लोग उस इलाके के रहने वाले हैं, जिन लोगों का अपना मवेशी चराने का पुराना धंधा था, लेकिन अब खेती करने लग गये हैं उन लोगों को तो जमीन अलाट नहीं होती है या कहना चाहिये कि जोधपुर, बीकानेर और चूरू के लोगों को अलाऊ नहीं होती है, जो लोग बाहर के रहने वाले हैं या कहना चाहिये जो लोग जयपुर में रहते हैं, जो दूसरा धंधा करते हैं, बड़े आदमी हैं उनके लड़के और लड़कियों के नाम से जमीन अलाट हो रही है मंत्रीजी, आप इस मामले में कृपया जांच करवायें, ऐसे बहुत सारे मामले हैं. आप जांच करायेंगे तो आपके सामने आयेंगे, जिस तरह से जयपुर में हुआ है उसी तरह से समूचे राजस्थान में हो रहा है।

कलक्टर्स को जहां तक अधिकार देने का सवाल है, मैं इसका विरोध करता हूं। इसलिये भी विरोध करता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और कलक्टर्स के पास में पहले ही बहुत ज्यादा काम है। सरकार खुद को इस जिम्मेदारी को वहन करना चाहिये।

इसी के साथ साथ, यह कालोनाइजेशन एक्ट बना था, कालोनीज को डवलप करने का काम था वह पूरा नहीं हुआ है। जो भी आपकी कालोनीज हैं, चाहे इंदिरा गांधी नहर परियोजना में हैं, अन्य आपके जितने माइनर और मीडियम प्रोजेक्ट हैं उनको डवलप करने के लिये सरकार ने अब तक क्या काम किया है और सरकार इस बारे में क्या योजना बना सकती है वह बतानी चाहिये।

इस अमेंडमेंट का जहां तक सवाल है, विधान सभा का सेशन होने वाला था तो इतनी क्या जल्दी थी कि इसको आप आर्डिनेन्स के माध्यम से यहां पर लाये हैं। आप बिल प्रस्तुत करते। यह किसानों से संबंधित सवाल था जिस पर हम सभी लोग

(डा. चन्द्रभान)

यहां पर अपने विचार रखते, इस पर विचार विमर्श होता फिर उसके बाद कोई विधेयक तैयार होता। तो मैं अन्त में इस अध्यादेश का पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं और सरकार से कहना चाहूंगा कि वह इस अध्यादेश को वापस ले।

श्री सभापति : माननीय श्री चन्दनमल बैद।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : माननीय सभापति महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की अद्‌भुत जानकारी और विद्वता और याददाश्त के बाद इस आर्डिनेन्स और विधेयक के बारे में कहने को कुछ बाकी नहीं रह जाता है। अगर इतनी बड़ी जानकारी के बाद भी यह सरकार यह समझती है कि इस आर्डिनेन्स को स्वीकार किया जाय और विधेयक को पास किया जाय तो मैं यह समझता हूं कि सरकार की यह हठधर्मी ही होगी, इसके सिवाय और कुछ नहीं है।

मैं इस विधेयक के बारे में, इस आर्डिनेन्स के बारे में कुछ ऐसी बातें निवेदन करना चाहता हूं जो मेरे जिले से और इलाके से सम्बन्धित हैं, निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। इस विधेयक द्वारा, आर्डिनेंस द्वारा कालोनाइजेशन में नीति सम्बन्धी कुछ फेरबदल किये गये हैं। पहले जो मेजर, माइनर, मीडियम इर्रिगेशन की डेफिनेशन थी वह पीक्यूनरी लिमिट के हिसाब से थी, पैसों के हिसाब से थी कि इतने पैसे खर्च होते हों, इतनी धनराशि खर्च होती हो तो यह प्रोजेक्ट मेजर होगा, इतनी धनराशि खर्च होती है तो यह प्रोजेक्ट मीडियम होगा, इतनी धनराशि खर्च होती है तो यह प्रोजेक्ट माइनर होगा। लेकिन सरकार इनको बदल कर ला रही है और वो है एरियाज के हिसाब से अगर कोई प्रोजेक्ट इतनी एरिया को सिंचित करता है तो मेजर हो जायेगा, और इतने एरियाज को सिंचित करता है तो मीडियम या माइनर हो जाएगा। तो नीति सम्बन्धी फेर-बदल कोलोनाइजेशन एक्ट में यह कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर एक नीति सम्बन्धी फर्क कर रहे हैं तो दूसरा नीति सम्बन्धी फर्क भी जो कि कालोनाइजेशन एक्ट से सम्बन्धित हैं जिससे लोगों को परेशानियां और दिक्कतें हो रही हैं उनको भी चेंज करना चाहिए था क्योंकि आपका मानना है कि आप यह चेंज इस वास्ते कर रहे हो कि माइनर प्रोजेक्ट्स का जो कालोनाइजेशन का काम है वह कलक्टर्स को दे दिया जाय और आप यह मान्यता रखते हो, क्योंकि मेरा यह मानना नहीं है, आप मानते हो कि इससे जनता को सुविधा होगी। मैं कहता हूं कि जिन नीतिगत कारणों से जनता को परेशानियां और दिक्कतें हो रही हैं उनको भी आपको चेंज करना चाहिए। जब नीतिगत फर्क आप कर रहे हैं, एक बदलाव ला रहे हैं तो दूसरे नीतिगत बदलाव भी आपको लाने चाहिए थे वह मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपने यह तय नहीं किया कि किसी जगह पर कालोनाइजेशन एक्ट लागू करने के पहले यह देखेंगे या नहीं कि वहां नहर कब आ रही है, प्रोजेक्ट का काम कब शुरू होने वाला है। वह तो आपने सोचा नहीं और फलानी जगह योजना बन गई और उसके पूरी होने के 20 साल पहले ही आपने कालोनाइजेशन एक्ट जारी कर दिया। वह

(श्री चन्दनमल बैद)

कोलोनाइजेशन एक्ट लागू करने से, कालोनी बनाने से किसानों पर बड़ी भारी परेशानी आ जाती है, उनके खातेदारी राइट जो अभी भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि 5-6 कानूनों के तहत उनको खातेदारी राइट मिलते हैं। उन पर कुठाराघात हो जाता है। फिर वह अपनी जमीन का ट्रांसफर नहीं कर सकते, अपनी जमीन पर लोन नहीं ले सकते। तो वह आपको सोचना चाहिए कि कालोनाइजेशन एक्ट को जारी करने से पहले किस एरिया में कब तक पानी आ जावेगा कब तक नहर आ जाएगी उसका आप ख्याल रखें। यह निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि नोहर-साहिवा लिफ्ट योजना जो चूरू जिले में आने वाली है उसका काम जिस रफ्तार से चल रहा है वह बीस साल तक चूरू जिले में नहीं आएगी और आपने कालोनाइजेशन एक्ट अभी जारी कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आज वहां के सारे किसान परेशानी में पड़ गये। वह अपनी जमीन पर लोन नहीं ले सकते, उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसका इम्प्रूवमेन्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनको मालूम नहीं कि मेरी कौनसी जमीन कालोनाइजेशन एक्ट के नीचे चली जाएगी और कौनसी जमीन मेरी रहेगी। कितना बड़ा नुकसान हो गया। बीस साल तक किसान अपने खेत को बेच नहीं सकता, लोन नहीं ले सकता उस पर, उसका ट्रांसफर नहीं कर सकता, इम्प्रूवमेन्ट नहीं कर सकता। यह कितनी बड़ी भूल हो गई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां इसमें नीति सम्बन्धी फर्क कर रहे हैं, यह भी इसमें बनाइये कि नहर, पानी आने के कितने दिन, कितने साल पहले आप कालोनाइजेशन एक्ट जारी करेंगे।

दूसरी बात, सभापति महोदय, इस नोहर-साहवा योजना के तहत चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के 38, सरदारशहर के 56 और तारानगर तहसील के 66 गांव यानि 160 गांव इसमें आने वाले हैं जिन पर यह एक्ट लागू कर दिया। और कालोनाइजेशन की तहसील तारानगर रखी है और हैड-क्वार्टर उसका तारानगर से 220 कि. मी. दूर बीकानेर में रखा है। अब एक किसान राजगढ़ से 250 कि.मी., तारानगर से 235 कि.मी, और सरदार शहर से 165 कि.मी. दूर बीकानेर में जायेगा, और कहते क्या हैं कि तारानगर में कोई भवन उपलब्ध नहीं है। नहर की पूरी कालोनी बनी हुई है, साहवा, तारानगर में बनी हुई है, भवन पड़े हैं, उनके दरवाजे चोरी हो रहे हैं, उनमें कुत्ते-बिल्लियां टट्टी कर रहे हैं और आप कहते हैं भवन उपलब्ध नहीं है। केवल इस वास्ते कह रहे हैं कि सरकारी अफसर जो हैं वह आराम से बीकानेर में रहना चाहते हैं। वह तारानगर में आकर नहीं रहना चाहते इसलिए आपने कर दिया कि कालोनाइजेशन तहसील तो तारानगर में बनाई है क्योंकि यह राजगढ़ और सरदारशहर के बीच में पड़ता है और हैडक्वार्टर रखा बीकानेर। अगर तारानगर में भवन उपलब्ध नहीं हैं तो क्या राजगढ़ और सरदारशहर में भी भवन उपलब्ध नहीं है? और अगर नहीं है तो वहां के एम. एल. ए. जो मिनिस्टर हैं सरदारशहर के, उनसे आपने क्यों नहीं कहा? मैं भी तारानगर का एम.एल.ए. हूं, मुझसे कह सकते थे, बता सकते थे....

श्री भवरलाल शर्मा (इंदिरा गांधी नहर मन्त्री) : मैं तारानगर में भवन दिला सकता हूं, सरदारशहर में भी भवन उपलब्ध हो जायेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : यह लीजिए, वहां के जो नहर के मन्त्री हैं वह कह रहे हैं कि भवन देने के लिए तैयार हूं इसके बावजूद आपका बहाना यह है कि भवन नहीं मिल रहा है इसलिए हैडक्वार्टर बीकानेर बना दिया। सभापति महोदय, मेरी दलील यह नहीं है कि आप इसका हैडक्वार्टर कहां पर रखें। मेरी दलील यह है कि जिस कालोनाइजेशन एक्ट को जारी किया है उसको डी-कालोनाइज कीजिए जिससे किसानों की मुसीबतें, दिक्कतें और परेशानियां दूर हो सकें। आज किसान मारे-मारे, भागे-भागे फिर रहे हैं और जो मंत्री महोदय आपके पीछे बैठे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं जो परेशानियां और दिक्कतें राजगढ़, तारानगर और सरदारशहर के किसानों को हो रही हैं क्योंकि नहर आने के बीस साल पहले ही वहां कालोनाइजेशन एक्ट जारी कर दिया जो बिल्कुल गलत और बेइमानी है। इस वास्ते निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर गौर करें और इस चीज पर ध्यान दें।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति जी, अभी इंदिरा गांधी नहर मंत्री जमीन देने की तत्परता दिखा रहे थे, जमीन दे रहे हो कि बिल्डिंग दे रहे हो ?

श्री भंवरलाल शर्मा : भवन के लिए कहा है साहब, सरदारशहर में भी भवन उपलब्ध है और तारानगर में भी है।

श्री परसराम मदेरणा : किराये के लिए या जमीन दोगे आप ?

श्री सभापति : भवन की सुविधा दे रहे हैं चाहे किराये का हो चाहे वैसे हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो पी.डब्ल्यू.डी. की रेट के मुताबिक हो जायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : जमीन देने से मकान नहीं बनते, अगर मकान बनाने हैं और जमीन दे रहे हो तो कालोनाइजेशन मंत्री से पूछें कि उनके पास प्रावधान है या नहीं मकान बनाने का ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी मकान आल-रेडी बने हुए हैं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, अध्यादेश सं. 2, राजस्थान कालोनाइजेशन अध्यादेश सं. 2 जो प्रख्यापित किया गया है राज्यपाल महोदय द्वारा उसको अस्वीकार करने के लिए माननीय सदस्यों ने एक संकल्प पेश किया है। मैंने माननीय सदस्यों की सारी बात सुनी। माननीय प्रो. केदार की यह आपत्ति थी कि अलाटमेन्ट आपने पोस्टपोन क्यों कर दिया। कुछ और आपत्तियां आपने कीं, कल्ला साहब ने कीं, मदेरणा साहब ने भी बहुत कुछ कहा और माननीय बैद साहब ने भी कहा। सभापति महोदय, जब किसी कानून को लागू करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में कोई अरजेन्सी मालूम होती है तो अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो जाता है। यह जो अध्यादेश हमने जारी करवाया है इसमें दो बात हुई हैं। पब्लिक इंटरेस्ट यों था कि जो माइनर इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनका एरिया जब इरिगेशन डिपार्टमेन्ट घोषित करता है कि यह कमाण्ड में आने के

(श्री गंगाराम चौधरी)

काबिल है, यहां पर पानी मिल जाएगा। कमाण्ड एरिया घोषित करने के लिए प्रस्ताव मूव होता है नीचे के स्तर से, कलक्टर से होकर के राज्य सरकार तक आता है। एक लम्बा प्रोसेज हो जाता है जिसमें एक स्टेप कम करने के लिए सरकार ने आवश्यक समझा कि कलक्टर अपने स्तर पर ही अगर फैसला कर ले तो कलक्टर से जो प्रस्ताव राज्य सरकार तक आते हैं और राज्य सरकार उनको अपने स्तर पर तय करके वापिस मन्जूरी देकर भेजती है, यह समय बीच में जो लगता है इसकी आवश्यकता हमने नहीं समझी क्योंकि जो छोटे, लघु प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कलक्टर स्वयं अपने स्तर पर अगर निर्णय ले ले तो जल्दी से, आसानी से लोगों को उस प्रोजेक्ट का लाभ मिल सकता है वर्ना घोषणाओं में एक लम्बा समय लगता था। होना तो यह बहुत पहले चाहिए था। पहले की सरकार नहीं कर पाई थी। हालांकि प्रस्ताव बहुत पहले से सरकार के पास विचाराधीन था और निर्णय अब यह लिया गया। अरजेन्सी यह थी कि कई ऐसे लघु प्रोजेक्ट पिछले 8–10 सालों में जो बने उनके प्रस्ताव सरकार के पास आते थे, समय लगता था दिन-ब-दिन लघु, छोटे जो प्रोजेक्ट बनते जा रहे थे इसलिए यह आवश्यक समझा गया और राज्यपाल महोदय ने जो स्वीकृति दी है जारी करके, मैं समझता हूं इसमें सरकार की ओर से या राज्यपाल की ओर से जन-हित की अरजेन्सी को देखते हुए जो किया है, वह सही किया है। यह जरूर कहा कि राज्यपाल महोदय को अपना माइण्ड एप्लाई करना चाहिए और जैसा सरकार कहे वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने कांस्टीट्यूशन में ही अमेण्डमेण्ट करके, पिछली केन्द्रीय सरकारों ने कांस्टीट्यूशन में अमेण्डमेण्ट करके खास तौर से इस चीज को लागू किया था कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को किसी तरह से अपना माइण्ड एप्लाई करने के बजाय केवल मात्र कौन्सिल आफ मिनिस्टर्स का जो निर्णय होगा, या प्रस्ताव होगा, उसको स्वीकृति देंगे। यह कोई हमारी गलती नहीं है। इसमें पिछली सरकारों ने ही ऐसा किया है। यह तो एक जनहित की बात थी। यह एक छोटा-सा आर्डिनेंस, बिल है। इसकी स्वीकृति करने में मैं समझता हूं राज्यपाल महोदय ने किसी प्रकार की कोई भूल नहीं की है। अलाटमैण्ट पोस्टपोण्ड जो हुए हैं हमारी इंदिरा गांधी कैनाल एरिया में, उसमें कुछ आवश्यकताएं थी। सभापति महोदय, इनमें जनरल और स्पेशल, दोनों अलाटमैण्ट आरम्भ किये गये थे लेकिन अलाटमैण्ट शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद में इस प्रकार की शिकायतें आने लग गई कि राजस्थान के बाहर के लोग वहां पर आ रहे हैं, जमीनें देख रहे हैं और स्पेशल और जनरल अलाटमैण्ट के लिए कुछ दरख्वास्तें दे रहे हैं और इसलिए इस पर रोक लगाना और इसकी जानकारी करना हमने आवश्यक समझा और अलाटमैण्ट को रोक कर मुख्य मंत्रीजी ने कुछ मंत्रियों की उप समितियां बनाई और मंत्री लोग भी वहां पर उस इलाके में गये थे और उन्होंने जाकर मामले का निरीक्षण भी किया। यह अवश्य था कि अब तक स्पेशल अलाटमैण्ट के लिए कोई दरख्वास्त किसी ने नहीं दी थी। लेकिन ऐसा जरूर मालूम हुआ कि कुछ लोग वहां पर आये थे।

(श्री गंगाराम चौधरी)

और उन्होंने जमीनों का मुआयना किया था। जमीनें देखकर वह आफिस गये थे। हो सकता है उनका इरादा हो। वह उप समितियां जो बनाई गई थीं, उसकी रिपोर्ट आने पर ही सरकार उस पर निर्णय लेगी और आवश्यक हुआ तो वह नियमों में कुछ ऐसे संशोधन भी करेगी जिससे बाहर के आदमियों पर कुछ ज्यादा सख्ती से रोक लगाई जा सके। अब तक पुराने नियमों में कुछ ढील सी है, हम उसको देख रहे हैं। इस वजह से हमने अलाटमैण्ट रोक दिये थे। माननीय कल्ला जी ने कहा कि भूमिहीनों को अलाटमैण्ट नहीं होता है, पिछली बार जो जनरल अलाटमैण्ट किये हैं उसमें लगभग 50....

श्री परसराम मदेरणा : इसमें आप अंतिम व्यक्ति को क्यों नहीं ले रहे हैं। उसको अलाटमैण्ट में फर्स्ट प्रिफरेन्स दीजिए।

श्री गंगाराम चौधरी : वह हमारी प्रायोरिटी में पहले से ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका विचार सुन्दर है। उस पर विचार करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री डेमोक्रेट हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, वह प्रावधान पहले से ही है और मुख्यमंत्री जी ने कहा हम उस पर विचार कर रहे हैं। माननीय मदेरणा साहब ने टीनेन्सी एक्ट, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के बारे में कुछ बातें कहीं। बहुत पुराना एक्ट है। एक दफा कमीशन बैठा था, कुछ विचार हुआ था, उसके सम्बन्ध में अभी तक सरकार नहीं कर रही है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं सभापति महोदय, यह सही है कि भंडारी कमीशन 1963 और 1966 के बीच में बैठा था, कुछ निर्णय लिया था, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी उसके अन्दर टीनेन्सी एक्ट, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, कालोनाइजेशन एक्ट, ग्रामदान एक्ट और जितने भी हमारे रेवेन्यू और कालोनाइजेशन से संबंधित अधिनियम हैं, हैं, उसमें संशोधन करने की राय दी थी। उस पर विचार हुआ था। माननीय मदेरणा जी को मालूम होगा कि 1969 में एक बिल पेश हुआ था। उस वक्त मेरे पास एक छोटा सा काम था और वह सारी मेहनत करके हम लोगों ने तैयार किया था। हाउस में पेश हो गया, सिलैक्ट कमेटी को रैफर हो गया, सिलैक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। उसके बाद में 1972 में जब माननीय मदेरणा जी रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे तो वह बिल लैप्स हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : आप भी तो मेरे पास थे, डिप्टी मिनिस्टर। आप और हम दोनों साथ थे, उस पीरियड की आप हत्या कर रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनके पास तो छोटा सा काम था। आपका मोटा काम था।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, वह बिल 1972 में लैप्स हो गया। उसके बाद 1990 तक उस बिल को या उसके दूसरे स्वरूप को वापस हाउस में पेश नहीं किया गया। इसकी गलती हमारा

(श्री गंगाराम चौधरी)

सरकार की नहीं है । माननीय सदस्य जानते हैं कि भूल किसकी है ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं । मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन था, स्पेशल ला एण्ड जनरल ला । स्पेशल लॉ जो स्टेटिक बुक से हटना चाहिए और जनरल ला को ओब्जेक्टिव होना चाहिए, यह था मेरा प्रश्न । मैं जो देख रहा था, वह तो मैंने ही आपसे कहा था कि आप इसको देखिये ।

श्री गंगाराम चौधरी : नहीं, आपने टीनेन्सी एक्ट का जिक्र किया था कि बहुत पुराना हो गया है, रिडेन्डेंट कई प्रोविजन हो गये हैं । सभापति महोदय, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट बनने से पहले राजस्थान कालोनाईजेशन एक्ट लागू हो गया । माननीय सदस्य जानते हैं कि 1954 में कालोनाइजेशन एक्ट बना था और इसकी उस समय आवश्यकता थी । स्पेशल एक्ट कालोनाइजेशन एक्ट जरूर है और टीनेन्सी एक्ट टीनेन्ट्स के राइट्स को गवर्न करता है । लेकिन कालोनाइजेशन एक्ट किसी तरह से टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों में बाधा नहीं डालता है । कुछ चीजें आवश्यक भी होती हैं जो कमाण्ड एरिया के लिए, राइट्स को लिमिट करने के लिए 15 (ए) टीनेन्सी एक्ट में बाद में जोड़ा गया, टीनेन्सी एक्ट बनने के बाद में । माननीय मंत्रीजी भी कह रहे हैं कि खातेदारी अधिकार उसमें समाहित कर दिये जाते हैं, यह तो आवश्यक होता है । क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट के अन्दर जमीन आ जाती है तो उसके तो चक, मुरब्बे बनते हैं, उसका प्लान ही कुछ दूसरा होता है । एक व्यक्ति के पास में बहुत बड़ी जमीन खातेदारी की होती है, बारानी जमीन लेकिन उसको योजनाबद्ध तरीके से कर दिया जाता है । फिर सारी की सारी जमीन का वह मालिक नहीं हो सकता हालांकि यह बहुत विस्तार की चीज है । लेकिन यह कुछ आवश्यक चीजें थीं और पहले की सरकारों ने इसको बनाया था लेकिन यह जरूर सोच रहे हैं कि कुछ बंदिशें ऐसी हैं जिनको दूर कर दिया जाये और हमने किया भी है । माननीय कल्लाजी, अभी कह रहे थे खेत का हस्तांतरण करने के लिए कलक्टर की परमीशन जरूरी है, माननीय कल्ला साहब आपको शायद यह मालूम नहीं है कि 22 अप्रेल 1991 को हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था सैक्शन 13 कालोनाइजेशन एक्ट जिसके तहत जो बाध्यता पहले थी उसको हटा दिया गया है । आपका वहां तक जाना जरूरी नहीं है । रजिस्ट्रेशन के लिए कलक्टर की स्वीकृति नहीं है और कोई आदमी ट्रान्सफर कराना चाहे तो संबंधित तहसीलदार या सब-रजिस्ट्रार के पास भेज सकता है । वह तो हमने हटाया है जिसकी मांग वर्षों से चल रही थी और पहले की सरकारें इसके लिए कुछ भी नहीं कर पायी हैं । इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी संशोधन करने की । जैसलमेर की खातेदारी की बात यहां पर आई । सभापति महोदय, प्रोफेसर साहब ने एक प्रश्न उठाया है, जैसलमेर में भूतपूर्व रियासत में किसी तरह का कोई कानून लागू नहीं था । जैसलमेर भूतपूर्व रियासत में न तो कोई एक्ट था न टीनेन्सी एक्ट था, न रूल्स थे, न किसी तरह की गाइडलाइन्स थीं, केवल मात्र रीति रिवाज से काम चलता था । और ट्रिपल ए जब जुड़ गया, पहले की सरकारों ने जोड़ा और उसमें कुछ प्रावधान

(श्री गंगाराम चौधरी)

किये गये, उसमें कुछ शर्तें ऐसी लगा दी और कुछ सबूत के लिये जरूरी प्रोवीजन कर दिये जिसके आधार पर जैसलमेर के लोग अपना सबूत जुटा नहीं सकते, पेश नहीं कर सके और बदकिस्मती रही कि भूतपूर्व जैसलमेर रियासत में सैटलमेण्ट टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले नहीं किया जा सका। पहले नहीं किया जा सका। पहले का रेकार्ड था नहीं और सैटलमेण्ट 1957 में और फाइनल सैटलमेण्ट शायद उसके बाद काफी बाद में हुआ और हम कहते हैं कि टीनेन्सी एक्ट लागू होने के दिन जो आदमी कृषक था वह खातेदारी कृषक बन गया। यह खामी रही इस वजह से। उन असर्टेन्हाइल स्टेट्स के किसान जिसमें 45 गांव बीकानेर जिले में आ गये इससे जैसलमेर के कमाण्ड एरिया के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये हमने इस पर एग्जामिन करना शुरू कर दिया, स्टडी की है, इसको देख रहे हैं और जल्दी ही कुछ निर्णय लेंगे जिससे जैसलमेर के किसानों की यह दिक्कत दूर हो जाय और उनको खातेदारी मिल जाय। आज तक नहीं कर पायीं पहले की सरकारें। मैं समझता हूं अगर मुख्यमंत्रीजी के निर्देश होंगे तो इस सम्बन्ध में इस पर निर्णय ले लेंगे।

(3.30 म० प०)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : कांग्रेस पार्टी की इसमें राय आ जाय तो ठीक है।

श्री गंगाराम चौधरी : कांग्रेस पार्टी की राय तो पहले आ चुकी है इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो आज तक उन किसानों को खातेदारी, किसी तरह की रिलीफ नहीं दी। अभी हम लोग जब गये थे उस समय दो चीजें सामने आयी थीं। जैसलमेर में सैटलमेण्ट इस ढंग का गलत हुआ कि वहां के किसानों को जिनके पास 100-100 या 200-200 बीघा जमीन है, जितनी काश्त करते थे उतनी उनके खाते में लिख दी, यानि 10 बीघा ही लिख दी और कई लोग भी उसमें नाम लिखा गये उन्होंने तो खातेदारी ले भी ली। यह भी यहां पर सदन में सारी बात कहना मैं उचित नहीं समझता लेकिन इतनी गलती पहले की सरकारों ने की है जिसको सुधारने में हमको टाइम लगेगा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : गलती कौन सी हुई। 15 ट्रिपल ए स्टेच्यूट बुक में इन्सर्ट करने की हुई या ओरल एविडेंस वाली हुई? 15 ट्रिपल ए में स्टेच्यूट बुक के अन्दर इन्सर्ट करने की गलती हुई या उसमें ओरल एविडेंस की। कोई रेकार्ड नहीं है उसको ओरल एविडेंस लेने का जो प्रावधान रखा गया, कौन सी गलती हो गई?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब लोगों को खातेदारी अधिकार ही नहीं मिले, यह गलती हो गयी।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी यहां पर मुझे अच्छी तरह मालूम है, जब आप सत्ता में थे तो 15 ट्रिपल ए आया था और उस वक्त लोगों ने कई प्रकार की भ्रांतियां बतायी थी और आपने इस सदन के अन्दर यह आश्वासन दिया था कि मैं यहां पर एग्जीक्यूटिव इन्स्ट्रक्शन दूंगा और एग्जीक्यूटिव इन्स्ट्रक्शन का आपने सदन को आश्वासन दिया उसके लिये आप काम्पीटेण्ट नहीं थे। उस वक्त में जो भी एतराज

(श्री परसराम मदेरणा)

उठा रहे थे उनको लीपापोती करने के लिये आपने यहां पर आवश्वासन चेप दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि आज तक वहां के लोग भुगतभोगी हैं। यह है मामला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो मामला 1978 का बताया। 1978 से लेकर 1990 तक आप बिराजमान थे, आपने क्या किया ?

श्री परसराम मदेरणा : हमने क्या किया, क्या नहीं किया। आज राजस्थान का हमने पूरा नक्शा बदल दिया है। हमने कुछ नहीं किया तो ढाई वर्षों में कुछ नहीं होने वाला है। और आप कह रहे हैं कि मुख्य मंत्रीजी निर्देश देंगे। निर्देश कुछ नहीं है। सरकार डेली वेजेज के ऊपर चल रही है। आप भी जल्दी करो नहीं तो मामला आपके हाथ से निकल जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह डेली वेजेज पर नहीं चल रही है आपकी दिल्ली की सरकार तो मस्टरोल पर चल रही है।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, यह प्रभारी मंत्रीजी बहुत विषयान्तर हो रहे हैं। यह आर्डिनेंस स्पेसिफिक है। थर्ड स्टेज आफ दी बिल के अन्दर जहां पर पूरे स्कोप को डिस्कस किया जा सकता है उसमें आज प्रावधान है ही नहीं इस आर्डिनेन्स के अन्दर। केवल आप कह रहे हैं कि छोटा सा अमेण्डमेण्ट है और छोटे बन्धों के लिये आप लागू कर रहे हैं और छोटे से....(व्यवधान) मुझे आप यह बताइये, मुझे आप एक स्पेस्फिक बात का जवाब दे दीजिये। इस आर्डिनेंस के जो क्लाजेज हैं उसको तो आप साइड ट्रेक कर रहे हैं, बिलो कवर हो रहे हैं। आप यह बताइये कि आपने जो इसकी डेफीनेशन रखी है माइनर इरिगेशन, माइनर इरिगेशन से सम्बन्धित हैं यह सब बातें, कालोनी भी, सेक्शन–2 और सैक्शन–4 सिर्फ माइनर इरिगेशन से सम्बन्धित है अदरवाइज एरिया की डेफीनेशन करके मेजर और माइनर का एरिया दे दिया। आपने जो माइनर का एरिया दिया है।

"Minor Irrigation Project" means the work constructed to use surfaced water for irrigation of culturable commanded area upto 2000 hectares;"

मंत्रीजी टू थाउजेंड हैक्टेयर का मतलब है कि जोधपुर में ढाई बीघा का एक एकड़ है, ढाई से गुणा करो तो 5 हजार एकड़ और ढाई से फिर गुणा करो तो साढ़े बारह हजार बीघा और जयपुर का अगर लेते हों तो 8 हजार 750 बीघा। वही एक ऐसा प्रोजेक्ट है। आपने इसका मिनिमम एरिया प्रेस्काइब नहीं किया है कि माइनर इरिगेशन में मिनिमम एरिया क्या होना चाहिये। आपने मैग्जीमम तो दे दिया, लिमिट दो हजार हैक्टेयर तक है। मीडियम और मेजर में तो देना जरूरी हो गया था क्योंकि उनकी लिमिट है लेकिन इसमें आपका माइनर कौनसा होगा ? 15 बीघा जिसमें फ्लो इरिगेशन हो जाता है वो ही माइनर में आ जायेगा उसको आप कालोनीज डिक्लेयर करेंगे। इसमें आपने मिनिमम एरिया प्रिस्क्राइब नहीं किया ? आप

(श्री परसराम मदेरणा)

मुझे एक बता दीजिये कि दो हजार हैक्टेयर का एक क्षेत्र है जिसको आपको कालोनी डिक्लेयर करनी है और दो हजार हैक्टेयर का एक राजस्थान में है जिसके अन्दर सैक्शन चार के नीचे कालोनाइजेशन एक्ट के प्रावधान को आपको विदड्रॉ करना है....

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, डेफीनेशन बिल्कुल साफ दी गयी है। टू थाउजेंड हैक्टेयर प्रति जिसका मतलब हो गया 12 हजार बीघा के करीब। हमारे वहां पर आप जो बता रहे हैं ढाई बीघा का एकड़ वह छह बीघा का एक हैक्टेयर होता है उस हिसाब से 12 हजार बीघा का कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है और उसको हमने माइनर प्रोजेक्ट में लिया है और कमाण्ड एरिया घोषित कलक्टर कर देगा। आप मिनिमम की बता रहे हैं, सभापति महोदय। कोई भी प्रोजेक्ट हो जिसके अन्दर सिंचाई होती हो और जिसका कुछ क्षेत्र जिसको हम मुरब्बा बना कर इरिगेशन डिपार्टमेण्ट चक बनाना जरूरी समझता है ऐसे एरियाज को हम प्रोजेक्ट मान कर चलते हैं और उस परिभाषा में साफ तौर से आता है। एक बीघा, दो बीघा ऐसा तो माइनर प्रोजेक्ट है ही नहीं जिसमें 1 बीघा 2 बीघा, 50 बीघा या 60 बीघा वाली बात हो। इसमें डेफीनेशन में कोई कमी नहीं है, माननीय सभापति महोदय, बिल्कुल सही तौर से दे रखा है।

श्री परसराम मदेरणा : कुम्भकर्ण की नींद में सो रहे थे और गवर्नमैण्ट के पार्ट पर इनआर्डिनेट डिले होने की वजह से यह आपने कहा कि हम इस डिले को खत्म करना चाहते थे। पूरी कालोनी है, आल दी कोलोनीज गंग कालोनी, भाखरा कालोनी, इन्दिरा गांधी कैनाल कालोनी का जैसलमेर तक का जो कल्चरेबल कमाण्ड एरिया का उस वक्त की सरकार की जो विजन थी और सतर्क थी तो वह नोटिफिकेशन निकाल सकी। अब आपके सामने इंपेडिमेण्ट आ गया कि सरकार के लेवल पर इतनी देरी हो जाती है उस देरी को कट शार्ट करने के लिये यह पावर उन लोगों को दे रखी है जिनके बारे में....

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, हमारे पास में बड़े प्रोजेक्ट छह हैं और मेजर प्रोजेक्ट और लघु प्रोजेक्ट 74 के करीब हैं, कुछ और दिन पर दिन बनते जा रहे हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि जब इरिगेशन डिपार्टमैण्ट किसी भी नये प्रोजेक्ट का निर्माण करती है तो उसके लिये भूमि अलाटमेण्ट और सारा कार्यक्रम कालोनाइजेशन एक्ट के तहत....

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपको इसलिये कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी आप यह लिस्ट ले लीजिये। यह कहते हैं 74 है और इरिगेशन डिपार्टमैण्ट के हैं यह है 162, मैं अभी लिस्ट टेबल पर नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पास कापी नहीं है लेकिन मैं आपको देखने के लिये देना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे दे दें मैं कापी करा के दे दूंगा।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय चंदनमलजी ने कुछ मामले यहां पर और उठायें हैं। उन्होंने खातेदारी अधिकार के संबंध में कहा, जिसका जवाब दे चुका हूं कि खातेदारी अधिकार प्रोजेक्ट एरिया में सीमित करने आवश्यक हैं। इसके बिना सरकार की जो भूमिहीनों को भूमि देने की योजना है, नीति है, उसमें बाधा पड़ती है। इसलिए खातेदारी अधिकार को सीमित करना आवश्यक है।

आपने चूरू लिफ्ट कैनाल के बारे में कहा। इसका हैड क्वार्टर तारानगर, सरदारशहर, रावतसर में करने की बात आपने कही। कालोनी बनने के बाद जहां पर तहसील हैड क्वार्टर होगा वहां पर हमारा हैड क्वार्टर शिफ्ट हो जायेगा। नहर कब आयेगी इस सिलसिले में तो नहर विभाग ही जवाब दे सकता है।

श्री चंदनमल बैद : आपने कालोनाइजेशन जैसे कर दिया, जब आपको मालूम ही नहीं है कि यह नहर कब तक आयेगी ? आपने इसके बिना ही इसको कालोनी घोषित कर दिया है। बहुत शानदार बात है। धन्य हो।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, जब श्री बैदजी के पास यह मंत्रालय था तो यहां पर इस नहर को निकालने के लिए सबसे ज्यादा आपने वकालत की थी और सदस्यों ने भी मांग की थी....

श्री चंदनमल बैद : वकालत ही नहीं की थी सबसे ज्यादा काम भी किया था।

श्री गंगाराम चौधरी : फिर मेरे से क्या पूछ रहे हो ? माननीय सदस्य को स्वयं ही मालूम होगा। लेकिन प्रयत्न किये जा रहे हैं। जल्द से जल्द इसका निर्माण होगा। कालोनाइजेशन विभाग की स्थापना, एक्ट में जमीनें लेने का प्रावधान बिना यह शुरू नहीं किया जा सकता है। राजस्थान नहर जब बनने लगी तो 1954–55 के अन्दर जैसलमेर में एक्ट लागू हो गया था आपकी सरकार ने ही यह निर्णय किया था....

श्री परसराम मदेरणा : शामिल बैठकर ही तो आपने लड्डू ठोके हैं। आप साथ थे। आपके हाथ एक भी लड्डू आया नहीं और दूसरे के प्रोफेसर केदार के दो आ गये इसका रोना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप लोगों ने लड्डू खाये इसको आप बता क्यों रहे हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैं तो वहां था तब भी अलाटमेण्ट के रूल्स ठीक किये, यह टीनेन्सी एक्ट बनाया। यह काम उन्होंने किया है, क्या ? यह बतायें।

श्री परसराम मदेरणा : प्रभारी मंत्री की रेवेन्यु एक्ट पर अप टू डेट स्टडी है। आपकी नालेज के बारे में कोई डिनाई नहीं कर सकता हैं। लेकिन आज आप जिसकी डिक्टेशन पर चल रहे हैं और अपना दिमाग एप्लाई नहीं किया है। यह तो रोने पीने वाली बात है।

श्री गंगाराम चौधरी : ओसियां में भी वैसे के वैसे पीने वाले हैं। सभापति महोदय

(श्री गंगाराम चौधरी)

मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस संकल्प को अस्वीकार किया जाय ।

श्री सभापति : प्रोफेसर केदार प्रत्युत्तर देना चाहें तो ?

श्री केदारनाथ शर्मा : चार मंत्रियों की टीम बनाकर इंदिरा गांधी नहर पर जो अलाटमेण्ट हुए थे उसके बारे में जांच करने के लिए आपने भेजी है । साथ ही जनरल अलाटमेण्ट और स्पेशल अलाटमेण्ट पोस्टपोन कर दिये हैं स्पेशल अलाटमेन्ट के लिए तो कोई दरख्वास्त आयी नहीं थी और जनरल में जो बोनाफाइड की तारीख दी है वह 1955 है । 1955 में जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं वही एलीजीबल है । इसलिए कोई सस्पीसियस करेक्टर का आदमी वहां पर एण्टर नहीं कर सकता है । इसलिए जनरल अलाटमेण्ट को जो आपने कैंसिल किया है वह गलत है । मंत्री क्या देखेंगे ? अलाटमेण्ट की बात की गयी है, रूल्स में लेकुना की बात की है और आपने एक हव्वा पैदा कर दिया कि हम ने अलाटमेण्ट पोस्टपोन कर दिया ।

एक खास कम्यूनिटी के खिलाफ आपने नफरत की भावना पैदा कर दी उस इलाके में इस प्रकार की भावना होना बहुत गलत है इसलिए इसको वापस ले लें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो मिनट कहना चाहता हूं । किस वर्ग विशेष के संबंध में जांच नहीं की जा रही है । इस प्रकार की भ्रांति आप पैदा नहीं करें।

श्री केदारनाथ शर्मा : मैं पैदा नहीं कर रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और कौन कर रहा है ।

श्री केदारनाथ शर्मा : मैं यह कह रहा हूं कि जनरल अलाटमेण्ट में वही व्यक्ति योग्य है जिसका स्वयं का या फादर का वोटर लिस्ट में नाम है । इसलिए इसमें कौन आ सकते हैं ? सन आफ सोइल ही आ सकते हैं उस इलाके के लोग ही आ सकते हैं । मजमे आम में अलाटमेण्ट होता है, एम. एल. ए. साहब बैठते हैं, गांव का हैं, आस पास का है, तहसील का है, जिले का है यह नियम है । कौन बाहर का एण्ट्री कर सकता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आप इसे उचित नहीं समझते हैं कि जो भी नियम बने हुए हैं, उन नियमों की अवहेलना करके अगर कोई गलत अलाटमेण्ट हो गये हैं और राज्य सरकार को जानकारी मिली है तो उसकी जांच करायी जाय ?

श्री केदारनाथ शर्मा : जांच करायें । इसके लिए मौजूदा कानून में प्रोविजो है आप सुओ मोटो उस को कैंसिल कर सकते हैं । आपका अधिकार है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रोफेसर साहब आपको मालूम होगा कि पिछले वर्षों में जो अलाटमेण्ट हुए उसमें छोटे-छोटे बच्चों को मूछें लगाकर दाढी लगाकर के आलाटमेण्ट हुआ था । आपको याद होगा । उसके कागज मैंने विधानसभा में भी रखे थे, उसकी फोटो भी रखी थी । इसलिए उसकी जांच करने के लिए, अलाटमेण्ट के रूल्स में किसी प्रकार का संशोधन करना हो, कोई ऐसी नीति बनानी हो, जिसके कारण जो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

डिजर्व करता है उसको जमीन का अलाटमेण्ट हो जाय। इसका कोई स्थायी रूप से नहीं रोका है। जानकारी कर रहे हैं। मिनिस्टर्स गये हैं, उनकी रिपोर्ट आ जाये। अभी चार दिन पहले ही तो अलाटमेण्ट बंद हुए हैं। चार दिन में ही इतने अलाटमेण्ट नहीं हो जाने थे। अब दो चार पांच दिन बाद रिपोर्ट आ जायेगी तो उस पर विचार करके निर्णय लेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 29 जून, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 2) को अस्वीकार करता है।"

(अस्वीकृत)

श्री चंदनमल बैद : हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता। सभापति महोदय, मैंने आपके निर्णय को चेलेंज किया है कि "हां पक्ष जीता" इसलिए आप सीधे निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप दुबारा पूछ लीजिए।

श्री सभापति : ठीक है दुबारा पूछ लेता हूं। जो पक्ष में हो हां कहे जो विपक्ष में हो ना कहे।

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया। प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : विचारार्थ लिया गया श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, अभी जो अलाटमेण्ट को रोका है। उसकी हकीकत तो यह है कि वहां के लोगों में एक भ्रांति पैदा हो गयी है कि स्थानीय गरीब, जो वहां के मूल निवासी किसान हैं। उनको जमीन न देने की नीयत से यह जांच का बहाना बनाकर अलाटमेण्ट रोका है।

उपनिवेशन के एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, काश्तकार अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेण्ड रेवेन्यु एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जितने अलाटमेण्ट हो रहे हैं उसमें सबसे पहले काश्तकारों को कहा जाता है कि 1954 की लिस्ट लाओ माननीय गंगारामजी, आप जानते हैं जैसलमेर बाड़मेर के लोग, हजारों परिवार ऐसे हैं जो मकराना में 10–10 साल से मजदूरी करते हैं, गुजरात में रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में रहते हैं। यह वोटर लिस्ट उस दिन तैयार की जाती है, इसका एक निश्चित दिन तय होता है और अगर पटवारी ने किसी का नाम छोड़ दिया तो

(श्री अमीन खां)

वह काश्तकार, आपके इस प्रोसीजर से जमीनें लेने से महरूम रह गया। जिला निर्वाचन अधिकारियों के दफ्तरों में लोग जैसलमेर घूमे, बाड़मेर घूमे, यहां इलैक्शन डिपार्टमैण्ट में घूमे। वहां कहते हैं कि जयपुर में लिस्ट मिलेगी और जयपुर वाले कहते हैं कि 54 का रिकार्ड हमने नष्ट कर दिया। इस कारण उन लोगों को अलाटमैण्ट आज तक नहीं मिल रहा है। यहां के भूतपूर्व आई. ए. एस. अधिकारियों को वहां स्पेशल अलाटमैण्ट हुआ है। उनकी वोटर लिस्ट आपने मूंछ-साफे की चैकिंग वाली फाइल में क्यों नहीं रखी ? मैं यह मानता हूं कि किसी काश्तकार का 15 साल का लड़का है और उसने 18 साल का बालिग बनकर दरख्वास्त कर दी, तो कोई अपराध नहीं किया। उसकी दरख्वास्त अलाटमैण्ट अथौरिटी खारिज कर सकती है। इससे ज्यादा क्या उसका गुनाह हो सकता है ? सवाल यह पड़ता है कि परिचय पत्र उसमें लगाओ। परिचय पत्र का काम एक बार शुरू हुआ था। अब परिचय पत्र दुबारा देने सरकार की कोई एजेंसी जाती नहीं। सरकार के अधिकारी जिला कलक्टर से पूछते हैं तो कहते हैं कि बम्बई की कम्पनी ने फोटो लेने से मना कर दिया, दिल्ली की कम्पनी आएगी। दिल्ली की कम्पनी का पूछते हैं तो कहते हैं कि पहले तो यह था कि सरकार फ्री फोटो खींचेगी, लेकिन अब बीस रुपए पर व्यक्ति फोटो का लिया जाएगा। वह सौदा तय होने वाला है, तब कार्ड दिये जाएंगे। कल आप अलाटमैण्ट वहां शुरू करोगे और परसों वहां लोगों के पास तो फोटो हैं नहीं। फोटो जब नहीं मिलेगी तो उनको अलाटमैण्ट नहीं होगा। अलाटमैण्ट जब नहीं होगा तो आप यह मान लोगे कि स्थानीय काश्तकार सारे जितने थे राइट, उनको तो अलाटमैण्ट हो गया और अब बाहर के आदमियों का नम्बर आएगा। गंगाराम जी साहब, आप खुद जानते हैं, मुख्य मंत्री जी खुद जानते हैं, एकदिन, एक मिनट में पशु पालक की क्या हालत है, अकाल पीड़ित लोगों की क्या हालत है और कैसे टालमटोल हो रहा है। यह सब बड़े-बड़े आदमियों की पंचायती है, उनका प्रभाव है; वहां के काश्तकार 1954 की, 1952 की सेंसस की लिस्ट के लिए 20-20 दफा सैक्रेटेरिएट में चक्कर लगा चुके हैं, जिला कलक्टर, जैसलमेर के चक्कर लगा चुके हैं, जिला कलक्टर, बाड़मेर के चक्कर लगा चुके हैं। अब वे लोग मायूस होकर अलाटमैण्ट के लिए शायद आपके पास आवेदन भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो भेड़ चराते हैं, बकरी चराते हैं, गायें चराते हैं वे सात दफा वोटर लिस्ट के लिए जयपुर चक्कर लगा चुके हैं। सरकार की मंशा साफ हो और गरीब स्थानीय काश्कार को अगर जमीन अलाट करानी हो, देनी हो तो हमारा यह निवेदन है कि मौजूदा रेवेन्यू तहसीलदार फर्जी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है, उसका सर्टिफिकेट ले लो, पुलिस के एस. एच. ओ. का सर्टिफिकेट ले लो। फाइल में फोटो लगानी हो तो वहां के कैमरों से फोटो खिचाकर, उसे तहसीलदार या एस. डी. ओ. से अटैस्ट कराकर आप अलाट कर दो। हो सकता है इसमें कोई तहसीलदार गलती कर जाय, थानेदार गलती कर जाय या पटवारी गलती कर जाय तो सब कानून

(१२५)

(श्री अमीन खां)

खुले पड़े हैं । फोरजरी करेगा उसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हो जाएगा । अलाटमैण्ट अथारिटी को पावर है, अलाटमैण्ट कैन्सिल होगा और उसके खिलाफ 471/420 का मुकदमा अलग दर्ज हो जाएगा । जितनी भी आप यह फोटो वाली कार्यवाही कर रहे हो, कौनसे एक्ट में है ? संविधान में ऐसा नहीं है, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में ऐसा नहीं है, काश्तकारी अधिनियम में ऐसा नहीं है, उपनिवेशन एक्ट में ऐसा नहीं है कि इतनी कार्यवाही करनी पड़ेगी । भूतपूर्व आई. ए. एस अधिकारियों को जो जमीन अलाट हुई है उसकी कौनसी लिस्ट उन्होंने पेश की है ? कौनसा आईडेण्टिटी कार्ड उन्होंने पेश किया है ? सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह जो आप कलक्टर को अधिकार दे रहे हैं, आपके पास यह अधिकार होता तो फिर भी पब्लिक की कुछ सुनवाई वहां होती । कोई आपके पास लोग आते, कोई मुख्य मंत्रीजी के पास लोग आते, किसी मंत्री के पास आते, विधायक के थ्रू आते । जिले का कलक्टर तो आता है कोई यू. पी. का कोई बिहार का कोई पश्चिमी बंगाल का । उसको जैसलमेर-बाड़मेर के काश्तकार की आज पीड़ है न कल पीड़ है । कोई तो वर्तमान अधिकारियों के बहन-बेटे के नाम अलाट कर देगा, कोई पूर्व के अधिकारियों को अलाट कर देगा । गंगारामजी, साहब, आप खुद को मालूम है, कितने पुराने रिटायर्ड आई. ए. एस. को नाचना तहसील में जमीन मिली है जिनके जयपुर में बंगले हैं । आपमें हिम्मत हो तो सबसे पहले उनको कैंसल कर दो । आपको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं । अगर आप यह कहो कि हमें मालूम नहीं तो सुबह मैं आपको लिस्ट दे दूंगा । अगर वह लिस्ट सही हो तो आप चैक करके बताओ, मैं गलत बोलूंगा तो मैं सदन में दुबारा आऊंगा नहीं एम. एल. ए. होते हुए भी मेरा यह निवेदन है कि आपका जो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अलाटमैण्ट कब हुआ है आई. ए. एस. आफिसर्स को ।

श्री अमीन खां : कोई तो तीन साल पहले हुआ कोई दो साल पहले हुआ कोई एक साल पहले हुआ कोई छः महीने पहले हुआ कोई 1971 में हुआ कोई 1979 में भी हुआ कोई 1990 में हुआ । 1990 तक हुए हैं साहब, स्पेशल अलाटमैण्ट ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह लिस्ट मुझे दे दो ।

श्री अमीन खां : हां, आपको दे देता हूं ।

मेरा यह निवेदन है कि आप दोनों गांव के लोग हो, सब जानकारी आपको है, हम से मत कहलवाओ । अगर वहां के मुकामी आदमियों को आप यह फायदा देना चाहते हो तो सर्टिफिकेट तहसीलदार एस. डी. ओ. का बहुत है । पुलिस का एस. एच. ओ. इतना गैर जिम्मेदार आदमी नहीं होता जो किसी का फर्जी सर्टिफिकेट दे दे । अब आपने लगा दिया, साहब, कि आई. बी. वाले देंगे तो माना जाएगा ।

(श्री अमीन खां)

आई. बी. वाले कहां से आते हैं, आज आते हैं कल जाते हैं, उनको कोई लोग पैसे दे देते हैं तो लिख देते हैं राइट है। वे कितना लिखते हैं मेरे को खुद को मालूम है। नहीं दें तो सन्देहजनक कैरेक्टर। सन्देहजनक से गयी 10 साल की, फाइल पैंडिंग हो गयी। हरेक आदमी घबराता है, राजस्थान सरकार का हरेक मुलाजिम घबराता है कि आई. बी. वालों ने लिखा है, अब इसमें हाथ हम नहीं डालेंगे। ऐसा मत करो। तहसीलदार कोई इतना गैर जिम्मेदार आदमी नहीं होता है, गलत सर्टिफिकेट नहीं देता है। पुलिस का एस. एच. ओ. गलत सर्टिफिकेट नहीं देता है। मुकामी प्रधान की राय ले लो। मुकामी एम. एल. ए. उस कमेटी में बैठता है। फिर भी कोई इक्का-दुक्का गलत अलाटमैण्ट होते हैं तो अलाटमैण्ट अथोरिटी को पावर है, खारिज कर सकते हैं। इसके ऊपर आप मुकदमा चला सकते हो। दस साल से जांच हो रही है। पहले तो अधिकारियों को जांच में घसीटा और अब चार-चार मंत्री जांच कर रहे हैं। मंत्री गंगाराम जी को तो कुछ तथ्य मालूम हो सकते हैं, लेकिन दूसरे मंत्रियों को पूछ लो उनको क्या केस मालूम होगा, कौनसे आदमी का क्या धन्धा है। आज अकाल पड़ गया। जैसलमेर जिला पूरा अकाल में है, शिव तहसील आधी अकाल में है, चौहटन तहसील पूरे में अकाल है।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : पाकिस्तान जाकर जो वापस जैसलमेर आ गये बाड़मेर आ गये उनको अलाटमैण्ट करोगे क्या? अपने दाढ़ी-मूंछ लगाकर जिन्होंने आइडेंटिफाई करवाये थे वे अधिकांश पाकिस्तान से आये लोग थे।

श्री अमीन खां : वह मुख्य मंत्री जी कहेंगे, आपके कहने से नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मुख्य मंत्री जी जांच करवा लें कि जो पाकिस्तान से लोग आये थे, आपके समय में सर्टिफिकेट दिये गये थे.... (व्यवधान)

श्री सभापति : सदन में व्यवस्था बनाएं। आर्डर प्लीज, आप बैठ जाइये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये। माननीय सदस्य अमीन खां जी।

श्री अमीन खां : माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात पर आपत्ति है। जोधपुर से आने वाले सदस्य ने कहा कि पाकिस्तानियों की लिस्ट है, गृह मंत्रीजी, मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप इमीजिएट उस लिस्ट को खारिज करो और उन आदमियों को सजा दिलाओ। मैं मेरे भाई काश्तकार और पशु पालकों की वकालत कर रहा हूं, इनको, एतराज है उन लोगों पर....

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं भी यही कहता हूं कि जांच करवायी जानी चाहिए। जिनकी रिपोर्ट आ चुकी है, आपकी सरकार के समय में रिपोर्ट आ चुकी है, सिद्ध हो चुका है कि पाकिस्तान से लोग आये थे। इनके आवंटन को रद्द किया जाय। यह आई. बी. की रिपोर्ट आयी हुई है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवस्था बनाये रखें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय

(श्री सभापति)

सदस्य, कृपया बिराजिये। आपने बता दी बात अपनी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : जिन लोगों ने फर्जी आवंटन कराये थे, इसकी मैंने भी उस समय शिकायत की थी। उस वक्त एक पटवारी की हत्या कर दी गयी थी उसको दबाने के लिए। उसके बाद यह सिद्ध हुआ कि पाकिस्तान के हमले के समय 1965 में जो चले गये थे उन लोगों ने अपने अलाटमैण्ट कराने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूरी जांच करवा लें और यदि यह सिद्ध हो जाय तो अलाटमेंट रद्द किये जायें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जांच करवा लीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जांच करवा लीजिये कि किस आदमी को गलत अलाटमेंट हुआ है ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : एक वर्ग विशेष को प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा इस तरह की कार्यवाही की है।

श्री अमीन खां : सरकार से उन आदमियों की जांच करवा लीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिये। श्री अमीन खां जी अपनी बात समाप्त कीजिये। समाप्त हो गई ? माननीय श्री रामनारायण वर्मा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : हमारी सरकार तो खारिज करने की कार्यवाही कर रही है।

श्री सभापति : कृपया बिराजिये। उन्होंने भी अपनी बात कह दी और आपने भी अपनी बात कह दी। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात यहां कही यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं आपके माध्यम से....

श्री सभापति : माननीय सदस्य सुनिये, पहले श्री अमीन खां जी को समाप्त करने दीजिये फिर आप बोल लीजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह जानना चाहूंगा कि वह लोग पाकिस्तानी थे, बार्डर क्रास करके जासूसी करने हिन्दुस्तान में आये या वह लोग शरणार्थी की हैसियत से किसी समझौते के तहत आये या बाड़मेर के ही रहने वाले थे जो पाकिस्तान चले गये थे फिर वापस आये ? इस बात की जांच होनी चाहिए और यहां वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया जाना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ने आपकी बात सुन ली उनकी बात भी सुन ली। वह अपना जवाब देंगे तब जवाब दे देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : नहीं, इसको टर्न आउट करने की कोशिश की गई है। छुपते हुए भाग कर चले गए और बाद में जब लहर आ गई तो वापस छुपते हुए आये थे। इसकी जांच सारी जांच रिपोर्ट में है। जांच

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

रिपोर्ट में क्या तथ्य आये वह सरकार की तरफ से जानकारी दी जाय।

श्री सभापति : बात आपकी ध्यान में आ गई माननीय मंत्रीजी जब जवाब देंगे तब बता देंगे। एक बात को दुबारा कहने से क्या मतलब है?

श्री परसराम मदेरणा : मतलब क्यों नहीं है? प्रश्न यह है सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि वह हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं हैं जिनको भूमि अलॉट की जा रही है। बहुत सीरियस और गम्भीर मैटर है। अगर वह हिन्दुस्तान के सिटीजन, इण्डियन सिटीजन नहीं हैं तो जांच करके, उनको हैण्डकफ करके पाकिस्तान भेजिये लेकिन जो बोनाफाइड अलॉटमेंट के हकदार हैं, पाकिस्तान का नाम लेकर के उनके अधिकारों को नहीं छीन सकते हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, कोई आदमी हिन्दुस्तान का नागरिक है उस पर हिन्दुस्तान के कानून समान रूप से लागू हैं उसमें किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा यह मैं आपको विश्वास दे सकता हूं? नम्बर एक। जहां तक आपने कहा कि हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, आपको याद होगा आपकी सरकार के मुख्य मंत्री श्री शिवचरणजी माथुर ने इसी सदन में यह कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में साढ़े पांच हजार नागरिक ऐसे हैं जिनकी दोहरी नागरिकता है। वह हिन्दुस्तान के भी नागरिक हैं, वह पाकिस्तान के भी नागरिक हैं। मैंने कई बार आपसे भी निवेदन किया था कि दोहरी नागरिकता के मामले को समाप्त किया जाय। या तो उनकी पाकिस्तान की नागरिकता खतम की जाय ताकि वह हिन्दुस्तान के नागरिक बन जायें और यदि हिन्दुस्तान की नागरिकता खतम की जाती है तो पाकिस्तान के नागरिक बने जायें। यह जो दोहरी नागरिकता का मामला है, आइडेण्टीफिकेशन हुआ था, परिचय-पत्र दिये गए थे, जिन 4 तहसीलों में, उसके परिणामस्वरूप सरकार ने इस सदन के अन्दर इस बात को स्वीकार किया है कि साढ़े पांच हजार के करीब इस प्रकार के नागरिक हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार की दोहरी नागरिकता वालों को क्या भूमि का आवंटन किया जाय?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : नहीं, नहीं। मुख्य मंत्रीजी कतई नहीं किया जाय।

श्री अमीन खां : एक को भी नहीं किया जाय। 5 हजार आदमी हैं तो आप उनको निकालें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाकी प्रकार का भेद-भाव नहीं होगा यह मैं गारण्टी से कहता हूं।

श्री अमीन खां : 5 हजार आदमी जो ऐसे हैं उनको कल ही आप बाहर निकालें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, हमारे मदेरणा साहब ने यह प्रश्न नहीं पूछा है....

श्री सभापति : माननीय मदेरणाजी बता रहे हैं। श्री अमीन खां जी आप विराजें।

श्री अमीन खां : आपके पास 5 हजार

(श्री अमीन खां)

आदमियों का सबूत हैं, तो कल ही आप उनको निकालें। आप खुद सरकार हैं, आप सरकार के हेड हैं आपको पता नहीं है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाकी किसी के साथ भेद-भाव नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी ने मुझ से प्रश्न पूछा है कि दोहरी नागरिकता वालों का क्या किया जाय ? इन्हें हैण्डकफ करके, इनकी लाइन बनाकर के आप उधर निकाल दीजिये। यह बात नहीं कही है शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने, इन्होंने जो चैक और काउन्टर चैक करने के बाद में आइडैंटिटी और बोनाफाइड इण्डियन सिटीजन्स हैं उनके लिए जो आप टिडिअस प्रोसीजर बना रहे हैं, आप कम से कम इतना प्रोसीजर बना दीजिए कि उसमें अगर राजकीय अधिकारी कोई फोरजरी करता है तो वह लायबल होगा पनिशमैण्ट के लिये। यह बात कह रहे हैं। और पाकिस्तान को कोई नागरिक है उसको पकड़ कर फैंके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं। वह यह भी कह रहे हैं कि फोटोग्राफी का सिस्टम इन्ट्रोडयूज किया था वह हमने किया था या आपने किया था ?

श्री देवेन्द्र सिंह : यह उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : वह हमने किया था। अब आपकी सरकार सक्षम होगी ना। आपको नालेज में है कि साढ़े पांच हजार शरणार्थी इस तरफ के हैं उनको भेजो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये यह यह करौली का मामला जंगल और वन विभाग का नहीं है यह केनाल एरिया का है।

श्री देवेन्द्र सिंह : यह जो फोटोग्राफी का ठेका दे रहे हैं वह नहीं दें, कामन आदमी से फोटो खेंच कर पेश कर दें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनकी वेदना मैं समझता हूं, इसी आधार पर हमने कमेटी अपोइन्ट की थी, इस कमेटी के नार्म्स हैं कि किस प्रकार की जमीन कैसे अलाट की जाय, इसको इतना सरल किया जाय कि जिसके कारण से आम गरीब काश्तकार भी जमीन का आवंटन करवा सके। यह सारी स्टडी भी यह करेगी सब कमेटी जो गई है, कि अनियमितताएं किस प्रकार से हुई हैं और किन कारणों से हुई हैं, नियमों में ऐसी कौनसी व्यवस्थाएं हैं कि जिनका लाभ उठा कर भ्रष्ट व्यक्ति आवंटन करवा लेते हैं, उनको किस प्रकार से रोका जा सके। वह इसलिए नहीं किया गया है कि जो हकदार हैं उनको जमीन अलाट नहीं होगी बल्कि यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि वास्तविक हकदार को ही जमीन मिले और बाकी किसी प्रकार से लोग उसका लाभ नहीं उठा सकें।

श्री परसराम मदेरणा : शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने तो फोटो के प्रावधान की बात कही है कि कानून में फोटो का प्रावधान नहीं है लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि आप वैरिफिकेशन कंडक्ट का सब इन्सपैक्टर से करवायें, और यह भी लिया जाय कि आफिसर काउन्टर साइन

(श्री परसराम मदेरणा)

फोटो पर करे। वह फोटो के खिलाफ थोड़े ही कह रहे हैं। वह तो कह रहे हैं कि फोटो रहनी चाहिए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह गलत बोल रहे हैं।

श्री अमीन खां : आपको फोटो का पता ही नहीं है। पहले बम्बई वाले खेंच रहे थे, अब कहते हैं कि दिल्ली वाले खेंचेंगे, अब कहते हैं कि कोई आवेगा ही नहीं। उसका कौन जिम्मेदार है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं। कोई नहीं है।

श्री अमीन खां : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट से भी फोटो करवायें। पुलिस का सब इन्सपैक्टर, एस. एच. ओ. वैरीफाई करे, उसके ऊपर तहसीलदार या एस. डी. ओ. से काउन्टर सिग्नेचर करवायें और फिर भी सही नहीं मानते हैं तो अलाट नहीं करवायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री अमीन खां : बाकी फोटो के लिए गवर्नमेण्ट ही व्यवस्था नहीं कर रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री सभापति : कृपया विराजिये। माननीय श्री रामनारायण वर्मा।

श्री अमीन खां : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : बोलिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सरकार ठेकेदारी लेना चाहती है फोटोग्राफी की।

श्री सभापति : अभी एक विधेयक और है 5 बजने वाले हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, जनार्दनसिंह जी फोटो खेंचने का ठेका लेना चाहें तो बिना टेण्डर ही मैं देने को तैयार हूं।

श्री अमीन खां : सभापति महोदय, काफी टाइम फालतू में चला गया। मैं अन्त में एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार हमें यह कहना कि आप लोग राष्ट्रीयता में नहीं हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कोई नहीं कहता है।

श्री अमीन खां : हम बार्डर पर रहने वाले लोग सन् 1947 में, अगर हमारी भावनाएं वतन के साथ नहीं होती तो आज तक हम यहां नहीं रहते। हम सीमावर्ती इलाके के लोगों को जितनी मुसीबतें आती हैं वह दूसरे इलाके के लोगों को नहीं आती हैं। हम इस धरती में जन्मे हैं और यहीं हमारी 7 पीढ़ियां, बाप-दादे इसी धरती में जन्मे हैं हमारा वतन है इसलिये हम वतन में बैठे हैं। एक तरफ कोई आदमी कहे कि इस वतन के हम ही खैर-ख्वाह हैं, दूसरे नहीं हैं। यह इस वतन की बदख्वाही है। चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे कोई भी आदमी के लिए इस तरह से कहना अनुचित है। मुझे इस बात का अफसोस है आखिर में मैं यही कहता हूं कि हमें विदेशियों से नफरत हैं। हमें विदेशी आदमी नहीं चाहिए। हमारे भाई चाहे हिन्दू हों या मुसलमान हों,

(श्री अमीन खां)

भेड़ पालक और बकरी पालक लोग जिनको अकाल में भटकना पड़ता है, उनके आइडेन्टी कार्ड भी आसानी से नहीं बनते हैं उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि स्थानीय प्रशासन उसको वेरीफाई करे कि यह आदमी काश्तकार है, अमुक गांव का निवासी है जिसको हम स्वयं जाते हैं। उस आदमी के ऊपर फिर यह शहरों में रहने वाले भाषण देने वालों की बात से इनक्वायरी नहीं की जाए। कानून और सरकार गृह मन्त्री, मुख्य मन्त्री, गंगारामजी यह सक्षम हैं, कर सकते हैं। दूसरों की पंचायती न रखी जाए।

अन्त में मैं इस राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 1991 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए यह कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : सभापति महोदय, राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक 1991 का विधेयक, संख्या 21 1991 पर काफी देर से चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, इसमें केवल दो सेक्शन्स में अमेंडमेंट के बारे में प्रस्ताव है। पहला सेक्शन दो और दूसरा चार में। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इन्होंने जो डेफिनेशन्स बदली है उसके बारे में ज्यादा कुछ किसी को नहीं कहना है। लेकिन इतना जरूर ध्यान देना सरकार का काम है कि जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके बारे में इसमें प्रोवीजन रखा गया है दो हजार हैक्टेयर्स या अबब, यह उन गरीब काश्तकारों को विशेष तौर से ट्राइबल एरिया के लोगों को इतनी तकलीफदेह साबित होगा, जिला कलक्टर कहीं टूर पर गए हैं, कहीं पार्टी में गए हैं। छोटी तलाई और छोटा एनीकट है, ट्राइबल एरिया में इतने एनीकट बनाए जा रहे हैं। मेरा जहां तक ख्याल है यह आज से बीस पच्चीस साल पहले की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। एक एनीकट सौ हैक्टेयर से दो सौ हैक्टेयर तक जमीन सिंचित करता है। पचास बीघा जमीन छोटे से छोटे एनीकट के द्वारा सिंचित होती है। ऐसी जमीन जो असमतल है एक दफा उस डेफिनेशन के मुताबिक उसको कालोनियल डिक्लियर कर दिया गया उस जमीन की प्राइज दस हजार रुपए बीघा हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं सदन के नेता और विशेष तौर से काश्तकार की लाबी के आदमी जो आज हमारे राजस्व मन्त्री जी हैं उन्होंने इस एक्ट को प्रचालित करते समय इस बारे में ध्यान नहीं दिया या दिया, यदि नहीं दिया तो इस बारे मे गहन मन्त्रणा करेंगे, गहन विचार विमर्श करने के बाद इस बारे में सोचेंगे कि इस बारे में कितनी तकलीफ छोटे-छोटे काश्तकारों को होगी। एक तलाई है उसमें बरसात ठीक हो गई पानी भर गया, पानी भरने के बाद आसानी से पचास बीघा जमीन सिंचित हो जाएगी लेकिन थोड़ी कम बारिश हुई दस साल तक उस तलाई में कोई भी रकबा सिंचित नहीं होगा। इस तरह की जो प्राब्लम पैदा हो जाएगी उसका कोई निराकरण नहीं है और न ही निराकरण के बारे में इस विधेयक में कोई प्रावधान किया गया है। सभापति

(श्री रामनारायण वर्मा)

महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को सरकार और विशेष तौर पर सदन के नेता इसको अपना वो नहीं बनाए कि सरकार ने बिल पेश कर दिया, पास हो इसमें उचित अमेण्डमेन्ट होना चाहिए। एक लिमिट होनी चाहिए 100 हैक्टेयर रखो, 50 हैक्टेयर रखो या आप 25 हैक्टेयर रख दीजिए। एक लिमिट होनी चाहिए ताकि वह दिक्कतें काश्तकारों को, कम से कम छोटे काश्तकारों को नहीं हो।

आज हम ट्राइबल एरिया डवलपमेन्ट की बात करते हैं, एनीकट्स बन रहे हैं। मैं मन्त्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा और स्वयं मुख्य मन्त्रीजी इस बात को जानते हैं, आप राजस्थान का विकास करना चाहते हैं। आज की तारीख में जो एनीकट्स बनाए जा रहे हैं, बैकवर्ड एरियाज में बनाए जा रहे हैं, सब में सिंचित जमीन होगी। उसके बाद आप कलक्टर से बार-बार यह नहीं पूछ सकते, हर दफा आप कलक्टर से रिपोर्ट नहीं लेंगे, कलक्टर सुओ मोटो उसको कालोनियल डिक्लियर कर देगा। इस प्राब्लम के बारे में मैं अर्ज करूंगा यह बहुत डाउन ट्रोडन पीपुल्स हैं और गरीब तबके के लोगों से जुड़ा हुआ है।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता था इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में पेटा काश्त और सिंचाई दोनों में अन्तर है ना ?

श्री रामनारायण वर्मा : सभापति महोदय, मैं इस बारे में निवेदन करूंगा एक एनीकट बनाया जा रहा है। मैं आपको स्पेसिफिक उदाहरण दूं, आपने स्पेसिफिक उदाहरण नहीं दिया है, एक एनीकट बनाया जा रहा है। चूंकि उस एनीकट की भराव क्षमता दस बारह फीट की है, उस एनीकट को आप माइनर इरिगेशन में जोड़ेंगे,....

श्री सभापति : पंचायत टेंकों को डेफिनेशन है वहां पर दिया हुआ है एरिया।

श्री रामनारायण वर्मा : एरिया तो दिया गया था। लैण्ड एक्ट बना हुआ है, कालोनाइजेशन एक्ट बना हुआ है। आज का नहीं बना हुआ है काफी बरसों पहले का बना हुआ है। उस कालोनाइजेशन एक्ट के प्रोवीजन्स में आप डेफिनेशन जोड़ना चाहते हैं। दो हजार हैक्टेयर पर जो सिंचित जमीन है वो माइनर इरिगेशन में आएगी। उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि वो किससे इरिगेटेड होगी। या तो आप इस डेफिनेशन को क्लियर कीजिए इरिगेशन किसी भी साधन से हो, गवर्नमेंट का जो डैम है या छोटा बांध है या कोई और तरह का दूसरा साधन है उससे यदि हमारी जमीन सिंचित होती, तो कालोनियल एरिया में मानी जाएगी। आप कालोनाइजेशन एक्ट को उठाकर देख लीजिए उस एक्ट में इसके सिवाय कोई प्रोवीजन नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था इस बारे में आप विचार करें, इसको देखें। ऐसे ऐसे बांध हैं जिनसे पचास एकड़ जमीन सिंचित होती है। छोटे बांध भी हैं उसको हम गांव में एनीकट का नाम भी लेते हैं। आप गवर्नमेंट के रिकार्ड में देखेंगे तो डेम का नाम होगा, बंधे का नाम होगा, माइनर इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं उनको लिया जा रहा है।

(श्री रामनारायण वर्मा)

सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना है कि जो डेफिनेशन दी गई है माइनर इरिगेशन के मामले में यदि आप यह मानकर चलते हैं तो जैसा भोपालगढ़ से आने वाले माननीय मदेरणा साहब ने इसके बारे में कहा कि दो हजार हैक्टेयर तक के भी माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बहुत कम हैं। तो इसमें आपको लिमिट बांधने में, 100 हेक्टेयर से 2000 हेक्टेयर तक के माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट माने जाये। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती और मेरा जहां तक ख्याल है कि इस सदन में बैठे हुए कोई भी माननीय सदस्य इस बारे में कोई एतराज नहीं कर सकते। केवल दो सेक्शन्स का अमेण्डमेण्ट था, सदन में काफी चर्चा हुई, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में जमीन अलॉट करने के बारे में बात हुई। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूं, प्राब्लम्स इस तरह से आती हैं, आज चम्बल कमाण्ड एरियाज या दूसरी किसी भी कालोनियल एरिया में दो तरह की जमीनें हैं एक टेल एरिया की है एक हैड एरिया की जमीन की वही कीमत है जो हैड एरिया की जमीन की कीमत है। क्योंकि जिस एरिया को आप कालोनियल एरिया डिक्लियर कर देंगे, गरीब काश्तकार को बिना किसी कास्ट के आप जमीन देने की स्थिति में नहीं हों तो छोटी जगह जिस जगह पर आप छोटे माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसमें 500 बीघा जमीन की सिंचाई की आप बात करते हैं। जो साल में, दस साल में दो दफा पानी भरता है उस एरिया में भी आप जमीन अलॉट करते हैं पैसा लेकर करोगे तो फिर गरीब आदमी उससे कोई फायदा नहीं उठा सकता है, गवर्नमेण्ट चाहे तो किसी आदमी को बेनिफिट दे सकती है। तो मैं इस मामले में केवल एक ही बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में दृढ़ता से विचार किया जाए और इस बात को प्रेस्टिज नहीं बनाया जाए, काश्तकार के गले में घंटी नहीं लटकाई जाए, काश्तकारों को नुकसान पहुंचाने वाला जो कानून बनाया जा रहा है मैं कहूंगा यह ऐसा काला कानून है जो किसी भी दिन, जिस दिन सामने के सदस्य इधर हो जाए उस दिन मैं यह कह रहा हूं इस बात को वह कहेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ इस बारे में संशोधन किया जाएगा, मैं इस विधेयक को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री जनार्दनसिंह गहलोत। (अनुपस्थित)

श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, अभी राजस्व मंत्री जी ने जो अपना जवाब दिया उसमें यह नहीं बताया कि इस विधेयक को लाने के लिए उनके सामने कितने मामले पैण्डिग पड़े हुए थे। केवल मात्र नीचे से कोई कानून बनकर आए और....(व्यवधान)

कितने मामले पैण्डिग थे इस बारे में इन्होंने कोई विचार सदन के सामने नहीं रखे जिसके कारण राज्य सरकार को यह अधिकार कर्टेल करके सरकार स्वयं अपने

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अधिकारों को कलक्टर को देना चाहती है। इससे यह मायने साफ हो गये कि सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि सरकार मामलों को निपटाने में, कालोनाइजेशन से सम्बन्धित प्राब्लम्स को निपटाने में अक्षम है यह अप्रत्यक्षतया इन्होंने अपनी कार्य शैली को और कार्य करने के ढंग को स्वीकार कर लिया है। मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि आज कालोनाइजेशन क्षेत्र में बहुत से ऐसे किसान हैं जो वास्तव में खेती करते हैं, उनकी बेनामी शिकायतें, कोई भी आदमी एक पोस्टकार्ड लिख दे कि अमुक आदमी कभी काश्तकार नहीं रहा, उनके मुरब्बे निरस्त हो जाते हैं। जिन लोगों ने पिछले 20 साल तक खेती की है उनके मुरब्बे केवल मात्र एक पोस्टकार्ड से निरस्त हो जाते हैं। उनके बारे में जब कोई कानून बनते हैं तो इस सम्बन्ध में उस विभाग की सभी समस्याओं के बारे में काश्तकार के हितों के बारे में, काश्तकार की समस्याओं के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और सभी लोगों से विचार करने के बाद कानून बनाया जाना चाहिए।

मैं इस सन्दर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि आपने काश्तकारों को खातेदारी का हक देने के लिए अब तक क्या किया। आप स्वयं जब विपक्ष में थे उस समय आप लोगों ने खातेदारी के अधिकार के बारे में बहुत से आन्दोलन किये थे लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि डेढ़ साल में उपनिवेशन क्षेत्र में आपने कितने लोगों को खातेदारी के राइट दिये। इसी तरीके से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वन विभाग और नर्सरी में जो उपनिवेशन क्षेत्र में जमीन आई हुई, जिन-जिन लोगों ने गलत अलाटमेन्ट किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बेनामी भूमि जिन लोगों ने अलाट करा रखी है और जिन लोगों का वास्तव में वहां पर कोई कब्जा करने का रिकार्ड नहीं है ऐसे बेनामी काश्तकारों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं। इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की समिति बना कर, समिति तो दो दिन जाकर आ गयी जैसे पिकनिक करके आ गयी वैसे। उस दौरे से काश्तकारों की समस्या हल नहीं होगी, चूंकि आप स्वयं किसान हैं और किसानों की समस्याओं में रुचि रखते हैं इसलिए मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि सदन की समिति बने और जो किसानों की समस्याओं को हल करने में रुचि रखती है ऐसे लोगों की समिति बनाकर कालोनाइजेशन क्षेत्र में कम से कम 10-20 दिन किसानों के साथ रहे और रहने के बाद उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जो सरकार को राय दे उसके बाद कानूनों में जो परिवर्तन करने हैं वह परिवर्तन उनके सुझावों के अनुसार करने चाहिए। मैं दो-तीन बातें आपसे चाहता हूं एक तो खातेदारी अधिकार....

श्री चतुर्भुज वर्मा : आप खेती करते हैं कि नहीं करते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं किसान नहीं हूं लेकिन किसानों का हितैषी हूं। मेरी रिसर्च के बारे में आपको पता नहीं है। हमेशा अर्थशास्त्र का प्रवक्ता रहा हूं और किसानों के हित में रिसर्च की है। आपको पता नहीं, केवल खेती करे वही किसानों का हितैषी नहीं होता है।

श्री लालचन्द डूडी : सभापति जी, मैं निवेदन कर दूं कि हम लोग गये थे कमेटी में और जिसको आपने कहा कि पिकनिक करके आये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों ने वहां किसानों के बीच में बैठ कर 6-6, 7-7 घंटे तक उन लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को सुना है और उन लोगों ने एक मत से कहा है कि आजादी के इतिहास में पहली दफा आप लोगों ने आकर हमारी समस्याओं को सुना है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आजादी के बाद आपको पूरा पता नहीं है पूरा मंत्रि-मण्डल इन्दिरा गांधी कैनाल पर गया आप तो तीन गये हो।

श्री लालचन्द डूडी : पिकनिक वह करके आये थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इंदिरा गांधी कैनाल क्षेत्र में जो प्रगति हुई इसके बारे में आप स्वयं भी जानते हैं कि कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा। आप इसको पालिटिकलाइज करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत बड़ा नुकसान रहेगा। आज जो बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर का जो क्षेत्र है जो आबाद हुआ है वह कांग्रेस की नीतियों की देन है जिसके कारण वहां का उप-निवेशन क्षेत्र आबाद हुआ है। गंग नहर तो उसके मुकाबले में 1/6 हिस्सा भी नहीं है।

श्री लालचन्द डूडी : माननीय कल्लाजी क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि जिस एरिये को आप कहते हैं आबाद किया है उसमें आज से पहले जो जमीन खत्म हो रही है, आपकी नीति के अनुसार चला जाय तो अगले 10 साल के अन्दर वह सारी जमीन खत्म हो जायेगी। आपने राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अफसोस है कि माननीय मंत्रीजी विषयान्तर हो रहे हैं। सेम की समस्या कहीं पर है तो 20-25 सालों से हुई है उसमें फार्मिंग पैटर्न का दोष हो सकता है, उसमें खेती करने के, कई बार ऐसा होता है कि पानी ज्यादा, वाटर मैनेजमेन्ट कहीं कमी रह सकती है लेकिन जो योजनायें बनी हैं उन योजनाओं का लाभ किसान तक पहुंचा है इसको तो आप भी स्वीकार करेंगे मुख्यत: जो विधेयक अध्यादेश के बाद में माननीय मंत्रीजी लेकर आये हैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि एक तो मण्डियों में जो नियमन की ढिलाई चल रही है उसमें आप अभियान चला कर तय करें। मण्डियों का नियमन करें और जो भूमिहीन किसान हैं उनको साहवा चूरू लिफ्ट, पोकरण, फलोदी, गजनेर और कोलायत लिफ्ट फलोदी, कोलायत में जो जलोत्थान सिंचाई योजनायें बनी हैं उन योजनाओं के अन्तर्गत भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित करें और जिन लोगों ने जो वास्तव में भूमिहीन नहीं है और जिन लोगों ने जमीनें अपने नाम पर बेनामी तौर पर अलाट करा रखी है उनको भी अभियान चलाकर आप कैंसिल करें इसके साथ साथ जो आपने सेक्शन 2 और 4 में जिलाधीश को जो पावर राज्य सरकार से कटेल करके उनको देने की बात कही है उसके ऊपर पुनर्विचार करें और जब तक आप पुनर्विचार करें एक माह के लिए इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

(135)

श्री सभापति : श्री प्रेमसिंह दहिया ।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान उपनिवेशन संशोधन विधेयक 1991 के जनमत जानने के लिए परिचालित किये जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं उसके निम्न कारण हैं।

सभापति महोदय, यह उपनिवेशन के अन्दर भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जाति और जनजातियों को जो अलाटमेण्ट हुआ, ऐसे कई मामले हैं कि उनको मौके पर हस्तान्तरण नहीं किया गया। मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने मामले अभी विचाराधीन हैं जिनको अलाटमेण्ट होने के बाद मौके पर जमीन नहीं दी गयी और वह भटक रहे हैं और कई प्रभावशाली लोगों के पास वह जमीन आज भी है और इसी तरह के कई मामले अखबारों में भी इन दिनों में आये हैं। आपके मंत्री मण्डल के कुछ साथियों के नाम भी उसमें है। सभापति महोदय, यह जो अलाटमेण्ट पहले 15-20 सालों पहले हुआ था उपनिवेशन के अन्दर पानी समय पर नहीं पहुंचने के कारण कई अलाटीज ने यह जमीन बेच दी और बेनामी लोगों के पास आज वह जमीन है। ऐसे उन लोगों के साथ सरकार क्या रुख अपनाने की मंशा रखती है यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं। इसी तरह से हमारे जालौर जिले में, सांचौर और रानीवाड़ा के अन्दर गुजरात से एक नहर आकर उस एरिये के अन्दर भी सिंचाई की व्यवस्था होगी तो मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि वहां पर किस तरह का प्लान बनाया है, ऐसी कोई जानकारी है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सुनील बिश्नोई ।

श्री सुनील बिश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो संशोधन लाये हैं उसमें अधिकार राज्य सरकार से लेकर जिला कलक्टर और अधिकारियों को देना चाह रहे हैं। उसके क्या परिणाम होंगे, उसमें क्या गलतियां हो सकती हैं इसके बारे में क्या सोचा है ? माननीय सभापति महोदय, जो क्षेत्र कालोनाइजेशन एरिया है, मेरे विधान सभा क्षेत्र का करीब-करीब सारा हिस्सा कालोनाइजेशन में आता है। कालोनाइजेशन के बारे में अनुभव किया गया। उस कालोनाइजेशन का मतलब था, लक्ष्य था कि व्यवस्थित ढंग से उस एरिये को बसाया जाय, एरिये को डिफाइन किया जाय, एग्रीकल्चर लैण्ड डिफाइन की जाय। आबादी एरिये को डिफाइन किया जाय, चकबंदी की जाय। कहां ग्रीन बेल्ट छूटेगी, कहां नर्सरी होगी हर एक आबादी के पास जो छूट गयी, व्यवस्थित ढंग से पूरा प्लान बनाकर कालोनाइजेशन आबाद किया, चेंज करना हो तो इसके लिए राज्य सरकार को आना पड़ता, राज्य सरकार उचित समझती तो चेंज करने की, हेराफेरी करने की, बदला बदली करने की इजाजत देती जिस तरह से अधिकार कलक्टर को देना चाह रहे हैं इसका लक्ष्य क्या है मेरी कुछ समझ में आ नहीं रहा है शायद यह हो सकता है जो पहले राज्य सरकार को देनी पड़ती वह कलक्टर को दिला दो और किसी छोटे अधिकारी से दिला दो तो उसमें कोई गलती हो तो सारा दोष उस पर मढ़ दिया जाय।

(श्री सुनील विश्नोई)

सभापति महोदय, मैंने अभी हाल ही में दौरा किया है, अनूपगढ़, घड़साना, छतरगढ़, रावला ऐसी मण्डियां हैं जिनका अगले 5-10 सालों में राजस्थान की अग्रिम मंडियों में नाम आयेगा। माननीय सभापति महोदय, जनतंत्र में जन प्रतिनिधि का, जनता का हर एक चीज में रोल होता है। पहले अलाटमेण्ट कमेटी बनी हुई थी। अलाटमेण्ट कमेटी में एम.एल.एज. थे, एम.पीज. मेम्बर थे लेकिन आजकल जब से यह सरकार बनी है हमारे देखने में आया है कि हम विपक्ष के सदस्य हैं और हम अलाटमेण्ट कमेटी के मेम्बर भी हैं इसलिए न तो हमें अलाटमेण्ट कमेटी की इत्तला दी जाती, न अलाटमेण्ट कमेटी में बुलाया जाता और सिर्फ इसलिए कि वे मनमाने ढंग से अलाटमेण्ट कर लें और वे अपने स्तर पर हेराफेरी कर लें तथा इस चीज का पता ही न चले। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अनूपगढ़, घड़साना, रावला यहां पर जो फोरेस्ट की नर्सरीज थीं जिनको भारत सरकार से स्वीकृति ले करके अलाट किया जा सकता है उनमें स्थानीय अधिकारी हेराफेरी करके....

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त में बोलें, समय का ध्यान रखें। 2 विधेयक और हैं, समय बढ़ाया नहीं जायेगा।

श्री सुनील विश्नोई : माननीय सभापति महोदय, स्थानीय अधिकारी न तो किसी से पूछते हैं। किसी अधिकारी से एन.ओ.सी. ले ली और उसको अलाटमेण्ट करके वह चले गये तो माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा सरकार इसकी जांच कराये कि ऐसे कितने अवैध अलाटमेण्ट हुए हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, यह रावला मंडी का है। मण्डी से लगती हुई जमीन है यह आज करोड़ों की सम्पत्ति है और जो कामर्शियल लैण्ड की कैटेगरी में भी आ सकती है और वो जंगलात की भूमि थी, अलाट नहीं की जा सकती थी लेकिन ऐसी जमीनों को भी अलाट कर दिया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय के समक्ष यह सदन की पटल पर रखूंगा और ऐसी जमीन अलाट होने के बाद में क्योंकि वह कीमती जमीन थी वहां पर मुकदमें बने, गोलियां चलीं और इलाके में अशांति फैली। तो इस तरह की अफरा-तफरी और पक्षपातबाजी एवं भ्रष्टाचार उस इलाके में फैला हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एस. डी. एम सूरतगढ़ के द्वारा जिस तरह के अलाटमेण्ट किए गए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एक एप्लीकेशन आती है कि आपके यहां अलाटमेण्ट गलत है आप इसकी सफाई दीजिए। अगर वह काश्तकार जा करके एस. डी. एम. के यहां 7 दिन, 8 दिन पेश नहीं होता तो उसको नोटिस दिया जाता कि क्यों न आपका अलाटमेण्ट खारिज कर दिया जाय? वह आकर मिल ले और उससे सांठगांठ बैठा ले तो ठीक है सांठगांठ नहीं बैठी तो....

श्री सभापति : आप संक्षिप्त में क्या चाहते हैं वह बताइये। यह कोई जनरल डिबेट नहीं है। संक्षिप्त में बताइये।

श्री सुनील विश्नोई : मैं यह कह रहा हूं कि आज कलक्टर्स को अधिकार दे रहे हैं उसमें क्या क्या कमियां आ सकती हैं। आप जन प्रतिनिधि को इग्नोर करके कलक्टर को अधिकार दे देंगे तो जनता की आवाज

(श्री सुनील विश्नोई)

वहां पर कौन उठायेगा। कोई भी सरकारी अफसर है वह 2 साल के लिए पोस्टिंग पर जाता है उसका वहां की जनता से, उस इलाके से कोई लगाव नहीं है उनको जो करना है, करेंगे। जो उनका स्वार्थ है या जो उनकी प्रायोरिटीज हैं वह करके चले जायेंगे कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो जन प्रतिनिधि हैं उस इलाके के उनको इस सारी प्रक्रिया में आप इनवोल्व कीजिए तो मेरे ख्याल से इसमें काफी हद तक सुधार किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, अभी अलाटमेंट बंद किए गए सूरतगढ़ तहसील के टीबा क्षेत्र के। 30-35 साल से जो काबिज काश्तकार हैं जिनको आवंटन होना चाहिए था, 35 साल से जो भूमि काश्त कर रहे हैं वह अभी तक ऐसे ही चले आ रहे हैं उनका भी अलाटमेंट रोक दिया गया है। अभी माननीय सभापति महोदय, सूरतगढ़ के पास सूरतगढ़ छावनी का विस्तार हुआ है, उसके लिए 60,000 बीघा भूमि आर्मी ने एक्वायर की। जब लैण्ड एक्वायर की तो वहां के गरीब काश्तकारों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए था जो कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पैसा है जो उसने गरीब काश्तकारों के लिए दिया था और वह पैसा गरीब काश्तकारों को न मिल करके अफसर बीच में ही लूटमार कर रहे हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि इस तरह से जो काश्तकार का हक है और जो दिया जाता है उसके लिए कोई लोकल पब्लिक इनवोल्वमेंट होना जरूरी है ताकि निश्चित हो सके कि जो जनता का पैसा है वह उनके पास पहुंच सके। इसी के साथ मैं इस विधेयक को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने की सिफारिश करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) **:** सभापति महोदय, मैं तो इस पर सुझाव के रूप में बहुत कम समय लूंगा। सभापतिजी इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास एरिया, उनकी छोटी और बड़ी योजनाओं के संबंध में और खास तौर से उपनिवेशन विभाग में जो अलाटमेंट हुए हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी माननीय राजस्व मंत्री जी को दूंगा। सभापति जी, अलाटमेंट 3-4 तरह का है। भूतपूर्व सैनिकों को भी कैनाल एरिया में काफी आवंटन हुए हैं और कुछ बाकी भी हैं। दूसरा, महाजन फील्ड फायरिंग जो सेना को सुपुर्द किया गया है उनको भी आवंटन किया गया है। तीसरा, विशेष आवंटन.... (व्यवधान) सभापति जी 3-4 तरह के आवंटन हैं। महाजन फील्ड फायरिंग के जो लोग थे उनको भी राजस्थान कैनाल पर उपनिवेशन अलाटमेंट किया गया और चौथा है विशेष आवंटन। विशेष आवंटन के मैं पक्ष में हूं सभी आवंटन में, लेकिन विशेष आवंटन से क्या हुआ है, राजकोष में धनराशि तो जमा हुई है और पुख्ता अलाटमेंट जो किश्तों में हैं वह राजकोष में 17 साल से बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसके साथ माननीय राजस्व मंत्री जी आपके नोट करने वाली एक बात है, भूमिहीन काश्तकारों को अलोटमेंट करने की बात है। आज के ठीक 17 साल पहले आपने अलोटमेंट किया, अलोटमेंट करते टाइम जो रीजन भूमि थी उसके लिए सी.ए.डी. विभाग ने

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

कह दिया कि इस भूमि में पानी रुकने वाला है यह अलाटमेंट कर दिया जाय बाकी का हम बाद में आपको भूमि सिंचित करके देंगे। सभापति जी, 17 साल पहले मैं उस अलाटमेंट कमेटी का मेम्बर था और जो लाटरियां बंट गई जिसकी मिसल पुख्ता हो गई कि यहां काश्तकार भूमिहीन काश्तकार है, सारे मिसल में सबूत हैं और उनको पुख्ता भूमि आवंटित करने के लिए यह मिसल सक्षम है। ऐसे भूमिहीन हरिजन काश्तकारों को, कमजोर वर्ग के लोगों को 17 साल पहले उपनिवेशन मंत्री जी, एक बिलौने में लाटरियां बन्द करके सील लगाकर छोड़ दी गई कि जब सी.ए.डी. विभाग सर्वे करके आगे कमाण्ड एरिया बतायेगा तब हम भूमिहीन हरिजनों को जमीन अलाट करेंगे। ऐसे लोग मुझे याद है 8 हजार से अधिक भूमिहीन काश्तकार हैं और उनमें करीब 45 पर्सेन्ट हरिजन हैं। जो जमीन से जुड़ने वाली गरीबों की आत्मा है वह राजस्व मंत्री जी उनकी जिन्दगी लाटरी में एक बिलौने में सीलबंद पड़ी है। 17 हजार ऐसे लोग हैं और फिर सरकार कहती है कि भूमि हम कहां से अलाट करें भूमि है नहीं। तो भूमि नहीं है तो क्या विशेष आवंटन भूमि नहीं है क्या? दूसरी जमीन अलाटमेंट के लायक नहीं है क्या? तो बराबर अलाटमेंट हो रहा है लेकिन उन गरीब हरिजनों की ओर, गरीब काश्तकारों की जो जिन्दगी सीलबंद पड़ी है, मैं आशा करूंगा, मंत्री जी आप उन गरीबों की जो सील लगा रखी है उसमें कैंची लगा करके उनके भाग्य का फैसला आप करेंगे ऐसी मैं आशा आपसे करता हूं।

दूसरा, यहां कहा गया है कि बहुत से फर्जी अलाटमेंट हुए हैं और उग्रवादियों ने वहां अलाटमेंट कराएं हैं और बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने करा लिए हैं। सभापति जी, अलाटमेंट का मामला बड़ा तीखा है, कांटा है....

(4.40 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

अलाटमेंट वही करवा सकता है पहले मैं वह बात बता रहा हूं कि अलाटमेंट करने में, विशेष आवंटन में सभापतिजी, वह ही ले सकता है जो गवर्नमेंट ने राजपत्र में साया कर दिया है कि चक नम्बर फलां में मुरब्बा नम्बर फलां, जिसकी कीमत यह है, यह जोहड़ पलटन है, उसमें दरख्वास्त लगती है, प्रायर्टी उस गांव वालों की है जिस गांव की कांकड़ में वह जमीन है। उसके बाद उस तहसील के आदमी को राइट है कि वह दरख्वास्त लगाये, उसके बाद उस जिले का है, फिर पड़ौसी जिले का है। अगर पड़ौसी जिले वालों को दूसरा कोई नहीं देगा तो विशेष आवंटन में वह जमीन ले सकता है, बाकी चाहे लाडला कितना ही हो, वहां उसकी दरख्वास्त खारिज कर देते हैं। तो इसीलिए मामला बड़ा टेढ़ा है। इधर से धीरे-धीरे आवाज आ रही है कि मंत्रियों और विधायकों ने कितनी भूमि ली? नये मंत्रियों और नये विधायकों की लिस्ट मेरे पास नहीं है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं भूतपूर्व मंत्रियों की और भूतपूर्व....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको इजाजत है, आप प्रस्तुत करिए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कल्लाजी,

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

मेरी बात सुनिये, आप उखड़िये मत। देखिए, आप शांत रहिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप अपनी भी चालीस मुरब्बा जमीन की इत्तला कर दें, आपके खुद के पास चालीस मुरब्बा जमीन है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आपको ध्यान नहीं है, मैं बता रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, इनको पूरी इजाजत है, यह अपने बारे में बता दें। यह वर्तमान की तो बतायें या न बताये, भूतपूर्व मंत्रियों की जरूर बतायें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हां मैं बताऊंगा। आप ऐसा क्यों करते हो।

श्री कालीचरण सराफ : एक-आध नाम बता दो ताकि इनकी जबान चुप हो जाये। बता दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप क्या बताओगे, आपके तो बहुत कच्चे चिट्ठे हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आपको भी इतना ज्ञान नहीं है इस मामले में, आप इनको छेड़ो मत।

श्री कालीचरण सराफ : नाम बताओ एक-आध, ताकि चुप हो जाय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप अपने नामों की जानकारी पुछवा रहे हो क्या ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं नाम यह बता सकता हूं, कल्ला साहब, मैं यह बात कह सकता हूं कि जो यह भूतपूर्व बैठे हैं, इनके किसी के पास जमीन नहीं है। यह प्रमाण-पत्र सुन लीजिए। जो यहां भूतपूर्व बैठे हैं मौजूदा, उनमें सारे भूमिहीन है, इनके कोई भूमि नहीं है। जिस विषय पर मैं बोल रहा हूं, मैं बारानी पर नहीं बोल रहा हूं मैं उपनिवेशन की भूमि पर बोल रहा हूं। सभापतिजी, भूमि से उस व्यक्ति का सम्बन्ध होगा जो खेती में विश्वास करता हो और धन संग्रह करने की प्रवृत्ति होगी वह दूसरे लोगों के नाम से जमीन लेकर मौका आने पर नकद नाना और बींद परणीजे कारण, ऐसे लोग धन्धा करने वाले लोग हैं। मुझे पता है, भूतपूर्व राजाओं की जमीनें इस राजस्थान कैनाल और गंग कैनाल में लाखों की तादाद में दबी हुई पड़ी है, सड़ रही है वह धरती माता, उस पर न तो भूतपूर्व सरकार की नजर गई और न वर्तमान सरकार की नजर जा रही है। इसलिए मैं आशा करूंगा कि दो तरह की व्यवस्था है, एक-एक आदमी के पास सौ-सौ मुरब्बा है, आप नजर डालिए उन लोगों पर, जहां जमीन सड़ रही है, एक तरफ भूखे लोगों की आत्मा सड़ रही है। ऐसे लोगों पर आप नजर डालिए, हम आपकी मदद करेंगे। कहां-कहां फार्म है, राजस्थान के आई.ए.एस., आर.ए.एस. उनकी बड़े-बड़े लालफीताशाही, कहां-कहां जमीनें है, उनके बच्चे फिएट कार लेकर जाते हैं, माल्टा और टमाटर लेकर आ जाते हैं और खुश होते हैं कि फार्म बहुत अच्छा है और खेत में काम करने वाले मजदूर की आत्मा चिल्ला रही है, रो रही है, भूखे लोग हैं वह, बगावत होगी। मारूति लेकर जाते हैं, फिएट लेकर जाते है, साथ में वह कुछ और ले जाते हैं, अगली बात मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन सभापतिजी, मैं

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

उन लोगों की, गरीबों की, जो खेत में हैं, जिनके पैरों में जूती नहीं है उन मजदूरों की, जो नौकर, बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं गरीब, जिनके तन पर कपड़े नहीं है, यह लोग तो मखौल कर रहे हैं, इनका उन लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, 45 साल की आजादी के बाद भी वह आज भूखे पेट हैं, बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। मन्त्रीजी, उन लोगों पर हाथ डालना चाहिए, यदि ऐसे पूंजीपतियों पर आप हाथ नहीं डालोगे तो न तो अपनी प्रगतिशील सरकार होगी, न अपना मन्त्रि-मण्डल प्रगतिशील होगा। इसलिए समय अपने हाथ में है गंगारामजी चौधरी साहब, इस समय में आप ऐसे लोगों का आपरेशन कीजिए, यदि आप आपरेशन नहीं करोगे तो खेत में खड़ा गरीब सड़क पर आयेगा, सड़क पर आकर फियेट, मारूति कार पर पत्थर चलायेगा, खून-खराबा होगा। इसलिए खून-खराबे से आप बचाइए राजस्थान शांति से फले और फूले। नामों की लिस्ट मैं दे दूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री सुनील कुमार विश्नोई।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सामन्ती सरकार की बात कह दी, यह सरकार सामन्ती है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : आज की कार्यवाही समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाने की आज्ञा है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया जाता है।

विधेयक पर अग्रेतर विचार

श्री सभापति : श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री देवेन्द्रसिंह बनेड़ा : आप यह कहिये कि गवर्नमेंट आने तक बढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आना है एक, आज।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : वह आज की कार्य सूची में सम्मिलित है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह आज के कार्यक्रम में है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : एक बात है सभापति महोदय, आसन से पहले एक व्यवस्था दी गई थी, प्रकाश बैरवा के मामले के अन्दर, कि आज ही सरकार जवाब देने वाली है इसलिए यह उस स्टेटमेंट के बाद तक की घोषणा करिये आप।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : नहीं, वह कार्य-सूची में सम्मिलित है।

श्री दिग्विजय सिंह : वह उसी में सम्मिलित है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उसमें सम्मिलित है ?

(141)

श्री दिग्विजय सिंह : हां।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरालाल इन्दौरा (अनुपस्थित), श्री जुबेर खान (अनुपस्थित), श्री परसादीलाल मीणा (अनुपस्थित), श्रीमती उजला अरोड़ा (अनुपस्थित) माननीय श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : मानीनय सभापति महोदय, जो कॉलोनाइजेशन एक्ट में माननीय मन्त्रीजी ने संशोधन रखा है, मैं समझता हूं, जो सरकार आज सत्ता में बैठी है, उन्होंने राजस्थान के उस क्षेत्र के किसानों को, उस क्षेत्र के लोगों को पिछले तीस-चालीस साल तक कॉलोनाइजेशन एक्ट के नीचे पिसते हुए देखा है, उनके बड़े-बड़े संघर्ष और बड़ी-बड़ी लड़ाइयां देखी है। इसका ध्यान राजस्थान की मौजूदा सरकार ने नहीं रखा है कि हम इसमें क्या संशोधन करें। जो संशोधन किया है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल बेनामी है, सारी व्यवस्था जो कॉलोनाइजेशन एक्ट के तहत कॉलोनीज में चल रही है और जिस तरह से लोग उससे परेशान हैं, जिस तरह लोग फर्जी अलाटमेंट करा लेते हैं, गैर काश्तकार जिस तरह काश्तकार बन कर जमीन ले लेते हैं, इन सबकी रोकथाम में हम कुछ नहीं कर पाए और मामूली-सा एक ऐसा संशोधन हमारे सामने रखा गया है जिसका कोई मतलब नहीं कि 12 या 10 हजार बीघा का कोई होगा, वहां कलक्टर से परमीशन हो जायेगी और बाकी जगह स्टेट गवर्नमेंट परमीशन देगी। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जिस क्षेत्र में अभी गंगानगर जिले में 12 लाख एकड़, 16 लाख एकड़, बीकानेर जिले में 28 लाख एकड़ जमीन पानी के नीचे है, चूंकि पानी लगता है इसलिए कीमती जमीन है जिसकी कीमत बढ़ कर अब बहुत-सी जगह 50-50, 40-40 लाख मुरब्बा हो गई यानि एक-एक मुरब्बे की कीमत डेढ़-डेढ़ लाख रुपया हो गई। ऐसी कीमती जमीन को लोग हड़पने में लगे हुए हैं। कॉलोनाइजेशन एक्ट के तहत जो कानून बने हुए हैं उनमें गैर काश्तकार-काश्तकार बन कर आसानी से घुस सकता है और उसके तरीके को रोकने की बजाय आज के पहले जब यह कॉलोनीज शुरू हुई थी 1970 में, किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। राजस्थान में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार उस आंदोलन के आगे झुकी और उस वक्त के मुख्यमन्त्री ने एक कमेटी बनाई थी, उसकी जांच करवाई तो पता चला कि तीन-तीन सौ मुरब्बा एक-एक आदमी के पास काश्त को है। पता चला कि 150-150, 200-200 फर्जी मुरब्बे बेनामी ऐसे लोगों के पास है और वह चैन ट्रेक्टर से बाकायदा कॉलोनीज में बसे हुए हैं और एक गिरोह बना हुआ है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि वह गिरोह उस वक्त टूट गया, उन लोगों की जमीन छीन ली, किसानों को बांटने की व्यवस्था बनी। पर आज 1990 में स्थिति वहीं पहुंच गई है, जो उस क्षेत्र की जमीन पोंग डेम को दी हमने, अलॉटमेंट की, वह सारी की सारी भूमि ऐसे लैण्ड ग्रेवर्स जो हैं उनके पास चली गई और लैण्ड ग्रेवर्स ने उस जमीन को बेनामी लोगों के नाम से काबू कर लिया। उस भूमि की स्थिति यह है कि राजस्थान कैनाल में जो पुराने काश्तकार हैं, बहुत कम हैं, अलॉटी अगर हों तो

(श्री हेतराम बेनीवाल)

एक-एक मुरब्बे वाले होने चाहिए। मैं हाउस के सामने कहना चाहूंगा कि अगर यथा स्थिति, जो मन्त्री गये हैं पता नहीं उन्होंने किस बात की यथा स्थिति का पता लगाया, अगर मन्त्रीजी वहां जाकर आये हैं तो वास्तव में उनको पता लगा होगा कि राजस्थान कैनाल में अब भी एक-एक काश्तकार बीस-बीस मुरब्बे काश्त कर रहा है। जिस ऐरिया में एक मुरब्बा अलॉट करने का कानून बना हुआ है, दूसरे तरीके से जमीन मिल नहीं सकती, बीस मुरब्बे एक व्यक्ति ने किस तरह से ले लिए, किन-किन व्यक्तियों के नाम बेनामी ले लिये, यह एक बहुत बड़ा मसला है जो कि राजस्थान कैनाल के उस पूरे क्षेत्र में है।

(4.50 प. म.)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

और मैं समझता हूं कि अगर कोई जांच की आवश्यकता है तो इस बात की है। अब भी मुझे ताज्जुब हो रहा है। उस सरकार में हुआ। सेचुरेशन कोई एक साल में नहीं हुआ। यह कांग्रेस के दस पन्द्रह साल गुजरे उसमें भी हुआ। राजनेताओं ने खुद नहीं ली तो किसी के नाम से ली। अधिकारियों ने खुद नहीं ली तो अपनी पत्नियों के नाम से ली। मैं आपसे कह सकता हूं कि राजस्थान कैनाल में असली काश्तकार 25 पर्सेन्ट भी नहीं है। बाकी सब के सब बेनामी हैं या तो वह दुकानों पर बैठे हुए हैं या नौकरी कर रहे हैं उनकी पत्नियां हैं। मैं आपसे अर्ज करूं अभी रीसेन्टली इन्हीं दो महीनों के अन्दर जब यह अलाटमेंट रोकने की बात आई, मंडियां हैं वहां बड़ी, उन मण्डियों के जो बिल्कुल चिपटी हुई जमीन है जिसकी कीमत शायद एक करोड़ रुपया से भी ऊपर है घड़साने के पास दो मुरब्बा हैं और वह जमीन है वन विभाग की। किसी वक्त वन विभाग था। अब सम्भव नहीं है वन विभाग का वहां रहना। वन विभाग ने परमीशन दे दी कि उसका अलाटमेंट कर दिया जाये। वह तीन आदमियों के नाम अलाट हुई और बेनामी अलाटमेंट हुई। जिनके नाम अलाटमेंट हुई है मैं आज हाउस में कह सकता हूं कि उसकी जांच करवाई जाये तो ऐसे लोगों को वह जमीन नहीं मिल सकती बिना असर के। जिन लोगों को मिली है उनके नाम लेने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इनडाइरेक्टली फायदा किसी और ने उठाया....

(4.50 म. प.)

श्री महावीर प्रसाद जैन : नाम बताये जायें।

श्री हेतराम बेनीवाल : विक्रमसिंह है। क्या करेंगे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : सरकार मालूम करेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : सरकार मालूम करेगी तो हम बतायेंगे। हम यह चाहेंगे कि उस मामले में पूरी जांच हो। अनुपगढ़ में 4 (ए) में विक्रमसिंह को हुई है। 13 (ए) में विक्रमसिंह की वाइफ को हुई है। यह सब बेनामी है। यह सारे लोग वास्तव में बेनामी लोग हैं जिनके बारे में पता

(143)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

लगवाना पड़ेगा कि किस ने अलाटमेन्ट करवाई है। इसी तरह से घड़साना की रावला मण्डी है। रावला मण्डी में भी दो मुरब्बा उसी के एडजाईनिंग अलाट हुई है। अनूपगढ़ के अन्दर 8 बीघे जमीन बिलकुल शहर के अन्दर, शहर के नजदीक स्माल पैच के नाम से अलाटमेन्ट हुई। इस तरह का जो अलाटमेन्ट है और बेतहाशा राजस्थान केनाल में हुआ है। उससे जो स्थिति बन गयी वहां वही गैंग बन गयी जो पहले चण्डीदास चारण ऐसे लोग थे जिनकी 30-30 मुरब्बा थी। ऐसे लोग थे पंजाब से आये हुए जिनके पास सौ सौ मुरब्बा थी। अब वहां गोपीराम जैसे और बन्तासिंह जैसे लोग बैठे हैं जिनके पास 50-50 मुरब्बा काश्त करने को है। तो इस तरह की जो भूमि है, कालोइजेशन एक्ट में ऐसी कमजोरी है कि यह वास्तव में किसानों को राहत नहीं देकर उसको ऐसे घेरे में डाल लेती है कि अधिकारी को पावर्स मिली हुई हैं कि जिसको मर्जी आये अलाटमेन्ट कर दी। मैं आपसे अर्ज करूं कि एक जांच हुई थी और दो आफिसर्स की जांच हुई थी। वहां जो ए. सी. सी. हैं एक तो बिरदीचन्द और एक उमरावसिंह यह दो ए. सी. सी. रहे राजस्थान केनाल में। एक आदमी के पास करोड़ रुपया निकला और दूसरे के पास 1.5 करोड़ रुपया निकला। 1.5 करोड़ रूपया और करोड़ रूपये की जायदाद तीन साढ़े तीन साल में अगर एक राजस्थान कैनाल का अधिकारी जो ए सी सी है, जो अलाटमेन्ट करता है वह अर्जित करता है तो यह बात साबित करती है कि वहां अलाटमेन्ट में किस तरह की गडबड़ियां होती हैं। तो मैं चाहूंगा राजस्थान कैनाल के इस क्षेत्र में जहां आप चाहते हैं वास्तव में लोगों को राहत देनी तो इन नियमों में इस तरह के नियम बनाये जाये। मुझे अफसोस है कि राजस्थान सरकार ने आज इसके सिवाय, नया संशोधन आयेगा उसका जिक्र बाद में करूंगा लेकिन जो किसान की डेफीनेशन है, किसान की डेफीनेशन को इतना डाइल्यूट कर रहे हैं कि आज किसी से खेती करवाता है वह भी किसान, जो श्रमिकों को इकट्ठा करके ले जाये वह भी किसान, जो कहीं बैठा रहे वह भी किसान याने किसान की डेफीनेशन है और काश्तकार की डेफीनेशन है उसको इस तरह की बना दी कि कोई भी नया आदमी उसके अन्दर भूमिहीन बन कर जा सकता है। याने हमारे चीफ सेक्रेटरी भूमिहीन। हमारे राजस्थान के एक बार चीफ सेक्रेटरी भाला साहब रहे हैं उन्होंने जमीन ले ली और जमीन इस बात की ले ली कि भूमिहीन हैं उनका परिवार। तो इस तरह की जो जमीन है, इस तरह के लोगों ने जमीन ले ली। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अगर वास्तव में सरकार चाहती है जो एक बात कही कि उग्रवादियों ने अलाटमेंट करवा लिया स्पेशल अलाटमेंट उग्रवादी स्पेशल अलाटमेन्ट करवा लें, हो सकता है यह सम्भव है क्योंकि स्पेशल अलाटमेन्ट तो था ही फर्जी लोगों का। स्पेशल अलाटमेन्ट में तो एक बार वोटर लिस्ट की तरह अपना प्रमाणपत्र बनवा लो और फिर जीमन ले लो। उसमें बार थी ही नहीं। इसलिए लोगों ने पैसे देकर अलाटमेन्ट करवा लिया

144

(श्री हेतराम बेनीवाल)

और उसकी जांच सिर्फ उग्रवादियों के नाम से नहीं की जाये क्योंकि मेरे क्षेत्र में और गंगानगर जिले में सिर्फ यही प्रचार है और केदारजी ने सही एप्रीहेंशन जाहिर किया है कि सिर्फ यह प्रचार है कि उन लोगों को जमीन मिल जाये। इसलिए यह कमेटी बनी है। मैं चाहूंगा कि कमेटी का एरिया विस्तृत किया जाये और यह कमेटी सिर्फ उन तक नहीं रखी जाये कि चार जो मंत्री हैं उनके बजाय सारे हाउस की कमेटी बनाई जाये। उन लोगों को भी लिया जाये कि जो कांग्रेस के लोग हैं। उस समय श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने कमेटी बनाई थी मिनिस्टर की लीडरशिप में उसमें सारे अपोजीशन के लोग थे और वास्तव में उसके नतीजे सही निकले। मैं समझता हूं कि भैरोंसिंह जी इसमें सीरियस हैं तो नतीजे अब भी निकलेंगे कि सारे हाउस को लेकर कमेटी बनाई जाये।

श्री समापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री जी;

श्री गंगाराम चौधरी : समापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाये?

श्री समापति : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं? (विराम) प्रश्न यह है कि...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पाइन्ट ऑफ आर्डर सर। इतनी बहस हुई उसका सरकार की तरफ से कोई उत्तर तो आया ही नहीं।

श्री समापति : बहस का उत्तर तो नहीं आना था।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बहस का उत्तर आयेगा। इतने माननीय सदस्य बोले हैं तो जवाब तो देंगे ही।

श्री हेतराम बेनीवाल : बहस का उत्तर ही होता है और बहस क्या होती है। बहस पर वोटिंग थोड़े ही होनी है।

श्री समापति : पहले प्रभारी मंत्री जी जवाब दे चुके हैं सारा का सारा।

श्री हेतराम बेनीवाल : किस बात का? इन्होंने आर्डीनेन्स का जवाब दिया सही है लेकिन एक्ट का जवाब नहीं आया है।

श्री समापति : तो यह तो पारित हो गया।

श्री हेतराम बेनीवाल : पारित कहां हो गया ? अभी तो विचारार्थ रखा गया है।

श्री सभापति : जनमत वाला मामला तो हो गया ना। जनमत पर वोटिंग हो गयी।

श्री हेतराम बेनीवाल : पारित क्या हो गया ?

श्री सभापति : सुनिये मेरी बात। जनमत के मामले के अन्दर यह पारित हो गया कि सरकुलेशन के अन्दर जाने की आवश्यकता नहीं है और उसके बाद में इन्होंने प्रस्ताव रखा कि पारित किया जाये। इस पर कोई सदस्य नहीं बोले हैं तो किस बात का जवाब आयेगा। कोई सदस्य बोल नहीं रहे हैं तो जवाब किस का देंगे। बिना बहस के क्या जवाब देंगे ?

श्री अमीन खां : बोलना क्यों नहीं चाहते। बोलना चाहते हैं।

श्री सभापति : बात समाप्त हो गयी। कोई सदस्य बोल नहीं रहे हैं....(व्यवधान) बोलना चाहें तो बोलिये मुझे एतराज नहीं है।

श्री अमीन खां : बोलना चाहते हैं। सभापति महोदय, लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में लगान माफ करने का प्रावधान किया है। इसमें कई छोटे छोटे काश्तकार, गरीब भूमिहीन काश्तकार....

श्री सभापति : लगान माफ करने वाला नहीं है यह। राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक जिस के ऊपर अभी अभी चर्चा हो रही है, वह है।

(5.00 सायं)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पाइण्ट आफ आर्डर।

ऐसा है कि विचारार्थ लिया जाय, इस पर कुछ माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये तो सरकार की तरफ से उसका उत्तर तो आना चाहिये। उसके बाद उस पर मतदान होगा।

श्री रमाकान्त शर्मा : विचारार्थ लिया जाय, इस पर कोई बोलना नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात का कोई उत्तर, किसी बात का उत्तर देंगे, मंत्रीजी कोई न कोई तो बात कहें ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह भैंस के आगे भागवत थोड़े ही पढ़ी है। इतनी देर तक सब माननीय सदस्य बोले हैं। इसका उत्तर कहां दिया ?

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष, महोदय, जनमत जानने के लिये भेजा जाय या नहीं भेजा जाय, इस पर चर्चा हो गई। इस पर चर्चा होने के बाद वह पारित हो गया कि वह जनमत जानने के लिये नहीं

(श्री रमाकान्त शर्मा)

भेजा जाय। उसके बाद प्रश्न आया, यह विचारार्थ प्रस्तुत किया प्रभारी मंत्रीजी ने। उस पर प्रश्न यह था कि कोई बोलना चाहे कि विचारार्थ लिया जाय या नहीं लिया जाय, इस पर कोई बोला नहीं है। तो इसलिये में निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : ये अपनी बात कह रहे है, आर्डर नहीं दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : ये वो ही कह रहे हैं जो वहां बैठकर कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : ना वो सही है। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आसन की तरफ से एक गलती हो रही है जब प्रश्न पूछा जाता है मतदान के लिये तो कृपया एक दफा "हां पक्ष जीता"। आपके अनुसार हां पक्ष जीता है तो एक दफा कहिये "हां पक्ष जीता"। उसके बाद थोड़ी देर आप विश्राम कीजिये और उसके बाद अगर कोई माननीय सदस्य उस पर आपत्ति नहीं उठाये तो आप दूसरी दफा कहिये। वरना एक दफा में "हां पक्ष जीता–हां पक्ष जीता" सभी पारित हो जायेंगे। एक दफा कहिये कि मेरे अनुमान से, उसका मतलब यह है कि मेरे अनुमान से या आसन के अनुमान से हां पक्ष जीता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विश्नोई साहब, आपके अनुभवों के अनुसार हम इसका अनुसरण करेंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय ?

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक....(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यहां गलती हो रही है। "हां पक्ष जीता उसके बाद ठहरिये थोड़ी देर और कोई आपत्ति नहीं हो। नहीं तो बड़े गम्भीर परिणाम होंगे। आप सीधे ही हां पक्ष जीता–हां पक्ष जीता कह देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं रुका था। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आपने प्रबोधन कार्यक्रम में तो बताया नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया गया।

राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय) (संशोधन) विधेयक, 1991

राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय) (संशोधन विधेयक, 1991। माननीय यदुनाथ सिंहजी परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे। (अनुपस्थित)

प्रो. केदारनाथ शर्मा।

शासकीय–वक्तव्य

माननीय सदस्य श्री प्रकाश चन्द बैरवा के साथ पुस्तक विक्रेताओं का व्यवहार

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें तो माननीय विधायक श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा के सम्बन्ध में वक्तव्य देना था, वह मैं अभी दे दूं। यह बिल लें, उससे बीच में वक्तव्य दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष : जैसा आप चाह रहे थे। उसके अनुसार माननीय गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट देना चाहते हैं। आप स्टेटमेंट दे दीजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि निर्देश दिया गया था माननीय श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा के साथ जो घटना घटित हुई, उस क्रम में मुझे हाउस के अन्दर स्टेटमेंट देना है।

दिनांक 3-8-1992 को माननीय विधायक श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा चौड़ा रास्ता स्थित प्रकाश बुक डिपो पर कक्षा 9 की किताबें खरीदने गये थे। उनके साथ श्री रामलाल चौधरी भी थे। पुस्तक विक्रेता ने पुस्तकें मांगने पर पुस्तकों के साथ कुंजी लेना अनिवार्य बताया। इनके बिना किताब देने से मना कर दिया। श्री प्रकाश बैरवा ने शिक्षा सचिव से शिकायत की। इस पर श्री प्रकाश बैरवा के साथ डी.एस.ओ. व श्री रामलाल चौधरी प्रकाश बुक डिपो पर आये। उन्होंने श्री रामलाल चौधरी को पुस्तकें खरीदने के लिये भेजा। पुस्तक विक्रेता ने नई पुस्तकों के साथ एक अन्य पुस्तक भी दी। रसद अधिकारी ने श्री रामलाल द्वारा खरीदी गई पुस्तकें व स्टाक आदि को चैक कर अपने कब्जे में लिया। अड़ोस-पड़ोस के दुकानदार जिसमें शिव बुक डिपो के आलोक अग्रवाल व ओम अग्रवाल, प्रकाश बुक डिपो के अजय अग्रवाल, जय बुक डिपो के विजय व लालाराम गुर्जर आदि इकट्ठे हो गये व गाली-गलौच करने लगे। माननीय श्री प्रकाश बैरवा को अपमानित किया व मार-पीट की। माणक चौक थाने के एक सिपाही ने उनका बीच-बचाव किया। माननीय विधायक श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा की रिपोर्ट पर थाना माणक चौक में अभियोग संख्या 307/91 धारा 147, 341 व 342 भारतीय दण्ड संहिता व 3 एस.सी.एस.टी. एक्ट में कायम कर तफ्तीश आरम्भ की गई। अनुसंधान के पश्चात् मुलजिमान श्री अशोक अग्रवाल, श्री अजय कुमार श्री परीतोष वर्धन, श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, श्री लाला राम गुर्जर के विरुद्ध अपराध धारा 147, 341, 323 आई. पी. सी. का साबित पाया गया। इनके विरुद्ध दिनांक 31-8-1991 को चालान न्यायालय में पेश किया गया जो अब विचाराधीन न्यायालय है।

इस प्रकरण में जो घटना प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद विभाग के साथ घटी थी, उसका विवरण इस प्रकार है : अभियोग संख्या 534/91 धारा 147, 332, 353, 336 आई.पी.सी. दिनांक 3-8-91 थाना कोतवाली जयपुर इस प्रसंग में दर्ज हुआ। श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद विभाग, जयपुर ने 8 थाना कोतवाली पर स्वयं के साथ घटित घटना पर रसद विभाग ने अभियोग संख्या 534/91 थाने में दर्ज कराया।

माननीय श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा की

(श्री दिग्विजय सिंह)

शिकायत जांच हेतु जिला रसद अधिकारी के निर्देश पर श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी प्रकाश बुक डिपो चौड़ा रास्ता गये व जांच कार्य शुरू किया। प्रकाश बुक डिपो राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें व एक्सरसाइज बुक जैसी आवश्यक वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं। जांच के दौरान दुकान पर भाव सूची बोर्ड नहीं पाया गया। व्यवसायी आवश्यक वस्तुओं के बिल जारी नहीं करता हुआ पाया गया। पाठ्य पुस्तकों के साथ जबर्दस्ती कुंजी देने के प्रमाण मिले। प्रकाश बुक डिपो के मालिक ने जांच प्रकरण में शुरू से व्यवधान डालना शुरू कर दिया था। पाठ्य पुस्तकों विक्रेता यूनियन के पदाधिकारियों, गुण्डों एवं आसपास के दुकानदारों को इकट्ठा कर लिया। माननीय श्री प्रकाश बैरवा के साथ गाली-गलौच, मारपीट भी की और फर्द मौका फाड़ दिया। रामेश्वर प्रसाद शर्मा के साथ लात, घूंसों से मारपीट की व दुकान से बाहर फेंक दिया। प्रवर्तन अधिकारी के साथ गये ड्राइवर श्री पांडुरंग के कान के पीछे पत्थर मारा व दुकानदार शटर को गिराकर ताला बन्दकर भाग गये। दुकान में राशन कार्ड सम्बन्धी फाइल रह गई। श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी व श्री पांडुरंग, ड्राईवर की चिकित्सा जांच करवाई गई। अनुसंधान के दौरान प्रकाश बुक डिपो में रह गई राशन कार्ड सम्बन्धी फाइल बरामद की गई। श्री देवरतन भटनागर, श्री चन्द्रमोहन महाजन, श्री अजय कुमार अग्रवाल, श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, श्री आलोक अग्रवाल, श्री फरीतोषवर्धन के विरुद्ध अपराध सही पाये जाने पर धारा 147, 332, 353, 336 आई.पी.सी. में दिनांक 31-8-91 को चार्जशीट काट दी गई है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना तब घटी जब प्रकाश बैरवा कई दुकानों पर किताब खरीदने गये। क्या होता है कि किताब होती है कुल कोस्ट की पचास प्रतिशत की और कुंजी उसकी डबल कोस्ट की होती है। तो यह इतना एक्सप्लोयटेशन हो रहा है राजस्थान में। मैंने सांभर में भी पता किया, वहां भी कुंजी के बगैर किताब नहीं दे सकते। तो एक बड़ा काण्ड हुआ तो प्रकाश बैरवा ने सेक्रेटरी से अप्रोच किया और सेक्रेटरी ने कन्सर्न डिपार्टमेण्ट को कहा और उन्होंने रेड डाली और रेड डालने के बाद उसका जो कथन था वह सही पाया और उसके बावजूद कुछ दुकानदारों को, मेरी यह मान्यता है कि सरकार का प्रोटेक्शन प्राप्त था उनको इसलिए उन्होने एक बड़ा उधम और हंगामा किया।

श्री चन्दनमल बैद : यह बात सही है।

डा. हरिसिंह : वरना अपराध करके अपराधी खुले आम गेंगस्टिज्म करें और न पुलिस की और न डिपार्टमेण्ट के आदमियों की परवाह न करें। यह सब काण्ड किया और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की। वहां पुलिस के सिपाही थे, तो सिपाही ने प्रकाश बैरवा को बचाया और उन्होंने एक विधायक के साथ ऐसा बड़ा काण्ड किया और साथ-साथ में उसको इस तरह तिरस्कृत किया, गाली दी और "ढेढ़" शब्द का खुले आम यूज किया। आजकल हालत तो यह है कि किसी को प्राइवेट में यह बात कह दो तो नानबेलेबल ओफेंस बनता है और सड़क पर

(डा. हरिसिंह)

यह बात हुई और फिर सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, विधायक के साथ यह बरताव होता है तो आम हरिजन को यह सरकार क्या प्रोटेक्शन देगी इस राजस्थान में, यह सोचने की बात है ? उपाध्यक्ष महोदय कि आज एक विधायक, जो एक शिड्यूल्ड कास्ट का है और उसको तिरस्कृत किया जाता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है मैं यही समझूंगा कि यह सरकार जो लोग इस बात को करते हैं, उनको संरक्षण देती है वरना उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है ? सारा, माननीय गृहमंत्रीजी ने बात बता दी, चालान की फलानी-फलानी धारा, लेकिन एक हरिजन के साथ में अत्याचार हुआ और वह भी विधायक के साथ हुआ, उस धारा में आपने चालान क्यों नहीं किया ? आप खुद मान रहे हैं, तो यह सारा मामला ऐसा है कि आज सारी दुनिया यह जानती है कि बिचौलियों का और हेराफेरी करने वालों का है और मिलावट करने वालों का राज है और उनको कोई नहीं छेड़ रहा है । जब-जब उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होती है तो यह सरकार उनको प्रोटेक्शन दे रही है, खुले आम दे रही है । मेरी सरकार पर एक चार्ज है कि जो असामाजिक तत्व हैं, मिलावट करने वाले असामाजिक तत्व हैं, गलत चीज बेचने वाले, भाव गलत करने वाले, बाट कम यूज करने वाले असामाजिक तत्व हैं और उन असामाजिक तत्वों को यह सरकार आज प्रोटेक्शन दे रही है तो यह सरकार किस न्याय और ला एण्ड आर्डर की बात कर रही है ? यह सरकार खुद जान-बूझकर ला एन्ड आर्डर को डिस्टर्ब करवा रही है, असामाजिक तत्वों को प्रोटेक्शन दे रही है । इससे कोई उम्मीद नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जो भी बात कहते हैं, भ्रष्टाचार की, ला एण्ड आर्डर की वह सिर्फ एक छलावा और दिखावा है । इन सब छलावों और दिखावों की आड़ में वह खुद सरकार इस भ्रष्टाचार और इन असामाजिक तत्वों को पनपा रही है । मैं इतना ही कहकर के चाहूंगा कि गृहमंत्री जी जवाब दें ।

पिछली दफा जब इमलीवाला के हत्याकाण्ड की बात हुई थी तो मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहा था कि आप क्या एक्शन लेंगे ? उन्होंने कहा कि कानून के तहत जो भी एक्शन होगा वह लेंगे । आज तक वह गिरफ्तार हुआ ? वह डाकुओं का छलावा तो हो गया। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई तो यह सरकार जो असामाजिक तत्व हैं उनको प्रोटेक्शन दे रही है । खुले आम दे रही है । यह मेरा साफ तौर से चार्ज है और यहां सदन की मेज पर जो बड़े-बड़े भाषण दिये जाते हैं वह सब छलावा और दिखावा है । कहना कुछ और करना कुछ, यह सरकार कर रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जैसा माननीय गृहमंत्रीजी ने स्टेटमेण्ट दिया । उसके सम्बन्ध में आप कोई सवाल पूछना चाहें, भाषण न करके उनसे क्वेश्चन कीजिए आप । (व्यवधान) एक-एक करके पूछिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह बहुत गम्भीर सवाल है । हरिजन के साथ मारपीट हुई है । एक विधायक, हरिजन विधायक के साथ खुलेआम, सरेबाजार पिटाई

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हुई है इसलिए आप सदन की भावनाओं को देखें। यह मामला अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं रोक नहीं रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला पिछड़ी जाति का, अनुसूचित जाति का है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जनार्दनसिंहजी, जनार्दनसिंह जी बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक पिछड़ी जाति के विधायक के साथ इतना गम्भीर मामला हुआ है इसलिए विशेष ध्यान दिया जाए और दोषी व्यक्ति को दण्ड मिलना चाहिए। आप एस. टी. एस. सी. के मामले पर ध्यान नहीं देते हैं और वह एक विधायक का मामला है। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : विधायक तो विधायक हैं। हरिजन या लालजन क्या होता है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय। महावीर प्रसादजी जरा सुनिये आप।

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो आप से सवाल पूछ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? यह तो बाद में पूछना। मैं इनको प्रोटेक्ट कर रहा हूं।

श्री शान्तिलाल चपलोत (रामसमंद) : जानबूझकर के इसको क्षेत्र में बांटने की कोशिश न करें। हरिजन हम भी हैं लेकिन यहां पर विधायक हैं। यहां मुद्दा इसलिए उठा है कि वह विधायक हैं। मैं भी हरिजन हूं.... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको बोलना नहीं चाहिए।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

एक माननीय सदस्य : एक विधायक को सरे आम पीटा गया है और आप पीटने वालों की वकालत कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहिए। आर्डर प्लीज। आप बिराजिये माननीय सदस्य जनार्दन सिंहजी बोलिये।

श्री चन्दनमल बैद : जान-बूझ के उनको उकसाया जा रहा है और उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक विधायक के साथ मारपीट हुई है और आप उसकी खिलाफत कर रहे हो। नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शांतिलाल जी। कृपया बैठिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : यह मुद्दा इसलिए उठा है कि वह विधायक है न कि इसलिए उठा है कि वह हरिजन है। इसलिए विधायक की स्थिति से काम किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये। (व्यवधान) यह बोल रहे हैं जनार्दन सिंहजी। पहले माननीय सदस्य सुन लीजिए। जनार्दन सिंहजी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री चन्दनमल बैद : कोई सुनवाई नहीं हुई जब मेरे साथियों के साथ मारपीट हुई थी ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बैद साहब, यह बोल रहे हैं। जनार्दनसिंह जी कृपया बोलिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, जो मामला सदन में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से रखा है यह राजस्थान के लिए बड़ा गम्भीर मामला है। सही मायने में इस सदन में जहां हम बैठे हैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इसको गम्भीरता से लिया जाए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : यह सम्मान का मामला है।

श्री शान्तिलाल चपलोत : हर मामला गम्भीर है। आप गुण्डागर्दी को पनपा रहे हो। क्या तरीका है आपका यह? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चपलोत साहब बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री शान्तिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, ये विधायकों की दो केटेगरी करना चाह रहे हैं। विधायक, विधायक होता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ब्लेक मार्केटिंग की बकालत कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री रामसिंह बिश्नोई : गरीब आदमी को कौन पूछेगा। गरीब आदमी को कोई नहीं पूछेगा। सरकार ने घोर अन्याय किया है। एक हरिजन विधायक के साथ इस तरह की मारपीट हुई है। सत्ता में रहने वाले माननीय सदस्य इस तरह की पैरवी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीरजी, आप बोलिये। आप अपना पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज करिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बैठिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एक विधायक के साथ, आप पहले इनको व्यवस्थित तो कीजिए कम-से-कम।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये। सदन में शान्ति है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप समय की गणना कर रहे हैं। एक हरिजन विधायक के साथ इस तरह से व्यवहार हो...। आप बैठिये, सुनिये आप (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये ब्लैक मार्केटिंग की बकालत कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप पाइण्ट आफ आर्डर उठाइये। व्हाट इज ओवर पाइण्ट आफ आर्डर? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज करने का मेरा अधिकार है। मैं इसलिए कह रहा था कि सदन के अन्दर एक विधायक के मारपीट के बारे में चर्चा हो और उसमें वह विधायक भी शिड्यूल्ड कास्ट का हो, जिसके नाम पर, चाहें यह पक्ष हो, चाहें वह पक्ष, हमेशा यह कहते हैं कि हम उनके हितैषी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइण्ट ऑफ आर्डर कहां है ? जनार्दन सिहजी बोल रहे थे पहले।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप सुनिये तो सही। मेरे इस सेन्टेन्स को पूरा होने दीजिये आप। मैं यह कह रहा था, ऐसे महत्वपूर्ण मामलों को, छोटे-छोटे मामलों में ऐसे उलझा करके इस तरह से डाइवर्ट करके उसका वजन कम करना चाहते हैं, यह इन्हीं के लिये नहीं, हमारे लिये नहीं, ऐसे मामले आपके लिये भी दुखदायी साबित हो सकते हैं। (व्यवधान) सदन की भावना है, ऐसे मामले को हल्के ढंग से लेने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) आज यह सड़क पर हैं, कल आप भी सड़क पर हैं, कल आप भी सड़क पर होंगे हम भी सड़क पर होंगे लेकिन जब तक विधायक हैं, सदन की गरिमा और विधायक की गरिमा रखने का आसन का, हमारा, सबका दायित्व है उसको सोचना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सरकार ने जिस प्रकार इस प्रश्न को गम्भीरता से लेकर आपकी और सबकी भावनाओं का आदर करते हुए आज ही इसको तत्काल बिजनेस में नहीं होते हुए भी लिया है; उस गंभीरता को आप थोड़ा बहुत सोचिये। क्रमशः बोलिये, आपको सबको बारी-बारी से बोलने का मौका दिया जा रहा है। इस गंभीरता को भी देखिये।

एक माननीय सदस्य : वह नहीं बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : हां, वह नहीं बोलें। (व्यवधान) आप बिराजें। जनार्दन सिहजी। जनार्दन सिहजी को बोलने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : यह सारी बातें आ जायेंगी। इनको बोलने दीजिये ना। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ग्राफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, आपने रिमार्क्स कस कर, अभी जो रिमार्क्स दिया आपने....

श्री उपाध्यक्ष : वह क्या ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं समझता हूं +++ आपने एक पक्ष को लिया है, सरकार की तारीफ की है आपने।

श्री उपाध्यक्ष : नो, नो, नो। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : मुझे उनसे स्पष्टीकरण करने दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य ने आसन के लिये जो शब्द कहे हैं

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

वह सदन की कार्यवाही से निकाले जायं। यह परम्परा नहीं है कि आसन के ऊपर इस प्रकार के रिमार्क्स कसे जायं।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपके पद की गरिमा....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की भावना का सम्मान करते हुए....(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : आसन को अपमानित कर रहे हो। आसन के ऊपर कलंक लगा रहे हो।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप एक पक्ष में नहीं बोलें। मैं आपसे अर्ज करूं, आपने अभी जो शब्द कहे, सरकार की इतनी स्तुति की है कि जैसे सरकार ने बहुत बड़ा अहसान कर दिया स्टेटमेंट देकर।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वह बात नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह निश्चित तौर पर अध्यक्ष की तरफ से कोई रिमार्क्स नहीं आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ना, ना। सदन के माननीय सदस्यों की भावना....

श्री हेतराम बेनीवाल : आपको इस तरह का रिमार्क्स नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है। मेरा यह आशय नहीं था। मेरा आशय यह नहीं था। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आपका आशय यह था कि उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया। अभी स्टेटमेंट दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : ना, ना, ऐसा नहीं था। (व्यवधान) कृपया बेनीवाल साहब। आपकी भावनाओं के अनुसार ही चल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : जो स्टेटमेंट दिया है, निश्चित तौर पर हाउस पर अहसान नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, वह तो मैंने कह दिया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : या ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो उन्होंने दे दी है। या स्टेटमेंट में जो कुछ कहा है वह उपलब्धि है। निश्चित तौर पर आपको इस पर विचार करना चाहिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है। एक विधायक का मामला है, इसकी कानूनी जांच की जाय। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मसले को आप ऐसे टालें नहीं और आप इसको गंभीरता से लें। इस प्रकार की वारदात आज हमारे साथ हुई है, हमारे दूसरे भाई के साथ भी हो सकती है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मामले को गंभीरता से लें। (व्यवधान) आप उनको देना चाहते हैं, उनको बैठाते नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज शांतिलालजी, आप विराजिये। शांतिलालजी, आप बिराजिये। उनको बोलने दीजिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार यह मामला आपके सामने और सदन के सामने आया

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

गया है इस मामले को पूरा सदन गम्भीरता से ले। क्योंकि यह मामला इतना गम्भीर है, जैसे हमने आज सवेरे रिक्वेस्ट की थी कि इसका आज ही जवाब मिल जाय, उससे लगता है जवाब देने के लिये सरकार आज ले रही है, इसको गम्भीरता से सदन के सदस्यों को भी लेना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला दो तीन मामलों से जुड़ा हुआ है।

(5.25 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

• दो तीन मामले जो हैं, एक तो मामला यह है कि क्या जयपुर शहर में और राजस्थान में यह पाठ्य पुस्तके जहां दुकानों पर उपलब्ध हैं वहां पर इस प्रकार से 64 रुपये की किताबों का पूरा सैट और कुंजी मिलती है 120 रुपये में ? जिस बच्चे का पूरा कोर्स 64 रुपये में आ रहा हो वह बच्चा अपनी किताबें लेने जाय या उसके पेरेन्ट्स जायं तो उसको 64 के बजाय क्या सरकार ने 125 रुपये दण्ड देने की कोई व्यवस्था कर रखी है, मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूं ? राजस्थान के सारे जगह-जगह कौनों पर यही व्यवस्था हो रही है। क्या राजस्थान सरकार ने कोई व्यवस्था की कि अब राजस्थान के अन्दर कुंजी कोई दुकानदार नहीं बेचेगा ? यह व्यवस्था कोई की या नहीं, यह तो बताइये पहले।

दूसरा यह है कि इसके अन्दर जो-जो ऐसे लोग थे, उस दिन माननीय प्रकाश बैरवा पांच-सात दुकानों पर गये और सब जगह यही बात कही गयी। यह बात जब सदन के सदस्यों के सामने आयी तो कई माननीय सदस्य जहां-जहां अपने विधान सभा क्षेत्र में गये उन्होंने जांच की इस बात की कि क्या वहां भी ऐसा हो रहा है। तो सब जगह राजस्थान में इस प्रकार से पैसे इकट्ठे किये जा रहे हैं। दुकानदारों से जब कहा जाता है तो दुकानदार कहता है कि राजस्थान सरकार के सम्बन्धित कुछ लोगों को हमने बहुत बड़ा धन दिया है रिश्वत के नाम पर, इसलिये हमको परमिशन दे रखी है। कुंजियां देने के लिये सरकार के कुछ लोगों को उन्होंने इकट्ठा करके धन दिया है इसलिये उनको छूट दी है राजस्थान सरकार ने। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : डायलाग देना चाहते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हो। आप तो खुद पूंजीपति हो। आप किससे बात कर रहे हो ? खुद पूंजीपति हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। एक मिनट बिराजिये। एक मिनट। देखिये, स्टेटमेण्ट के बाद आप पाइन्टेड क्वश्चन करिये रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट। आप यदि उसको और डाइवर्ट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी की बात है। नियम यह है कि पाइन्टेड क्वश्चन करिये। ताकि उनका जवाब आये। और लोग भी पूछने वाले हैं। फिर इतना समय मिलेगा नहीं कि और लोग पूछें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार की बात तो आयेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ा स्पेसिफिक क्वश्चन पूछा है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको प्रक्रिया के स्टेटमेंट पर क्या होना चाहिये वह बताया है। आपकी मर्जी आये वैसा करिये। तरीका यह है। अब आप जो चाहें, बोलें, उसके नाम पर। यदि स्टेटमेंट पर सारा भ्रष्टाचार और व्यभिचार सारा आ जायगा तो आप जानें। यदि इसमें इन्वाल्वड है वह जरूर बोलिये जितना है। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन आप बैठिये। प्लीज सिट डाउन। आप कृपया नीचे बैठिये। मैं फिर बंद करता हूं। देखिये, मैं बंद कर देता हूं, कोई सवाल नहीं होगा। मैं आगे जाऊंगा फिर।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हरिजनों की बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि पाइन्टेड क्वश्चन नहीं होकर भाषण हुए और बीच में एक के बजाय दो बोले तो मैं बंद कर दूंगा, फिर आगे चला जाऊंगा। आप बैठिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमको भी अधिकार है सदन में बोलने का, इनको अधिकार है तो हमको भी अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : रेकर्ड नहीं करेंगे। आप बोलते जाइये, रेकर्ड मत करिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। फिर वही बात शुरू हो गई। मुझे बंद करना पड़ेगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ा स्पेसिफिक क्वश्चन पूछा है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये मगर बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिये। आप पूछिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ा स्पेसिफिक क्वश्चन मंत्री महोदय से पूछा है। वह यह पूछा है कि राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से कुंजियों को देने का काम, खरीदने का काम जोर जबर्दस्ती किताबों के विक्रेता कर रहे हैं उस पर सरकार ने रोक लगाई है या नहीं? यह सारा मामला सदन में आने के बाद रोक लगाने का काम किया है या नहीं?

दूसरा, यह है कि क्या सरकार ने प्रकाश बुक डिपो को बकायदा रसद अधिकारी ने और डी. एस. ओ. ने और सब ने जिनको पकड़ा है कि यह सही पाया गया है कि वहां उन्होंने सूची नहीं लगा रखी थी, माननीय मंत्री महोदय ने जावब में साफ कहा है कि सूची नहीं लगा रखी थी और उन्होंने अनियमितता पाई है, उसके बाद क्या सरकार ने उसको ब्लैक लिस्टेड किया है या नहीं?

तीसरा, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आलोक

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

अग्रवाल, ओमप्रकाश अग्रवाल, अजय अग्रवाल और लालाराम गूजर के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज हुई है, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि हमने उनका चालान पेश कर दिया, उनका आपने चालान तो पेश कर दिया, उन्हें गिरफ्तार किस तारीख को किया था ? गिरफ्तार किया या नहीं ? सही मायने में जो एक्ट आपने इस्तेमाल किया है, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान के किसी कोने में आप चले जाइये, इस सदन के माननीय सदस्य बैठे हैं, छोटा सा भी शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी कोई एफ. आई. आर. दर्ज करा देता है और यह कहता है कि मेरे को यह अपमान के शब्द कहे या इस प्रकार से मेरी बेइज्जती की या छूत-छात की बात की इसमें आपके एक्ट में सीधा प्रावधान है। कि उसकी इंक्वायरी डीवाई. एस. पी. से नीचे नहीं होती और हालत यह है कि उसको कोर्ट से जमानत करके लाए हम अपने विधान सभा क्षेत्र में रोज देखते हैं शिड्यूल्ड कास्टस की शिकायतें प्राथमिकता से सुनी जाती हैं और संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, शांतिलाल जी, आप बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं ? ये सवाल पूछ रहे हैं।

(5.30 सायं)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपने उस धारा मे इस केस को क्यों नहीं दर्ज किया और यदि किया है तो उस धारा में किसी को गिरफ्तार किया या नहीं और इसकी डीवाई. एस पी लेवल पर जांच हुई या नीचे थानेदार लेवल पर हुई ? क्योंकि एस. सी. की परिधि में आता है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि इस सदन का सदस्य होने के नाते अगर उनको नहीं लगाया जा रहा है तो अलग बात है लेकिन साधारण सी अगर कोई रिपोर्ट दर्ज होती उसमें चालान की इस प्रकार की कार्यवाही राजस्थान के सभी थानों में संबधित डी. एस. पी. कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सदन के सदस्य जिन्होंने इस बात को उजागर किया, ऐसे ही, राजस्थान के लाखों लोग सही मायने में इस बात से पीड़ित हैं। कम से कम हम आभारी हैं माननीय सदस्य श्री बैरवा के जिन्होंने कम से कम इस बात को उजागर किया उसने हिम्मत की, दुकान पर गये और पिटने के लिए भी तैयार हुए और थाने पर जाकर शिकायत की। ऐसा कौनसा विधायक करता है ? और यह राजस्थान में सारा मामला उजागर हुआ ? मेरा अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न है यह सरकार कालाबाजारी रूकवाने की कोशिश करे और कालाबाजारी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और उनको ब्लेक लिस्ट में लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय विश्नोई जी। विश्नोई जी पूछ रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि विधायक महोदय के साथ मारपीट हुई, उसके लिए तो चालान कर दिया लेकिन जो तथ्य सामने आये हैं उससे ऐसा लगता है कि 64 या 65 रूपये

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

की पुस्तकें और 124-125 रूपये की कुंजियां, तो उपभोक्ता की कितनी भारी लूट हो रही है। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून के अन्तर्गत कोई सरकार ने कार्यवाही की है क्या उसके बिरुद्ध ?

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रभान जी।

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

सबको तो मौका नहीं दूंगा। छांटकर दूंगा। इसमें 50 नाम है। प्रस्ताव में बहुत नाम है।

बैठिए, बैठिए आप। वो पूछ रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको इतना हल्केपन से नहीं लेना चाहिए। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि एक माननीय इस सदन के सदस्य के साथ ऐसा अपमान हुआ। एक तरफ तो प्रोटोकाल में विधायक को सी. एम. से ऊपर रख रहे हैं और दूसरी तरफ विधायक के साथ इस तरीके की घटना हो, और उसको हम इतना नान-सीरियस बना दें मैं इस संबंध में दो तीन सवाल पूछना चाहूंगा। पहला दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही लेकिन फिर इस पर चर्चा महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय, इस घटना की जो बुनियाद है वह है पुस्तकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता। जो पुस्तकें राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड छपवाता है वह पुस्तकें बहुत कम रेट पर बेची जाती हैं और उनकी तादाद भी बहुत कम मात्रा में छपती है चाहे सीमित साधनों के कारण या किसी भी कारण से और इसलिए अमूमन यह होता है कि ज्यादातर पुस्तकों के विक्रेता उनके साथ कुंजियां बेचते हैं। हालांकि सरकार ने पुस्तकों के साथ कुंजियों को बेचने को प्रतिबंधित कर रखा है लेकिन उसके बावजूद भी बेच रहे है। तो मूल कारण यह रहा कि पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी उसके लिए क्या कार्यवाही की गई ? क्या आगे से पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध करवाई जायेंगी ?

दूसरा, कुंजियां बेचने का अवैधानिक काम नियम विरुद्ध किया जा रहा था उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? तीसरा कारण सरकारी अधिकारी जो सप्लाई विभाग का था उसके काम में बाधा डाली गई। उसके विरुद्ध क्या कोई मुकदमा दर्ज किया, उसमें क्या कार्यवाही हुई ? नम्बर चार फिर छुआ-छूत निवारण अधिनियम, जब हमारे माननीय सदन के साथी ने यह कहा कि मैं विधायक हूं और आप यह गलत काम कर रहे हैं कि पुस्तकों के साथ अवैधानिक रूप से जबरन कुंजियां बेच रहे हैं। तो कहा, आप विधायक है, क्या नाम है ? अपना नाम उन्होंने पूछने पर प्रकाश बैरवा बताया तो बोले "ढ़ेढ़, तेरे को भी, मेंढ़की को भी जुकाम होने लगा।" तो आज जो सदस्य यहां आपत्ति कर रहे थे कि विधायक चाहे हरिजन हो, उससे क्या ताल्लुक। सवाल वहां से पैदा हुआ जब विधायक कहने के बाद उसने जाति-सूचक शब्द के साथ उनको अपमानित करने का काम किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि छुआछूत निवारण अधि-

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

नियम के तहत क्या कोई कार्यवाही की गई ? अंतिम सवाल, माननीय गृह मंत्रीजी ने यह तो कहा कि उनके खिलाफ सक्षम न्यायालय में पुलिस द्वारा तफतीश करके चालान पेश कर दिया गया है लेकिन अध्यक्ष महोदय, केवल मात्र चालान पेश कर देने से कुछ नहीं होता। इसमें धारा 341 भी लगाई गई है जो बेलेबल आफेंस है। मैं कह रहा हूं छुआछूत की जो बात हुई, उसने अपशब्द बोला यह नान-बेलेबल आफेंस है। तो क्या जिन अपराधियों की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो क्या उनको गिरफ्तार करके उनकी जमानत हुई ? केवल मात्र चालान पेश कर दिया। इन सारे तथ्यों की गृह मंत्री जी जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई। जिनके नाम हैं मैं उनमें से बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : मुल्जिमों का चालान कब हुआ और किस धारा के अन्तर्गत हुआ यह मंत्री महोदय ने स्पष्ट नहीं बताया, चालान कब हुआ ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं हरिजन निवारण कानून के अन्तर्गत जो मुकदमा दर्ज हुआ तो उसको निकाल कैसे दिया गया ?

एक माननीय सदस्य : दर्ज ही कहां हुआ ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : हुआ है। उसको निकाल दिया गया और दूसरी धाराओं में उसको किया गया। क्या आपकी मन्शा हरिजन निवारण कानून के अन्तर्गत केस लाने की है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, सवाल का जवाब मंत्री जी दे देंगे। श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय जो माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट आया है उसमें दो एफ आई. आर. के संबंध में यहां जानकारी दी गई। एक एफ. आई. आर. वह है जो प्रवर्तन निरीक्षक अधिकारी है, मैं उसके संबंध में पूछना चाहता हूं जो प्रवर्तन अधिकारी है उन पर किशनपोल कोतवाली पर एफ. आई. आर. दर्ज कराई है शायद उसमें उन्होंने लिखा है कि माननीय विधायक को गाली-गलौच दी। यह माननीय गृह मंत्री के स्टेटमेंट में भी आया है और विधायक महोदय ने माणक चौक थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे को ढेढ़, चमार कह कर गाली गलौच किया मेरे लात, घूंसे, थप्पड़ मारे। मैं उस एफ. आई. आर. का अंश आपकी इजाजत से पढ़ कर सुनाने जा रहा हूं – मस्कूल रिपोर्ट से जुर्म धारा 147, 148, 341 323 तथा 3 हरिजन कष्ट निवारण अधिनियम का पाया गया। यह थाने में हरिजन कष्ट निवारण की धारा 3 इसमें लगाई। सीधा प्रश्न है माननीय गृह मंत्री जी, कि हरिजन कष्ट निवारण एक्ट की धारा 3 का क्या हुआ ? इसमें मुल्जिम का चालान क्यों नहीं पेश हुआ और इसमें मुल्जिम गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, नम्बर एक ? दूसरा,

(श्री हरिसिंह)

आज तक आपके किसी पुलिस अधिकारी ने माननीय विधायक और उनके साथ जो व्यक्ति थे उनसे या जो उनके गवाह हैं, उनका आज तक किसी ने स्टेटमेंट नहीं लिया और बिना स्टेटमेंट लिए 31 तारीख को चालान पेश कर दिया। यह सिर्फ एक बदनीयती थी सरकार की तरफ से।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये।

श्री हरिसिंह : मैं सवाल पूछ रहा हूं। दूसरा और मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं आपकी इजाजत से। इसमें यह लिखा है प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक पर हमला करने के कारण अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार करना चाहती थी लेकिन राजनीतिक दबाब से गिरफ्तारी नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष : श्री सुनील बिश्नोई। आप पूछिए।

श्री सुनील बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सारे प्रकरण से यह साफ जाहिर होता है जिस तरह से यहां मुनाफाखोरी पूरे राजस्थान में, हमारे क्षेत्र में चल रही है। सब जगह इस तरह से कुंजियां दी जा रही है। और यह दुकानें धड़ल्ले से जैसे कि राज नाम की कोई चीज है ही नहीं, धड़ल्ले से कुंजियां बेच रहे हैं तो इस तरह का जो प्रकरण आया है और एक विधायक ने जब इसको उठाया और जिस तरीके से चालान पेश किया गया। चालान पेश करने पर न तो विधायक के बयान लिये गये, न हरिजन वाला एक्ट निकाला गया इससे साफ दिखता है कि यह राजनीतिक दबाब था। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये चालान कौनसी तारीख को पेश हुआ?

श्री अध्यक्ष : श्री ईश्वरलाल सैनी। बस यह आखिरी हैं। जिनके नाम नहीं है, उनको तो मै अलाऊं करूंगा नहीं। क्योंकि नाम ही बहुत ज्यादा हैं। आपका नाम नहीं है। अभी नाम वालों का ही नम्बर नहीं आ रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमारा नाम कैसे उड़ा दिया। नाम है हमारा।

श्री अध्यक्ष : हां है, उनमें से कम कर रहा हूं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : गृह मंत्री महोदय ने यह स्वीकारा है कि उन्होंने चालान कर दिया पुलिस ने, मैं सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब चालान किया जाता है उस वक्त अगर वह नोन. बेलेबल है तो अरेस्ट करके मुलजिमों को कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर वह बेलेबेल है तो पुलिस बेल लेकर उनको कहती है कि फलां तारीख को आपका चालान किया जायेगा, आप कोर्ट में हाजिर होइये। अगर उन्होंने सारी धारा बेलेबल लगाई है तो मैं एक तो यह पूछना चाहता हूं कि जिस रोज बेल होती है उस रोज मुल्जिम कोर्ट में हाजिर हुए कि नहीं। अगर इसमें कोई धारा नोन बेलेबल है तो उसको अरेस्ट करने के बाद, या उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत करा ली यह अलग बात है, वह भी

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

बता दीजिए आप । ऐसे कितने मुल्जिम हैं जिन्होंने अपनी अग्रिम जमानत करा ली तो उनको भी उस रोज कोर्ट में आना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : जिस रोज पुलिस ने यह चालान किया, कौन कौन मुल्जिम हाजिर थे और कौन गैर हाजिर थे। अगर गैर हाजिर थे तो उनको पुलिस द्वारा कब हाजिर किया जायेगा, इसका आप स्पष्ट उत्तर दें।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से सीधा सवाल यह है कि जो इसमें धारा लगाई है धारा तीन हरिजन निवारण अत्याचार । इसमें एफ. आई. आर में विधायक ने स्पष्ट कहा है कि मुझे ढेढ़-चमार कह कर अपमानित करने लगे धक्के देने लगे और मैं वहां से पीछे हटा तो साले चमार को मारो, इसको जाने मत दो, ऐसे शब्द मुझे कहे। मुझे अफसोस है राज्य सरकार पर कि विधायक के और विधायक के साथ आने वालों के अब तक कोई बयान नहीं लिये गये और धारा तीन को हटा कर चालान कर दिया गया। मंत्रीजी आप स्पष्ट करो कि आपको धारा तीन में चालान करना है या नहीं करना है।

श्री अध्यक्ष : अब यह सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं। रिपीट हो रहे हैं।

श्री परसादीलाल : मेरा दूसरा सवाल यह है कि विधायक ने जो मुकदमा दर्ज कराया उसकी धारा हटा कर चालान कर दिया और प्रवर्तन अधिकारी ने जो मुकदमा दर्ज कराया उसका धारा 3/7 में आज तक चालान क्यों नहीं किया गया ? यह दोहरी नीति सरकार की क्यों है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास । सवाल पूछिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो टैकटिक्स गवर्नमेण्ट की रही है। इसके इशूज को मिक्स-अप करने की जरूरत नहीं है. Let us be very specific on this एक तो इश्यू है विधायक के साथ मार पिटाई करने का और एक इश्यू है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत। यह दोनों इश्यु बिलकुल अलग अलग हैं, तो कृपा करके माननीय मुख्य मंत्रीजी इसको मिक्स-अप करने की कोशिश न करें। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आपने आज तक क्या कार्यवाही की और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आप जो कार्यवाही करेंगे, वही आपकी मंशा का द्योतक होगा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का ...

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल तो हो गया ना, वह जवाब दे देंगे। आप सही कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं वो ही बात कर रहा हूं। उन्होंने इसको रेफर ही नहीं किया। दूसरा, जहां तक विधायक के साथ मार पिटाई का प्रश्न है, उसमें प्लेन एण्ड सिम्पल बात यह है

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कि अध्यक्ष महोदय, इसकी गंभीरता को समझ लें, इसके वैधानिक पक्ष को आज तक नहीं समझा गया। मैं संभवतया समझता हूं कि इस देश के अन्दर, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और उनकी सबसे बड़ी देन अगर एण्टी डिफेक्शन लॉ है तो दूसरी सबसे बड़ी देन है तो जो before he laid his office, 1989 के अन्दर यह Prevention of Atrocities against Scheduled Castes & Scheduled Tribes Act है, Prevention of Atrocities against Scheduled Castes & Scheduled Tribes Act के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, सैक्शन 21 के अन्दर स्पेशल रेसपोन्सिबिलिटी गवर्नमेण्ट की फाजिल की हुई है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात से अवगत हैं या नहीं।

It is the special responsibility of the State Government: कि सेण्ट्रल एक्ट के लेजिसलेशन को एक्ट अप्रोन करवाए, एनफोर्स करवायें। अध्यक्ष महोदय, एक दफा मुकदमा....

श्री कृष्ण कुमार गोयल: मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि पुस्तकें क्या असेन्शियल कमोडिटीज एक्ट में आती हैं? मैं अपनी जानकारी के लिए चाह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास: अध्यक्ष महोदय, बी. बी. एस. एम. के लिए मैं माफी चाहता हूं। मन्त्री जी का ववशचन रेलेवेन्ट है। मैं इसका जवाब दूंगा पर पहले मैं आपकी अनुमति से मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी क्या रेसपेक्ट इस एक्ट के लिए है, उसकी चर्चा मैं आज नहीं करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि करौली से आने वाले माननीय सदस्य को तथ्यों की जानकारी नहीं है। मुख्य मन्त्रीजी का क्या दृष्टिकोण इस अधिनियम की ओर है, यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है, जिसकी चर्चा में आज नहीं करना चाहूंगा कभी उपयुक्त समय आया तो अवश्य करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह बात कहना चाहता हूं कि जो एफ. आई. आर. दर्ज हुई इसके अन्दर Prevention of Atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act के अन्दर मुकदमा दर्ज हुआ। यह बिल्कुल स्पेसिफिक बात बताई है कि यह धारा आपने किसलिए हटायी है और कैसे हटाई। उसका आपके पास क्या आधार है? और आपने इस केस को हसप्रप करने के लिए चालान कराया। मैं माननीय कृष्ण कुमार जी गोयल के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मैं इस विवाद में इस सदन को नहीं फंसाना चाहता कि अमुक धारा के अन्तर्गत केस बनता है अथवा नहीं। यह इनवेस्टीगेटिंग एजेन्सी के देखने का काम है लेकिन क्या आप यह मानते हैं कि जबरदस्ती कुन्जी बेचना इस तथ्य को आप इस स्टेज पर देखिये, कम्प्लेण्ट की स्टेज पर अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी नहीं हुआ करता। जो एलीगेशन आपके खिलाफ हैं, उनको सही मानते हुए इन्वेस्टीगेशन आगे बढ़ता है। और उस स्टेज पर आप यह नहीं कह सकते, यह स्वीकृत तथ्य आपको मानकर चलना होगा कि इन दुकानदारों ने अनावश्यक रूप से ओरिजनल टैक्स्ट बुक है, उसको खरीदने के लिए ये पाबंदी लगाई। यह ब्लेकमेल किया कि अगर आप कुंजी लेंगे तो आपको यह किताब मिलेगी अन्यथा

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नही मिलेगी । मंत्री महोदय आपके पास आफिसर्स गैलेरी में पूरा लवाजमा बैठा है, आप पता कीजिए और अभी जवाब दीजिए । कहीं 3/7 नहीं बनता होगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी । किसी का नोट नहीं हो । (व्यवधान) आपके सवाल हो गये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं अध्यक्ष महोदय आधा मिनिट । अध्यक्ष महोदय, 3/7 नहीं बनता होगा । मैं माननीय कृष्ण कुमार जी गोयल, आपसे पूछना चाहता हूं क्या इससे कोई जुर्म नहीं बनता । कुंजी जबरदस्ती देना, कौनसा जुर्म बनता है आप बताइये और उस जुर्म के लिए आपने क्या कार्यवाही की ? आप जवाब दीजिए सदन के सामने । जानकारी आपकी है जवाबदारी मेरी है । आप उसको टालना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मन्त्री जी । जवाब दीजिए । रिपीटीशन हो रहा है । पुनारावृत्ति हो रही है (व्यवधान) आप नया सवाल नहीं पूछ रहे । ऐसा है इनका जवाब आने दीजिए फिर कोई नया सवाल होगा । आप पहले सुनिये (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय प्रकाश जी बैरवा बोलेंगे । प्रकाश जी बैरवा को बोलने तो दो ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । (व्यवधान) आठ माननीय सदस्यों ने सवाल पूछे हैं इनका जवाब आने दीजिए । आपको लगता है कि कोई नया सवाल आपका बाकी रह गया, मैं अलाऊं कर दूंगा । पुराना नहीं, नया मन्त्रीजी ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : पाइण्ट ऑफ आर्डर । अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि जिस विषय के बारे में चर्चा हो रही है, वह एक माननीय विधायक के सम्बन्ध में है और वह माननीय विधायक यहां मौजूद हैं । सदन के आठ माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं, सदन यह जानना चाहता है जिस माननीय सदस्य के साथ यह घटना हुई वह मौजूद है और उसने विचार नहीं रखे हैं इसलिए माननीय गृह मन्त्री के विचार रखने से पहले उनको भी सुन लेना चाहिए और फिर जवाब दिलाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : यदि वह चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं । आप इनवाल्व मत करिए । (व्यवधान) मेरी बात सुनिये । मैटर अण्डर इनवेस्टिगेशन है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्वेस्टिगेशन नहीं है । चालान हो चुका ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इन्वेस्टिगेशन कहां बचा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुन नहीं रहे हैं आप । मेरी बात सुनिए ।

जब मैटर चालान हो गया सबज्यूडिस मैटर है । देखिये वह उसमें गवाह हैं । आप इस बात की इम्पलीकेशन समझ लीजिए ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, गवाह कहां से होंगे ? उनके तो

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

बयान ही नहीं लिये। न थाने में बयान लिये गये न अधिकारी ने बयान लिये।

श्री अध्यक्ष : अच्छा। आप विराजिये। आप कहना चाहते हैं कुछ कहिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्षजी, पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : हां, पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि माननीय सदस्य के साथ जो कुछ व्यवहार हुआ उसमें कोई भी व्यक्ति या यह सदन यह नहीं कहता कि किसी विधा-के साथ, एक साधारण नागरिक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिये और विधायकों की यह संस्था विधायक के बारे में विचार कर रही है तो यह भी सोचना चाहिये कि हमको इस इश्यू को कहां तक ले जाना है। फिर दूसरी बात यह है कि यह दोनों केस अदालत में चालान हो चुके हैं। अब यह सबज्यूडिस हो चुका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पाइंट ऑफ आर्डर सुनना नहीं चाहते। सुनिये। प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक साथ दो पाइंट ऑफ आर्डर नहीं होते।

श्री अध्यक्ष : पाइंट ऑफ आर्डर सुनिये। (व्यवधान) कोई भी दर्ज नहीं हो। आप पाइंट ऑफ आर्डर सुनना नहीं चाहते।

श्री बुलाकीदास कल्ला : X X X

श्री जुबेर खान : X X X

एक माननीय सदस्य : X X X

श्री अध्यक्ष : कल्लाजी कुछ कह रहे हैं। सुनिये आप। (व्यवधान)

हां, आप क्या बोल रहे हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी एक पाइंट ऑफ आर्डर (व्यवधान) अपने यहां नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि एक साथ दो पाइंट ऑफ आर्डर नहीं हो सकते। आपने पाइंट ऑफ आर्डर डिस्पोज ऑफ कर दिया क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। प्लीज सिट डाउन। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। (व्यवधान) ऐसा है पाइंट ऑफ आर्डर पर पाइंट ऑफ आर्डर नहीं हो सकता। परन्तु किसी विषय में डिफरेण्ट आधार पर कई पाइंट ऑफ आर्डर हो सकते हैं। एक पाइंट ऑफ आर्डर पर दूसरा पाइंट ऑफ आर्डर उसी के सम्बन्ध में नहीं हो सकता। यह दूसरा पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं। वह पाइंट ऑफ आर्डर पहले आप सुन लीजिये। आप बैठिए, सुनिए। आप जल्दी बोलिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर तो यह है,

---

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(764)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

दो बात तो मैंने पहले कही और तीसरी बात यह है कि यह माननीय सदस्य के प्रति जो कुछ अपमान हुआ है उसमें सख्त कार्यवाही की जाय और की जा रही है उसमें किसी को कोई शंका नहीं है पर मेरा यह भी कहना है कि इस प्रकार माननीय सदस्य को हरिजन कह कर और यह कहा कि तू ढेढ़ है, चमार है, फलां है। मैं समझता हूं कि यह रिपीट कर करके और उसका अपमान किया जा रहा है। एक सदस्य के नाते....

श्री अध्यक्ष : यह कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है। माननीय सदस्य बैठिये। श्री बैरवा। (व्यवधान) आप बैठिये प्लीज। बैरवा बोलना चाहते हैं ? (व्यवधान) दर्ज मत करिये।

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप उनको बोलना देना चाहते कि नहीं। मैं अलाउ कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रूल ऑफ लॉ है, माननीय अध्यक्ष महोदय। हम किसी के ऊपर कार्यवाही लाद नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : हां, सब रूल ऑफ लॉ के नीचे हैं। ठीक है। आप बिराजिये आपका पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है। (व्यवधान) आप बिराजिये प्लीज। श्री बैरवा। (व्यवधान) आप उनको बोलना नहीं देना चाहते। आप उनको बोलने दीजिये।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : आदरणीय अध्यक्षजी, सवाल यह नहीं है कि मुझे मारा, पीटा या दुकानदारों ने क्या किया। सवाल यह है कि दिनांक 3–8 1991 को मेरे विधान सभा क्षेत्र से 8–10 काश्तकार किताबों की कमी की वजह से मेरे पास यह कह कर आये कि हमें आप चल कर किताबें दिलायें। जब मैं उनके साथ जीप में बिठा कर चौड़ा रास्ता स्थित बुक सेलर के यहां आया तो बुक सेलर को मालूम नहीं था कि मैं विधायक हूं। एज ए कस्टमर मैं उनके साथ बीस दुकानों पर गया। हर दुकानदार ने यही कहा कि अगर आपको किताबें लेनी है तो कुंजी अनिवार्य रूप से लेनी होगी। जब बीस दुकानों के ऊपर चौड़ा रास्ता की हर दुकान के ऊपर मैं गया तो सब ने एक ही जवाब दिया। तो मैंने सोचा कि क्या कारण है कि चौड़ा रास्ता में सारे बुक सेलर्स कुंजी अनिवार्य रूप से देना चाहते हैं। जब मैं प्रकाश बुक डिपो के ऊपर गया तो सोचा कि कीमत तो अपने को करनी चाहिये। तो मैंने कीमत करायी क्लास नवीं की, कोर्स 64 रुपये 80 पैसे और उसके साथ कुंजियां और पास बुकें 108 रूपये की अनिवार्य रूप से देनी चाही। तब मैंने कहा दुकानदार से, भाई-ऐसी कुंजियां पहले तो नहीं थीं। अभी क्यों दे रहे हो आप ? तो मुझे दुकानदार मिस्टर अजय अग्रवाल ने जवाब दिया कि साहब, हम क्या करें, हमने राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री को 10 लाख रूपये दिये हैं। (व्यवधान) राज्य सरकार के शिक्षा मन्त्री को 10 लाख रूपये दिये हैं और जिसका "राष्ट्रदूत" अखबार में 7

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा) ... तारीख को समाचार भी है जिसका खण्डन भी नहीं किया गया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सरकार के ऊपर आरोप लगाते.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य गलत बयानी कर रहे हैं, माननीय सदस्य को रोका जाय। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। (व्यवधान)

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : सारे अखबार बोल रहे हैं और नेशनल पेपर में भी आया है कि शिक्षा मंत्री ने 10 लाख रुपये लिये हैं। आज तक उसका खण्डन नहीं आया है।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बैरवा का दर्ज किया जाय और किसी का नहीं। प्लीज आप उनको सुन लीजिये। अब कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। हां, बोलिये श्री बैरवा.... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : हां, श्री बैरवा, आप जल्दी करिये।....

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या पाइंट ऑफ आर्डर है? हां, बोलिये।

श्री रामकरण सिंह : मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह सदन शांति से सुनने का है या + + + करके लोगों को खड़ा करते हो....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामकरण सिंह : पाइन्ट ऑफ आर्डर मेरा यह है कि उधर से कई माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं और बैरवा को बोलने नहीं देते हैं। उनको ताड़ना दीजिये ताकि वह शांति से बैठें।

श्री अध्यक्ष : यह + + + वाले को काट दीजिये। बिराजिये माननीय सदस्य। (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य रामकरणजी से यह अपेक्षा नहीं करता.... (व्यवधान) मेरी बात सुनिए पहले। कोई भी यदि यह बात कहता तो मैं यह अपेक्षा नहीं करता और यह बात आपको नहीं कहनी चाहिए। आप दोनों तरफ से खड़े होकर बोल रहे हैं, मैं उनको बैठा रहा हूं। माननीय बैरवा को बोलने के लिए मैंने कह रखा है। उनका ही दर्ज करने के लिए मैंने कहा और किसी का दर्ज करने से मना कर दिया है और उसके बावजूद इस तरह भविष्य में कृपया इस बात का ध्यान रखें। यह चेतावनी के रूप में मैं आपको कह रहा हूं। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

आल आफ यू । बैठिए । आर्डर प्लीज । आई से सिट डाउन । श्री रामकरण जी आप बैठिए । प्लीज सिट डाउन । श्री बैरवा । (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन । श्री रामकरणसिंहजी का नोट नहीं करें । (व्यवधान) अब श्री बैरवा को बोलने से आप रोक रहे हैं । बैठिए आप । आर्डर प्लीज ।

श्री रामकरणसिंह : × × ×

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : यह बात मैंने नहीं कही । दुकानदारों ने कही । उसके बाद ज्यों ही मुझे इस बात के लिए कहा मैं सीधा सैक्रेटेरियट गया, इस बात को सुनकर कि शिक्षा मंत्री को, राज्य सरकार को पैसे दिये हैं तो अपन को शिक्षा मंत्री से मिलना चाहिए, उसी दिन मैं सैक्रेटेरियट गया सीधा शिक्षा मंत्री के पास गया । उस दिन माननीय मुरली मनोहर जोशी पधारे हुए थे इसलिए यह उस दिन मिले नहीं । उनके बाद मैंने उम्मेदसिंहजी से राय ली । डेयरी मंत्री से राय ली कि मुझे क्या करना चाहिए । उन्होंने कहा आप शिक्षा सचिव से मिल लें । मैं सीधा एज्यूकेशन सेक्रेटरी के पास गया, एज्यूकेशन सेक्रेटरी के यहां मीटिंग हो रही थी उन्होंने कहा आप कलक्टर या डी. एस. ओ. से मिल लें । मैं डी. एस. ओ. को कह देता हूं । वे ही छापा डाल सकते है । मैं छापा नहीं डाल सकता हूं । मैं छापा डालने के लिए सक्षम नहीं हू । वहां से सीधा मैंने टेलीफोन किया कलक्टर को वह मौजूद नहीं थे । डी एस. ओ. को किया वह अवेलेबल थे मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी उन्होंने तुरन्त लगभग साढ़े तीन बजे प्रवर्तन अधिकारियों को मेरे पास भेजा.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप शान्ति नहीं रख सकते क्या, सुन लीजिए पहले । आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, क्या ?

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : यह + + + हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह शब्द एक्सपंज कर दें ।....(व्यवधान) एक्सपंज कर दिया है । विराजिए, हो गया । बोलिए, बैरवा साहब बोलिए ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : × × ×

श्री कालीचरण सराफ : × × × (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैं मंत्री महोदय को जवाब के लिए कहता हूं । आप सुनना नहीं चाहते हैं । सुन लीजिए इनको ।.... आप इनको सुन लीजिए वर्ना मैं मंत्री महोदय को जवाब के लिए कहता हूं । बहुत हो गया अब । आप विराजें । ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए जिससे वह प्रवोक हों ।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : जब बीच-बीच में टोकेंगे तो मुझे क्या कहना पड़ेगा । (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री अध्यक्ष : मिस्टर पारीक प्लीज सिट डाउन ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोपित किया गया ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पाइन्ट ऑफ आर्डर। मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, आपका क्या पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि एक माननीय सदस्य की पिटाई हुई, अपमान हुआ। उस विषय पर इधर के माननीय सदस्य नाराज क्यों हो रहे हैं? और व्यवधान क्यों पैदा कर रहे हैं? हम सब के लिए दुःख की बात होनी चाहिए। या आप किसी की पैरवी कर रहे हैं। यह इस तरह से व्यवधान डाल रहे हैं.... (व्यवधान) आप जो खड़े हैं। मैं जानता हूं सब दुकानदारों की पैरवी करने वाले दुकानदार हैं। हम इनसे दबने वाले नहीं हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि माननीय सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए। कृपया शांति से बैठिए। केवल प्रकाश चन्द बैरवा का दर्ज करें। महावीरजी का नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : दर्ज नहीं हो रहा है। आपका भी दर्ज नहीं हो रहा है और इनका भी दर्ज नहीं हो रहा है। श्री बैरवा बोलिए।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : कानून को अंजाम देने वाले डी. एस. ओ. ने साढ़े तीन बजे के लगभग प्रवर्तन अधिकारी को जीप लेकर भेजा और उसके साथ पांच-छः निरीक्षकों को मेरे साथ भेज दिया। जो मेरे साथ गांव वाले आये थे, काश्तकार आये थे, उनमें से एक श्री रामलाल चौधरी को मैंने उनके साथ बैठाकर भेज दिया कि भैया, जाकर किताबें ले लो, जिस दुकान पर अपन ने बात की है, वहां से ले लो। वह सीधा चला गया और किताबें ले ली। किताबों के साथ पास बुक ले ली और रसीद ले ली। इतनी देर में डी. एस. ओ. के आफिसरों ने छापा मार दिया। ज्यों ही वह दुकान के अन्दर बैठकर लिखा पढ़ी कर रहे थे मैं जीप में बैठा था। कार्यवाही चल रही थी। कार्यवाही चालू करते ही अजय अग्रवाल जो शायद किराये के गुण्डे रखता है उसने लालाराम गुजर जो चौड़ा रास्ता का हिस्ट्री शीटर है। वह शराब पीकर मेरे साथ गाली गलौच करने लगा। मुझे ऐसे भद्दे शब्द कहे जो मैं सदन में नहीं कहना चाहता। इसके बाद सारे दुकानदार इकट्ठे हो गये और चौड़ा रास्ते में 1000–1500 आदमी जमा हो गये, पूरा रास्ता जाम हो गया, जब उन अफसरों की ओर लाठी भाटा जंग शुरू हो गया, मार पीट चालू हो गयी तो मैं जीप से उतरकर वहां गया दुकान में और बोला भाई लोगों आप यह बदतमीजी क्या कर रहे हो। एक तरफ तो आप चोरी करते हो और एक तरफ ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो। दूसरी तरफ आप कानून को अंजाम देने वाले अधिकारियों से मार-पीट कर रहे हो। तो बोले "तू कौन है" "मैं प्रकाश बैरवा हूं। एम. एल. ए. हूं। आप लोग क्या बदतमीजी कर रहे हो?" मेरे इतना कहते ही उन्होंने ढेढ चमार की

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

गालियां शुरू कर दीं मारपीट करने लग गये। मैं अकेला था, डी एस ओ. वाले सब एक तरफ हो गये थे, भाग कर चले गये थे। भीड़ के अन्दर मैं क्या कर सकता था, अकेला आदमी था। वहां पर ट्रेफिक के एक थानेदार और तीन सिपाही खड़े थे। मैंने कहा भीड़ मेरे पीछे पड़ रही है। मैं एम. एल. ए. हूं आप उनको रोको। पर उन्होंने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं वहां से अकेला भाग रहा था। पीछे से एक साइकिल लेकर एक कांस्टेबिल मि. रमण जो माणक चौक का था, हाथ में लाठी लेकर साइकिल चलाता हुआ आ रहा था। मुझे भागता हुआ देखकर बोला "बाबूजी, आप क्यों भाग रहे हो?" मैंने कहा "मैं एल. एल. ए. हूं यह सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने ऐसा किया। वह बोला "मेरे साथ बैठो, वह बैठाकर सीधा मुझे माणक चौक ले गये जहां मैंने रिपोर्ट दर्ज करायी। दर्ज करवाने के बाद वहां पर मैंने वहां के जो थाना इन्चार्ज थे उनको सारी स्थिति बतायी। स्थिति बताते ही उन्होंने पुलिस वहां भेजी। इसके बाद में आज तक इस मामले में उन ब्लैक मार्केटियर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मारपीट तो हुई, तभी तो मैं कह रहा हू कि लाठी-भाटा जंग हुई, मारपीट हुई और मेरे साथ गाली-गलौच की। इसके बाद मैं दूसरे दिन शिक्षा मंत्रीजी के पास गया। लिखित में एप्लीकेशन दी मैंने शिक्षा मंत्री जी को कि आपके राज में ऐसा हो रहा है, मारपीट हो रही है। चार तारीख के सारे नेशनल पेपर्स, स्टेट के पेपर्स में फर्स्ट पेज पर आयी है। उसके बाद शिक्षा मंत्रीजी ने मेरे सामने कानून मंत्री को बुलाया, कि इसमें क्या हो सकता है। लेकिन कानून मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी ने आज 11 तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद 13 तारीख को मैं मुख्य मंत्री जी से मिला। मुख्य मंत्रीजी को मैंने चिट्ठी दी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : एक मिनट। आप पूरा-पूरा जिक्र बता दीजिए क्या-क्या बात हुई।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : मैंने कह दिया कि कानून मंत्रीजी को बुला लिया कि क्या कार्यवाही हो सकती है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मुझे यह कहा कि मुझे वहां पर यह कहा गया है कि हमने सरकार को और शिक्षा मंत्री को 10 लाख रुपए दिये हैं।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : मैं नहीं कह रहा पेपर्स बोल रहे हैं, अखबार वाले।

श्री हरिकुमार औदिच्य : फिर इन्होंने कुछ अखबारों की कटिंग बतायी। किसी भी अखबार की कटिंग में यह नहीं था कि सरकार को या शिक्षा मंत्री को दस लाख रुपए दिये हैं। एक अखबार की कटिंग के अन्दर ऐसा था, उसमें भी शिक्षा मंत्री नाम नहीं लिखा हुआ था। सरकार को दी। आप पढ़कर सुना दो, मेरे पास तो कटिंग नहीं है। (व्यवधान) आप सुनिये मेरी बात। थोड़ी तसल्ली रखिये। उसके बाद मैंने कहा, मैं किसी भी दुकानदार को जयपुर में जानता नहीं हूं। कौन दुकानदार हो सकता है, मुझे पता नहीं है। मैं मेरे पाठ्य पुस्तक मण्डल के सेक्रेटरी को टेलीफोन

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

करता हूं। मैंने पाठ्य पुस्तक मण्डल के सैक्रेटरी को टेलीफोन किया, कि इनका कौन पदाधिकारी है उनसे मेरी बात कराइये। थोड़ी देर बाद ही कोई भटनागर नाम का दुकानदार मेरे से बोला, कि साहब सेक्रेटरी साहब ने कहा है आप क्या फर्माना चाहते हो, आप कहिये। मैंने कहा, मेरे पास प्रकाश बैरवा बैठे हुए है। आप में से किसी ने कहा है कि सरकार को दस लाख रुपए दिये हैं। कि, साहब, गलत बात है, जिस दिन अखबार में आया है हमने उसका खण्डन भेज दिया है और एक कापी खण्डन की हमने आपके पास भी दे रखी है। यह उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे कहा। इसके बाद भी मैं प्रकाश बैरवा, उस दुकानदार और अखबार में लिखने वाले पत्रकार और सभी लोगों को, जो मेरे पर लांछन लगाना चाहते हैं, चुनौती देता हूं कि दस लाख क्या दस पैसे का भी मेरे ऊपर चार्ज लगा दे तो मैं उसी समय राजनीति छोड़ने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय बैरवा जी, आपका हो गया। माननीय मंत्री जी। हो गया आपका, हो गया।

श्री हरिकुमार औदिच्य : लेकिन इस प्रकार का गलत आरोप लगाने से....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। और किसी का दर्ज नहीं होगा। माननीय मंत्री जी। आप शुरू करिये।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : × × ×

डा. चन्द्रभान : × × × (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आ गयी सारी किताब। छोड़िये, आप बोलिये।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो वक्तव्य दिया था उसके सम्बन्ध में कुछ शंकाएं और सवाल माननीय सदस्य ने उठाये। खास तौर से माननीय सदस्य प्रकाशचन्द जी बैरवा ने आरोप लगाया कि हरिजन एट्रोसिटीज एक्ट के सैक्शन (3) के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब माननीय प्रकाश जी ने रिपोर्ट दर्ज करायी.... (व्यवधान) इस सम्बन्ध में कानूनन डीवाई. एस. पी. कार्यवाही करता है। डी वाई. एस. पी. ने अनुसन्धान किया। अनुसन्धान और जांच के समय कोई साक्ष्य इस सम्बन्ध में नहीं आये और न यह पाया गया कि इस प्रकार के शब्द का उपयोग किया गया हो इसलिए वह सैक्शन उसमें नहीं लगाया गया और बाकी के सैक्शन में उन्होंने कार्यवाही करके उन व्यापारियों के विरुद्ध फर्द काटकर तत्काल अदालत में भेज दी। अब वह सारा मामला जेरे अदालत है और अदालत से जैसी सूचना आएगी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1991, राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991, परिनियत संकल्प। श्री यदुनाथ

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

सिंह, प्रो. केदार, श्री जनार्दन सिंह गहलोत, श्री परसादीलाल मीणा, श्री सुनील विश्नोई, श्री बुलाकीदास कल्ला, श्री जुबेर खां, श्री नत्थीसिंह, श्री प्रेमसिंह दहिया, श्री हीरालाल इन्दौरा, डा. चन्द्रभान (अनुपस्थित)

परिनियत संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ, इसलिए प्रभारी मंत्री जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव। श्री अमीन खां, श्री रामनारायण वर्मा, श्री जनार्दनसिंह गहलोत, श्री बुलाकीदास कल्ला, श्री प्रेमसिंह दहिया, श्री सुनील कुमार विश्नोई, श्री जुबेर खां, श्री परसादीलाल मीणा, श्रीमती उजला अरोड़ा। (अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्री जी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्रीजी, पारित करने के लिए।

विधेयक का पारण

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ? नहीं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 12.9.91 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.18 बजे गुरूवार दिनांक 12 सितम्बर, 1991 के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 22 की सूची

कार्यरत जल योजनाओं की सूची 1 (ग्रामीण योजनाएं)

क्रमांक	जल योजना का नाम	क्रमांक	जल योजना का नाम
1.	2.	1.	2.
1.	पाईप्ड जल योजना चौथ का बरवाडा।	28.	क्षेत्रीय जल योजना लाडपुरा नागरहेडा भाग-I
2.	,, ईसरदा	29.	,, ,, भाग-II
3.	,, शिवाड	30.	,, कडी गांवडी
4.	,, सासोप	31.	,, पीलोदा छईई खुर्द
5.	,, कण्डेरा	32.	,, नारायणपुरा टढेवाई भाग-I
6.	,, भगवतगढ़	33.	,, पीपलवाड़ा मांगरोल –I
7.	,, उदई कला	34.	पारम्परिक जल योजना रेवाली
8.	, वजीरपुर	35.	,, खिलचीपुर
9.	,, खण्डीप	36.	,, पडाना
10.	,, बामनवास पट्टी कला व पट्टी खुर्द।	37.	पाईप्ड जल योजना कमालपुरा
11.	,, बोली	38.	,, खेडरी
12.	,, हिन्दपुरा	39.	,, सुरोठ
13.	,, खिरनों	40.	,, महावीर जी (अकबरपुर-नौरंगाबाद
14.	;, मलारना चौड	41.	,, झारेडा
15.	,; मलारना डूंगर	42.	,, हुकमी खेडा
16.	,, खण्डार	43.	,, शरपुर
17.	;, छान	44.	ढिढोरा
18.	,, बहरामदा खुर्द	45.	;, कटकड़
19.	,, जल योजना चूली	46.	,, भण्डावर
20.	,, मीना बडौदा	47.	,, महवा
21.	;; मह कला	48.	पावटा
22.	,, श्यारोली	49.	,, बालाहेडी
23.	,, सेवा	50.	,, पादमपुरा
24.	,, छानवोनेगा	51.	,, मोरेडा
25.	,, सथार	52.	,, गुढाचरन्दरजी
26.	,, सितोड़	53.	,, फतेहपुर
27.	,, बहरामंदा कला	54.	,, रोपड़

1.	2.	1.	2.
55.	पाईप्ड जल योजना परीता	87.	क्षेत्रीय जल योजना थमा कुडगांव
56.	,, मन्ड्रायल	88.	,, पनघट जल योजना पहाड़ी
57.	,, गुडला	89.	,, मजेडक
58.	,, कोटा	90.	,, मनकपुरा
59.	सलेमपुर	91.	,, पाड़ला
60.	नारोली डांग	92.	,, रायसना
61.	सपोटरा	93.	,, गोठरा
62.	पी एण्ड बी जल योजना भुकरावली	94.	,, तालचिडा
63.	कॉच	95.	,, चैनपुरा
64.	सनेट	96.	,, खेड़ा
65.	साथा	97.	,, जमालपुर
66.	गहनौली	98.	,, वनकी
67.	नॉद	99.	,, वरगमा
68.	जौल	100.	,, राजौर
69.	महदीपुर	101.	,, अतेवा
70.	खेडी	102.	,, मामचेरी
71.	गढ़मोरा	103.	,, करसाई
72.	चिरावड़ा	104.	,, अमरगढ़
73.	लोहरा	105.	,, ऐकट
74.	महोली	106.	,, जीरोता
75.	मासलपुर	107.	,, हान्डोती
76.	भरतन	108.	,, चौडागांव
77.	खेड़ला	109.	,, बालोती
78.	बोल	110.	,, वापोती
79.	सोप शहर नादौती	111.	,, मनावता
80.	जीतकीपुर	112.	,, डाबरा
81.	टी. एस. एस. गढ़खेडा	113.	,, बकना
82.	क्षेत्रीय जल योजना मह क्यारदा	114.	,, जाखोदा
83.	,, पीपलहेडा खोचचुरी	115.	,, बड़ौदा
84.	,, रोथ गाजीपुर	116.	,, जोरली
85.	,, उकरूद सरावली	117.	,, अमरवाड़
86.	,, आतरहेडा पाटोली		

कार्यरत जल योजनाओं की सूची 2
(शहरी योजनाएँ)

क. सं	शहरी क्षेत्र की योजनाओं की सूची
1.	नगरीय जल योजना सवाई माधोपुर ।
2.	नगरीय जल योजना गंगापुर सिटी ।
3.	नगरीय जल योजना टोडेरा ।
4.	नगरीय जल योजना हिण्डौन सिटी ।
5.	नगरीय जल योजना करौली ।
6.	नगरीय जल योजना टोडाभीम ।

प्रगतिरत जल योजनाओं की सूची
योजना क्षेत्र

क. सं.	जल योजना का नाम
1.	पाईप्ड जल योजना भेष
2.	पनघट जल योजना कोडियाई
3.	क्षेत्रीय जल योजना लिवानी बामनवास
4.	,, वानौर शफीपुरा (भाग-I)
5.	,, वानौर शफीपुरा (भाग-II)
6.	,, वानौर शफीपुरा (भाग-III)
7.	,, विशनपुरा कुण्डली (भाग-I)
8.	,, विशनपुरा कुण्डली (भाग-II)
9.	,, जीवड विनसारी (भाग-I)
10.	,, जीवड़ विनसारी (भाग-II)
11.	,, करनाला रामसिंह (भाग-I)
12.	,, करनाला रामसिंहपुरा (भाग-II)
13.	विस्तार, क्षेत्रीय जल योजना पीलौदा उदई खुर्द
14.	क्षेत्रीय जल योजना नारायणपुर टटवाड़ा मिसलपुर (भाग-II)
15.	क्षेत्रीय जल योजना नयागांव सिवाला (भाग-I)
16.	क्षेत्रीय जल योजना अमरगढ़ हबीबपुर ।
17.	पाईप्ड जल योजना बिछोड़ा ।
18.	पाईप्ड जल योजना रूंगटीमोरान ।
19.	क्षेत्रीय जल योजना टोक्सी जाट बड़ौदा
20.	,, नया गांव सिवाला भाग-II
21.	,, अमरगढ़ हबीबपुर भाग-II
22.	,, कोट दौलतपुरा ।
23.	,, टोडरा सिन्दुकी ।
24.	,, खेडलाबुजुर्ग ।
25.	,, ढंड सायरा ।
26.	,, खिड़खिडी तुर्कपुर ।
27.	,, टुडावली सरसैना ।
28.	,, पोजीपुर ताजपुर
29.	,, अंधियाखेड़ा ।
30.	,, माचड़ी
31.	,, पाईप्ड जल योजना श्यामपुरा ।
32.	लाइफ एण्ड टेंक जल योजना तिशरिया ।
33.	,, बसटरा बरेडी ।
34.	पाईप्ड डोरावली ।
35.	पम्प एवं टेंक मूंडया ।
36.	,, निसरा
37.	,, महस्वा ।
38.	,, रासौली ।
39.	,, करसौली ।
40.	,, इनायती ।
41.	,, मडावरा ।
42.	,, गबहिम्मत सिंह ।

विचाराधीन ग्रामीण जल योजनाओं की सूची

क्रमांक	योजना का नाम
1.	पनघट जल योजना बहलेड़
2.	संवर्धन प्रस्ताव जल योजना बोली ।
3.	संवर्धन प्रस्ताव जल योजना खण्डार
4.	संवर्धन थली दौलतपुरा
5.	,, छावा सालौदा ।

(174)

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 24 की प्रतिलिपि

सी-5, एम. एल. ए. क्वार्टर्स,
एम. आई. रोड़, जयपुर
अ. शा. पत्र संख्या एफ (5)91/211
दिनांक 24 अगस्त, 1991

प्रिय श्री जैन,

मेरे निर्वाचन क्षेत्र फलासीया जिला उदयपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मादड़ी तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर के भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत मादड़ी ने उक्त भवन के निर्माण हेतु भूमि का पट्टा जारी कर प्रभारी डाक्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मादड़ी को भेजे करीब 8 माह व्यतीत हो गये हैं प्रभारी डाक्टर ने उक्त पट्टे को अपने उच्चाधिकारी को भेज दिया था। परन्तु राज्य सरकार की नीति अनुसार जो ग्राम पंचायत भवन निर्माण करने हेतु पट्टा जारी कर देगी वहां राज्य सरकार अविलम्ब बजट स्वीकृत कर भवन निर्माण प्रारम्भ करवा देगी। परन्तु यहां अभी तक भी भवन निर्माण कार्य आप द्वारा चालू नहीं करवाया गया हैं अतः आप से निवेदन हैं कि आप अविलम्ब भवन निर्माण करने के आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करें आप द्वारा की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें।

सादर

भवन्निष्ठ,
ह०–/
(कुबेरसिंह)

श्री निहालचन्द जैन,
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

राजस्थान सरकार

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

उदयपुर

क्रमांकः एफ–1 (सी) एम/(11) सीटीएडी/91–92/17548 दिनांक : 7.9.91

निदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,

राज. जयपुर।

विषयः—मादड़ी तहसील झाड़ोल जिला–उदयपुर के भवन निर्माण हेतु।

विषयान्तर्गत श्री कुबेर सिंह, सदस्य विधान सभा से प्राप्त अ. शा. पत्र दिनांक 24.8.91 संलग्नानुसार प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर पर नियमानुसार वांछित कार्यवाही अतिशीघ्र करवाकर इस विभाग को सूचित कराने का श्रम करावें।

संलग्नः– एक

भवदीय

ह०/–

अतिरिक्त आयुक्त

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

जयपुर

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सिगरेट प्रचार पोस्टर्स व विज्ञापन

29. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और क्या सिगरेट के पैकेट पर इस आशय की चेतावनी लिखी रहती है ? यदि हां, तो फिर क्यों कर समाचार पत्रों, आम रास्तों, चौराहों, सिनेमागृहों, रेल्वे स्टेशनों, बस अड्डों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर तथा बड़े-बड़े पोस्टर होल्डर्स पर इनके सेवन के विज्ञापन लगे रहते हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इस मनोवृति को ठीक समझती है ? यदि नहीं, तो इस प्रवृति को रोकने के राज्य सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। सिगरेट के विज्ञापनों एवं पोस्टर्स पर भी यह चेतावनी अंकित रहती है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। पोस्टर्स एवं होर्डिंग्स द्वारा सिगरेट निर्माताओं एवं वितरकों लगाये जाते हैं और ऐसे कोई अधिनियम अथवा नियम नहीं बनाये गये हैं जिनसे इस प्रकार के विज्ञापनों पर रोक लगाई जा सके। जी नहीं।

(2) राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के अधीन आने वाले प्रचार प्रसार माध्यमों जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी इत्यादि पर धूम्रपान से सम्बन्धित कोई विज्ञापन एवं चलचित्र आदि प्रसारित नहीं किये जाते हैं।

मेवाड़ भील कौर, खैरवाड़ा में जन जाति समुदाय के अभ्यर्थियों का भर्ती में प्रतिशत

30. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मेवाड़ भील कौर खैराड़ा में प्रारम्भ में 95 प्रतिशत जन जाति समुदाय के उम्मीदवारों को भर्ती किया जाता था ? यदि हां, तो कब से कब तक यह व्यवस्था कायम रही ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में केवल 12 प्रतिशत ही जन जाति समुदाय के उम्मीदवारों को भर्ती किया जाता है ? यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत जन जाति समुदाय के उम्मीदवारों को भर्ती किया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि आरम्भ में बहुत वर्षों तक 90-95 प्रतिशत आदिवासी मेवाड़ भील कोर में भर्ती होते थे, लेकिन ऐसा किसी निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं होता था।

(2) जी नहीं। जो उम्मीदवार आवेदन करते हैं, उनमें जो योग्य पाये जाते है,

(गृह मंत्री)

उन्हें नियोजित किया जाता है। नियमानुसार कम से कम 12 प्रतिशत जनजाति समुदाय के उम्मीदवारों की भर्ती आरक्षण के आधार पर अवश्य की जाती है। भर्ती के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1982 में 59 प्रतिशत, वर्ष 1986 में 37 प्रतिशत तथा वर्ष 1989 में 63 प्रतिशत समुदाय के उम्मीदवारों की भर्ती हुई।

तहसील गंगधार में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना

31. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में वर्ष 1990 व 1991 में किस-किस स्तर के न्यायालय कहां-कहां खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) झालावाड़ जिले में डग विधान सभा क्षेत्र की गंगधार तहसील के केस मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट भवानी मंडी में कितनी संख्या में चल रहे हैं ? जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गम्भीरता से लेकर क्या गंगधार तहसील में एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1990 व 1991 में निम्नलिखित न्यायालय खोले गये हैं:–

वर्ष 1990

(1) अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण, करण) न्यायालय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा व बीकानेर में। कुल 6

(2) बारां जिला कोटा में अपर जिला न्यायालय 1

(3) पानी की चोरी रोकने हेतु विशेष न्यायिक चल न्यायालय कोटा में 1

वर्ष 1991

(1) विशेष न्यायालय (पर्यावरण) पाली में 1

(2) जिला स्तरीय पारिवारिक न्यायालय उदयपुर व कोटा में 2

(3) विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे) जयपुर व कोटा में 2

(4) श्रम न्यायालय भीलवाड़ा में 1

(2) झालावाड़ जिले की गंगधार तहसील के वादों की संख्या भवानी मंडी के सी. जे. एम. ए. एम. जे. एम. कोटा में कुल 1051 हैं।

धनाभाव के कारण गंगधार तहसील में मुंसिफ कोर्ट खोलने का सरकार का विचार अभी नहीं है।

राजस्थान प्रिमीसेज एक्ट, 1950 में संशोधन

32. श्री रमाकांत (थानागाजी) : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

दिल्ली रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट, 1958 की धारा 14-सी के तहत राज्य सेवा से निवृत्त अधिकारी देहली में अपने मकान को किराये-

(श्री रमाकांत)

दार से खाली करवा सकते हैं ? तो क्या राज्य सरकार भी राजस्थान प्रिमीसेज एक्ट, 1950 में इस प्रकार के संशोधन का विचार रखती है ?

उत्तर

राजस्थान परिसर (किराया तथा बेदखली निवारण) अधिनियम 1950 के प्रावधानों पर पुनर्विचार कर समग्र एवं व्यापक सुझाव व वांछित संशोधन हेतु राज्य सरकार ने एक राज्य स्तरीय समिति गठित की थी उक्त समिति ने अन्य सुझावों/संशोधनों के साथ-साथ प्रश्न में उठाये गये बिन्दु पर भी विचार किया है। समिति का प्रतिवेदन अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र, संगरिया में सड़क निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता

33. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर जिले में 1991 में कितने कि.मी. सड़कों का निर्माण कार्य विभाग ने किया और किस-किस तहसील में कार्य चालू है या प्रगति पर है ? जितने कि. मी. का ठेका विभाग ने 1990-91 के लिए दिया था उसमें से कितना भाग पूरा करने की रिपोर्ट विभाग के पास उपलब्ध हो गई ? विभिन्न स्तरों पर कितना काम हो चुका है ?

(2) संगरिया विधान सभा क्षेत्र में प्रतापपुरा से कालवासिया और सादुलशहर से 16 के. एवं डी. का निर्माण कार्य कब से बन्द पड़ा है ? उसमें कितने ठेकेदार बदल चुके हैं ? काम चालू नहीं करने में कौन जिम्मेवार हैं ?

(3) इन सड़कों का निर्माण कार्य चालू करने के लिए ठेकेदारों को नोटिस कब-कब दिए गए और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ? क्या प्रतापपुरा कालवासिया सड़क 1984 से निर्माणाधीन है ? उस पर कार्य करने वाले ठेकेदार को पुनः बदलने के बाद विभाग ने क्या कार्यवाही की, ठेका कब दिया गया और उसने जब कार्य प्रारम्भ नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्यवाही कब शुरू की गई ? क्या गंगानगर जिले के ठेकेदार विभाग की सलाह से ही काम रोके हुए हैं और विभाग खानापूर्ति के लिए नोटिस देता रहता है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में वर्ष 1990-91 में 39.065 किमी. बी.टी. तथा 11.75 किमी. मेटल सड़क का निर्माण विभाग द्वारा किया गया। तहसील सादुलशहर, करणपुर, पदमपुर, रायसिंह नगर, हनुमानगढ़, टीबी अनूपगढ़, नोहर, संगरिया रावतसर, भादरा, घड़साना तथा सूरतगढ़ में सड़कों के कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1990-91 में श्रीगंगानगर जिले में कुल 101.065 किमी. सड़क निर्माण का ठेका दिया गया था। इसमें से 15.04 किमी. बी. टी. तथा 4.85 किमी. मेटल सड़क का कार्य पूर्ण किया गया तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) संगरिया विधान सभा क्षेत्र में प्रतापपुरा से कालवासिया और सम्पर्क सड़क 16 के. एम. डी. के कार्य क्रमशः दिनांक 31.3.89 तथा 24.4 90 से बन्द है ।

प्रतापपुरा कालवासिया कार्य पर दो ठेकेदार बदल चुके हैं तथा सम्पर्क सड़क 16 के. एस. डी. पर कोई ठेकेदार नहीं बदला है ।

प्रतापपुरा से कालवासिया कार्य के चालू नहीं करने के लिये ठेकेदार जिम्मेवार है तथा सम्पर्क सड़क 16 के. एस. डी. का कार्य एलाइनमेंट के विवाद के कारण बन्द है ।

(3) दोनों सड़कों से संबंधित प्रश्न का विवरण निम्न प्रकार से है:—

(1) प्रतापपुरा से कालवासिया छापांवाली खारा तक सड़क निर्माण:—प्रतापपुरा कालवासिया सड़क की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 12.00 लाख रुपये की दिनांक 14.6.84 को दी गई थी। तथा सड़क का कार्य 28.7.86 को शुरू हुआ था।

विभाग द्वारा ठेकेदारों को कार्य चालू करने हेतु नोटिसों का ब्यौरा सूची "अ" में संलग्न है उस पर कार्य करने वाले प्रथम ठेकेदार के खिलाफ दिनांक 14.5.89 को कार्यवाही की गई। कार्यवाही करने के पश्चात् पुनः ठेका दिनांक 12.12.90 को दूसरे ठेकेदार को दिया गया तथा दूसरे ठेकेदार के कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर उसके खिलाफ कार्यवाही कई नोटिसों के उपरान्त दिनांक 30.7.91 को अन्तिम रूप से की गई ।

ठेकेदार की कॉस्ट एण्ड रिस्क पर कार्य को विभागीय स्तर पर करने हेतु आदेश अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा दे दिये गये है तथा सामग्री के एकत्रित करने हेतु निविदायें भी दिनांक 24.8.91 को प्राप्त कर ली गई है जो विचाराधीन है ।

(2) सम्पर्क सड़क 16 के. एस. डी. (अलीपुरा 1714):— उपरोक्त सड़क का निर्माण हेतु 5 किमी. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 2.9.89 द्वारा रुपये 10 00 लाख की जारी की गई थी। विभाग द्वारा कार्य को चालू करवाने के लिये ठेकेदार को दिये गये नोटिसों का ब्यौरा सूची "ब" में सलग्न है। सड़क का एलाइनमेंट विवाद के कारण बन्द होने के फलस्वरूप ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करना अपेक्षित है ।

यह सही नहीं है कि गंगानगर जिले में विभाग की सलाह से ठेकेदारों ने कार्य रोक दिये हैं और विभाग खानापूर्ति के लिए नोटिस देता रहता है क्योंकि प्रतापपुरा-कालवासिया सड़क के दोनों ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है तथा सम्पर्क सड़क 16 के. एस. डी. का कार्य एलाइनमेंट विवाद के कारण बन्द है अतः कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है ।

सूची "अ"

1. सड़क का नाम :– प्रतापपुरा के कालवासिया छापावाली द्वारा सड़क

2. ठेकेदार का नाम :– मैसर्स भूपिन्दर सिंह एण्ड संस

3. नोटिस देने की तारीख :–

क्रमांक	अथोरिटी	दिनांक
1.	अधिशाषी अभियंता श्री गंगानगर	6.5.87
2.	,,	6.5.87
3.	सहायक अभियंता श्रीगंगानगर	30-4-87
4.	,,	6-7-87
5.	स ,,	6-7-87
6.	मुख्य अभियन्ता, प्रथम जयपुर ।	21-6-87
7.	सहायक अभियंता श्री गंगानगर ।	27-8-87
8.	अधिशाषी अभियंता श्री गंगानगर	2-[illegible]-88
9.	अधिशाषी अभियंता श्री गंगानगर	15-3-88
10.	,, ,,	19-4-88
11.	सहायक अभियंता श्री गंगानगर	5-4-88
12.	अधिशाषी अभियन्ता	25-4-88
13.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, बीकानेर	9-5-88
14.	,, ,,	30-5-88
15.	अधीक्षण अभियंता श्रीगंगानगर	1-7-88
16.	अधिशाषी अभियंता श्रीगंगानगर	9-1-89
17.	,, ,,	4-4-89
18.	सहायक अभियंता श्री गंगानगर	4-4-89
19.	अधीक्षण अभियता श्रीगंगानगर	6-4-89
20.	सहायक अभियंता श्री गंगानगर	24-4-89
21.	अधिशाषी अभियंता श्री गंगानगर	25-5-89
22.	अधिशाषी अभियंता श्री गंगानगर	14-8-89
23.	सहायक अभियंता श्री गंगानगर	27-7-89
24.	अधिशाषी अभियंता श्री गंगानगर	16-9-89
25.	,, ,,	6-11-89
26.	,, ,,	14-12-89
27.	,, ,,	1-2-91

दूसरे ठेकेदार का नाम :– मैसर्स रनवा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी श्री गंगानगर

1.	अधिशाषी अभियन्ता श्री गंगानगर	8-3-91
2.	,, ,,	11-3-91
3.	,, ,,	1-5-91
4.	,, ,,	3-7-91

सूची "ब"

1. सड़क का नाम :– सम्पर्क सड़क 16 के. एस. डी.

2. ठेकेदार का नाम :– मैसर्स लीलाधर देवकीनन्दन श्रीगंगानगर।

3. नोटिस देने की तिथि :–

क्रमांक	ओथरिटी	दिनांक
1.	अधिशाषी अभियंता श्रीगंगानगर	6-3-90
2.	,, ,,	10-4-90
3.	अधीक्षण अभियंता श्रीगंगानगर	24-4-90
4.	अधिशाषी अभियंता श्रीगंगानगर	8-11-90
5.	,, ,,	2-1-91
6.	,, ,,	21-1-91
7.	,, ,,	6-5-91
8.	,, ,,	10-6-91
9.	,, ,,	21-6-91
10.	,, ,,	26-7-91
11.	,, ,,	7-8-91

राज्य में साम्प्रदायिक तत्वों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

34. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्दसिंह** (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में दिनांक 1-3-1990 के पश्चात् साम्प्रदायिक तनाव कहां-कहां व कब-कब हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार साम्प्रदायिक ताकतों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने की योजना रखती है ?

(3) क्या राज्य में 1-3-1990 के पश्चात् हुए साम्प्रदायिक उपद्रवों की न्यायिक अथवा प्रशासनिक जांच करवाने सरकार द्वारा आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई कार्यवाही एवं प्रत्येक जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त जांचों में किसी जिलाधिकारी को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) आवश्यक कानूनी कार्यवाही तत्परता के साथ की जाती है।

(3) जी हां। राज्य सरकार ने दिनांक 24-10-90 को और इसके पश्चात् जयपुर शहर में विधि एवं व्यवस्था की जो स्थिति बनी उसकी समग्र परिस्थितियों की जांच करने के लिए माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. एल टिबरेवाल की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग नियुक्त किया है। प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

(4) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष है।

राजस्थान में दिनांक 1-3-90 के पश्चात् हुए साम्प्रदायिक तनावों की सूची

क्र. सं.	स्थान जहां तनाव हुआ	जिला	दिनांक तनाव
1.	जोधपुर शहर	जोधपुर	25-3-90
2.	सारोला	झालावाड़	30-3-90
3.	ग्राम पिण्ड	चित्तोड़गढ़	1-4-90
4.	फतेहपुर	सीकर	13-4-90
5.	जयपुर शहर	जयपुर	26-5-90

1	2	3	4
6.	गंगापुर शहर	सवाई माधोपुर	17-5-90
7.	चौमू	जयपुर देहात	27-5-90
8.	ग्राम रूपोपरी एवं मेट	टौंक	31-5-90
9.	टौंक शहर	टौंक	19-6-90
10.	सज्जनगढ़	बांसवाड़ा	7-7-90
11.	दोराना	चित्तोड़गढ़	12/13-7-90
12.	टौंक शहर	टौंक	17-7-90
13.	उदयपुर शहर	उदयपुर	24-7-90
14.	टौंक शहर	टौंक	27-7-90
15.	कस्बा बासन	सिरोही	19-7-90
16.	जयपुर शहर	जयपुर	13-8-90
17.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	25-8-90
18.	उदयपुर शहर	उदयपुर	30-8-90
19.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1-9-90
20.	कोटा शहर	कोटा	4-9-90
21.	कस्बा अन्ता	कोटा देहात	25-9-90
22.	चूरू शहर	चूरू	24-10-90
23.	मेड़ता शहर	नागौर	24/25-10-90
24.	अलवर शहर	अलवर	25/26-10-90
25.	पीपरवाड़ा	सवाई माधोपुर	24-10-90
26.	कस्बा चाकसू	जयपुर देहात	1-11-90
27.	कस्बा तूंगा	जयपुर देहात	4-12-90
28	जयपुर शहर	जयपुर	18-10-90
29.	भीलवाडा शहर	भीलवाड़ा	24-10-90

वर्ष 1991

1	2	3	4
1.	कस्बा मोइकलां	कोटा देहात	17-1-91
2.	भीलवाड़ा शहर	भीलवाड़ा	29-1-91
3.	बून्दी शहर	बून्दी	30-1-91
4.	निवाई	टोंक	15-2-91
5.	कोटा शहर	कोटा	17-5-91
6.	सलूम्बर	उदयपुर	18-3-91
7.	ग्राम मोतीपुरा	कोटा शहर	31-3-91
8.	मण्डावरी	दौसा	8-4-91
9.	सूरसागर क्षेत्र	जोधपुर	17-4-91
10.	सूजानगढ़	चुरू	30-4-91
11.	जयपुर शहर रामगंज बाजार	जयपुर	27-4-91
12.	उनियारा	टोंक	12-6-91
13.	तिजारा	अलवर	22-6-91
14.	अरथूना	बांसवाड़ा	23-6-91
15.	भीलवाड़ा शहर	भीलवाड़ा	25-6-91
16.	बिलासपुर	अलवर	26-6-91
17.	पारसोला	उदयपुर	26-6-91
18.	उदयपुर शहर	उदयपुर	20-7-91
19.	सरवाड़ा	अजमेर	31-7-91
20.	भाकेड़ा	बारां	4-8-91
21.	बकरामण्डी सीकर शहर	सीकर	10-8-91
22.	कनवास	कोटा देहात	11-8-91
23.	रामगंज क्षेत्र जयपुर शहर	जयपुर	15-8-91
24.	बड़ोरा	बारां	17-8.91
25.	चांदपोल जयपुर शहर	जयपुर	20-8-91
26.	कानोड़	उदयपुर	20-8-91
27.	मदनगंज	अजमेर	23-8-91
28.	चोपसनी रोड जोधपुर शहर	जोधपुर	23-8-91
29.	देवलखेड़ा	झालावाड़	26-8-91

वर्ष 1990 में घटित साम्प्रदायिक घटनाओं/तनावों की सूची

साम्प्रदायिक घटना

क्र. सं.	नाम घटनास्थल	जिला	दिनांक घटना
1.	पीसांगन	अजमेर	19-3-90
1.	दौसा	दौसा	24-4-90
3.	बड़ोरा	कोटा देहात	13-8-90
4.	जयपुर शहर	जयपुर	8-9-90
5.	कोटा शहर	कोटा	15-9-90
6.	उदयपुर शहर	उदयपुर	3-10-90
7.	रावतभाटा	चित्तौडगढ़	3-10-90
8.	कस्बा हमीरगढ़	भीलवाड़ा	10-10-90
9.	जयपुर शहर	जयपुर	24-10-90
10.	कस्बा ब्यावर	अजमेर	24-10-90
11.	जोधपुर शहर	जोधपुर	26-10-90
12.	कस्बा चोमूं	जयपुर देहात	31-10-90
13.	कस्बा मनोहरपुर	जयपुर देहात	9-11-90
14.	कस्बा नैनवां	बूंदी	16-12-90
वर्ष 1991			
1.	कस्बा दिगोद	भीलवाड़ा	8-3-91
2.	कस्बा प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	6-7-91
3.	कस्बा बेगूं	चित्तौड़गढ़	15-8-91

पंचायत समिति लालसोट के उप स्वास्थ्य केन्द्र

35. **श्री परसादी लाल** (लालसोट) : चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति लालसोट में कुल कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ, खोलने के बाद लगाया ही नहीं गया है ? यदि हां, तो पंचायत समिति लालसोट के किस-किस उप स्वास्थ्य केन्द्र पर खोलने के बाद अब तक भी स्टाफ नहीं लगाया गया है ? कृपया ऐसे केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ नहीं लगाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाफ लगाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जो उप केन्द्र वर्ष 89-90 में खोले गये उन पर स्टाफ नहीं लगाया जा सका। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में उप केन्द्रों पर स्टाफ लगाया जाना संभव होगा।

पंचायत समिति, लालसोट में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची:-

क्र. सं.	उप. स्वा. केन्द्र का नाम	क्र सं.	उप. स्वा. केन्द्र का नाम
1.	पटटी किशोर पुरा	2.	बिलोना कला
3.	शिव सिहपुरा	4.	निजरना
5.	सिन्दोली	6.	डिगो
7.	बिदरखा	8.	डोब
9.	खाटवा	10.	ग्रमराबाद
11.	कल्लावास	12.	थूनिया
13.	चर्क चांदपुरा	14.	मांगल्यावास
15.	सोनड	16.	महारिया
17.	श्रीमा	18	देवली
19.	देहलाना	20.	बमडी
21.	खेमावास	22.	सुरतपुरा
23.	निजामपुरा	24.	बिलोना खुर्द
25.	श्यामपुरा कला	26.	पालुर्दा
27.	विछिया	28.	ब्योसा का नोहरा
29.	झापदा खुर्द	30.	खोडला खुर्द
31.	श्यामपुरा	32.	कोलीपाडा
33.	ग्रलीपुरा	34.	घाणा
35.	घाटा	36.	चोरडिया वास
37.	राहुवास	38.	बीडोली
39.	रालावास		

क्र सं.	उप केन्द्र का नाम	क्र. सं.	उप केन्द्र का नाम
1.	खोडला	2.	श्यामपुरा
3.	कोलीवाडा	4.	ग्रलीपुरा
5.	घाटा	6.	घाटा
7.	चोडियावास	8.	राहुवास
9.	बिडोली	10.	रालावास

बीकानेर में रंगमंच का निर्माण

36. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर के रंगमंच निर्माण हेतु बीकानेर पंचशती समारोह में कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा देने की घोषणा की गई थी ?

(2) बीकानेर नगर विकास न्यास को अब तक कुल कितनी राशि उपलब्ध हुई है तथा शेष राशि कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी ?

(3) रंगमंच का निर्माण नगर विकास न्यास द्वारा कब तक करा दिया जावेगा ?

(4) क्या राज्य सरकार ने नगर विकास न्यास को इस हेतु आवश्यक स्वीकृति दे दी है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) बीकानेर पंचशती समारोह के समापन के अवसर पर रंगमंच निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 20.00 लाख रूपये एवं मुख्यमन्त्री सहायता कोष से 10.00 लाख रूपये व्यय करने की घोषणा की गई थी।

(2) राज्य सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान जयपुर से नगर विकास न्यास, बीकानेर को इस प्रयोजनार्थ दिनांक 15-3-90 को राशि 6.00 लाख रूपये दिये गये। शेष राशि कला एवं संस्कृति विभाग से प्राप्त होने पर न्यास को उपलब्ध करा दी जावेगी।

(3) रंगमंच निर्माण हेतु स्थल चयन के पश्चात् कार्य आरम्भ करना संभव होगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा नगर विकास न्यास को फिलहाल 20.00 लाख की राशि अपने वित्तीय स्त्रोत से व्यय करने की स्वीकृति दी गई है।

राजसमन्द–भीम के राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

37. **श्री शांतिलाल (राजसमंद)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजसमन्द जिले के भीम एवं नाथद्वारा कस्बों के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1 अप्रेल, 1990 से 31 अगस्त, 1991 तक सड़क दुर्घटना में किन-किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

(2) जांच के आधार पर प्रत्येक प्रकरण में दुर्घटना एवं मृत्यु के क्या-क्या कारण रहे हैं ?

(3) राज्य सरकार दुर्घटना की संख्या में कमी करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ?

(4) यदि हां, तो उन उपायों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1990 से 31 अगस्त

(गृह मन्त्री)

1991 तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिला राजसमन्द के कस्बा भीम व नाथद्वारा के बीच सड़क दुर्घटनाओं में 19 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जिनका विवरण मय मुकदमा नम्बर परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) जांच के आधार पर प्रत्येक प्रकरण में दुर्घटना एवं मृत्यु का कारण परिशिष्ट "अ" के कालम चार पर अंकित है।

(3) जी हां।

(4) सड़क दुर्घटना की रोक के लिए परिवहन विभाग द्वारा एक वर्ष में दो बार सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है यथा माह अप्रेल एवं नवम्बर। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सड़क दुर्घटना की संख्या में कमी करने के लिए निम्न उपाय किये जाते है:-

(1) सड़क किनारे यातायात चिन्हों के बोर्डस एवं बैनर्स लगवाना, गति अवरोध पर पेण्टिग करना, जेबरा लाईनों के चिन्हों को बनाना तथा मुख्य सड़कों की मरम्मत करना।

2. वाहन पर नियमों के अन्तर्गत निर्धारण लाईट्स के प्रयोग को सुनिश्चित करना तथा अनावश्यक लाइटें यथा चकाचौंध करने वाली लाईटों को हटवाना।

3. यात्री वाहनों द्वारा बैठक क्षमता से अधिक सवारी ले जाने, गति सीमा से अधिक तेज गिरफ्तार से चलने, वाहनों को अवांछित स्थानों पर खड़ा करने पर रोक लगाना।

4. यातायात शिक्षा के प्रचार हेतु पम्पलेट, पोस्टर, बैनर, ट्रेफिक पुलिस द्वारा प्रदर्शन आदि कार्यों का आयोजन करना।

5. राजमार्गों पर वाहन चालकों के शराब पीकर चलाने पर रोकथाम करना।

6. मोटर वाहनों के चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करना।

7. राष्ट्रीय कृत एवं अन्य मार्गों पर संचालित अवैध जीपों की रोकथाम करना।

8. मानव रहित फाटकों को मानव सहित रेलवे फाटकों से बदलना।

9. सड़क सुरक्षा सम्बन्धित नियमों का प्रचार, सुधार करना।

(189)

दिनांक 1–4–91 से 31–8–91 तक वृत राजसमन्द जिला राजसमन्द में दुर्घटना में मरने वालों की सूची :–

क. स.	मुकदमा नम्बर मय दिनांक	नाम व पता मरने वाले व्यक्ति का	एक्सीडेंन्ट का कारण तथा मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु का कारण
1	2	3	4
1.	96/90 2-4-90 थाना राजनगर	श्री उदयसिंह पुत्र मेघसिंह राजपूत नि. कोलबा	ट्रेक्टर ड्राईवर द्वारा तेज रफ्तार से चला कर एक्सीडेन्ट करना।
2.	139/90 20-5-91 थाना राजनगर	1. श्री गुलाम हुसैन 2. श्री शब्बीर शाह	ट्रक ड्राईवर द्वारा तेज रफ्तार से चलाना एक्सीडेन्ट के कारण 2 की मृत्यु हुई।
3.	141/90 21-5-90 थाना राजनगर	सुश्री रामी	ट्रक ड्राईवर द्वारा तेज रफ्तार से चलाने से एक्सीडेन्ट हुआ।
4.	149/90 1-6-90	श्री सतीश चन्द धोबी	ट्रक ड्राईवर द्वारा टक्कर मारना
5.	153/90 5-9-90	प्रवीण कुमार	जीप को गफलत लापरवाही से चला मोटर
6.	170/90 20-6-90 थाना	सुश्री गीता	ट्रक ड्राईवर तेज रफ्तार एवं गफलतबाजी से चला एक की मृत्यु करना
7.	192/90 2-7-90 थाना राजनगर	श्री शोकर नि. चारक्यावास अजमेर	ट्रक ड्राईवर द्वारा ट्रक को तेज रफ्तार से चलाना ड्राईवर स्वयं की मृत्यु हो गई।
8.	284/90 9-8-90 थाना राजनगर	सुनिल कुमार	ट्रक ड्राईवर द्वारा स्कूटर से टक्कर मार एक्सीडेन्ट करना।

(190)

1 2	3	4
9. 249/90 21-8-90 थाना राजनगर	कुसुमबाइ	मेटाडोर को गफलत लापरवाही से चला एक्सीडेन्ट करना एक मृत्यु होना।
10. 056/90 1-9-90 थाना राजनगर	प्रकाश	ट्रक ड्राईवर द्वारा गफलत लापरवाही से चला एक की मृत्यु होना।
11. 257/90 6-9-90 थाना राजनगर	सन्तोषी	जीप ड्राईवर ने गफलत लापरवाही से चला कर एक्सीडेन्ट करना।
12. 283/90 10-11-90	प्रतापसिंह	उक्त ड्राईवर द्वारा गफलत, लापरवाही से चला एक्सीडेन्ट करना।
13. 311/90 10-11-90 थाना राजनगर	सुश्री नशीना पुत्री मकबूल खां	बस ड्राईवर द्वारा तेज तरफ्तार से चला कर एक्सीडेन्ट करना।
14. 74/90 15-7-90 थाना राजगर	श्री रमण लाल पुत्र मीखालाल नि. धनपुरा	ट्रक ड्राईवर द्वारा ट्रक को गफलत लापरवाही से चला एक्सीडेन्ट करना
15. 79/90 24-7-91 थाना राजनगर	श्री लक्ष्मण खटीक नि. मिटोरिया	" "
16. 96/90 20-9-90	1. श्री गल्ला नि. 2. श्री जेठा	ट्रक ड्राईवर द्वारा ट्रक को गफलत, लापरवाही से चला कर एक्सीडेन्ट करना
17. 102/90 29-9-90	श्री जे. एस. ठीमरा नि. फतहपुरा, उदयपुर	" "

(191)

छबड़ा सामुदायिक चिकित्सा की एक्सरे मशीन

38. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि छबड़ा सामुदायिक चिकित्सालय में एक्सरे मशीन स्वीकृत हुए एक साल हो गया है ? यदि हां, तो इसकी सेवाएं जनता को कब तक उपलब्ध करवा दी जायेंगी ?

उत्तर

जी हां, एक्सरे की सुविधाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छबड़ा में उपलब्ध किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कब्रिस्तानों की भूमि पर अवैध निर्माण

39. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा जिले में नगर परिषद् में कहां-कहां कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई ?

(2) कब्रिस्तान की भूमि पर वर्तमान में कहां-कहां आवासीय तथा व्यवसायिक दृष्टि में निर्माण कार्य हुए हैं ? विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कब्रिस्तान हेतु आवंटित भूमि पर आवासीय या व्यावसायिक निर्माण नियमानुसार किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो अवैध निर्माण क्यों हुआ और कि-किस के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा जिले में नगर परिषद् द्वारा कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटित नहीं की गई है।

(2) कब्रिस्तान की भूमि पर वर्तमान में जहां-जहां आवासीय तथा व्यवसायिक दृष्टि से कब्जे हैं, की उपलब्ध सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) नगर परिषद् के द्वारा जब कब्रिस्तान को कोई भूखण्ड आवंटित ही नहीं किया गया, तो आवंटित भूमि पर अवैध निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता।

कब्रिस्तान की भूमि पर वर्तमान में जहां आवासीय तथा व्यवसायीक कब्जे हैं उसकी उपलब्ध सूची :–

1. **नगर परिषद, कोटा :–**
   1. सौफिया स्कूल के पास कब्रिस्तान की भूमि पर पत्थरों, के 15 स्टोक्स।
   2. चम्बल गार्डन के सामने वक्फ् बोर्ड द्वारा 26 दुकानों का निर्माण।
   3. नयापुरा के कालपुरा स्थित कब्रिस्तान में मकानों का निर्माण।
2. **नगर परिषद, जोधपुर**
   1. मेडता सिलावटों का कब्रिस्तान – जाकिर हुसैन कालोनी।
   2. नागोरी गेट सिलावटी का कब्रिस्तान – शाकिया कालोनी
   3. चांदशाह तकिया सोजतीगेट के बारी – व्यवसायिक दुकानें। के पास।

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न सं. 36 का विवरण

विवरण

स्वीकृति का विवरण

क्र. सं.	शहर/कस्बे का नाम	राशि (लाख रू.)	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक	योजना के अंतर्गत
1.	झालावाड़	10.00	एफ. (6)(3) आयो/वियो/91/दिनांक 28-8-91	तीन जिले तीस काम
2.	पचपहाड़	9.00	,,	,,
3.	भवानी मण्डी	1.50	ईई(मोने.i)जेई–I/कोन्टी. प्लान/91-92/1026-1070 दिनांक 18-4-91	ग्रीष्म आगुमेन्टेशन

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 37 की सूची

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : एफ 14 (236) न. वि. आ. 177 जयपुर, दिनांक 26-4-1978

: आदेश

अतः राजस्थान सरकार का समाधान हो गया है कि भूमि जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है और जो नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत आने वाले जयपुर नगर संकलन में स्थित हैं, उनको राज्य के सिनेमा निर्माण हित तथा लोक हित में उक्त अधिनियम के अध्याय 3 के उपबन्धों से छूट प्रदान की जाय ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 20 (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा आदेश देती है कि उक्त भूमि को निम्न-लिखित शर्तों के अधियधीन, नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 3 के उपबन्धों से छूट दी जाती है :—

(1) यह कि उक्त भूमि पर सिनेमा का निर्माण तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।

(2) यह कि उक्त भूमि का उपयोग सिनेमा कार्य के प्रयोजनार्थ ही होगा अन्य कार्य के लिये नहीं।

(3) यह कि सिनेमा का निर्माण मुख्य नगर नियोजक व नगर विकास न्यास के स्वीकृत प्लान के अनुसार ही किया जावेगा।

(4) यह कि उक्त भूमि को उसका मालिक । लीज होल्डर किसी को बेचान, उपहार, रहन या किसी अन्य माध्यम द्वारा हस्तान्तरित कर सकेगा। फिर भी, भूमि पर किसी बैंक अथवा वित्तिय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये उक्त भूमि को उनके पास बन्धक रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

(5) यह कि भूमि का परिवर्तन शुल्क नियमानुसार देना होगा।

(6) यह कि उक्त भूमि पर पार्किंग के स्थान के लिये सिनेमा के साइट प्लान पर नगर परिषद, जयपुर का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(7) यह कि यदि वह पाया जाय कि पूरी छूट प्राप्त भूमि या उसका कोई भाग सिनेमा प्रयोजन के उपयोग में नहीं लाया जा रहा है अथवा छूट की शर्तों में से किसी का भी अतिक्रमण किया जाता है, तो राज्य सरकार उसे छूट को प्रत्याहित कर सकेगी तथा उस दशा में सीमा से अधिक खाली भूमि के धारक को ऐसी भूमि पर किसी भवन या सन्निमार्ण या परिनिर्मित संरचना या अन्य किये गये सुधारों की बाबत कोई प्रतिकर सदेय नहीं होगा। किन्तु यदि ऐसे व्यक्ति की इच्छा हो तो उसे ऐसे भवन, परिनिर्माण या सुधार को सरकार द्वारा रिनिर्दिष्ट समय के भीतर अपने खर्च ने हटाने की अनुज्ञा दे दी जायेगी।

विवरण भूमि जिसको छूट प्रदान की गई।

भूमि के मालिक का नाम	भूमि जिसको लीज पर दी गई है	भूमि जहां स्थित है	क्षेत्रफल
केप्टन फैज मोहम्मद वफ कमेटी, जयपुर	मैसर्स ए. एच. खान, ब्रादर्स मीरा मार्ग, जयपुर	आगरा रोड़ घाटगेट के पास	400 वर्गगज

आदेश से,
(विजय सिंह)
शासन सचिव

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 की सूची

सीवरेज योजना के वर्षवार व्यय का विवरण

अनुमानित लागत : 148 लाख

तकनीकी स्वीकृति की लागत : 133 लाख

वर्ष	व्यय की गई धनराशि लाखों में
मार्च 81 तक	62.84
81–82	13.23
82–83	21.76
83–84	21.84
84–85	19.30
85–86	0.66
86–87	0.66
	140.29

प्रपत्र (ख)

आइडा सीवरेज योजना जोधपुर

कुल अनुमानित लागत 332.64 लाख

रीस्ट्रक्चरड लागत 170.00 लाख

वर्ष	व्यय की गई राशि लाखों में)
80–81	3.64
81–82	17.922
82–83	22.201
83–24	22.186
84–85	39.581
85–86	39.20
86–87	24.266
87–88	19.616
88–98	9.324
89–90	1.400
	199.416

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 की सूची

UTLLTZATION CERTIFICATE

It is certified that the Ist/2nd instalment of Rs. 2.50 lac against the total grant of Rs, 5.00 lac sanctioned by the Govt of India in the Department of Youth Affairs and Sports vide No.1986 dated 20-1-85 and released through Govt. of Rajasthan Raj. State Sports Council. Jaipur has been fully utilised towards the same ourpose for which intended.

It is further certified that the estimated cost of the project (Sports Complex, Utlity station Indoor Stadium, Swimming pool, Development of playfieng of playfields name of the field should be indicated, floodlighing of playfields etc.) was Rs. 25.60 lac against this estimate, a total amount (which includes central grant) of Rs. 1,76,900 has no far been/was spent on the project.

Signature of grantee

Rubber stamp.

परिशिष्ट- 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 42 की सूची

प्रपत्र "त",

विधानसभा क्षेत्र टोडाभीम में चल रही जल योजनाओं की सूची

क्रमांक	जल योजना का नाम	क्रमांक	जल योजना का नाम
1	नगरीय जल योजना टोडाभीम	15.	पी एण्ट टी जल योजगा निसुरा
2.	क्षेत्रीय जल योजना टोडावली सरसैना	16.	पी एण्ड टी जल योजना खेडी
3.	क्षेत्रीय जल योजना खिरखिडी तुर्कपुर	17	पी एण्ड टी जल योजना महस्वा
4	क्षेत्रीय जल योजना पाटोली श्रांतहेडा	18	पी एण्ड टी जल योजना रानोली
5.	क्षेत्रीय जल योजना घाटरा बरेडी ।	19.	पी एण्ड टी जल योजना नन्दखुर्द
6.	क्षेत्रीय जल योजना श्रांधियखेड़ा ।	20.	पी एण्ड टी जल योजना मेहन्दीपुर बालाजी
7.	क्षेत्रीय जल योजना मावडी ।	21.	पी एण्ड टी जल योजना गढपोरा
8.	क्षेत्रीय जल योजना सोप शहर नादौती ।	22.	पी एण्ड टी जल योजना विरावडा
9.	क्षेत्रीय जल योजना सोप शहर नादौती ।	23.	पनघट जल योजना गढखेडा
10.	पाइप्ड जल योजना कमालपुरा ।	24.	पनघट जल योजना रायसन
11.	पाइप्ड जल योजना खोहरा	25.	पनघट जल योजना चैनपुरा
12.	पाइप्ड जल योजना पदमपुरा	26.	पनघट जल योजना तालविडा
13.	पाइप्ड जल योजना पोरडा	27.	पनघट जल योजना गाडला
14.	पाइप्ड जल योजना गुडाचन्द्रजी	28.	पनघट जल योजना मनकपुरा
		29.	पनघट जल योजना भजेड़ा
		30.	पनघट जल योजना पहाड़ी

प्रपत्र 'थ"

विधानसभा क्षेत्र टोडाभीम में अधूरी पड़ी योजनाओं की सूची

1. क्षेत्रीय जल योजना टुडावली सरसैना ।
2. क्षेत्रीय जल योजना खिरखिडी तुर्कपुर
3. क्षेत्रीय विस्तार योजना घाटरा बरेडी ।
4. क्षेत्रीय योजना अंधियाखेडा
5. क्षेत्रीय योजना माचडी ।
6. पी. एण्ड टी जल योजना महस्वा
7. पी. एण्ड टी. जल योजना रानोली
8. पी. एण्ड टी. जल योजना निसुरा ।

(197)

अपत्र "द"

क्रमांक	गांव का नाम	तहसील	को सं.	कुल हैंड पम्पों की संख्या	कार्यरत हैंड पम्प की संख्या	खराब पड़े हैंड पपों की संख्या
1	2		3	4	5	6
1.	शहरी जल योजना	टोडाभीम	–	27	18	9
2.	आंतरहेडा	टोडाभीम	1	2	2	–
3.	करनपुर	,,	2	3	3	–
4.	अनंतपुरा	,,	3	2	1	1
5.	मनकपुरा	,,	4	7	6	1
6.	पाटोली	,,	6	2	2	–
7.	मजेडो	,,	7	7	7	–
8.	दांतली	,,	8	4	4	–
9.	मेंहदीपुर	,,	9	6	5	1
10.	गहनोली	,,	10	3	3	–
11.	सांकरवाडा	,,	11	7	3	–
12.	भूडा	,,	12	4	4	–
13.	पाडला खालसा	,,	13	9	7	2
14.	शंकरपुर डोरका	,,	15	1	1	–
15.	मैंसीना	,,	18	3	3	–
16.	मुठेपुर	,,	19	2	2	–
17.	भारीसा	,,	20	5	5	–
18.	मैंसा	,,	21	6	3	2
19.	नूरपुरा	,,	23	2	2	–
20.	मातासूला	,,	25	1	1	–
21.	पाडली	,,	26	3	2	1
22.	जोधपुरा	,,	27	2	2	1
23.	खिरखिडी	,,	28	4	4	–
24.	नांगल मांडल	,,	29	7	7	–
25.	विशनपुरा	,,	30	3	1	2
26.	मिर्जापुर	,,	32	3	1	2
27.	महेन्द्रवाड़ा	,,	35	2	1	1
28.	आसरा	,,	36	2	2	–
29.	मकबरा	,,	37	2	2	–

1	2		3	4	5	6
30.	कानेटी	टोडाभीम	38	2	2	–
31.	भीमपुर	,,	39	2	2	–
32.	सुमानपुरा	,,	40	3	1	3
33.	सहराकर	,,	41	6	2	4
34.	दादमपुर	,,	42	4	2	2
35.	मानोज	,,	43	4	4	1
36.	नन्दीपुर	,,	44	2	2	–
37.	त्रिसूला	,,	45	4	3	1
38.	जैसिनी	,,	46	4	4	–
39.	मोरछा	,,	49	5	5	–
40.	तुर्कपुर	,,	50	2	2	–
41.	मडेरू	,,	51	6	6	–
42.	माचडी	,,	69	5	4	1
43.	बीजलवाडा	,,	70	3	3	–
44.	लाडपुर	,,	71	2	1	1
45.	ऐंदलपुर	,,	72	2	2	–
46.	राजोर	,,	74	4	4	–
47.	मखटोट	,,	75	4	1	3
48.	खोहरा	,,	76	2	2	–
49.	बेरोज	,,	77	4	2	2
50.	गोरडा	,,	78	5	2	3
51.	नन्दखुर्द	,,	79	4	4	–
52.	गाजीपुरी	,,	53	3	2	1
53.	चकगाजीपुर	,,	54	2	1	1
54.	भंडारी अन्दरुनी	,,	73	2	2	–
55.	धवान	,,	80	9	5	4
56.	कमालपुरा	,,	81	2	2	–
57.	मोरडा	,,	83	3	1	1
58.	नांगलशेरपुर	,,	85	7	5	2
59.	कन्जोली	,,	115	10	7	3
60.	पहाडी	,,	116	4	3	1
61.	कुटीला	,,	117	2	2	–
62.	बिचपुरी	,,	118	3	3	–

1	2		3	4	5	6
63.	उदेंद	टोडाभीम	119	4	3	1
64.	खिलचीपुरा मीना	,,	120	2	1	1
65.	खिलचीपुरवाड़ा	,,	121	2	1	1
66.	महासिंहपुरा	,,	122	2	1	1
67.	लुहारखेड़ा	,,	123	3	1	2
68.	चांदवाड़ा	,,	124	2	2	—
69.	गांवड़ी	,,	125	2	1	1
70.	महस्वा	,,	126	14	10	4
71.	मोटवाड़ा	,,	127	3	2	1
72.	अइयापुरा	,,	128	3	2	1
73.	किरवाड़ा	,,	129	6	2	3
74.	अरिंज	,,	130	2	2	—
75.	शेखपुरा	,,	131	8	5	3
76.	रानोली	,,	132	4	2	2
77.	कालवाड़ी	,,	133	1	1	—
78.	आखावाड़ा	,,	135	4	2	2
79.	गाजीपुर	,,	156	3	2	1
80.	बहादुरपुर	,,	137	6	6	—
81.	मोपुर	,,	139	8	6	1
82.	सहजपुर	,,	140	3	3	—
83.	निसूरा	,,	141	3	2	1
	तहसील नादौती					
84.	चैनपुरा	,,	1	7	7	—
85.	तालविड़ा	,,	2	9	9	—
86.	सदेड़ा	,,	3	5	4	1
87.	बाड़ा	,,	4	4	2	2
88.	टिमएवा	,,	5	8	8	—
89.	घोलेटा	,,	6	4	4	—
90.	अंधियाखेड़ा	,,	7	2	2	—
91.	बालाखेड़ा	,,	10	4	3	1
92.	मालूपाड़ा	,,	11	5	5	—
93.	गुढाचन्द्रजी	,,	13	12	10	2
94.	गिदानी	,,	14	3	3	—

1	2		3	4	5	6
95.	राजाहेडा	नादौती	15	5	4	1
96.	मुहाना	,,	16	5	4	1
97.	गुढा	,,	17	4	4	—
98.	भंवरवाड़ा	,,	18	3	3	—
99.	माचड़ी	,,	19	4	2	2
100.	खुर्द	,,	20	2	2	—
101.	नयावास	,,	21	1	1	—
102.	भंवरा	,,	22	1	1	—
103.	झाहरी	,,	23	5	4	1
104.	गोठडा	,,	24	2	2	—
105.	घडंगा	,,	25	2	2	—
106.	ढहरिया	,,	26	5	5	—
107.	कैमरी	,,	32	3	3	—
108.	घाटोली	,,	12	3	2	1
109.	कंकडा	,,	34	2	—	2
110.	लीलई	,,	35	2	2	—
111.	रलावटा	,,	37	7	4	—
112.	शहर	,,	80	3	3	—
113.	जीर्णा	,,	52	4	3	1
114.	अलूदा	,,	53	3	3	—
115.	सलावट	,,	70	2	1	1
116.	गढ़खेड़ा	,,	71	8	8	—
117.	बागोर	,,	72	1	1	—
118.	कामोरी	,,	74	1	1	—
119.	मुडली	,,	76	1	1	—
120.	पढ़ीखेमपुर	,,	77	1	1	—
121.	खुड़ाचेनपुर	,,	79	1	1	—
122.	नादौती	,,	51	3	3	—
123.	बरदाला	,,	50	3	3	—
124.	होदाहेली	,,	47	2	1	1
125.	बड़ागांव	,,	46	3	3	—
126.	कुजेला	,,	43	4	4	—
127.	केमला	,,	40	3	3	—
128.	मिल्कसराय	,,	41	4	4	—

1	2		3	4	5	6
129.	सोप	नादौती	82	4	4	–
130.	गढ़मोरा	,,	65	3	3	–
131.	रायसना	,,	67	5	4	1
132.	लालसर	,,	60	2	2	–
133.	मोंटवाड़ा	,,	61	2	2	–
134.	कैमा	,,	48	1	1	–
135.	दलपुरा	,,	55	2	1	1
136.	लोटा	,,	57	4	4	–
137.	हारलोड़ा	,,	58	2	2	–
138.	खोयली	,,	68	3	3	–
139.	पाड़ली	,,	69	3	3	–
140.	गावडी	,,	62	5	2	3
141.	रेवासा	,,	66	2	2	–
142.	पाल	,,	59	8	6	2
143.	रौंसी	,,	38	2	–	2
144.	चिरांवड़ा	,,	63	3	2	1
145.	बाड़ा पिचनोत्त	,,	83	2	2	–
146.	सांवता	,,	84	2	2	2
		योग		563	447	116

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 62 की सूची

राजस्थान राज्य में बीयर एवं शराब उत्पादिक करने माली फर्म/उद्योगों की सूची मय अनुज्ञापत्र जारी करने की दिनांक के

क्रमांक सं.	नाम फर्म/उद्योग	स्थान	अनुज्ञापत्र जारी करने की दिनांक
1	2	3	4
बीयर हेतु :–			
(1)	मै. राजस्थान ब्रेवरीज	अलवर	6-22-1980

1	2	3	4
(2) मे. टाईगर ब्रेवरीज		अलवर	20-4-1985
भा. नि. वि. म. हेतु			
(अ) डिस्टलरीज			
(1) में उदयपुर डिस्टलरी कं. लि.		उदयपुर	1950-51 से पूर्व (सही तिथि ज्ञात) नहीं
(2) मे. मेवाड़ डिस्टलरी एण्ड केमीकल वर्क्स, भूपालसागर		भूपालसागर (जिला चित्तौड़गढ़)	21-7-1967
(3) मे. सोना डिस्टलरीज लि.		अलवर	30-12-1974
(4) मे. दी गंगानगर शुगर मिल्स श्रीगंगानगर (राजकीय उपक्रम)		श्रीगंगानगर	2956 (सही तिथि ज्ञात) नहीं
(ब) बोटलिंग प्लान्ट			
(1) में. व्यंकटेश इण्डस्ट्रीज नागपुर		उदयपुर	18-4-1988
(2) मे. के. के. इन्डस्ट्रीज लि.		कोटा	24-4-1988
(3) मे. आर एन. प्रोडक्ट्स		जोधपुर	6-10-1987
(4) में. अलवर माल्ट एण्ड एग्रो फूड्स		अलवर	23-5-1287
(5) मे अजन्ता केमीकल्स		अलव	14-5-1987
(6) मे. सम्राट बोटलर्स		भिवाडी (जि. अलवर)	5-10-1987
(7) मे. शिवालिक किनीमा प्रा. लि. न्यू दिल्ली		जयपुर	23-5-1987
(8) मे. रियल ब्रेवरेजेज प्रा. लि. पटियाला		जयपुर	7-7-1987
(9) मे. माल्टींग्स लि. नई दिल्ली		जयपुर	7-9-1989
(10) मे. जयपुर बोटलिंग प्लान्ट		जयपुर	3-7-2987

देशी मदिरा रिडक्शन सेंटर्स :—

1.	झोटवाड़ा जयपुर पश्चिम	जयपुर	अनुज्ञापत्र जारी करने की सूचना संलकित की जा रही है।
2.	उदयपुर वाटी गोदाम	उदयपुर वाटी (जि. जयपुर ग्रामीण)	,, ,,
3.	भरतपुर गोदाम	भरतपुर	,, ,,
4.	अलवर गोदाम	अलवर	,, ,,
5.	अजमेर गोदाम	अजमेर	,, ,,
6.	मण्डोर गोदाम	जोधपुर	,, ,,
7.	रानी गोदाम	रानी (जि. पाली)	,, ,, ,, ,,
8.	बीकानेर गोदाम	बीकानेर	,, ,,
9.	श्रीगंगानगर गोदाम	डिस्टलरी श्री गंगानगर	,, ,, ,, ,,
10.	उदयपुर गोदाय	उदयपुर	,, ,,
11.	कोटा गोदाम	कोटा	,, ,,
12.	बांरा गोदाम	बांरा (जि. कोटा)	,, ,, ,, ,,
13.	भीलवाड़ा गोदाम	भीलवाड़ा	,, ,,
14.	बून्दी नगर गोदाम	बून्दी सिटी	,, ,,
15.	चित्तोड़गढ़ गोदाम	चित्तोड़गढ़	,, ,,
16.	सुमेरपुर	सुमेरपुर (जि. पाली)	नया खोलने की स्वीकृति दी गई। अनुज्ञापत्र अब जारी होगा।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक प. 38 (ए)(5)(पी) आब/91.92/1389 दिनांक 30-8-91

परिपत्र

रिडक्शन सेन्टर्स के काम काज एवं वहां निर्मित देशी मदिरा के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती रहती है। अतः मदिरालयों की कार्य व्यवस्था के संबंध में निर्धारित नियम एवं व्यवस्था के अतिरिक्त निम्न निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय :–

1. बोतलों की भली प्रकार सफाई के उपरान्त ही उनमें मदिरा भरवानें की अनुमति दी जाय। यदि गंगानगर शुगर मिल्स के सबंधित कर्मचारी बार-बार कहने के उपरान्त भी इस ओर ध्यान नहीं देते है तो इस कार्यालय को पूर्ण विवरण सहित अवगत कराया जाय।

2. मदिरालय पर कार्य प्रारंभ करवाने से पूर्व निम्न प्रारूप में एक प्रमाण पत्र दिया जाय। यह प्रमाण पत्र एक रजिस्टर में अंकित किया जायः- "मैं प्रमाणित करता हूं कि आज दिनांक———को———ब. लि. शोधित प्रासव वेलेन्स में था। जिसका प्राबल्य——था। इसमें से—ब. लि. शोधित प्रासव——प्राबल्यक देशी मदिरा की किस्म——बनाने के काम में लिया गया और जो शराब बनाई गई उसकी तेजी की मैंने स्वयं जांच की है तथा यह निधारित तेजी——की होना पाया गया।"

3. गोदाम से इश्यु होने वाली समस्त बोतलो पर लेबल चिपके हुये होने चाहिये तथा प्रत्येक लेवल पर रिडक्शन सेन्टर का नाम व मदिरा भराई की दिनांक अंकित होना चाहिए

4. यह सुनिश्चित किया जाय कि बोतलों में निर्धारित मात्रा के अनुरूप मदिरा भरदी गई हो। जिन बोतलों में निर्धारित मात्रा से कम मदिरा प्रतीत हो उन्हें इश्यू नहीं की जाय।

5. स्टॉक वेंकिग एण्ड वेस्टेज आफ लिकर (एट डिस्टलरीज एण्ड वेयर हाउसेज) रूल्स, 1952 के नियम 3 अनुसार महिनें के अंतिम दिन प्रत्येक वेट में शेष रहे प्रासव का स्टॉक नहीं लिया जा रहा है एवं नियम 4 (3) अनुसार क्षति का वार्षिक मानचित्र भी नहीं भेजा जा रहा है। अतः इन नियमों की पालना प्रत्येक माह के अन्त में शेष रहे स्टॉक का वास्तविक रूप से सत्यापन किया जाय एवं क्षति का वार्षिक मानचित्र सबंधित जिला आबकारी अधिकारी के मार्फत इस कार्यालय को आगामी 15 अप्रेल तक अवश्यक भेज दिया जाय।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जाय।

ह./- आबकारी आयुक्त, राजस्थान
उदयपुर

क्रमांक प. 38 (ए) 4 (पी) आब/91.92/1389 दिनांक 30-8-91

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी अधिकारी
3. प्रभारी रिडक्शन सेन्टर———

ह./-आबकारी आयुक्त, राजस्थान
उदयपुर

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 67 की सूची

स्टैज एवं कान्ट्रेक्ट कैरिज स्थायी अनुज्ञापत्रों की सूचना

क्षेत्र	स्टेट कैरिज			कान्ट्रैक्ट कैरिज				मार वाहन			
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	बस/मिनी बस	तिपहिया वाहन	टैक्सी कैब	योग	लोक वाहन	निजी मार वाहन	तिपहिया वाहन	योग
जयपुर–1	825	939	1764	185	4210	2189	6584	12002	799	121	12022(12922
जयपुर–2	704	2583	3277	121	3840	1180	5141	12314	29	23	12866
जोधपुर	266	149	1760	46	2822	2228	5086	11188	437	—	11625
उदयपुर	687	1360	2047	230	3977	1113	5320	6171	421	—	6592
कोटा	164	507	671	54	1816	378	2248	9251	4169	97	13517
बीकानेर	487	1253	1740	78	2246	630	2964	10399	562	18	10979
योग	3133	8336	11269	714	18911	7708	27333	61325	6417	259	68001

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 74 की सूची

सूची "ब"

जिलेवार सड़क निर्माण हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

क्रमांक 1	नाम जिला 2	वर्ष 1990–91 3	वर्ष 1991–92 4
1.	जयपुर	435.43	विभिन्न जिलो से समस्त मदों में मांग प्राप्त हो गई है तथा धनराशि आवंटित की जा रही है।
2.	सीकर	77.84	
3.	झुन्झुनू	284.17	
4.	अलवर	199.37	
5.	भरतपुर	86.05	
6.	धौलपुर	125.32	
7.	अजमेर	101.15	
8.	नागौर	106.38	
9.	भीलवाड़ा	207.84	
10.	टोंक	75.76	
11.	जोधपुर	209.82	
12.	बाड़मेर	22.49	
13.	जैसलमेर	57.11	
14.	पाली	69.50	
15.	सिरोही	27.93	
16.	जालौर	47.13	
17.	बीकानेर	595.61	
18.	चूरू	105.34	
19.	श्रीगंगानगर	151.32	
20.	सवाईमाधोपुर	171.76	
21.	कोटा	499.87	
22.	बूंदी	66.16	
23.	झालावाड़	172.34	

	2	3	4
	उदयपुर	538.08	
	चित्तौड़गढ़	107.10	
	बांसवाड़ा	68.26	
7.	डूंगरपुर	67.67	
	योग	4676.80	

सूची "ब"

जिलेवार सड़क रखरखाव हेतु आवंटित राशि वर्ष 1990–91 एवं 1991–92

क्रमांक	नाम जिला	आवंटित राशि लाखों में		
		वर्ष 1990–91	वर्ष 1991–92	
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	294.55	311.00	
2.	अलवर	283.99	295.00	
3.	बांसवाड़ा	209.31	200.00	
4.	बाड़मेर	299.97	354.08	बाडे मरम्मत कार्यो सहित (199–92)
5.	भरतपुर	217.45	200.00	
6.	भीलवाड़ा	244.94	270.00	
7.	बीकानेर	280.60	336.60	
8.	बूंदी	145.50	130.00	
9.	चित्तौड़गढ़	228.32	200.00	
10.	चूरू	317.96	290.45	
11.	धौलपुर	120.82	140.00	
12.	डूंगरपुर	138.00	130.00	
13.	श्रीगंगानगर	369.58	444.04	
14.	जयपुर	740.28	722.10	

1	2	3	4	5
15.	जैसलमेर	57.19	70.00	
16.	झालावाड़	170.34	160.00	
17.	झुन्झुनू	180.26	180.00	
18.	जोधपुर	486.42	454.02	बाढ़ मरम्मत का सहित (1991-9
19.	कोटा	565.24	299.25	
20.	नागौर	259.75	269.70	
21.	पाली	357.44	350.98	बाढ़ मरम्मत का सहित (1991-9
22.	सवाईमाधोपुर	257.90	260.09	
23.	सीकर	147.09	145.00	
24.	सिरोही	184.63	230.00	बाढ़ मरम्मत का सहित (1991–92)
25.	टोंक	135.56	121.50	
26.	उदयपुर	526.39	372.00	
27.	जालौर	490.30	200.16	बाढ़ मरम्मत कार्यों सहित (1991–92)
28.	दौसा	–	115.00	
29.	बारां	–	140.00	
30.	राजसमन्द	–	110.00	
	योग :—	7708.28	7460.97	